खण्ड-277, अंक-10
सोमवार, 13 श्रावण, शक संवत् 1891
(4 अगस्त, 1969 ई0)

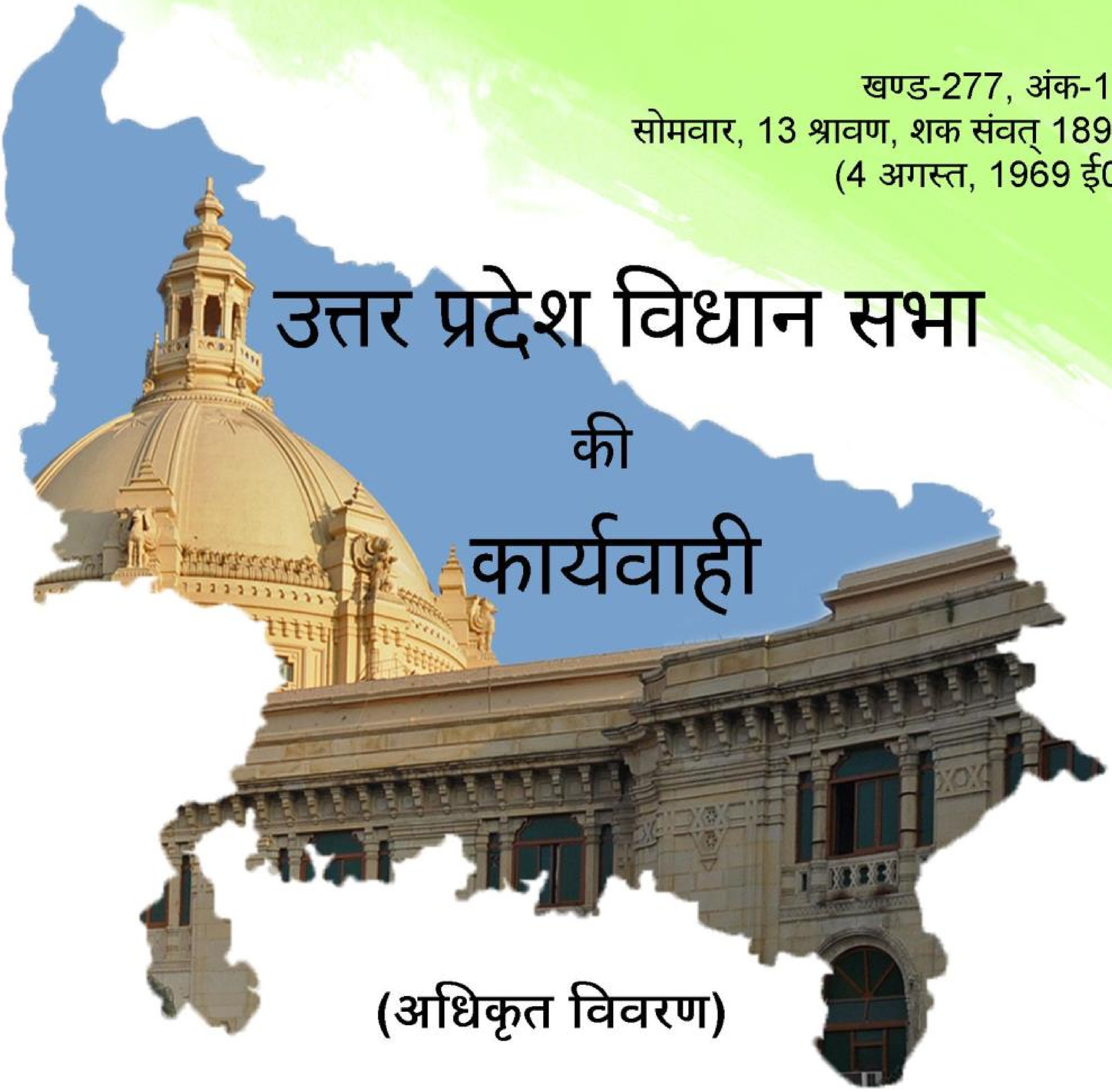

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 277 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ४ अगस्त, १९६९

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में १०.३० बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---३९१

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल जब्बार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेशप्रताप मल्ल, श्री
अवेधनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ, सिंह श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री

गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गँदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचलसिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभानु, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्रमोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुरसिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगबीर सिंह, श्री
जम दार, श्री
जयनारायणसिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तिरमलिसिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री (जिला चमोली)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (जिला पिथौरागढ़)
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमउद्दीन, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाला बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री

प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण शर्मा, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण, श्री
फिरंगी, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला बाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगौतीसिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमत
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीरसिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री
(उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथसिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीरसिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
राम किंकर, श्री

रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़—फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़—रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
राम लखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
राम लाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास, श्री
राम शिरोमणि, श्री
राम सागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर रफी खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राज
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भरसिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रतापसिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्रकुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिवकुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री

शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथसिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री
(उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्रीरामसिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवनलाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुखसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखवीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा—फतेहाबाद)
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ४ अगस्त, १९६९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

ब्लाक प्रमुखों का चुनाव

**१—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित), श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर) श्री राम बचन यादव (जिला आजमगढ़) तथा श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक प्रमुखों के चुनाव तथा क्षेत्रीय समितियों के चुनाव कब तक सम्पन्न होंगे ?

नियोजन मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

इन निर्वाचनों की तिथियों का प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये चुनाव कब तक हो जायंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

क्षेत्र समितियों का कार्यकाल, जो सामान्य कार्यकाल कहलाया जा सकता है, वह ४ मई, १९६७ को समाप्त हुआ, तो इनका चुनाव मई, १९६७ के पहले हो जाना चाहिये था।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब ४ मई, ६७ में कार्यकाल समाप्त हो गया तो सरकार के सामने कौन सी दिक्कत अब तक आ रही है कि चुनाव करने में असमर्थता प्रकट कर रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, जिस समय इन क्षेत्र समितियों का निर्माण हुआ उसी समय जिला परिषदों के निर्माण का प्रश्न भी शासन के तथा सदन के विचाराधीन था। अन्ततोगत्वा श्री संथानम के चेयरमैनशिप में एक अखिल भारतीय समिति बनी ताकि पंचायती राज संस्थाओं का एक समग्र समन्वयीकरण राष्ट्रीय आधार पर हो सके। संथानम समिति ने यह सिफारिश की कि गांव पंचायतों, क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों का कार्यकाल इस प्रकार समन्वित होना चाहिये ताकि इनका चुनाव एक साथ हो सके। क्षेत्र समितियों के अधिनियम में यह स्पष्ट है कि जो गांव पंचायतों के सभापति होंगे वह इसके पदेन सदस्य होंगे। क्योंकि क्षेत्र समितियों का गठन होने के लिये आवश्यक है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव पहले हो जायं तो स० ६६ में पहले सरकार ने निर्णय ले लिया कि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव एक साथ हों। स० ६७ के ग्राम चुनाव के बाद जो परिस्थितियां प्रदेश में हुई उनके अनुसार न तो गांव पंचायतों का और न क्षेत्र समितियों का चुनाव एकदम करना संभव था, इसलिये तत्कालीन सरकार ने दिनांक ३ मई, १९६७ को एक वर्ष के लिये क्षेत्र समितियों की अवधि को बढ़ा दिया।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि उन्होंने एक वर्ष के लिये इस काल को बढ़ाया तो वह स० ६८ में समाप्त हो गया। उसके बाद और भी आदेश जारी किये गये ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय सदस्य की उक्ति सही है। सन् ६८ में जब राष्ट्रपति शासनकाल था उस समय और उसके पहले भी यह प्रश्न सामने आया था कि गांव पंचायतों का चुनाव किस आधार पर हो, गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा हो अथवा हाथ उठाने की प्रणाली जो पहले प्रचलित थी उसके द्वारा हो और इसकी नामवाचक नामावली क्या हो—यह बुनियादी प्रश्न पुरानी सरकार और राष्ट्रपति शासन के भी विचाराधीन था। तो राष्ट्रपति शासन में इस संबंध में निर्णय लिया गया और राष्ट्रपति के अधिनियम के द्वारा सन् ६८ में तय हुआ कि गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर यह कार्य हो और प्रस्ताव द्वारा एक वर्ष के लिये क्षेत्र समितियों, गांव पंचायतों और जिला परिषदों का कार्यकाल बढ़ाया गया। अब यह प्रश्न विचाराधीन है और जैसे ही नयी नामावलियां तैयार हो जायंगी, चुनाव की तिथियां निश्चित कर दी जायेंगी।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

यह कितने समय तक अभी और विचाराधीन रहेगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि यह प्रश्न कई वर्ष तक विचाराधीन नहीं रहेगा। जैसे ही निर्वाचक नामावलियां तैयार हो जायंगी जो कि रिवाइज हो रही हैं, तुरन्त डायरेक्टर इलेक्शन पंचायतों, से परामर्श करके उनकी सलाह से चुनाव का कार्यक्रम निश्चित किया जायगा।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला पिथौरागढ़)—

क्या उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ आदि जिलों में भी डिक्टेटरशिप समाप्त करके प्रजातांत्रिक ढांचे के अनुसार क्षेत्र समितियों तथा ब्लाक प्रमुखों का चुनाव करायेंगे और यह प्रणाली वहां पर भी लागू करायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हां, सरकार का यह विचार है कि जब सामान्य निर्वाचन पंचायतों के हों, उस समय जिला परिषद् अधिनियम को पूर्णरूपेण उत्तराखण्ड के तीनों जिलों में भी लागू कर दिया जाय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या यह चुनाव इस वर्ष के अन्त तक हो जाने की आशा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, माननीय सदस्य की तरह मैं भी आशावादी हूं। मुझे आशा है निर्वाचन डायरेक्टर इस संबंध में शीघ्र ही तैयारी पूरी कर लेंगे और जैसे ही वे कार्यक्रम बनाकर देंगे चुनाव का, उसके अनुसार चुनाव कराये जायेंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी—

जब पहले की सूची, नामावली बनी हुई है तो यह दूसरी क्यों बनायी जा रही है, क्या यह सही नहीं है कि देरी करने के खयाल से ही यह सब किया जा रहा है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जो पहले की निर्वाचक नामावलियां हमारे पास हैं उसमें तमाम नाम रह गये हैं। जो डायरक्टर आफ इलेक्शन्स है उनका ऐसा विचार है कि लगभग ४ लाख नाम नयी मतदाता सूची में बढ़ेंगे और लगभग एक लाख नाम ऐसे हैं जो निरस्त होंगे। मध्यावधि चुनाव के अवसर पर यह भी देखा गया कि समय की कमी के कारण २०० से अधिक निर्वाचक क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां प्रकाशित नहीं हो पायी थीं, वे साइक्लोस्टायल करके संशोधित की गयी थीं, इस से काफी परेशानी हुई थीं। अब सभी निर्वाचन नामावलियां प्रकाशित करने का विचार है।

तारांकित प्रश्न

अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति

*१—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं) तथा श्री हिम्मत सिंह (अनुपस्थित)—

क्या न्याय मंत्री बताने की कष्ट करेंगे कि क्या सरकार अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की प्रथा पुनः प्रारम्भ कर रही है ?

न्याय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

जी हां।

श्रीमन्, इस प्रथा के समाप्त करने के बाद अदालतों में मुकदमों का नम्बर ज्यादा बढ़ गया और नये मैजिस्ट्रेट अप्वाइन्ट करने के लिये इस शासन के पास उतने साधन नहीं हैं।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या माननीय न्याय मंत्री बतायेंगे कि यह जो कहा गया है कि अदालतों में मुकदमों की संख्या बढ़ गई आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स की प्रथा समाप्त करने के बाद। तो उसके बाद से ऐसे मुकदमों की संख्या कितनी है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

श्रीमन्, इसकी सूचना की आवश्यकता होगी तादाद के लिये।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रयाग उच्च न्यायालय के लगभग १५० वरिष्ठ एडवोकेट ने इन पदों की नियुक्ति पर सरकार से विरोध प्रकट किया है ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

शासन के पास ऐसी कोई शिकायतें नहीं आई हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय न्याय मंत्री बतलायेंगे कि ये जो आनरेरी मैजिस्ट्रेट कार्य करते रहे हैं इनके विरुद्ध कितनी टिप्पणियां हाई कोर्ट के जजेज की उनके कार्यकाल में गई ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री उदितनारायण (जिला फतेहपुर)—

क्या माननीय न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगर मुकदमों की तादाद ज्यादा बढ़ जाय और सरकार के पास साधनों की कमी हो तो क्या किसी को भी काम करने के लिये मुकदमों पर नियुक्त किया जा सकता है । मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए दें कि अभी तक जो शिकायतें थीं इन मैजिस्ट्रेट्स के खिलाफ उनको ध्यान में रखते हुए ये पद अबालिश किये गये थे ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

श्रीमन् सुनाई नहीं दिया ।

श्री उदितनारायण—

क्या माननीय न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी उन्होंने पहले प्रश्न के जबाव में यह कहा था कि चूंकि मुकदमों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है और सरकार के पास साधन सीमित हैं । इतने साधन नहीं हैं कि वे इतने मैजिस्ट्रेट जिसका अर्थ यह होना चाहिये कि इतने मैजिस्ट्रेट नियुक्त कर दें तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इन मुकदमों की संख्या बढ़ जाने के कारण किन्हीं भी व्यक्तियों को काम सौंप दिया जायेगा बावजूद इसके कि उनके खिलाफ शिकायतें होने के कारण उनको हटा दिया गया हो ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त

अध्यक्ष महोदय, जो प्रथा आनरेरी मैजिस्ट्रेट की हटा दी गई थी और उसके हट जाने के कारण जो बातें हुईं जैसे मुकदमों की संख्या बढ़ी और उनके फैसले नहीं हुए, उसके संबंध में तो अभी न्याय मंत्री जी ने बता दिया । जो यह न्याय प्रथा प्रारम्भ करने का प्रश्न उठा वह तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेज की सलाह से उठा और उसमें यह निर्णय लिया गया कि केवल जुडिश्यल आफिसर्स जो केवल १८ साल में रिटायर हो जायेंगे और पांच-छः साल काम कर सकते हैं उनमें से ऐसे व्यक्ति छांटे जायेंगे जिनमें से जिलाधीश और जिले का जज रिकमेण्ड करे और जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव जज हाई कोर्ट का है जिन्हें वह मंजूर करे वे व्यक्ति इस कार्य के लिए नियुक्त किये जायेंगे । पहली पद्धति और प्रथा में तो पब्लिक के आदमी जो चाहे कानून जानता हो या नहीं, कानून का अनुभव हो या नहीं वे नियुक्त किये जाते थे । और उसमें यह भी शिकायत हो सकती थी कि जिलाधीश अपना डिस्क्रीशन इस्तेमाल करते थे । लेकिन इसमें तो केवल विश्राम प्राप्त व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जायगा जो इस काम को कर चुके हैं और जिनको हाई कोर्ट के ऐडमिनिस्ट्रेटिव जज नियुक्त करने की सलाह देंगे । इस प्रकार से यह आनरेरी मैजिस्ट्रेट

की नियुक्ति की प्रथा पहली नियुक्ति की प्रथा से बिलकुल भिन्न है। इसमें और उसमें भारी अन्तर है।

श्री उदितनारायण--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन नियुक्तियों का अंतिम अधिकार किस को होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अंतिम अधिकार तो हाई कोर्ट के जजेज का और सुप्रीम कोर्ट के जजेज का भी केंद्रीय और प्रांतीय सरकार को ही होता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों को कोई आनरेरियम भी मिलेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

उन्हें आने जाने का खर्चा करीब १०० रुपया दिये जाने का विचार किया जा रहा है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अगर उन व्यक्तियों में काम करने की क्षमता थी तो फिर उनको रिटायर ही क्यों किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

रिटायरमेंट की एज तो निर्धारित है, उसके अनुसार ही प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी को रिटायर किया जाता है। बहुत से लोगों में रिटायर हो जाने के बाद भी काम करने की क्षमता रहती है और काम करते हैं।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी से यह सवाल पूछा गया था कि उनकी नियुक्ति करने का अधिकार किसको होगा। उन्होंने जो जवाब दिया उससे स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। वह कहते हैं कि गवर्नमेंट को भी अधिकार होगा और हाईकोर्ट को भी होगा। मैं जानना चाहता हूं कि उनकी प्रक्रिया क्या होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

नियुक्ति तो सरकार ही करेगी।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि सबकी नियुक्ति सरकार ही करती है।

श्री चरणसिंह--

क्या गवर्नमेंट को यह मालूम है कि जब यह आनरेरी मैजिस्ट्रेट का सिस्टम समाप्त किया गया था, उससे पहले भी लोगों की यह शिकायत थी कि बहुत से जुडीशियल मैजिस्ट्रेट कम काम करते हैं और जब से जुडीशियरी का सेपरेशन हुआ है तब से और भी काम आधा रह गया है। तो क्या गवर्नमेंट इस चीज को एक्जामिन करायेगी कि अगर जुडीशियल मैजिस्ट्रेट पूरी मेहनत से काम करें तो आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की आवश्यकता न रह जायगी। क्या इस प्रकार की कोई फाइल एक्जामिन हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

फाइल तो इस किस्म की कोई एक्जामिन नहीं हुई है लेकिन जिन व्यक्तियों से बात करने की आवश्यकता थी, उन व्यक्तियों से और ऊंचे अधिकारियों से इस विषय में बातचीत की गयी थी। उनका ध्यान भी इन सब बातों की ओर आकृष्ट किया गया था। दुर्भाग्य तो यह है कि जहां तक कार्य का ताल्लुक है चाहे वह डिस्ट्रिक्ट जज हो, चाहे हाईकोर्ट का जज हो, हाईकोर्ट के जजेज में भी कुछ ऐसे हैं जो एक-एक दिन में ३—३ मुकदमें डिस्पोज आफ करते हैं और ऐसे भी हैं जो दो-दो, ढाई-ढाई और ३-३ दिन में एक-एक मुकदमा निबटाते हैं। यह तो एक-एक व्यक्ति की अलग-अलग बात है। उनकी देखरेख के लिए जो उच्च अधिकारी होते हैं, हाईकोर्ट के जजेज या डिस्ट्रिक्ट सेशन्स जज वे उन लोगों के कामों को देखते हैं। उनका ध्यान बार-बार इस ओर खींचा जाता है कि काम उतनी मात्रा में नहीं हो रहा है, जितनी मात्रा में होना चाहिये।

श्री चरणसिंह—

जिस वक्त से जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव का सेपरेशन हुआ है उस वक्त से क्या माननीय मुख्य मंत्री अन्य प्रदेश के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के काम की मात्रा, जो कि वे करते हैं और उससे पहले के आंकड़े मंगाकर और २ साल के अन्दर जितना उनका आउटपुट हुआ है, सारी चीजों को दुबारा एक्जामिन करने की कृपा करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मुझे उसको एक्जामिन करने में कोई आपत्ति नहीं है और एक्जामिन भी करा लूंगा लेकिन अनुभव और जानकारी ने अवश्य यह बताया कि बहुत से छोटे-छोटे मुकदमें जो कार्पोरेशन इत्यादि के होते हैं वे इन आनरेरी मैजिस्ट्रेटों द्वारा जल्द से जल्द तय हो जाते हैं। आज हालत यह है कि २—३ साल से ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं और आज तक भी फैसले के नजदीक नहीं आये। जिसका नतीजा यह है कि वे छोटे-छोटे मुकदमें जिनमें कारपोरेशन और दूसरी संस्थाओं के खिलाफ लोगों को राहत मिलनी चाहिये थी फैसल नहीं हुए। इस संबंध में चीफ जस्टिस से बातें हुईं और उन्होंने और व्यक्तियों की मांग की। तब यह बात निकली कि ये जो रिटायर हो जाते हैं ५८ वर्ष की आयु के उपरान्त, जजेज वगैरह, अगर वे इस काम को ले लें क्योंकि बहुत से काम करना चाहते हैं तनख्वाह इत्यादि की चिन्ता न करते हुए, तब यह प्रश्न उठा और फिर वहां से लिखा-पढ़ी हुई और फिर उसके बाद इस बात पर कैबिनेट ने विचार किया और यह निर्णय हुआ कि हमें ऐसे जुडिशियल आफिसर्स चाहे वे कलेक्टर की श्रेणी में आते हैं या डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज की श्रेणी में आते हैं हमें उनकी नियुक्ति करनी चाहिये ताकि ये जो छोटे-छोटे मुकदमें, जो अनिर्णीत पड़े हुये हैं, फैसल हो सकें जिससे संस्थाओं और संबंधित व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुगमता के साथ राहत मिल सके।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति या एक्सटेन्शन प्रदेशीय सरकार करेगी तो वह कैसे अनुभव करेगी कि एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का सेपरेशन हुआ है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

बहुत से जो जुडिशियल आफीसर्स हैं, वे तो हाई कोर्ट के तत्वावधान में ले लिए गये हैं परन्तु अभी कुछ ऐसे भी जुडिशियल आफिसर्स हैं जो रेवेन्यू के केसेज करते हैं, वे अभी तक प्रदेशीय सरकार की निगरानी में कार्य करते हैं तो वे इस श्रेणी में होंगे जो आज रेवेन्यु में काम करते हैं।

श्री उदितनारायण--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि उन्हें ऐसा लगता रहे कि न्याय मिल रहा है। अगर इस नीति से सरकार नियुक्ति करेगी तो इसको भी आघात पहुंचेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

सरकार तो डिस्ट्रिक्ट जज तथा मुंसिफ़ सेशन जज को भी नियुक्त करती है और उनकी पदोन्नति भी करती है भले ही सिफारिश उनके विषय में हाई कोर्ट से आये लेकिन अंतिम निर्णय प्रदेश की सरकार करती है। अमुक व्यक्ति सेशन जज अथवा डिस्ट्रिक्ट जज बन जाय तो उससे अन्तर नहीं होता है फिर इससे कैसे अन्तर हो जायगा और जब वे मुकदमे करेंगे तो किन्हीं कारणों से सरकार की ओर देखेंगे और वे लोगों को न्याय नहीं प्रदान करेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या आजादी की लड़ाई के दिनों में कांग्रेस का यही मत था कि अवैतनिक या आनरेरी मैजिस्ट्रेट की इंस्टीट्यूशन को खत्म किया जाय और यदि हां, तो किन कारणों से ऐसा मत था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

यह सरकार तो ऐसा अनुभव करती है कि आज जितना पर्सनल समाज में है उससे समाज के कार्यों के सम्पादन में जितनी भी मदद मिल जाय उतनी मदद हमें लेनी चाहिये। आज यह हमारा निश्चित मत है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेज में रिटायरमेंट के बाद यदि कार्य-क्षमता है और वे आनरेरी मैजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर सकते हैं तो वे इस कार्य का सम्पादन करें और हाई कोर्ट इस सिलसिले में विचार करके हमें अपनी राय दे ताकि रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेज एडहाक जजेज के रूप में कार्य कर सकें और हजारों की संख्या में निर्णय करने के लिये जो मुकदमे पड़े हुए हैं उनका निर्णय जल्दी से जल्दी किया जा सके।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह मेरे प्रश्न का उत्तर किसी तरह से नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष---

आपका प्रश्न उस समय से संबंधित है जब स्वराज्य की लड़ाई हो रही थी, उसका उत्तर वह मुख्य मंत्री की हैसियत से कैसे दे सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या विरोधी दल ने यह सुझाव दिया था कि मुख्य मंत्री जी दूसरे प्रदेशों से भी यह मालूम करा लें कि जुडिशियल आफिसर्स पर कितना वर्क है और अपने यहां भी देख लें ? मुख्य मंत्री जी ने कहा देखेंगे। बावजूद इसके कि उन्होंने देखा और फिर भी वे अपनी राय पर अडिग रहे तो फिर चूंकि प्रदेश में एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी सेपरेट हो चुके हैं तो इस नये इंस्टीट्यूशन को हाई कोर्ट के मातहत रखने में उन्हें क्या कठिनाई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त --

वह जुडिशियल आफिसर्स जो अब हाई कोर्ट के तहत में काम करते हैं वह सरकार की ही तरफ से नियुक्त किये जाते हैं और वह सरकार की तरफ से रिमूव भी किये जाते हैं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न पुकारे जाने पर तथा कुछ सदस्यों द्वारा और पूरक प्रश्न किये जाने का अनुरोध करने पर)

श्री अध्यक्ष---

जो कोई इम्पारटेन्ट प्रश्न हो उस पर ज्यादा से ज्यादा ७ अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं लेकिन इस पर १२ हो चुके हैं, यानी ५ अधिक हो चुके हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आपने यह व्यवस्था दी थी कि प्रश्नकर्ता को २-३ प्रश्न पूछने का अवसर मिल जायगा लेकिन श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य को केवल एक ही अवसर मिला है इसलिये आप कम से कम उनको एक मौका और दें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह प्रश्न मेरे नाम से है और आपने मुझे मौका नहीं दिया । तो कम से कम एक सवाल और पूछने का मौका दें ।

श्री अध्यक्ष---

बात यह है कि या तो मैं व्यवस्था करूं और यदि आपकी व्यवस्था मान लेता हूं तो जिम्मेदारी आपकी है । क्या सदन चाहता है कि २-३ प्रश्न और पूछे जायं । (जी हां की आवाजें ।)

श्री कृष्ण स्वरूप ---

जब अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की हम नियुक्ति करेंगे तो हमको पेशकार, अहलमद, चपरासी इत्यादि रखने पड़ेंगे और स्टेशनरी का भी खर्चा करना पड़ेगा और १०० रुपये मासिक आनरेरियम भी उनको देंगे तो कोई मितव्ययिता नहीं होगी । तो फिर हम क्यों न जुडिशल आफिसर्स बढ़ा दें, इससे भ्रष्टाचार भी नहीं होगा और न्याय भी जल्दी मिलेगा ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह---

इससे काम नहीं चलेगा इसलिये कि जो १०० रुपये अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों को दिये जायेंगे उसके अतिरिक्त जो स्टाफ होगा उसमें भी काफी सरकार का खर्चा होगा ।

गांव सभाओं तथा गांव पंचायतों का चुनाव

*२---श्री कृष्ण स्वरूप, श्री जैराम, (जिला प्रतापगढ़) तथा श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर) ---

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गांव सभाओं तथा गांव पंचायतों के चुनाव कब तक कराये जा सकेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

प्रदेश में गांव पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन हेतु तिथियां निश्चित करने का प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है ।

श्री कृष्णस्वरूप---

गांव सभा और पंचायतों का चुनाव कई वर्षों से टल रहा है । तो क्या मंत्री जी कोई आश्वासन देंगे कि कब तक चुनाव करा देंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जो पंचायत राज के चुनाव निदेशक हैं, वे कार्यक्रम प्रस्तावित करेंगे उसके अनुसार चुनाव होंगे ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

जो नवम्बर में स्वायत्त शासन संस्थाओं का चुनाव कराने की घोषणा की है क्या उसकी वजह से ग्राम पंचायतों के चुनाव आगे टाले जा रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

मैं समझता हूं कि चुनाव निदेशक इस कठिनाई का भी ध्यान अपना कार्यक्रम बनाते समय रखेंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मौजूदा पंचायतों के कार्यकाल की अवधि क्या हो गई है और सामान्यतः उनके चुनाव कितने समय के बाद हो जाने चाहियें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

सामान्यतः चुनाव ५ वर्ष में हो जाने चाहियें लेकिन जो समय-समय पर अवधि की वृद्धि हुई है उसके अनुसार ४ वर्ष और हो जायेंगे ।

श्री महीलाल---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि निदेशक महोदय को यह कठिनाई है कि पहले वह स्वायत्त शासन संस्थाओं के चुनाव में लगे हुए हैं तो जो स्थान प्रमुखों तथा सभापतियों के खाली हैं, उनके चुनाव कराने के लिए क्यों नहीं विचार कर रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

श्रीमन्, माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे । मैंने यह नहीं कहा कि निदेशक महोदय को चुनाव कराने में कोई कठिनाई हो रही है, लेकिन यह हो सकता है कि मैंने यह कहा कि माननीय सदस्य ने महत्वपूर्ण कठिनाई की ओर ध्यान दिलाया है। निदेशक महोदय निर्वाचन, इसके रहते हुए, चुनाव करेंगे और यह भी हो सकता है कि कार्यक्रम तब्दील कर दें । इसलिये इसका प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस वर्ष के अन्त तक चुनाव हो सकेंगे या नहीं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

अध्यक्ष महोदय, अगर निदेशक महोदय इसकी सम्भावना व्यक्त करेंगे कि इस वर्ष के अन्त तक हो सकेंगे तो हो जायेंगे । अगर ऐसी सम्भावना व्यक्त नहीं करेंगे तो नहीं हो सकेंगे यानी जब भी वह बतायेंगे तभी हो सकेंगे ।

श्री जगवीरसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी इसको देखते हुए कि चुनाव हर बार टाले जा रहे हैं तो जो रिक्त स्थान प्रमुखों के और सभापतियों के खाली पड़े हुए हैं उनको चुनाव कराने का मंत्री जी प्रयत्न करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि चुनाव टालने का कोई सवाल नहीं है । जैसे ही निर्वाचन निदेशक, जिन्हें चुनाव कराना है ७२,००० से ज्यादा ग्राम सभायें हैं और गुप्त मतदान होना है तो इतने बड़े कार्य का उत्तरदायित्व जिनके ऊपर है उनके हाथ सदन को मजबूत करने चाहिये और प्रस्तावित कार्यक्रम जो उनका है उसी को हमें स्वीकार करना होगा ।

श्री कृष्णस्वरूप---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि निर्वाचन निदेशक महोदय ने जो तिथि स्वीकार की है क्या उस समय तब सब तैयारी करा लेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

अध्यक्ष महोदय, अभी उन्होंने कोई निश्चित तिथि स्वीकार नहीं की है। पुनरीक्षित कार्यक्रम चल रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी इसको देखते हुए कि प्रजातंत्र के प्रति ग्रामवासियों की आस्था बनी रहे इसलिये ऐक्ट के अन्दर ऐसा कोई संशोधन करने के लिए विचार कर रहे हैं जैसे कि प्युपिल्स रिप्रेंजेंटेशन ऐक्ट के अन्दर चुनाव की अवधि सीमित समय के लिए ही बढ़ाई जा सकती है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, जहां तक मूल अधिनियम का प्रश्न है उसमें चुनाव की तिथि केवल एक वर्ष के बढ़ाने का प्राविधान था। ऐसा विचार नहीं है कि यह अनिश्चित काल के लिए बढ़ाई जाती रहे। इस संबंध में आवश्यकता होगी तो सदन के परामर्श से कार्यवाही की जायेगी।

श्री ईश्वरदयाल (जिला मेरठ)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ग्राम प्रधान और सरपंचों के चुनाव की प्रक्रिया में वे कोई परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर १९६७ में विचार हुआ था और निश्चित किया गया था कि ग्राम सभापतियों का चुनाव निर्विरोध करने का कोई तरीका निकाला जाय। लेकिन क्या तरीका हो, इस पर कोई सुझाव नहीं हो सका।

*३–४—श्री इन्द्रलाल—

[११ वें गुरुवार के प्रश्न सं० १–२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

जिला परिषदों के कार्य में अनियमितताओं की जांच

*५—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९६७–६८ में राज्य के कतिपय जिला परिषदों के कार्य में अनियमिततायें होने के कारण सरकार ने उनके विरुद्ध जांच के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो किन-किन जिला परिषदों के विरुद्ध ऐसे आदेश हुएथे और उनके क्या परिणाम हुए ?

*६—क्या सरकार उपर्युक्त संबंध में जांच अधिकारी के प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

बांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि यह सूचना कब तक एकत्र हो जायगी ? दूसरे, यह कि क्या अजखुद वह सूचना सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जो वांछित सूचना है यथाशीघ्र एकत्र करने का आदेश दिया गया है। जहां तक सदन के पटल पर रखने का प्रश्न है, श्रीमन्, इसमें मैं आपकी आज्ञा चाहूंगा कि इस प्रश्न के संदर्भ में सूचना रख दी जाय या दूसरे प्रश्न के संदर्भ में रख दी जाय ?

श्री अध्यक्ष—

१४ दिन के अन्दर रखना ही पड़ेगा।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)--

देवरिया जिला अध्यक्ष के खिलाफ, परिषद् के खिलाफ वहां की शिकायतें १९६८ में राज्यपाल को दी गयी थीं, उन शिकायतों की जांच करके क्या माननीय मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

इसके लिये सूचना चाहिये क्योंकि प्रश्न जिला परिषदों से सम्बन्धित है जिला अध्यक्षों से नहीं ।

श्री धर्मसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह सारी की सारी सूचना सेक्रेटेरिएट से, लखनऊ से सम्बन्धित है, प्रदेश से सूचना इकट्ठी करने का सवाल नहीं है तो उनके सामने इस सूचना देने में क्या कठिनाई प्रतीत हुई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अगर माननीय सदस्य देखेंगे तो पूछा यह गया है कि क्या परिणाम हुए। तो प्रदेश भर में ५१ जिला परिषदें हैं और तीन अन्तरिम जिला परिषदें हैं । विभिन्न प्रकार की शिकायतें आती रहती हैं । उनके क्या परिणाम हुए, यह सारी सूचना एकत्र करने में समय लगना आवश्यक है ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि किन-किन जिला परिषदों के विरुद्ध शिकायत की जांच के लिये आदेश दिये गये हैं और क्या उनमें बलिया भी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह सामान्य परिपाटी है कि अगर किसी भी अनियमितता की शिकायत राज्य सरकार के पास आती है तो साधारण तौर पर जांच के आदेश दिये जाते हैं जब तक कि अनावश्यक न हो, इस लिये बलिया जिला परिषद् की शिकायत है या नहीं, इसके बारे में सूचना की आवश्यकता है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या माननीय मंत्री की जानकारी में है कि बुलन्दशहर जिला परिषद् के अध्यक्ष के विरुद्ध संविद सरकार के द्वारा सी० आई० डी० के जरिये जांच हो रही थी और राष्ट्रपति शासन में सी० आई० डी० की जांच हटा कर ऐडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा जांच करायी गयी ? यदि उनकी जानकारी में है तो क्या परिणाम निकला ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मुझे खेद है कि माननीय सदस्य की जिज्ञासा को शान्त करने में मैं असमर्थ हूं क्योंकि यह प्रश्न जिला परिषदों के सम्बन्ध में है, अध्यक्षों के बारे में नहीं था । उसकी पत्रावली मेरे पास नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह--

मूल प्रश्न में पूछा गया है कि किन-किन जिला परिषदों के विरुद्ध ऐसे आदेश हुए, इसमें क्या सूचना एकत्र करनी है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

माननीय सदस्य क्षमा करेंगे । प्रश्न के एक हिस्से का उत्तर देना मेरे लिये सम्भव नहीं है । सम्पूर्ण प्रश्न को समग्र रूप में दृष्टि में रख कर उत्तर दिया जा सकता है ।

आर० आर० इंजीनियरिंग वर्क्स, बरेली के कर्मचारियों का प्रोविडेंट फण्ड

*७—श्री रामसिंह खन्ना (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आर० आर० इंजीनियरिंग वर्क्स, बरेली के मिल मालिकों ने कर्मचारियों के वेतन से हर माह का प्रावीडेंट फन्ड का काटा हुआ वेतन एक साल से अधिक समय से दिनांक २५ जून, १९६९ तक सरकारी खजाने में जमा नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जनवरी, १९६७ से दिसम्बर, १९६७ तथा मार्च, १९६८ से मई, १९६९ तक के प्राविडेन्ट फण्ड की रु० ४८,८४५.१७ पैसे की धनराशि, जिसे प्रतिष्ठान ने समय से जमा नहीं किया था, के सम्बन्ध में जिलाधीश बरेली, को वसूली के प्रमाण पत्र भेजे जा चुके हैं।

जनवरी, १९६७ से जुलाई, १९६७ की अवधि के प्राविडेन्ट फंड की धनराशि जमा कर दी है।

मई, १९६७ से दिसम्बर, १९६७ व मार्च, १९६८ से अक्टूबर, १९६८ की अवधि का भुगतान न किये जाने पर १२ शिकायतें (Complaints) न्यायालय में दाखिल की गई हैं, तथा उक्त अवधि का भुगतान न करने एवं धनराशि का दुरुपयोग करने के अभियोग में भारतीय दंड विधान (I. P. C.) की धारा ४०६/४०९ के अन्तर्गत प्रतिष्ठान के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न विचाराधीन है ?

नवम्बर, १९६८ से मई, १९६९ तक की अवधि के प्राविडेन्ट फंड का भुगतान न किये जाने के बारे में भी वैधानिक कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री रामसिंह खन्ना—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार का यह निश्चित मत है कि प्रतिष्ठान की ओर से अनियमितताएं की गई हैं, तो सरकार को क्या रुकावट है कि अभी तक उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का फैसला भी नहीं कर पायी ? क्या मैनेजमेंट का असर बाधक है सरकार को सही काम करने में ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, माननीय सदस्य कृपया देखेंगे कि उत्तर से यह स्पष्ट है कि सरकार ने कार्यवाही दोनों प्रकार से की है उस अधिनियम के अनुसार जो उसे प्राप्त हैं। वैसे सरकार की ओर से प्राविडेन्ट फंड कमिश्नर होते हैं जो इस ऐक्ट को लागू करते हैं। तो यह उनके द्वारा सारी कार्यवाही होती है, सरकार का सीधा दायित्व नहीं है। लेकिन उसने भी एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू की तरह वसूली के लिये मई, १९६९ तक के भेज दिये हैं। तो एक तो यह कार्यवाही हो रही है जो उन्होंने जमा नहीं किया है, दूसरे मिसएप्रोप्रिएशन आफ फंड के बारे में आई० पी० सी० की धारा ४०६ और ४०९ के अनुसार १२ शिकायतें न्यायालय में दाखिल हो चुकी हैं। एक खाली नवम्बर, १९६८ से मई, १९६९ तक का प्राविडेन्ट फंड न भुगतान किये जाने का और है, इस पर आदेश दिये गये हैं कि आवश्यक कार्यवाही की जाए।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जैसा कि कहा गया है कि धारा ४०६ की कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है, कुछ मुकदमें दायर हो गये हैं एक विचाराधीन है। तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक मामले में चार्जशीट में देर है या सभी में देर है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, प्रश्न के उत्तर से यह स्पष्ट है कि मई १९६७ से दिसम्बर १९६७ व मार्च १९६८ से अक्टूबर, १९६८ तक की १२ शिकायतें न्यायालय में दाखिल की गईं। अब सवाल नवम्बर ६८ से मई ६९ तक का है। पुलिस को कम्पलेन्ट बनाते समय तथा उसके न्यायालय में अभियोग लगाने में थोड़ा समय लगता है। इसलिये मामला विचाराधीन है, न्यायालय में अभी दाखिल नहीं हुआ, लेकिन इस संबंध में सारी कार्यवाही हो रही है। इसके अलावा प्राविडेन्ट फंड मासिक आधार पर जमा किया जाता है और यदि किसी महीने में नहीं जमा होता है तो वह अलग से एक कम्पलेंट बन जाती है।

श्री ओमप्रकाश सिंह (जिला बरेली)--

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वसूली के आदेश जिलाधीश को कब प्रसारित किये गये और यह मामला कब तक सरकार के विचाराधीन रहेगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

इस बारे में ७ आदेश प्रसारित किये गये, पहला तथा दूसरा आदेश ४ अप्रैल १९६८ को भेजा गया, तीसरा २३ सितम्बर, ६८ को, चौथा १ मार्च, ६९ को पांचवा ३ अप्रैल, ६९ को छठा २६ अप्रैल तथा सातवां ११ जुलाई, ६९ को प्रसारित किया गया।

श्री रामसिंह खन्ना--

क्या मैनेजमेंट की ओर से इस प्रकार की अनियमितताओं से औद्योगिक अशान्ति को बढ़ावा मिलता है, यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसको खास तौर से निगाह में रखते हुये जल्दी से जल्दी ऐसी कायवाही करेंगे कि मैनेजमेंट की तरफ से इस प्रकार की अनियमितता न हो ताकि औद्योगिक अशान्ति को बढ़ावा न मिले ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं माननीय सदस्य की इस उक्ति से सहमत हूं कि इससे औद्योगिक अशान्ति को बढ़ावा मिलता है। प्राविन्डेंट फंड कमिश्नर को इस सम्बन्ध में सरकार ने सलाह दी है।

*८--श्री रामसिंह खन्ना--

[३रे गुरुवार के तारांकित प्र० सं० ४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

आई० टी० आई० के लिये स्वीकृति के बिना सामान की खरीद

*९--श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या नियोजन मंत्री को पता है कि गवर्नरी शासन में कुछ बड़े अफसरों ने आई० टी० आई० के लिये सामान बिला गवर्नर साहब के आदेश के अथवा स्वीकृति के लगभग १ १/२ करोड़ रुपये का खरीद लिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

राज्यपाल शासन की अवधि में ऐसा कोई सामान निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, द्वारा बगैर शासन की स्वीकृति के नहीं खरीदा गया है।

श्री सुरेन्द्रविक्रम--

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्यपाल शासन में तो नहीं खरीदा गया लेकिन क्या उनकी नोटिस में कोई ऐसी अनियमिततायें आयी हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां। इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ सामान जो सैंक्शन होता है डिपार्टमेंट को उस सैंक्शन से पहले ही खरीदने के आदेश दे दिये गये थे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जिन अधिकारियों ने यह नियम विरुद्ध कार्यवाही की, क्या उनके विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही की ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

समय समय पर इसके लिये कार्यवाही होती रहती है। एक ज्वाइन्ट डाइरेक्टर की सेवायें उनको समय से पहले चौथाई पेंशन पर रिटायर करके समाप्त की गयीं। कुछ अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही रिवर्शन या मुअत्तली की भी हो रही है।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

यह जो बिना मंजूरी के सामान खरीदा गया था वह कितने रुपये का था ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जहां तक धनराशि का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में यह बता दूं कि अभी तो हाल में कोई गबन होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जो गलती हुई है वह यह है कि बिना इस बात को देखे हुये कि मशीनरी उस ट्रेड के लायक है या नहीं, मशीनरी खरीद ली गयी। मशीनरी मौजूद है, उसकी देखरेख में ढील हुई है उनको ढंग से नहीं रखा गया।

पर्वतीय जिलों में होमगार्ड्स समाप्त करना

*१०—श्री नरेन्द्रसिंह—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों से होम गार्ड्स के संगठन को सन् १९६५ में समाप्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

हां। पर्वतीय जिलों में होम गार्ड्स संगठन की सुविधा भारत सरकार के आदेशानुसार की गई थी और उन्हीं के आदेशानुसार इस संगठन को इन जिलों से हटा दिया गया है।

*११—श्री नरेन्द्रसिंह—

क्या कारागार मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि होम गार्ड्स के हटाये जाने पर पर्वतीय जिलों में आन्तरिक सुरक्षा की व्यवस्था करने का कार्य किस संगठन को सौंपा गया है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

पर्वतीय जिलों में आन्तरिक सुरक्षा के विशेष महत्व को देखते हुये भारत सरकार ने स्वयं समुचित प्रबंध किया है।

श्री नरेन्द्रसिंह—

क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पूछा भी कि किन कारणों से पर्वतीय जिलों से होम गार्ड्स को हटाया जा रहा है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

यह गोपनीय है, इसके बारे में यहां उल्लेख करना जनहित में नहीं होगा।

श्री नरेन्द्रसिंह—

क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की कि पर्वतीय जिलों में जो संगठन होमगार्डस् के स्थान पर काम कर रहा है वह संतोषप्रद नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

पर्वतीय जिलों में और खासकर उत्तराखंड के क्षेत्रों में होमगार्ड्स का तौर तरीके से तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है किन्तु केन्द्रीय सरकार की यो ना जो चल रही है उसका ब्योरा तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि वह गोपनीय रखी जाती है। जो कार्य होमगार्ड्स करते हैं वह दूसरे तौर तरीके से केन्द्रीय सरकार के तत्वावधान में चलाया जा रहा है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—

क्या सरकार को विदित है कि होमगार्ड्स की ड्यूटीज में और यह जो कार्य चल रहा है उसमें बहुत अन्तर है ? सिविल डिफ़ेन्स में केवल मात्र राइफ़ल शूटिंग का काम होता है जब कि होमगार्डस की ड्यूटीज मल्टीफ़ेरियस होती हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

क्या क्या काम उन व्यक्तियों से लिया जाता है मैं उसको यहां प्रस्तुत नहीं कर सकता और उनको मैं बताना उचित नहीं समझता हूं।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार का जो कार्य वहां पर हो रहा है उसको न बतायें लेकिन होम गार्ड्स को वहां पर रखने में क्या कठिनाई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस योजना को वहां पर चलाना जरूरी नहीं समझा गया। इसलिये होमगार्ड्स को वहां रखना मुनासिब नहीं समझा गया।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—

क्या मुख्यमंत्री जी को पता है कि होम गार्ड्स आर्गनाइजेशन टूटने से काफ़ी लोग वहां पर बेकार हो गये हैं तो उनके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था सोची है कि उनको फ़िर से इम्पलायमेंट दिया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इम्प्लायमेंट देने का जहां तक सम्बन्ध है वहां पर वही व्यवस्था की जा रही है जिससे अधिक से अधिक लोग रोजगार में लग सकें और अधिक से अधिक उद्योग धंधों में लग सकें। यह जो चौथी योजना बनी है वह इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर बनाई गई है और उत्तरोत्तर उस दिशा में कार्य हो रहा है जिससे वहां के क्षेत्र से बेरोजगारी हटे।

सेल्स टैक्स विभाग में राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण

*१२—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेल्स टैक्स विभाग में कितने राजपत्रित अधिकारियों की बाबत मार्च सन् १९६९ से अब तक स्थानान्तरण के आदेश जारी हुये और उनमें से कितने रद्द हुये ?

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)—

सेल्स टैक्स विभाग में मार्च सन् १९६९ से अब तक ४७ राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश जारी हुए जिनमें से केवल ५ अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश अन्त में रद्द कर दिये गये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो अधिकारियों के स्थानान्तरण हुये अथवा स्थानान्तरण के आदेश रद्द हुये उसकी नीति क्या है, किस आधार पर स्थानान्तरण हुये और किस आधार पर वह आदेश रद्द हुये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

स्थानान्तरण तो आमतौर पर जिनको ३ वर्ष हो जाते हैं उन लोगों के स्थानान्तरण करने की कोशिश की जाती है। उसमें कुछ कठिनाई भी आती है। रद्द करने का जहां तक प्रश्न है उसमे आमतौर पर कोई अस्वस्थ हो, या कोई व्यक्तिगत कारण हो या इसके अतिरिक्त ऐसे कारण भी हो जाते हैं जैसे कोई अधिकारी रिटायर होने को होता है तो आमतौर पर उसका स्थानान्तरण उसी स्थान पर करने की चेष्टा करते हैं जहां पर उसका अन्तिम स्थान होता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

वह कौन सी कठिनाई आगई जिससे यह आदेश रोक लिये गये?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैंने निवेदन किया कि कोई इसी प्रकार की कठिनाई आ सकती है कि किसी व्यक्ति ने रिप्रिजन्टेशन किया कि वह अस्वस्थ है या उनके घरवाले अस्वस्थ हैं या इस प्रकार की कठिनाई भी आ सकती है कि जैसे बाद में यह देखा जाय कि यह व्यक्ति रिटायर होने को है तो उस समय भी स्थानान्तरण रोक देते हैं।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इनके अलावा कितनी एप्लीकेशनस आई जिनमें लिखा था कि उनका तबादला न किया जाय और कितनी एप्लीकेशनस ऐसी आई जिनमें रद्द कर दिया गया और उनमें कितनी बाकी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यह बहुत व्योरे की बातें हैं। मेरे खयाल में बहुत सारी दरख्वास्त आई होंगी और हर एक पर कार्यवाही होती है परन्तु यहां पर सबको बता सकना सम्भव नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इन ४७ अधिकारियों में कितने ऐसे हैं जो दो वर्ष से कम उस स्थान पर रहे और कितने ऐसे हैं जो ३ वर्ष से कम में ट्रान्सफ़र हुये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यह व्योरे की बात है। ३ वर्ष से कम भी रहे होंगे और २ वर्ष से कम भी होंगे जिनका स्थानान्तरण कर दिया जाता है।

श्री डी० पी० बोरा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की गिरफ़्तारी के संबंध में नियम ६३ का विशेषाधिकार का प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं और उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

नोटः—तारांकित प्रश्न १२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष—

सदस्य की गिरफ़्तारी के सम्बन्ध में सूचना । यह इसके बाद है । पहले मैं सूचना दूंगा। मेरे पास यह सूचना आयी है मजिस्ट्रेट की कि "आई हैव द ओनर टू इंफ़ार्म यू" मैं निवेदन करता हूं कि दफ़ा १४३ व ५०६, इंडियन पेनल कोड के अन्तर्गत देवी प्रसाद जी बोरा को अरेस्ट करने का उनको गिरफ़्तार करने का, मैंने इस आफ़ेंस में हुक्म दिया और पर्सनली यानी स्वयं उन्होंने सरेन्डर कर दिया उसके बाद कोई साढ़े छः बजे के करीब । उसके बाद जमानत पर छोड़ दिया गया । यह दो तारीख को मेरे पास सूचना आयी । एक हजार रुपये की जमानत है और पर्सनल बांड भी उतने ही एमाउन्ट का है । उसके बाद एक और चीज की सूचना देना चाहता हूं । मेरे पास विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न श्री सूबेदार सिंह जी ने उपस्थित किया था बोरा जी के खिलाफ़ । मैंने कहा था कि उसकी जांच करूंगा । चूंकि उन्होंने उसी के साथ शिकायत भी मजिस्ट्रेट के सामने कर दी और फ़ौजदारी के मामले में वह चले गये तो मैं इसकी जांच नहीं करूंगा । यह उनको सूचना दे दी है । मैंने उस दिन कहा था कि अगर वह ठहर जाते तो मैं जांच करता । लेकिन चूंकि वह अदालत में चले गये और बाहर का मामला था इसलिये अदालत में ही फ़ैसला करायें ।

इसी के सम्बन्ध में तीन प्रश्न थे । एक तो सूचना थी, दूसर अपनी तरफ़ से सूचना दी और चूंकि उन्होंने उसकी शिकायत अदालत में कर दी, इसलिये मैं अपना फ़ैसला इस वक्त नहीं करूंगा ।

श्री बलवीर सिंह द्वारा श्री डी० पी० बोरा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री तथा जिलाधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब यह बलवीर सिंह जी ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया । दिनांक १ अगस्त, १९६९ को विधान सभा में प्रश्नकाल पश्चात श्रीमन ने माननीय श्री सूबेदार सिंह द्वारा लगाये गये लिखित आरोप को पढ़कर सुनाया । इसमें माननीय सूबेदार सिंह जी ने यह कहा था कि उस दिन प्रातः ९–३० बजे माननीय सदस्य डी० पी० बोरा ने अन्य व्यक्तियों के साथ उनको यह धमकी दी कि यदि वे अपना दल बदलें तो मैं उन्हें मारकर गोमती में फेंक दिया जायेगा माननीय सदन के समय उन्होंने इस आशय का स्वयं वक्तव्य भी दिया था जिसका पूर्णतः खंडन माननीय बोरा ने अपने वक्तव्य द्वारा उसी समय कर दिया था ।

श्रीमन, ने यह घोषणा की थी कि श्रीमन इस विषय की जांच करेंगे इस प्रकार यह मामला इस सदन के निर्णय का विषय हो गया । और सदन ने इस तथाकथित आरोप और इस संबंधित घटना तथा तथ्यों की जांच का अधिकार आपके माध्यम से ले लिया इसके पश्चात् दिनांक २ अगस्त, १९६९ को सायंकाल लगभग ६ बजे हुसेनगंज कोतवाली के सब इंस्पेक्टर श्री शर्मा ने इसी उपरोक्त तथाकथित अपराध के लिये माननीय सदस्य श्री डी० पी० बोरा को मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये वारन्ट के आधार पर गिरफ्तार कर लिया । श्री डी० पी० बोरा जमानत देने पर ही रिहा किये गये । श्री डी० पी० बोरा जमानत पर रिहा हुये हैं । इस समय सदन के समक्ष लगाये गये आरोपों की जांच विचाराधीन है । इस संबंध में जो कार्यवाही हुई है उससे सम्मानित सदन और श्री डी० पी० बोरा का अपमान हुआ है । इसलिये यह प्रार्थना है कि माननीय गृह मंत्री हुसैनगंज थाने के सब इंस्पेक्टर श्री शर्मा तथा वारेन्ट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के विरुद्ध नियम ६३ के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही करें । इसमें यह प्रश्न उठाया गया है । मैं आपसे इस बात के लिये कहूंगा ।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्य को सुनने के बाद अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

पहले मैं यह कहूंगा कि वर्तमान प्रायमाफेसी केस कैसे हुआ।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, कृपया यह साफ करें कि प्रायमाफेसी केस कैसे हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

पहले मैं इस बात की इजाजत दूं कि प्रायमाफेसी केस है तो यह प्रश्न उठ सकता है कि इस पर विचार होना चाहिये और इसके लिये आप सलाह दीजिये। लेकिन जब यह प्रश्न उठा था तो मैंने यह नहीं कहा था कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। मैंने यह कहा था कि मैं इस बात की जांच करूंगा कि प्रागदर्शन में प्रश्न उठता है या नहीं। जब तक फैक्ट्स मालूम न हों तब तक यह कैसे निश्चित कर सकते हैं कि प्रागदर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है या नहीं। माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है उसको सदन को सुना दिया गया है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की जांच उच्चाधिकार सम्पन्न न्यायिक जांच आयोग द्वारा कराने के सम्बन्ध में नियम ३०८ के अन्तर्गत सूचना

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, नियम ३०१ के अन्तर्गत जो मैंने सूचना दी थी उसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। प्रिय महोदय, जनसंघ के स्वर्गीय प्रधान श्री दीन दयाल उपाध्याय हत्याकाण्ड के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक ऐसा उच्चाधिकार सम्पन्न न्यायिक जांच आयोग जिसे मामले की नये सिरे से छानबीन करने का अधिकार हो गठित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अब तक संस्तुति न किये जाने से उत्पन्न परिस्थिति के विषय को सदन की जानकारी में लाने की सूचना उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम संख्या ३०१ के अधीन देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपा करके बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक माननीय मुख्य मंत्री जी इस संबंध में घोषणा नहीं करेंगे मैं सदन की कार्यवाही नहीं चलने दूंगा। अध्यक्ष महोदय मैं एक सूचना पढ़ना चाहता हूं लेकिन मुझे रोक दिया गया है जब कि मैं यह देख रहा हूं कि १६ रोज से अन्य सदस्य बोलते हैं तो बोलते चले जाते हैं उनको नहीं रोका जाता है मगर जब मैं बोलना चाहता हूं तो इस प्रकार से विघ्न उत्पन्न किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी सदन की कार्यवाही नहीं चलने दूंगा और आप मेरे खिलाफ जो भी कार्यवाही चाहें करें। लाउड स्पीकर रुक गया है। माइक ठीक करके मुझे बोलने की कृपया अनुमति दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको इजाजत दे दी है। विशेषाधिकार का प्रश्न पहले आता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

हमें पूरा पढ़ने दीजिये। दो पैराग्राफ मैंने पढ़ा है।

अध्यक्ष—

मैंने समय निश्चित कर दिया है। आप सबसे ज्यादा अनुशासन का पालन करते रहे हैं। यह बराबर मैं कहता रहा हूं, लेकिन आज ही आप उसके खिलाफ कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं आज नहीं बैठूंगा। (व्यवधान)

आज दो महीने हो गये अभी तक निर्णय नहीं लिया गया। गुप्ता जी और चव्हाण जी की मिली भगत है। यह प्रजातंत्र का गला घोटना है और मान्यवर इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर होगी। न्यायिक जांच न हो, शहादत मिट जाय यह चाहते हैं। सत्य पर परदा पड़ा रहे। मान्यवर, मैंने अनुशासन का पालन सदैव किया है और फिर आगे करूंगा लेकिन कभी-कभी ऐसी परिस्थिति होती है जब अनुशासन का पालन करना आत्मद्रोह होता है।

(सदन में माइक बन्द कर दिये जाने पर)

(व्यवधान) माइक चालू कराइये।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यह सदन के अन्दर गलत परम्परा है कि जब माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो माइक बन्द करा दिया गया है।

अध्यक्ष—

आप बैठ जायं। आप सबसे ज्यादा अनुशासन का पालन करते रहे हैं। मैं यह पहले भी कह चुका हूं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

आज यह जानते हुये कि मैं अनुशासन का पालन नहीं कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं इन्साफ के हित में, सत्य के हित में और डिमोक्रेसी के हित में।

अध्यक्ष—

आज आपको क्या हो गया है? आप कृपा करके बैठ जाइये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

आप मानिए तो सही।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

वह मैंने स्वीकार किया है, देखें नियम यह है .....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

नियम मैंने पढ़ लिया है, नियम का पालन यहां हो नहीं रहा है। नियम का पालन मैं करता रहा हूं और आगे भी करूंगा लेकिन किसी-किसी परिस्थिति में नियम को सस्पेंड भी करना पड़ता है और आप भी किसी-किसी परिस्थिति में नियम को सस्पेंड करते रहे हैं लेकिन आज ऐसी परिस्थिति में जब कि हमारे सबसे बड़े नेता की हत्या हुई है उसकी जांच के खिलाफ माननीय मुख्य मंत्री खिलवाड़ कर रहे हैं और आप भी मुझे बोलने का मौका नहीं देते हैं .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

ऐसी स्थिति में मुझे थोड़ी देर के लिये सदन को स्थगित करना पड़ेगा, सिवा इसके और कोई चारा नहीं है।

(व्यवधान)

आप कृपा करके बैठें।

(व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं निर्णय कर चुका हूं कि अपनी बात बिना कहें मैं बैठूंगा नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब मैं १० मिनट के लिये सदन को स्थगित करता हूं।)

(इस समय ११ बजकर ४७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और १२ बजकर ५ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से यह पढ़ना चाहता हूं—

"जनसंघ के स्वर्गीय प्रधान श्री दीनदयाल उपाध्याय हत्याकांड के संबंध में सरकार द्वारा एक ऐसा उच्चाधिकार सम्पन्न न्यायिक जांच आयोग जिसे कि मामले की नये सिरे से छानबीन करने का अधिकार हो गठित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अब तक संस्तुति न किये जाने से उत्पन्न परिस्थिति के विषय को सदन की जानकारी में लाने की सूचना उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम संख्या ३०१ के अधीन देना चाहता हूं।

सदन की जानकारी में लाने का कारण

जनसंघ के स्वर्गीय प्रधान श्री दीनदयाल उपाध्याय की जो रहस्यपूर्ण एवं राजनैतिक हत्या ११ फरवरी, १९६८ को जिन परिस्थितियों में हुई उस पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है। इस हत्या कांड के संबंध में चलाये गये मुकदमें के निर्णय में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को हत्या के आरोप में बरी करते हुये स्पष्ट कहा है कि "हत्या के संबंध में सत्य की समस्या अभी भी शेष है।" न्यायाधीश ने यह भी कहा कि सी० बी० आई० द्वारा जांच के दौरान अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं की उपेक्षा कर दी गयी।

निर्णय से हत्या के रहस्य का पता नहीं चला। जनता को संतोष नहीं हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर देश के समस्त राजनैतिक दलों के नेताओं एवं संसद सदस्यों ने केन्द्रीय सरकार से मांग की कि हत्या के कारणों की फिर से छानबीन करने के लिये एक उच्चाधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग का गठन किया जाना चाहिये।

हमें पूर्ण विश्वास था कि देश की प्रथम पंक्ति के नेता श्री उपाध्याय की हत्या के कारणों की पुनः जांच के लिये आयोग अवश्य गठित किया जायगा। यदि हत्या के कारणों का पता न चला तो प्रजातंत्र एवं आजादी के लिये एक भीषण संकट खड़ा हो जायगा। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय था। प्रधान मंत्री एवं केन्द्रीय गृह मंत्री से अनेक शिष्ट मंडलों ने मिल कर यह आग्रह किया परन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई परिणाम नहीं निकला और समस्या जहां की तहां बनी हुई है। न जाने क्यों सरकार सत्य की जानकारी कराने में हिचक रही है।

श्रीमन, स्वर्गीय श्री उपाध्याय अजातशत्रु थे उनका भी कोई दुश्मन होगा, यह विश्वास हम नहीं करते। यह हत्या निश्चित रूप से एक राजनैतिक हत्या है। इसके बाद भी सरकार द्वारा जांच न कराना हमारे मन में अनेक संदेह पैदा करता है कि आखिर सरकार जांच कराने में क्यों हिचक रही है। अब सरकार ने एक नई चाल चली है। जांच न कराने के लिये कानूनी बाधाओं का सहारा लेकर अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पर टालने का प्रयास हो रहा है।

२८ जुलाई, को लोक सभा में जनसंघ के वर्तमान प्रधान श्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत एक ध्यानाकर्षक प्रस्ताव के उत्तर में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण ने कहा कि केन्द्र के द्वारा इस प्रकार के जांच आयोग अथवा कमेटी के गठन का प्रश्न तभी उठता है जब कि उत्तर प्रदेश सरकार यह तय कर ले कि वह विशेष सत्र न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं करेगी।

श्रीमन, उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में क्या दृष्टिकोण रखती है, जिसकी जानकारी हेतु मैं माननीय मुख्य मंत्री से कई बार मिला। जनसंघ के अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष श्री नानाजी देशमुख भी मिले। मैंने वार्ता के दौरान यह बात रखी कि जांच आयोग गठित करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार अपनी प्रादेशिक सरकार पर डालती है। मैंने केन्द्रीय गृह मंत्री के वक्तव्य की ओर भी उसका ध्यान आकृष्ट किया तथा आग्रह किया कि हत्या के रहस्य का पता चलाने के लिये राज्य सरकार स्वयं केन्द्रीय सरकार से यह संस्तुति करे कि जांच आयोग अवश्य गठित किया जाय जिस से कि वास्तविकता का पता चल सके। और आज जो यह दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि केन्द्र अपनी जिम्मेदारी प्रदेश पर डालता है और प्रदेश केन्द्र को उत्तरदायी बताता है यह बात जनता की नजरों में साफ हो जाय। परन्तु माननीय मुख्य मंत्री कभी कानूनी राय की प्रतीक्षा, कभी केन्द्रीय सरकार का निर्देश आदि का बहाना लेकर बराबर निर्णय को टालते रहे हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार माननीय न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर कर हमारे मुंह पर ताला लगाना चाहती है कि मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण हम अपनी बात न कह सकें।

इस प्रकार राज्य सरकार भी जांच आयोग गठित होने की मांग में बाधक हो रही है। श्रीमन, अपने प्रिय नेता की हत्या के कारणों की पुनः जांच न कराने की नीति के विरुद्ध सम्पूर्ण प्रदेश के जनमानस का केन्द्रीय सरकार के साथ ही साथ राज्य सरकार के प्रति भी आन्दोलित होना स्वाभाविक है। मुझे पूरे प्रदेश से जो सूचनायें प्राप्त हो रही हैं उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यदि राज्य सरकार ने जांच आयोग गठित करने की शीघ्र ही अनुशंसा न की तो सम्पूर्ण प्रदेश में एक बड़े पैमाने पर आन्दोलन प्रारम्भ हो जायगा तथा जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होगी।

अपना वक्तव्य समाप्त करते हुये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक बार पुनः सादर आग्रह करूंगा कि वह आज आदरणीय सदन में यह घोषणा करने की कृपा करें कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्रीय सरकार से संस्तुति करती है कि वह तत्काल उच्चाधिकार सम्पन्न जांच आयोग का गठन

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

करे जो की हत्या के मामले की नये सिरे से छानबीन होकर इस राजनैतिक हत्या के रहस्य का पर्दा फाश हो। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी प्रदेश की जनभावनाओं का आदर करते हुये यह आग्रह अवश्य स्वीकार करेंगे।"

मान्यवर, यह केवल मेरे दल के नेता से ही संबंध नहीं रखता, यह प्रजातंत्र से संबंध रखता है, यह राजनीतिक दलों के नेताओं के जीवन से संबंध रखता है, देश में प्रजातंत्र को जीवित रखना है या नहीं, इस प्रश्न से संबंध रखता है। आज जिस तरह से राजनीतिक दलों के नेताओं को मारा जा रहा है उससे यह भय होने लगा है कि इस प्रजातंत्र में हम लोग भी जीवित रह सकेंगे; हम लोगों का भी जीवन सुरक्षित रह सकेगा या नहीं। आज यह सरकार इतने गम्भीर मामले में क्यों चुप बैठी हुयी है। इस से अगर हम यह निष्कर्ष निकालें कि यह कांग्रेस सरकार इसलिये ऐसा कर रही है कि अधिक से अधिक समय उसे मिल जाये ताकि इस घटना का पर्दाफास न होने पाये और जनसंघ मिट जाय, तो कोई अनुचित न होगा।

मान्यवर, चाहवाण साहब कहते हैं कि सी० बी० आई० में लीगल डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि अब इसमें कोई तत्व नहीं है, यह आगे चल नहीं सकता है, अपील करने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं भी मान्यवर, वकील हूं, जब बैनिफिट आफ डाऊट में मुलजिम छूट जाता है, तब अपील की जाती है, मगर मान्यवर, यहां तो आधार ही दूसरा है। जो मूल तीन आधार माने गये थे इस हत्या के, उन तीनों को उन्होंने खत्म कर दिया। अब अगर इनके मन में और कोई भावना नहीं है तो यह क्यों नहीं उसकी घोषणा कर देते। मैं तो इसमें केवल इंटरेस्टेड हूं कि सही बात सामने आ जाये, चाहे किसी को सजा हो चाहे न हो। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी आज सदन में उसकी मान्यवर, घोषणा कर देते तो जो परिस्थिति आज यहां उत्पन्न हो गयी है वह कभी न होती। ९ जून को श्रीमन्, फैसला हुआ, ३०० पृष्ठ का फैसला है, इतना बड़ा इनका लीगल विभाग है, अब तक क्या कर रहे हैं। इस प्रदेशीय सरकार ने जानबूझ कर यह परिस्थिति पदा कर दी है कि हमको यह रास्ता अपनाना पड़ा। आज तक सदन में, मान्यवर, मैंने एक भी शब्द का प्रयोग अनादर का नहीं किया और सदैव ही अनुशासन का प्रयोग किया। यहां भी और बाहर भी मैंने इसको सदैव महत्व दिया है, मगर राजनीतिक आन्दोलनों में अनुशासन के लिये कोई स्थान नहीं होता। अगर हम न्याय पाने में सफल नहीं होते, अनुशासन उसके मार्ग में बाधक होता है, कितनी विनम्रता और विनती के बाद भी हमारी सही बात कोई नहीं सुनता है, तो उसके लिये, मान्यवर, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता है। इस वक्त विरोध पक्ष और कांग्रेस में संघर्ष चल रहा है, मान्यवर, मैं बार बार जाता था, विनती करता था, मगर मेरी नहीं सुनी गयी। मैंने भी सोचा कि जब अवसर आयेगा तो मैं स्पष्टीकरण करूंगा। मैंने जाकर गुप्ता जी से बड़ी विनम्रता के साथ इसके लिये विनती की, मगर माननीय गुप्ता ने मामूली तरीके से उसको टाल दिया। फिर मैंने सोचा कि अब इनके पास जाना बेकार है। मैं आज भी माननीय गुप्ता जी से प्रार्थना करता हूं कि अगर वे यहां खड़े होकर घोषणा कर दें तो हम अभी अपना सब कुछ वापस लेने को तैयार हैं। अगर स्वीकार नहीं करेंगे, तो मान्यवर हम विवश हैं, हमारे दल के जितने लोग हैं, वे इसे प्रेस करेंगे और सदन नहीं चलने देंगे।

*श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने इस सिलसिले में जो कुछ कहा है उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं। स्वर्गीय उपाध्याय जी एक सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं थे। वे हमारे देश के उच्च कोटि के नेताओं में से थे। उनकी हत्या हुई। जज ने यह तय किया कि जो सही मुलजिम है वे उनके सामने नहीं आये। तो फ़िर अब गवर्नमेंट का फ़र्ज है कि जो यहां से कहा जाता है कि जुडिशियल इन्क्वायरी हो, जुडिशियल ट्रिब्युनल बिठाया जाय, वह मांग तुरन्त स्वीकार

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

की जानी चाहिये। ९ जून को यह फ़ैसला हुआ। पचास दिन के करीब हो गये। फ़ैसला चाहे तीन सफ़े का हो या तीन हजार सफ़े का। इस डिसीजन को करने के लिये ट्रिब्युनल बैठे या न बैठे। सारे फ़ैसले को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे ही फ़ैसले को पढ़ने की जरूरत है तो दो दिन, तीन दिन या एक हफ्ते या दो हफ्ते में उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। जो होम मिनिस्टर गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के हैं न तो उन्होंने कुछ किया और न माननीय गुप्ता जी ने कुछ किया। मैं तो यह समझता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के होम मिनिस्टर का सारी स्थिति में कोई स्थान नहीं है। अधिकार है माननीय गुप्ता जी का तो उन्हें फ़ैसला कर लेना चाहिये था। मीटिंग्स हुयीं, यहां पब्लिक मीटिंग्स हुयीं और जगह भी पब्लिक मीटिंग्स हुई ह। जनसंघ संस्था की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने या जनरल मीटिंग्स में भी उन्होंने यह रेजोलूशन पास किया, अखबारों ने मांग की है, दूसरी पार्टियों ने भी मांग की है। तो आखिर क्या कठिनाई है, स्वर्गीय उपाध्याय जी की हत्या किस प्रकार हुई, उसकी खोज करके सही मुल्जिमान को सजा देने में। यह जनसंघ के साथ कोई अहसान नहीं होगा। यह तो देश की प्रतिष्ठा का सवाल है और प्रदेश की प्रतिष्ठा का सवाल सब से अधिक है, जहां यह हत्या हुई है।

मैं तो यह समझता हूं कि जैसे अखबारों में खबर निकली थी जनसंघ की तरफ़ से दरख्वास्त आती या न आती। माननीय गुप्ता जी को अपने एल० आर० को हुक्म देना चाहिये था कि फौरन नकल मांगे और कार्यवाही के बाद दुबारा इन्क्वायरी कराई जाय और अगर वे कुछ कर रहे हैं अपनी फाईल्स में तो मुझे माफ़ करेंगे, मैं कहूंगा कि इतनी अदक्षता और इतनी इनएफ़िशियेंसी के साथ बात कर रहे हैं जिससे देर होगी। जैसे मामूली-मामूली बातें नेचुरल कोर्स में होती रही हैं। इस तरह कोई भी गवर्नमेंट करेगी तो वह बात भीषण रूप धारण कर लेती है। तो मैं माननीय गुप्ता जी से अपील करता हूं कि वे माननीय त्रिपाठी जी की बात को स्वीकार कर लें। यह केवल माननीय त्रिपाठी या जनसंघ की ही बात नहीं है यह साउन्ड एडमिनिस्ट्रेशन या जस्टिस का तका..ा है कि जो ऐसे मुल्जिम हैं "दे शुड बी ब्राट बिफ़ोर"। उनको स..ा मिलनी चाहिये। फ्रेश एन्क्वायरी होनी चाहिये। ये दिखला रहे हैं कि अपील गवर्नमेंट की तरफ़ से हो या न हो। क्यों दिखला रहे हैं? आप भी इससे मुताल्लिक है कुछ भी लेकिन सबसे ज्यादा कन्सर्न्ड त्रिपाठी जी और जनसंघ से है। वे कहते हैं कोई अपील की जरूरत नहीं है। फ्रेश इन्वेस्टीगेशन कराइये। क्या आपत्ति है क्या राजहठ है, क्या दिक्कत आपके सामने आ रही है, क्यों नहीं इसे आप स्वीकार करते? त्रिपाठी जी ने मुझसे तीन दिन पहले कहा था कि मैं इतनी बार कह चुका हूं पर अब हमारे सबर का प्याला भर चुका है। मैंने कहा ठीक है जो कुछ आप करेंगे हम साथ में हैं। अगर जुडिशियल ट्रिब्युनल अप्वाइन्ट नहीं हो सकता तो फ्रेश इन्क्वायरी कराने में क्या कठिनाई है। इन शब्दों के साथ मैं फ़िर माननीय गुप्ता जी से अपील करूंगा कि उनको त्रिपाठी जी की बात मान लेनी चाहिये।

*मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का भारी दुख है कि माननीय त्रिपाठी जी ने आज ऐसे विषय के संबंध में जिसके सिलसिले में उन्होंने दो मर्तबा मुझसे बातें कीं, यहां रोष भरे शब्दों में कुछ अपने विचार प्रकट किये और उन विचारों में कुछ ऐसे विचार भी थ जो कि थोड़ी बहुत मात्रा में वास्तविकता से परे थे। जब त्रिपाठी जी मुझसे इस संबंध में मिले थे और बाद में त्रिपाठी जी और देशमुख जी इस विषय में मुझसे मिले तो मैंने उनसे यह निवेदन किया कि यह विषय न्याय विभाग देख लें और ज्यों ही उनकी टिप्पणी मेरे पास आ जायेगी, मैं, चूंकि माननीय उपाध्याय जी का देश की राजनीति में ऊंचा स्थान था, उस टिप्पणी को कैबीनेट के सदस्यों के समक्ष रखूंगा। यदि वह टिप्पणी इस तरह की होगी कि अपील नहीं होनी चाहिये, तब भी प्रदेशीय सरकार के उत्तरदायित्व को देखते हुए, एक फैसला उस स्थिति में सब को मिल कर लेना पड़ेगा। तथा केंद्रीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त—]

सरकार को भी इस विषय में सूचना देनी होगी, क्योंकि केंद्रीय सरकार के सी० बी० आई० के माध्यम से वह मुकदमा चलाया गया था, उन्हीं के वकीलों ने इस मुकदमे को चलाया था। अकेले कोई फ़सला, बिना न्याय विभाग के सुझावों के ले लूं, यह तो उन प्रथाओं के विपरीत होगा, जो प्रथायें इस सरकार को चलाने के लिये बरती जाती हैं। मैं यह मानता हूं कि बहुत से एक्विटल केसेज में, अपील नहीं होती है और बहुत से एक्वीटल केसेज में अपील की जाती है और न्याय विभाग के अधिकारीगण उस विषय में अपनी राय देते हैं, उनकी राय के अनुसार ही यह कार्य होता है। जब त्रिपाठी जी मुझसे मिले थे और उन्होंने अपने दृष्टिकोण को मेरे सामने रखा था, उसके उपरान्त मैंने ला विभाग के सचिव को बुलाया और उनसे कहा कि इस मामले में देखरेख करके शीघ्र ही वे अपनी टिप्पणी हमारे समक्ष प्रस्तुत करें।

जैसा कि मुझे बताया गया, उनके पास वह फैसला ६ या ८ दिन पहले ही आया है। उन्होंनें उसका अध्ययन भी कर लिया है। स्वतः वह कुछ नतीजे पर भी पहुंच गये हैं। लेकिन उस नतीजे को पूर्व इसके कि वे सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें, उन्होंने और मैंने यह मुनासिब समझा कि ऐडवोकेट जनरल की राय भी इसमें ले ली जाय। २–३ दिन हुए ऐडवोकेट जनरल यहां आये थे वे कागजात लेकर उनके पास गये। उनको कलकत्ते जाना था, इसलिये वे वहां चले गये हैं। ८ तरीख को वे लौटेंगे। ९ तारीख को उनसे बातचीत होगी और उसके बाद वह टिप्पणी हमारे पास आ जायेगी। यहां किसी का यह आग्रह नहीं है कि अपील जरूर की जाय। जब आप ही नहीं चाहते हैं तो हम कैसे इन्टरेस्टेड हो सकते हैं। लेकिन हम भी एक जिम्मेदार सरकार में हैं, हमारा भी कोई उत्तरदायित्व है। पचासों लोग इस बात पर आपत्ति कर सकते हैं कि इतने बड़े नेता को मार डाला गया और उस संबंध में अपील भी नहीं की गयी। इसलिये ला विभाग की राय भी इस संबंध में ली जा रही है कि सरकार के हाथ भी उस संबंध में मजबूत हो जायं और यह सरकार भी केंद्रीय सरकार को बता सके। आज की स्थिति यह है कि केन्द्र के गृह मंत्री जी ने यह कहा है कि प्रदेशीय सरकार अगर अपील नहीं करेगी तो हम कमीशन की नियुक्ति करेंगे। इसलिये कोई लांछन प्रदेशीय सरकार पर न आ जाय इससे बचने के लिये सरकार ने ला ओपीनियन ली है। ला ओपीनियन हमने अपनी किसी रेस्पान्सीबिलिटी से बचने के लिये या अपील में जबरदस्ती जाने के लिये नहीं ली है। ऐसी हमारी मंशा न कभी रही है और न कभी आगे भी रहेगी। यह बात हमने माननीय त्रिपाठी जी से व्यक्त कर दी कि हम कोई ऐसा कदम नहीं उठायेंगे। करीब-करीब एक तरह से उन्हें वचन ही था कि हम ला डिपार्टमेंट की ओपिनियम से गवर्न होंगे और उसमें कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप या अपना विचार नहीं रखेंगे।

आज मुझे हैरानी हुई कि माननीय त्रिपाठी जी ने यह रुख अपनाया। अपील में १३ या १४ सितम्बर तक की तारीख का समय है। हमें भी तो जो हमारे सचिव हैं और ऐडवोकेट जनरल ह, उनकी राय मिल जाय तो इसमें अधीरता का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। न हमारा दृष्टिकोण ऐसा है कि एक ऐसे व्यक्ति, जिसका राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान था और जो संसार से विदा हो गये हैं, किन्हीं कारणों से, उनके बारे में जांच न हो सके और ठीक व्यक्ति का जिसने मर्डर किया है, उसकी जानकारी न हो पाये। तो हमारे दृष्टिकोण और माननीय त्रिपाठी जी के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं है। केवल अन्तर इतना ही है कि हमारे जो न्याय में सलाह देने वाले हैं, उनके द्वारा हमारे हाथ मजबूत हो जायं और हमारे पास एक राय हो जिसकी बुनियाद पर हमने ऐसा न किया। मैं नहीं समझता कि आज त्रिपाठी जी ने, जिन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया, क्यों यह कहा कि हम आज ऐसा ही करेंगे और हम यह निर्णय करके आये हैं। जो वे ख्वाहिश रखते हैं, उसको सामने रखते हुए, उन अधिकारियों तक इस सदन द्वारा, पहुंच भी गयी है। एक अधिकारी ने तो राय दे दी है लेकिन वे उसकी पुष्टि एडवोकेट जनरल द्वारा कराना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और २, ४ दिन के लिये उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। उन्हें सदन की कार्यवाही में पूरा सहयोग देना चाहिये और अपने दिल में अविश्वास को जगह न देनी चाहिये कि हम कोई

षड़यंत्र या टालमटोल करना चाहते हैं, एक महान् व्यक्ति के विषय में, हम वह जानकारी उपलब्ध नहीं कराना चाहते हैं, जिनसे हमें पता चल सके कि उनका मर्डर किन कारणों से हुआ था। अध्यक्ष जी, मेरा तो आपके द्वारा माननीय त्रिपाठी जी से और माननीय चरण सिंह जी से यह आग्रह है कि वे २–४ दिन का और सब्र करें और जब उनकी राय आ जायेगी, उसको भी हम सदन के सामने रख देंगे और उसकी यह सदन पुष्टि करेगा। उसमें उनके हाथ मजबूत होंगे और हमारे भी हाथ मजबूत होंगे और उनकी इच्छाएं भी पूरी हो जायंगी।

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, एक मामूली-सा उसूल है जुरिस्प्रुडैन्स का, एक एलीमेंन्ट्री प्रिंसिपल है कि अगर कुछ एक्यूज्ड छूट जायं और हा कोर्ट यह तय करे कि यह रियल मर्डरर्स नहीं हैं तो दूसरी इन्वेस्टिगेशन हो ही सकती है, चाहे ऐडवोकेट जनरल या एल० आर० मना भी करें। एडवोकेट जनरल और एल० आर० की ओपीनियन केवल एडवाइजरी है। यह कोई जरूरी नहीं है कि आप उनकी एडवाइस मानें। ऐसे भी बहुत से मामले हुए हैं जब कि चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर ने ऐडवेकेट जनरल की राय को नहीं माना है और अन्ततोगत्वा मिनिस्टर की राय सही हुई। लेकिन इसमें तो कोई पेचीदगी भी नहीं है। आज जब आप यह कह रहे हैं कि आप अपील करना चाहते हैं तो इन्तजार आप किस बात का कर रहे हैं? आपने एक जगह यह कहा कि इन्तजार करें। कुछ प्रोसेस है, सब ठीक जायेगा। इतना कह कर आपने कह दिया कि जो वह ऐडवाइस करेंगे वह आप करेंगे और उनकी एडवाइस यह हुई कि अपील नहीं करनी चाहिये तब आप क्या करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

नेता विरोधी दल शायद समझ नहीं पाये। एक राय तो मेरे पास है उस राय की पुष्टि ऐडवोकेट जनरल से करा लेनी है।

श्री चरणसिंह—

अगर ऐडवोकेट जनरल ने दूसरी राय दी तब?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

तब हम करेंगे।

श्री चरणसिंह—

वही तो प्वाइन्ट है। आप अपील करना चाहते हैं तो इसमें ऐडवोकेट जनरल और लीगल रिमम्ब्रेन्सर की राय पैदा नहीं होती। कानूनन आप दूसरा इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं पुलिस से या नहीं, देखना केवल इतना ही है। वह आप करा सकते हैं और जब करा सकते हैं तो फिर सारा एग्जामिनेशन जो फाइल्स का हो रहा है वह अननेसेसरी है।

श्री अध्यक्ष—

नेता विरोधी दल ने बार-बार यह कहा कि अगर अपील करनी है तो उसे भेजने की जरूरत नहीं है। प्रश्न यह नहीं है। उनका कहना यह है कि अपील नहीं करेंगे तब जुडीशियल इन्क्वायरी होगी ऐसा चव्हाण साहब ने कहा है। तो सवाल यह है कि शायद किसी वकील ने यह मत दिया है कि अपील मत करो, अपील करने की जरूरत नहीं है। नेता विरोधी दल कहते हैं कि अपील आपको करनी है तो राय लेने की जरूरत नहीं है। शायद उनका इरादा यह है कि अपील नहीं करनी है और यह मसला केंद्रीय सरकार को दे देंगे यह कह कर कि अपील न करने की सलाह मिली है, इसलिये अब अपील नहीं होगी और जैसा कि केंद्रीय सरकार ने वायदा किया है आप जुडीशियल इन्क्वायरी बिठा दीजिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

आपने जो कहा वही ठीक है ।

श्री उदितनारायण (जिला फतेहपुर)—

मुख्य मंत्री ने अभी कहा था कि आप लोग नहीं चाहते हैं तो हम अपील क्यों करेंगे ? अपील नहीं करनी है तो इसी वक्त घोषणा हो सकती है कि हम अपील नहीं करेंगे और सिफारिश कर दीजिये कि एक कमीशन बिठा दिया जाय । इस में दिक्कत क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

वह अपना हाथ मजबूत करना चाहते हैं ।

श्री उदितनारायण—

सरकार के हाथ मजबूत कौन करेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने इन्वेस्टीगेशन नहीं किया, मांग सी० बी० आई० की रही । लिहाजा सी० बी० आई० ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया और इसका प्रासिक्यूशन उन्हीं के वकील ने किया है । अब प्रदेशीय सरकार को होम मिनिस्टर को भी अवगत कराना होगा अपनी राय से और वह राय बेस्ट होगी तमाम सलाहों की बुनियाद पर जो वह अपने बड़े से बड़े ला डिपार्टमेंट के अधिकारी से प्राप्त करेगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, जब श्री माधव प्रसाद जी त्रिपाठी ने यह सवाल उठाया था तो आपने यह फ़रमाया था कि वह हमेशा नियमों का पालन करते हैं लेकिन आज यह असाधारण व्यवहार क्यों कर रहे हैं ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी जगह पर कोई भी होता वह ऐसा ही बरताव करता क्योंकि देखने में यह आया है और इसमें अब कोई शंका नहीं रह गयी है, कि जो लोक महत्व के बड़े से बड़ प्रश्न है उन पर भी यह सरकार फ़ौरी तवज्जह नहीं देती है । नतीजा उसका यह होता है कि यहां पर इस तरह का वि न और बाधा उत्पन्न होती है जिससे आपको सदन छोड़ कर जाना पड़ता है । इस संबंध में कुछ जरूरी तथ्य मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूं । जैसा अभी बताया गया कि दीनदयाल जी के मुकदमें में जो फ़ैसला हुआ वह ९ जून, १९६९ को हुआ । उसके बाद जनसंघ के बड़े से बड़े नेता केंद्रीय सरकार से यह बराबर प्रयास कर रहे हैं कि इस मामले की हाई पावर जुडिशल कमीशन से इन्क्वायरी करवा ली जाय । इस सिलसिले में, जैसी कि मुझे सूचना दी गयी है, १६ जुलाई, ६९ को नानाजी देशमुख साहब और भण्डारी जी तथा पीताम्बर दास जी चव्हाण साहब से मिले । उन्होंने उनको कहा कि हम २ दिन के बाद आपको जवाब देंगे । चुनांचे पार्लियामेंट के अन्दर ही श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने २ जून के बाद फिर उनसे संपर्क किया और उसी संपर्क में उन्होंने यह बताया कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार को कोई ऐतराज न हो, जैसा कि हमको बताया गया, तो वह ऐसा कमीशन नियुक्त कर देंगे । उसके बाद १९ जुलाई और २२ जुलाई को श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी और नानाजी, श्री गुप्ता जी से मिले.....

श्री अध्यक्ष—

यह तो कहा जा चुका है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

एक मिनट । ९ जून को यह जजमेंट हो चुका है । जनसंघ के लोग बराबर कोशिश कर रहे हैं और उसके लिये १९ जून और २२ जुलाई को दोनों आदमियों ने मिल कर अपनी बात गुप्ता जी तक पहुंचा दी और आज ४ अगस्त है । इस बीच में कोई फैसला सरकार अभी तक नहीं कर पायी है। जैसाकि अभी चौधरी साहब ने कहा इस जजमेंट में यह कहा गया है कि अदालत के सामने तहकीकात के लिये जो मुल्जिमान हाजिर किये गये वह सच्चे मुल्जिमान नहीं हैं । एक

यह फाइंडिंग अदालत ने दी। दूसरी आब्जरवेशन अदालत ने जो किया, जो जनसंघ द्वारा किताब "who killed Upadhyaya" निकाली गई है, उसके पेज ३१ पर है। मैं उसका कुछ अंश आपकी सेवा में रखना चाहता हूं—

"The offence of murder not having been proved against the accused the problem of truth about murders still remains."

इस पर आप तवज्जह दें। जज ने यह आब्जरवेशन किया कि चूंकि इस मुकदमें में सही मुल्जिमान का पता नहीं चल पाया है इसलिये सच्चाई को जानने की जरूरत अब भी बाकी है। क्या इसके बाद भी कुछ रह जाता है? जैसाकि चौधरी साहब ने कहा, अगर कोई भी कर्त्तव्य-परायण सरकार यहां रही होती तो इस जजमेंट के आते ही फ़ौरन ऐसे आदेश कर देती कि इसकी नये सिरे से तफ़तीश की जाय। जहां तक कानून का सवाल है, जैसा कि चौधरी साहब ने कहा, कानून में एक नहीं दस इन्वेस्टिगेशन आर्डर दिये जा सकते हैं। फिर भी यह सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। मान्यवर, सदन को बताने की जरूरत नहीं है कि दीनदयाल जी कितने बड़े आदमी थे। आपको मैं याद दिलाऊं कि जब पाकिस्तान से हमारी जंग चल रही थी..

श्री अध्यक्ष—

यह तो सभी मानते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

तब उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह फ़ैसला दिया था कि पाकिस्तान के कुछ छतरीबाज सिपाही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जिले में उतर गये हैं। उस वक्त माननीय दीनदयालजी ने जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका संबंध सांप्रदायिक दल से है कितने महान् वह आदमी थे आप इसका अन्दाजा लगाइए कि उन्होंने स्वर्गीय डाक्टर लोहिया के साथ एक दस्तावेज पर दस्तखत करके पूरे देश में उसे सर्कुलेट कराया कि इस लड़ाई के मौके पर खुद अपनी हिफ़ाजत के लिये हिन्दुस्तान के किसी मुसलमान पर आंच नहीं आनी चाहिये। इतने महान आदमी थे। ऐसा महान् आदमी जब अपने बीच से उठ जाय और ऐसी हालत में उठ जाय जिसके बारे में कत्ल का मुकदमा चला और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाय तो सिवाय ऐसी सरकार की मजम्मत करने के और कोई चारा नहीं रह जाता है। इससे ऐसा लगता है कि इस मामले में इंसाफ नहीं किया जा रहा है और मैं माननीय सदस्यों से, श्रीमन्, आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि जब यह भावना बन जाय कि इंसाफ नहीं किया जा रहा है तो जो माननीय माधव बाबू ने कहा है, उसके सिवाय और चारा क्या रह जाता है। जो मुकदमें के हालात हैं, जो अदालत की फाइंडिंग्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अभी यह ऐलान किया जा सकता है कि इस मुकदमे की फ़िर से तफ़तीश की जाय।

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

मान्यवर, अभी मेरे मित्र माननीय अनन्त राम जायसवाल जी ने जो जिक्र कर दिया है वह अपने स्थान पर है। कुछ कठिनाइयां हैं जो दलगत समस्त परिधियों के बाहर की हैं। माननीय उपाध्याय जी की हत्या हुई, यह कोई दलगत परिधि के अन्दर की घटना नहीं है। यदि उपाध्याय जी की हत्या हुई और उसकी सूचना हुई या नहीं हुई तो इसका समस्त भार सभी के ऊपर है। इसमें कोई ऐतराज नहीं है। इसमें माननीय सदस्यों के आग्रह और भावना की बात तो मेरी समझ में आती है लेकिन जो प्रक्रिया इसमें बरती गई है उसमें बहुत छोटी-सी बात है कि जो जजमेंट न्यायालय द्वारा हुआ है, उसमें सी० बी० आई० के ऊपर अभियोग लगाया गया है कि इस मामले में जिन व्यक्तियों के पास सामान बरामद हुआ है, उसमें अदालत ने निर्णय दिया है कि ये हत्यारे नहीं हैं और सामान बरामद होने की उनको सजा दे दी है।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

अब श्रीमन्, प्रदेशीय सरकार के ऊपर यह भार है कि न्यायालय का जो निर्णय इसमें हुआ है कि हत्या का आरोप सिद्ध नहीं होता है, उसके विरुद्ध वह अपील करें या न करें। मेरे मित्र माननीय जायसवाल जी तथा सभी माननीय सदस्य इससे परिचित हैं कि इसके विरुद्ध अपील करने का प्रदेशीय सरकार को तीन महीने का समय होता है और प्रायः जितने निर्णय होते हैं, वह यहां पर इकट्ठे होते हैं और उनके संबंध में नीचे से आता है कि अपील करनी चाहिये या नहीं। कभी-कभी कोई व्यक्ति यहां लिख कर देते हैं कि इसमें अपील करनी चाहिये तो नीचे से रिपोर्ट ली जाती है। इस निर्णय में यह देखने की बात है, कि यह अंश देखने को है कि हत्या के आरोप में इनको मुक्त किया जाता है, इसके विरुद्ध अपील की जाय या नहीं। मेरे मित्र माधव प्रसाद जी त्रिपाठी चाहते हैं कि इसमें अपील की जाय। इसमें जहां तक थोड़ा समय लगा तो यह बात हाई लाइट हो गई है कि वहां माननीय चौहान साहब ने अपना बयान दे दिया है कि अगर प्रदेशीय सरकार अपील नहीं करेगी तो हम जुडीशियल इन्क्वायरी बिठा देंगे। अगर प्रदेशीय सरकार निर्णय ले ले कि हम अपील करेंगे या नहीं करेंगे तो इसमें थोड़ा समय तो लगता ही है और इसमें राय भी लेनी पड़ती है। जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इसके संबंध में ऐडवोकेट जनरल से राय मांगी है। मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिये कहना चाहता हूं कि आज प्रातः मुझ से भी उन्होंने कहा कि निर्णय को देख लेना चाहिये कि अपील होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिये। लेकिन एक प्रश्न यहां उठ गया है, बात सही है, भावना है और उसके पीछे पृष्ठभूमि है, लेकिन क्या यह उपाय होगा, मैं माननीय जायसवाल जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि क्या यह उपाय होगा कि हम सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। पहले उपाय यह रहा है कि ऐसी बात है तो ध्यान आकर्षण हो जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक बात में हम राजनीतिक षड़यंत्र की बात सोचने लगें तो कठिनाई पड़ जाती है। इसमें बहुत थोड़े समय की बात है। कुछ अधिकारियों की राय आ जाय और उसमें अन्त में निर्णय आवश्यक होगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, जैसी सदन को सूचना दी गयी, इस मुकदमे की तफतीस सी० बी० आई० ने किया, सी० बी० आई० के वकील ने अदालत में प्रासीक्यूट किया और सी० बी० आई० का जो कानूनी विभाग है, उसने सलाह दी है कि अपील में कोई बल नहीं है तब फिर क्यों देरी की जा रही है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

माननीय मुख्य मंत्री ने एक बात कही उसको भी स्पष्ट करना चाहता हूं, और दो, तीन सज्जनों ने बात कही है, उसका भी उत्तर दे देना चाहता हूं। मसमझता हूं कि मैंने जो कहा वह सब ठीक से समझ नहीं पाये। मैंने यह नहीं कहा कि उन्होंने नहीं कहा था कि मैं ऐडवोकेट जनरल से राय ले लूं। मैंने यह कहा कि जब जब मैं गया तब तब उन्होंने यही बात कही जो आज कही। लेकिन उसको दूसरी बातों के संदर्भ में समझना चाहिये कि क्या इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि वह टाल मटोल करना चाहते हैं। जनसंघ अखिल भारतीय दल है। उसका जो नेता था, प्राण था वह मारा गया। हमारा हृदय आन्दोलित है, लेकिन हमने अपूर्व शान्ति रखी किसी पर खुले रूप से दोषारोपण नहीं किया हमने न्याय की प्रतीक्षा की। यह विषय स्टेट के अन्दर आता है लेकिन सी० बी० आई ा सहारा लिया गया। खैर, उस समय संविद सरकार थी, पता नहीं क्या मतलब निकालते। सी० बी० आई० की मदद ली गयी इतने दिन हुए। जनसंघ अखिल भारतीय दल है। इस दल ने अनपैरलल्ड शान्ति दिखाई। आपको एक महीने में फुरसत नहीं मिली कि जांच करवा लेते, खास कर इस मुकदमें में जिसमें जज ने निर्णय लिया। आचार्य जी ने एक टुकड़ा लगा दिया। आपने यह कहा कि अभियुक्त जो है वह हत्या के दोष से बरी किया गया लेकिन उसके यहां सामान मिल गया। कौन नहीं जानता कि फंसाने के लिये कैसे सामान धराया जाता है। इस केस को बनाने के लिये

जो हमने ट्रैक दिया वह नहीं माना गया। इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है वह यह है कि हर तरफ से सूचना लेकर उसके आधार पर केस वर्क आउट किया जाता है। हमारी सूचना को उन्होंने जाने दिया। एक संदेह होता है। चौहान साहब इन पर टालते हैं, और यह उन पर टालते हैं। बीच में यह हमें शिकार बनाते हैं

डाक्टर मुकर्जी मर गये कश्मीर में। हम कहते कहते थक गये कि जांच हो। आज शेख अब्दुल्ला भी कहते हैं कि डाक्टर मुकर्जी की मृत्यु की जांच होनी चाहिये। लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी। बंगाल की सारी जनता ने, उनकी मां ने, भाइयों ने लिख कर भेजा लेकिन जांच नहीं करायी। यह एक उदाहरण मौजूद है जिसके लिये कांग्रेस क्षमा नहीं की जा सकती। महात्मा गांधी के लिये हमारे दिल में आदर है। हम उनको मानते थे और अब भी मानते हैं। दुर्भाग्यवश महात्मा गांधी की हत्या हो गयी। इतने वर्ष के बाद जांच हो रही है कि अमुक व्यक्ति को क्या मालूम था या नहीं? क्या शर्म नहीं आती है, एक सीधी सादी बात न मानते हुए? जज का भी फ़ैसला हो चुका। जब तक मदारी की चाल न हो तब तक कोई कारण नहीं है कि इस फैसले के खिलाफ अपील करें। कितने ही मर्डर के केसेज मुख्य मंत्रियों नें सेशन्स से वापस लिये हैं। मैं भी वकील हूं, मैं कानून जानता हूं और सारे कारनामें जानता हूं कि क्या-क्या अदालतों में होता है। हम मुंह देखते रहे और अभियुक्त को बरी कर दिया गया। कटु सत्य दूसरा होता है और मुकदमा जिस प्रकार चलाया जाता है वह कारण दूसरा होता है। यह एक अहम प्रश्न है, यह एक अखिल, भारतीय राजनैतिक दल का प्रश्न है, उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। उसके प्राण उपाध्याय जी की नृसंश हत्या का प्रश्न है। इस पर आपसी प्रतिद्वंद्विता और राजनैतिक कालिमा से ऊपर उठकर विचार होना चाहिये। इसमें राजनैतिक कारण बाधक नहीं बनने चाहिये। मैं कहता हूं कि आज दो महीने हो गये, अभी तक इस विषय पर निर्णय क्यों नहीं लिया गया? जब कि सरकार को विदित है कि हमने निर्णय लिया था कि इतने समय के अन्दर यदि सरकार ने निर्णय न लिया तो हम आन्दोलन करेंगे।

बड़े खेद का विषय है कि हम शान्तिपूर्ण ढंग से कोई काम करत हैं तो कोई उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हमने देश हित में बलिदान किया है, अपने प्राण दिये हैं, बड़ी-बड़ी यातनाएं सही हैं और कठोर परीक्षाओं के मध्य से गुजरे हैं। हमने अपने स्वार्थ में कोई काम नहीं किया है। हमारे दल ने केवल राष्ट्र भक्ति की अनूठी प्रेरणा से ही सारे बलिदान और त्याग किये हैं। हमने जो कुछ किया है, हलुवा पूड़ी खाने के लिये नहीं किया है। इतने वर्षों का हमारा राजनैतिक जीवन रहा है, मैं जनहित के अतिरिक्त अन्य किसी अपने मामले में किसी मंत्री के पास नहीं गया हूं। हमें कोई सांप्रदायिक कहना है, कोई राष्ट्रघाती कहता है, लेकिन हमने देश प्रेम की भावना से और देश में शान्ति और सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए सब कुछ सहन किया है। हम कितने प्रखर राष्ट्रवादी हैं यह कोई हमें नहीं कहता, हम कितनी कठिन परिस्थितियों में जीत कर आते हैं यह कोई नहीं जानता है। हमने सारी शिकायतों को सुनकर भी जीवन समर्पण किया है, त्याग किया है। हम इसे आसानी से जाने नहीं देंगे और हम उन राजनीतिज्ञों को क्षमा नहीं करेंगे जो इसे इसी तरह से जाने देंगे। मैं श्रीमन्, आपका या मुख्य मंत्री जी का अनादर नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जो प्रणाली मुख्य मंत्री की है, उससे मुझे महान् दुखः हुआ। हमें तो भ्रम में डाला जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। लेकिन अब हम अधिक धैर्य रखने वाले नहीं हैं। कहते हैं कि २, ४ दिन और होने दो। यह राजनैतिक कलाबाजी है, ताकि हमारे मन की बात ठण्डी पड़ जाय, लेकिन अब यह होने को नहीं है, यह अब तक आपने क्यों नहीं किया? जायसवाल जी ने जो कहा है मैं भी उसी तरह से सोचता हूं। मैंने उनसे पूरी विनम्रता से बात की, लेकिन मेरे साथ जो व्यवहार हुआ और जैसा मुझे समझा गया वह ठीक नहीं है। वह मुझे कमजोर समझ सकते हैं यह उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। मैंने उनके साथ अब तक जो नम्रता दिखाई है उसका आप लोग गलत अर्थ लगा रहे हैं। कमजोरी किसी की भाषा से नहीं उसके दिल से देखी जाती है। मैं आपसे निवेदन

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

किये देता हूं कि यदि आपने मेरी मांग न मानी और इस मसले को यों ही जाने दिया तो आप हमारी दृढ़ता देखेंगे। हम अपने को गिरफ्तार करायेंगे, हम अनुशासन भंग करेंगे। हम जो कुछ यहां करेंगे, उसे आप भी देखेंगे, लेकिन हम अपनी मांग मनवा कर रहेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

श्रीमन्, मैं एक भ्रम को दूर कर दूं, जून की किसी तारीख को जजमेंट हुआ, वह मेरे पास आया नहीं.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अध्यक्ष महोदय, इतने बड़े आदमी का कत्ल कर दिया जाय और मुकदमा चला हो और इस प्रदेश के मुख्य मंत्री कुंभकरण की नींद सो जायं और कहें कि हमारे पास जजमेंट नहीं आया..

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जैसा मैंने पहले कहा कि सी० बी० आई० ने इस मुकदमे को प्रासीक्यूट किया और जजमेंट हुआ और जजमेंट की जिस तरह से कापी आती है और जाती है, हमारे पास ८ या ७ दिन पहले ही उसकी कापी आई है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

आप पहले मंगवा लेते। आप को मना किसने किया था? आपकी दिलचस्पी होती तो इसको पहले मंगवा लेते।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सी० बी० आई० ने प्रासीक्यूट किया तो उसके पास कापी गई जजमेंट की। उसने उसको एक्जामिन किया और उसी ने बाद में उसकी कापी प्रदेश सरकार के पास भेजी। उसी दरम्यान आप लोग हमारे पास बातचीत करने आये और उसी दौरान में बात करने के बाद हमने अपने लीगल रिमेम्ब्रेंस से कहा कि इसको एक्जामिन करो। मैंने बता दिया कि उनको कोई राय बन गई है और वह राय यहां चूंकि ऐडवोकेट जनरल मौजूद थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप भी देख लीजिये जिसमें ऐडवोकेट जनरल की सपोर्ट भी उस राय में जो एल० आर० की बन गई है, उसमें उनको प्राप्त हो जाय। उसके बाद ही हमें वे लिख कर के दें और तब हम घोषणा कर दें और बता दें। यह तो हमारी नीति रही है। हमारी कोई यह नीति नहीं रही है कि मुकदमा चलावें ही। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि जुडीशल एन्क्वायरी वहां से होगी तो हम वहां पर बाधक नहीं होंगे। हम किसी के टूल बनकर कार्यवाही करें ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा विश्वास है तो मैं कह सकता हूं कि न त्रिपाठी जी मुझे समझ पाये हैं और न मेरे कार्य करने की प्रणाली को ही समझ पाये हैं। इतना तो मैं उनसे इस विषय में निवेदन करता हूं कि अगर आज भी उनका आग्रह है, विरोधी दल के नेता का आग्रह है कि बिना ऐडवोकेट जनरल की राय लिये हुए ही, बिना उसकी संपुष्टि कराये ही जो राय एल० आर० ने दी है कि मुकदमा नहीं चलाना चाहिये, मैं कहता हूं कि मुकदमा नहीं चलेगा।

*श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह फरमाया कि अगर एल० आर० की राय के मुताबिक ही मुझको यह घोषणा करने को कहा जाय तो मैं घोषणा कर देता हूं कि मुकदमा नहीं चलेगा। तो हमको तो इसमें ऐतराज नहीं है। हमने कब कहा कि ऐडवोकेट जनरल की राय ली जाय। आपको मालूम है कि जजमेंट के अन्दर दो-चार मोटी-मोटी बातें आई हैं उनके बारे में, किसी ऐडवोकेट जनरल से पूछने की जरूरत नहीं है। जो फैसला है उसके अन्दर ही यह बहुत स्पष्ट रूप

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से लिखा है कि जो मर्डर की मीस्ट्री है वह अभी तक साल्व नहीं हुई है। आप श्रीमन्, तो बहुत ही न्याय प्रिय व्यक्ति हैं आप स्वयं विचार करेंगे और मुख्य मंत्री जी भी स्वयं देखेंगे कि जजमेंट में ही लिखा है कि फिंगर प्रिंट्स की जांच नहीं हुई। जो फुट प्रिंट्स हैं उनकी जांच नहीं हुई। ट्रेक के ऊपर जो थैला और तौलिया मिला वाराणसी और मुगलसराय के बीच में उसकी जांच नहीं हुई। तकिये के ऊपर जो खोल थी उसके ऊपर जो खून के दाग थे वे कहां से आये यह सब चीजें मीस्ट्री है। जो शव पड़ा हुआ था, उसके हाथ में पांच रुपये का नोट था, उस मीस्ट्री को साल्व नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, यह भी एक मीस्ट्री है कि जो एक बदनाम दारोगा था उसी दिन चार घंटे पहले १०४ बुखार के अन्दर पड़ जाता है और अगले दिन ड्यूटी पर आ जाता है। लाश को लावारिश करार देकर उस को बन्द कर दिया जाता है। यह इतना मिस्टीरियस विषय है जिस पर सिर्फ एल० आर० की राय पर ही चलना काफी नहीं है अगर वह अनुभव करते हैं तो उन्हें इसके लिये आगे बढ़ना चाहिये। माननीय नेता विरोधी दल, माननीय माधव प्रसाद जी, माननीय जायसवाल जी और इस पक्ष के सभी लोगों ने आग्रह किया है। हम ने कभी आग्रह नहीं किया है कि अपील हो और हम नहीं चाहते कि अपील हो। हम तो यह चाहते हैं कि जो चौहान साहब की घोषणा हुई है उसके अनुसार न्यायिक जांच करायी जाय।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

आपने तो जजमेंट की बहुत-सी बातें कह दीं। मेरे पास यह सब सूचना नहीं है और न जजमेंट मैंने पढ़ा है। अभी जिस समय मैं बाहर निकला तब मैंने एल० आर० को बुलवाया और पूछा कि क्या आपने अपनी राय बना ली। उन्होंने कहा कि मैंने अध्ययन कर लिया है और अपनी राय बना ली है और मेरी सलाह यह है कि अपील नहीं करनी चाहिये, लेकिन कागजात जो हैं वह सब हमारे ऐडवोकेट जनरल ले गये हैं, कलकत्ता गये हैं किसी मुकदमे में और ८ या ९ को लौटेंगे। यह बात भी मैंने सदन को सूचित कर दी। मैंने जजमेंट तो देखा नहीं है, उसे पढ़ा भी नहीं है उन बातों को जिनकी चर्चा की गयी है। उन्होंने जो अपनी राय दी है, उसके लिये मुझे मौका नहीं हुआ कि उन बातों का अध्ययन करता क्योंकि फाइल मेरे सामने सबमिट नहीं हुई। आप बता रहे हैं कि उसमें यह कमियां हैं। आपकी जानकारी है, मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी बात एल० आर० ने बतलायी कि उनकी राय यह थी कि अपील नहीं होनी चाहिये वह मैंने आपको बता दी। आप चाहते हैं कि एल० आर० की राय यह मान ली जाय कि अपील नहीं करेंगे तो मैं यह घोषणा करता हूं कि अपील नहीं होगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

आपने यह बताया था कि एल० आर० की रिपोर्ट आ गई कि अपील नहीं होनी चाहिये और एडवोकेट जनरल की राय लेनी है। अब मैं समझ गया कि इन्होंने एल० आर० की रिपोर्ट पर यह निर्णय ले लिया है कि वह अपील नहीं होगी तो मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैंने निर्णय लिया, लेकिन वह निर्णय मैंने आपकी अदाओं को सामने रख कर ही लिया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह भी आपने बड़ी कृपा की कि न्याय के हित में ऐसा निर्णय लिया।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखूंगा। न्यायिक जांच के लिये परन्तु यह जो दोनों सरकार निर्णय लेंगी, उसके बारे में संतोष नहीं रखूंगा। आज की कार्यवाही इतनी बात कह कर समाप्त करता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

हमारे साथी माननीय त्रिपाठी जी हर चीज को उन चीजों के साथ जोड़ कर कहते हैं जो उन्होंने कभी नहीं किया। यह नई अदायें हैं। मैं उसके लिये सहमति प्रदान नहीं करता हूं विरोध करता हूं। विचार पूर्वक कार्य करने के लिये और उन विचारों का आदान-प्रदान करने के लिये यह सदन है। इस सदन में कोई धमकी देना किसी शोभा या गरिमा की बात नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं इन शब्दों का जवाब इसलिये नहीं देता कि जो अकेले ही जीवन व्यतीत करता है "अदा" उनकी डिक्शनरी से बाहर है। मेरी भी डिक्शनरी से वह बाहर है। मैं भी कुछ नहीं कहता। लेकिन न्याय के हित में मैं उनसे अपील कर सकता हूं कि अपील नहीं होगी आपने यह बात कही। मेरी दूसरी मांग यह है और इसके लिये आज नहीं कहता हूं और वह मेरी मांग स्टैंड करती है कि उच्च न्यायिक जांच आप कायम करेंगे।

श्री बलवीर सिंह द्वारा श्री डी० पी० बोरा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री तथा जिलाधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना—(क्रमागत)

*श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न जो मैंने उठाया है वह कोई नया ईशू नहीं है बल्कि कांग्रेसी सरकार के हमारे माननीय मुख्य मन्त्री चन्द्रभानु गुप्त की उस नीति की एक कड़ी है जो उन्होंने अपनी सरकार की बनाई है। पहले तो चुनाव के समय धमकी देकर वोट हासिल करना और उसके बाद गरीब जनता को पुलिस के सहारे से डरा धमका कर काबू में रखना उस नीति में कोई सुधार हुआ हो ऐसी बात नहीं है बल्कि वह नीति और आगे बढ़ी है। अब उनकी सरकार ने इस प्रान्त के माननीय सदस्य गण को भी इस तरह की धमकी देना और डराना शुरू कर दिया है और उसके लिये पुलिस का सहारा लिया है। वही नीति इस सरकार ने अपनाई है और उस नीति के आधार पर ही यह सब काम हो रहा है।

मान्यवर, जैसा कि सदन के सामने यह आ चुका है पहली तारीख का यह वाकया है और पहली तारीख को सदन में प्राइमाफेसी केस यह साबित हुआ है। इस सदन के सामने यह मसला पहली तारीख को आया और उस पर विचार हुआ। सदन के सदस्यगण ने उस पर अपनी राय का इजहार किया और उसके बाद इस सदन ने उसका कागनीजेन्स लिया। मेरे साथियों ने भी इस सदन में यह निर्णय लिया कि इसकी जांच की जाय। मतलब यह है कि पहली अगस्त को यह मसला जेरेगौर था। इसके बाद क्या होता है कि २ तारीख को ६।। बजे जिस समय माननीय बोरा को गिरफ्तार किया गया उस वक्त भी यह मसला इस सदन के जेरेगौर था तो अब मुलाहिजा फरमायें कि उस वक्त किसी भी माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता था या नहीं? यह माननीय सदस्यगण और मान्यवर, भलीभांति जानते हैं कि किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता सेशन के दौरान में, किसी भी सदस्य को डिटेन नहीं किया जा सकता और किसी भी सदस्य को डराया या धमकाया नहीं जा सकता, ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता, जिसके जरिये से सदन में वह अपना काम, अपनी रेस्पोन्सीबिलिटी पूरी तरह से न निभा सके। जैसा श्रीमन्, मैंने निवेदन किया है प्राइमाफेसी केस मेरा बिल्कुल साफ है कि २ तारीख को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया, जिसके जरिये से उन्हें अपने काम से रोका गया उस वक्त यह मसला जेरेगौर था। मैं यह निवेदन करूंगा कि मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मुझ से यह पूछा गया कि प्राइमाफेसी केस कैसे हैं तो यह मैंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बतलाया। अगर इससे आगे भी श्रीमन्, पूछना चाहते हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसी परम्परा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ऐसी रूलिंग हो चुकी है कि अगर इंक्वायरी कमेटी कायम की जाय उस मसले पर जो यहां जेरे गौर है तो वहां माननीय सदस्य को गवाही देने के लिए बुलाया जाय और यह मसला सदन में उठ चुका है। मेरे पास रूलिंग मौजूद है कि अगर मोशन न हुआ और सदस्य मूव करता है तो यह माना गया है कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई सदन की।

तो श्रीमन्, प्राइमाफेसी केस साबित है और इसकी स्वीकृति दी जाय। यह मैंने तीन व्यक्तियों के खिलाफ दिया है जिसमें श्रीमन्, चन्द्रभानु गुप्त, मुख्य मन्त्री हैं, दूसरे पुलिस अफसर हैं जिन्होंने गिरफ्तार किया है और तीसरे वह मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने श्री बोरा की गिरफ्तारी के वारन्ट पर दस्तखत किया है। श्रीमन्, मैं इतना निवेदन कर दूं कि मुख्य मन्त्री जी होम मिनिस्टर हैं और उनकी यह जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह से हमको डराया जाता है, धमकाया जाता है, हमें अपनी बात यहां कहने से डराया जाता है, बाध्य किया जाता है तो इसके लिए सब से पहले, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होम मिनिस्टर पर आती है, इसलिए मैंने उनके खिलाफ दिया है। दूसरे यह कि मैजिस्ट्रेट साहब भलीभांति जानते थे, उन्हें अच्छी तरह से पता था कि पहली तारीख को यह वाकया हो चुका था, अखबारों में भी यह खबर पढ़ी होगी और मैं यह अनुमान लगाता हूं कि चाहे मजिस्ट्रेट साहब हों या दरोगा। जो हों उन्होंने हमारे मुख्य मंत्री और जो सरकार हमारे सामने हैं उनसे मश्विरा करने के बाद यह निर्णय लिया होगा। यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने अनजान में यह किया। उन्होंने जानबूझ कर किया है। मैं इधर के और उधर के बैठे हुये सभी की तरफ से अपील करता हूं कि आप हमारी रक्षा करें और डराने धमकाने से बचायें ताकि हम अपनी बात कह सकें। मैं निवेदन करता हूं कि मेरा प्राइमाफेसी केस साबित है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

मान्यवर, जैसा कि हमारे साथी ने बतलाया कि जैसा विशेषाधिकार का प्रश्न है वह सारे सदन का है और आपने उस मामले को पहली तारीख को ले लिया था। अभी श्रीमान् जी ने घोषणा की है कि बलवीर जी ने प्रश्न उठाया। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जबकि एक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठा दिया और आप घोषणा कर चुके हैं कि जांच नहीं करूंगा तो यह सदन के मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा। कोई सरकारी कर्मचारी सदन के ऊपर नहीं है। जब यह मामला आपके विचाराधीन है तो आप इंक्वायरी जरूर करें और इस सन्दर्भ में इस अवहेलना के प्रश्न पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष—

सदन की मानहानि का प्रश्न उठाया गया है। प्रश्न यह है कि अगर मैं इस बात की इजाजत दूं कि आप यह बतायें कि सदन की मानहानि किस तरह से होती है। अगर मैं माननीय सदस्य की बात मान लूं कि सदन की मानहानि हुई है तो उसका नतीजा यही होगा कि जिन लोगों ने सदन की मानहानि की है उन पर कार्यवाही करूं, उनके खिलाफ कार्यवाही करूं। मैंने सिर्फ यही कहा है कि उन्होंने मेरे पास प्रश्न भेजा है कि विशेषाधिकार की अवहेलना की है। श्री बोरा ने मुझ से मदद करने के लिये कहा और कहा कि उनके खिलाफ ऐक्शन लीजिये। लेकिन जब श्री सूबेदार सिंह खुद अदालत में चले जाते हैं तो मैंने उनसे यह कहा कि आप मुझसे कोई मदद नहीं ले सकते हैं। मैंने उनसे सिर्फ यह कहा कि आपको यह अधिकार है सिद्ध करने का सदन की मानहानि हो रही है। मुकद्दमा दायर करने से मान हानि होती है अगर मैं इसको स्वीकार करता हूं तो इसका नतीजा यह होगा कि मैं उन पर कार्यवाही न करूं। जिन मैजिस्ट्रेट ने उन को पकड़ा उन को बुला कर जो भी कार्यवाही हो करूं, इसको अगर मैं स्वीकार करता हूं

[श्री अध्यक्ष]

तो इसके लिए मैं आजाद हूं। इस घोषणा का असर इस कन्टेस्ट के केस पर पड़ता है। यह अलग बात है। दूसरी तरफ जांच कराने के लिये उन्होंने मुकद्दमा दायर कर दिया और उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया है। चूंकि मैं इसमें जांच करने वाला था, इस बीच में यह प्रश्न उखड़ पड़ा और उस के उखड़ पड़ने का नतीजा यह हो सकता है कि सदन की मान हानि होती है। इस बारे में उनके खिलाफ केस चल सकता है या नहीं यह प्रश्न है।

एक सदस्य--

मैं यह जानना चाहता हूं कि कैसे मान हानि हुई है ?

*श्री उदितनारायण (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, इसके पहले कि मानहानि के प्रश्न पर कुछ कहा जा सके, इसका उत्तर श्रीमन् से चाहता था। मैं तथ्यों की तरफ श्रीमन् का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी श्रीमन् ने यह कृपा कर के कहा कि जो श्रीमन ने घोषणा की है, उसका कुछ ऐसा रूप है और उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मानहानि का जो, प्रश्न है वह इसके ऊपर आधारित है। यह कहा गया कि इसकी इन्क्वायरी होगी, आप ने यह कहा कि मैं इसके ऊपर जांच करूंगा, वह इस सदन की जांच होगी। यह कहने के बाद भी और इस प्रश्न के विचाराधीन होते हुये भी उसकी रिपोर्ट कर दी गई। उसके मातहत यह प्रश्न हो सकता है कि सदन की मानहानि हुई है। सारी बुनियाद इस के ऊपर है कि आया यह प्रश्न विचाराधीन है सदन के। तो अगर यह प्रश्न सदन के विचाराधीन था तो निश्चित रूप से सदन की मानहानि हुई है। लेकिन इसके बारे में मैं यह और निवेदन करना चाहता हूं कि दो तीन तथ्य हैं जिनको आप ध्यान में रखें। श्रीमन्, कुछ बात ऐसी हो सकती है कि प्रायमाफेसी केस देखकर श्रीमन्, यह सोचें कि चूंकि इन्होंने रिपोर्ट कर दी है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसकी गहराई में जायें। यह वास्तविकता है कि लांछन लगाने के बाद सूबेदार सिंह जी ने यह बात कही थी कि उस समय बोरा जी शामिल थे, उन्होंने यह आरोप लगाया।

श्रीमन्, मुझे इस बात की खुशी है कि यह होना चाहिये और इसके बिना डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है, यह सदन नहीं चल सकता है और न किसी की प्रतिष्ठा हो सकती है। जिन लोगों ने देखा है उन लोगों ने, श्रीमन्, उस तरफ के लोगों ने माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह कहा कि श्री बोरा वहां नहीं थे। श्री बोरा वहां नहीं थे तो अब क्या होगा, इसलिये सूबेदार सिंह जी ने यह प्रश्न उठा दिया। श्रीमन्, निश्चित रूप से यह गलत बयानी हुई है और वह भी एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के खिलाफ गलतबयानी हुई है। इसको आप देखें, श्रीमन्, मेरा यह कहना है। यह कहा कि हमें गोमती में उठा कर फेंक देंगे जब कि वह वहां पर मौजूद नहीं थे। तो उसके बाद यह दूसरी तरकीब सोची गई। ६.३० बजे रिपोर्ट करके यह कहा कि अब तो मामला अदालत में जायगा। माननीय यह बहुत बड़ी बात है इसमें इस सदन की प्रतिष्ठा और गरिमा सब कुछ निहित है कि वास्तव में उन्होंने यह बात कही थी या नहीं कही थी। श्रीमन, आप यह जांच कर लें कि उन्होंने मानहानि की या नहीं की, यह काम किया या नहीं किया। यदि श्रीमन्, इस नतीजे पर पहुंचें कि उन्होंने यह बात नहीं कही थी तो माननीय सूबेदार सिंह जी ने जो बात कही उसके विश्लेषण की कोई बात नहीं रह जाती। तो श्रीमन्, यही जांच होनी है। यह कहना कि इसकी जांच करना है कि मानहानि हुई या नहीं या उन्होंने जो लांछन लगाया यह सत्य है या नहीं यह दोनों बातें बिल्कुल एक ही हैं। इसलिए श्रीमन, यहां पर यह बात सत्य होते हुए कि एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि इन्होंने यह कहा और दूसरे ने कह दिया कि नहीं कहा उसी वक्त दोनों के खिलाफ इस सदन की मर्यादा भंग करने का सवाल उठना ही चाहिए और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके परिणाम स्वरूप श्रीमन् ने यह कहा कि इन परिस्थितियों में उसकी जांच आपके माध्यम से होगी और उसके बाद फिर किसी सब इंसपेक्टर की या किसी मिनिस्टर की यह जुर्रत हो कि उसी वाकये के ऊपर गिरफ्तार करवा ले।

(व्यवधान)

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय शर्मा जी ने यह कहा कि एक माननीय सदस्य ने यह बताया कि बोरा जी वहां नहीं मौजूद थे। तो शर्मा जी उन माननीय सदस्य का नाम बतला दें।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न जो होता है वह जानकारी हासिल करने के लिए नहीं होता है। आप जानकारी करना चाहते हैं और व्यवस्था का नाम लेते हैं। जब किसी सदस्य से आप इन्फार्मेशन लेना चाहते हैं और आप "प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन" कहते हैं तो वह बैठेगा नहीं और जब आप प्वाइंट आफ आर्डर कह देंगे तो वह बैठ जायंगे। आप इसमें जानकारी चाहते हैं और व्यवस्था का प्रश्न उठा दिये हैं। आप कृपा कर अपना भाषण जारी रखें।

श्री उदितनारायण—

माननीय अध्यक्ष महोदय.....

(व्यवधान)

श्री धर्मवीर—

मैं पूछना चाहता हूं ....

श्री उदितनारायण—

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस तरह के जो तथ्य हैं उनको देखते हुए इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि यदि यह तथ्य सही हैं तो इस सदन की मर्यादा के भंग का प्रश्न उठता है। और यह सदन उसकी जांच आरम्भ कर दे तो उसके बाद में किसी दूसरे प्रकार की सजा यहां हो सकती थी उसके पहले किसी आदमी को सजा दे देना यह सम्भव नहीं है, यह नहीं होना चाहिये। दूसरी बात यह है कि मुकदमा चले, और मुकदमा चलने के बाद भी श्री बोरा के खिलाफ सदन में कुछ तथ्य लाये गये कि उनको सजा मिले लेकिन वे असेम्बली के सदस्य हैं। यदि असेम्बली का सदस्य कोई गलत काम करता है तो उसके लिये उसे न बचाने की जरूरत है और न बचाना चाहिये। लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि जो प्रतिष्ठा असेम्बली के सदस्य को दी जाती है, इस माननीय सदन के एक सदस्य को दी जाती है, उसके अनुसार उसको गिरफ्तार करना भी एक बहुत बड़ी सजा है और यह सजा उस वक्त दे दी जब कि यह प्रश्न यहां विचाराधीन था कि वास्तव में उसने यह काम किया है या नहीं किया है। यह माननीय सूबेदार सिंह के जिम्मे था कि वे चाहते तो पुलिस में इसकी रिपोर्ट कर देते और असेम्बली में इस प्रश्न को न उठाते। लेकिन उन्होंने यह फैसला किया हमें उस आरोप को सत्य सिद्ध करना है और उसके मातहत उनको सजा देने का माध्यम इस सदन को बनाना चाहिये। जब उन्होंने इस सदन को उसका माध्यम बना लिया तो बाद में फिर दूसरे लोगों ने और माध्यम से उस काम को करना आरम्भ कर दिया। लेकिन श्रीमन्, बाद में अगर आप इस नतीजे पर पहुंचे कि वास्तव में इस आदमी ने कोई अपराध नहीं किया है, यह बात नहीं हो सकती, यह बात झूठ कही गयी है तो आज जो उन्होंने कर लिया है उसका क्या परिणाम होगा। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि यदि श्रीमन् चाहें तो आप इस सम्बन्ध में कोई प्रिसिडेंस पुरानी कार्यवाही की मांगें तो मैं दे सकता हूं....

श्री अध्यक्ष—

सदन में यह प्रश्न उठाने के बाद अगर कोई व्यक्ति पुलिस के सामने जाता है और पुलिस उसे टेक अप कर ले और सदन में भी वह मामला हो तो सदन का अवमान होता है इस सम्बन्ध में कुछ रूलिंग्स पेश कर दीजिये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, दो मिनट मैं भी निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

रूलिंग्स के लिये मैंने उनको कहा है कि पश कीजिये।

श्री उदितनारायण—

श्रीमन्, पार्लियामेंट की एक पुरानी नजीर है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यह पुस्तक है 'जर्नल आफ दि सोसाइटी आफ क्लार्क्स ऐक्ट दि टेबिल"। यह फोर्थ एडिशन है १९३८ का। उसके सफा १२२ से यह विषय आरम्भ होता है। इसमें सैंडहर्स्ट का फेमस केस दिया हुआ है जिसके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि एक माननीय सदस्य के विरुद्ध उन्होंने कुछ ऐसी बातें जो गोपनीय थीं और जिनको बताने का अधिकार उनको नहीं था कि वे बातें बतायी जायं उन्होंने सदन में कहीं और फिर सदन में इस प्रकार का प्रश्न उठा कि इन्होंने विशेषाधिकार की अवहेलना की है, इनको यह बात यहां नहीं उठानी चाहिये। श्रीमन्, यह अपराध दूसरे कानूनों के मातहत भी देखा जा सकता था उसके ऊपर सजा दी जा सकती है या उसको बरी किया जा सकता है, उसके ऊपर निर्णय हो सकता था। इसलिये उसके मुताबिक उस के ऊपर फैसला हुआ और पार्लियामेंट ने उस मामले को अपने हाथ में ले लिया तथा यह कहा कि इस पर विचार होगा और विचार दुबारा हो गया। इस पर आर्मी के आफीसर ने उनको तलब कर लिया अपने यहां और यह कह कर तलब कर लिया कि आपने यह अपराध किया है कि जो गोपनीय बातें नहीं बतानी चाहिये थीं वह बता दीं। दूसरे कोर्ट में तलब कर लिया ऐज ए मेम्बर आफ दि मिलिट्री उसने यह निर्णय दिया कि निश्चय इससे सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना होती है दूसरे कोर्ट को इसका हक नहीं था। उनको चाहिये था कि यह मामला यहां पेश होते हुए अपने यहां न बुलाते। इसलिये उस मामले को भेज दिया गया। जैसे ही उनको पता लगा उन्होंने लिखकर भेजा कि जितनी वह प्रोसीडिंग्स हैं उन्हें हम सस्पेन्ड करते हैं। लेकिन निर्णय यह हुआ कि इससे विशेषाधिकार की अवहेलना हुई, सदन का अवमान हुआ।

श्री अध्यक्ष—

वह किताब मेरे पास बाद में भेज दीजिएगा। आप शार्ट में पढ़ दीजिए।

श्री उदितनारायण—

"Mr. Attlee thereupon asked the Prime Minister whether, if Mr. Sandys or any other Member saw fit to put a Motion on the paper, the Government would give time for its discussion.

The Prime Minister said that in view of the terms in which the Speaker had stressed the importance of the matter, it was clear that time would have to be given for a Motion which would have the effect of clarifying the whole position, and Mr. Sandys at once gave Notice of a Motion for the appointment of a select committee to inquire into the substance of the statement he had made and the action of the Ministers concerned, and generally into the question of the applicability of the Official Secrets Acts to Members of the House of Commons in the discharge of their Parliamentary duties.

It will be observed that Mr. Sandys did not formally complain that a breach of privilege had been committed. It is an interesting speculation

whether, if he had done so, the Speaker would have ruled that a prima facie case had been made out. It may possibly be inferred from the advice which the Speaker gave Mr. Sandys that he would not have regarded the matter as one which required the immediate interposition of the House in view of the assurance which the Attorney-General had given to Mr. Sandys.

On the following day it was announced in the Press that the Army Council had decided to set up a court of inquiry to inquire into the circumstances in which the disclosure of the information had come to be made. On June 29, Mr. Sandys complained to the that House in his capacity as an officer in the Territorial Army he had received orders to appear in uniform before the court of inquiry the following morning for the purpose of giving evidence. He submitted that, as the question whether it was permissible to compel a Member of Parliament to divulge the sources of information, used by him in the discharge of his Parliamentary duties was in the process of being considered by the House, it was a breach of privilege that he should be summoned to give evidence before this military tribunal. The Speaker ruled that a prima facie case had been made out, and the Prime Minister moved that the matter of the complaint should be referred to the Committee of Privileges. He said that Mr. Hore Belisha had given him an assurance that he would atonce ask the Army Council to suspend proceedings until the Committee of Privileges had met and reported. The Motion was agreed to".

तो इसी तरह से यहां भी सवाल है कि एक अपराध किया है । माननीय सदस्य ने अपराध किया । उसकी चर्चा, विवेचना, इस सदन में हो रही है और उसी वक्त में यह प्रयास किया गया कि उसको दूसरी जगह किया जाय ।

श्रीमन्, एक अपराध जो उन्होंने किया था उसकी विवेचना सदन के सामने हो रही थी । तो इसलिये मेरा आप से यह नम्र निवेदन है कि श्रीमन्, इसमें दोनों चीज है । एक जो नोटिस आज पढ़ कर सुनाया उसके मुताबिक मुख्य मंत्री जी, गृह मंत्री जी, मैजिस्ट्रेट साहब जिन्होंने वारन्ट जारी किया और वह सब-इंस्पेक्टर जिन्होंने गिरफ्तार किया और साथ-साथ सूबेदार सिंह जी सारे तथ्य श्रीमन्, के सामने हैं, श्रीमन्, उसको ले सकते हैं । पहले रोज भी इन सब व्यक्तियों के खिलाफ अवमान का प्रश्न उठाना चाहिये और कार्यवाही होनी चाहिये ।

*श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी कार्यवाही हमारे विरोधी दल की तरफ से की जा रही है, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि 'एक चोर चोरी करे और उल्टा कोतवाल को डाटे'। मैंने एक सूचना आपको दे दी उस सूचना के दो पहलू हैं । एक तो यह है कि जो विशेष स्थिति से संबंधित है । उसके अन्तर्गत मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि हाउस में आना, यह मेरा एक अधिकार है और कोई भी व्यक्ति अगर उस कार्यवाही में बाधा डालता है तो वह ब्रीच आफ प्रिविलेज है, जो मेरे विशेषाधिकार में बाधा डालता है, उनके विरुद्ध कार्यवाही हो । श्रीमन्, इसका दूसरा संबंध जो है .....

एक सदस्य—

यह शब्द कि "चोर चोरी करे और कोतवाल को डाटे" ये सदन में प्रयोग नहीं होने चाहिये थे । माननीय सदस्य इनको वापस लें । यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री सूबेदार सिंह से) आप ऐसे शब्द न प्रयोग करें ।

श्री सूबेदारसिंह—

मान्यवर, इसका दूसरा पहलू यह है .....

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जिन शब्दों का प्रयोग माननीय सूबेदार सिंह ने किया "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे", ये शब्द वैधानिक नहीं हैं, उनका प्रयोग सदन में नहीं होना चाहिये । मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, मेरा निवेदन है कि वह शब्द वापस लें, आपके द्वारा ।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है .....

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसका पहले जवाब दे दूं । जवाब यह है कि आप सुन लीजिये अगर शान्ति से बात करनी है तो एसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिये जिससे दूसरों को दुख हो । आपने कहावत कही जरूर लेकिन यहां बोरा मौजूद नहीं हैं उन्होंने प्रश्न भी नहीं उठाया दूसरों ने प्रश्न उठाया और दूसरी बात यह कहना कि "चोर कोतवाल को डाटे" उससे समझ में ऐसा आता है कि ये लोग जो सवाल उठा रहे हैं वह डांट रहे हैं आपको और चोर हैं वे । ऐसी कोई बात नहीं है । तो सवाल यह है कि ऐसे शब्द आप इस्तेमाल न करें ।

श्री सूबेदारसिंह—

मैंने किसी बुरे सेंस में इसका प्रयोग नहीं किया । बुरी भावना नहीं थी ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके वापस ले लें अपने शब्द ।

श्री सूबेदारसिंह—

मैं वापस लेता हूं ।

इसके श्रीमन् दो पहलू हैं । (शोर) पहला तो यह है कि हमें विधान सभा में आने का अधिकार है अथवा नहीं, अगर हमारे साथ कोई ज्यादती करता है तो सुनने का आपको अधिकार है या नहीं, अगर वह शिकायत सही है तो क्या आपको उसे विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करने का अधिकार है कि नहीं, दूसरा पहलू है उसका वह कि जो अधिकार हमको इंडियन पैनल कोड के अन्तर्गत मिले हैं । संविधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हम पर हमला करता है तो उसकी रेमेडी सदन के बाहर भी कोर्ट में है और उसका अपना एक लीगल प्रोसीजर है । मैं नहीं जानता कि कौन सा ऐसा ला है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पर एसाल्ट करता है सदन में आने नहीं देता है चोरी या डकैती करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती ? मैंने जो कुछ किया है वह अपने व्यक्तिगत अधिकारों का ही प्रयोग किया है जो मुझे संविधान के अन्तर्गत मिले हैं । इस मामले में जो भी दखलन्दाजी कर रहे हैं वे संविधान को चुनौती दे रहे हैं । (शोर)

श्री रामविलास (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । (शोर) अभी आपने माननीय सूबेदारसिंह जी को सदन से माफी मांगने और शब्दों को वापस लेने के लिये आदेश दिया, किन्तु अभी-अभी माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी ने यह शब्द कहे कि "अप ा काला मुंह करके कहिये", उनको यह शब्द वापस लेने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने नहीं सुने ।

श्री महीलाल—

अध्यक्ष महोदय ने उन शब्दों को जब नहीं सुना, तो उनको कहा हुआ नहीं माना जाता। (शोर)

श्री त्रिवेणी—

अगर आप शोर करेंगे तो हम भी कमजोर नहीं हैं ।

श्री सूबेदारसिंह—

मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो प्रश्न मैंने उस रोज उठाया था उस पर आप विचार करें और उसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करें ताकि वह समिति उसकी जांच कर सके । नियमों के अन्तर्गत, अपने प्रोटेक्शन के लिये जो भी अधिकार मुझे हासिल हैं उनका मैंने उपयोग किया है । मेरा कोई भी मन्तव्य किसी तरह का सदन का अवमान करने का नहीं है और न ही उससे सदन का अवमान कोई होता है । जो अधिकारी अपनी ड्यूटी पर था उसने भी अपने कर्तव्यों का पालन किया है । और कुछ नहीं किया है । अगर इस तरह से नियमों का उल्लंघन होगा तो प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था कायम नहीं रह सकेगी ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, प्रश्न बहुत सीधा सादा है । बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यह प्रश्न सदन के सामने आ गया, क्योंकि अभी हमको काफी समय तक यहां बैठना है और इस प्रकार के प्रश्न यहां आते रहेंगे । मान्यवर, प्रश्न केवल इतना सा है कि यदि एक चीज हुई है, उसका जिक्र यहां आ जाय और उस बात के संबंध में मान्यवर, यह कहें कि मैं उसकी तहकीकात करूंगा तो क्या जो हमारी क्रिमिनल अथारिटीज हैं वह अथारिटीज हैं जो क्रिमिनल ऐक्ट से संबंधित हैं जो कि देश को या प्रदेश को इस बात की सुविधा प्रदान करती हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई क्रिमिनल ऐक्ट किया हो तो उसके विरुद्ध कार्य करे । तो क्या उनके विरुद्ध उनको कार्य करने का अधिकार रहता है या नहीं ? .....

(व्यवधान)

तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता था कि हमारे माननीय मित्र ने जिस केस का हवाला दिया, शायद उन्होंने ईलियट के केस का हवाला दिया । उसके बाद तो स्वेज में कितना पानी बह गया और न जाने चम्बल में कितना पानी बह गया । १७८५ और १७७४ से निरन्तर एक ही कानून है और वह नियम यह है । मैं साधारण घटना सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं । पश्चिमी बंगाल के सदन में पुलिस वाले घुस आये और उन लोगों ने घुसने के बाद कुछ घटनायें कीं, मारा पीटा, क्या किया । यह सदन चाहेगा कि उन पुलिस वालों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही न हो ? उनमें से ग्यारह आदमियों को डिसमिस किया गया । उनमें से कुछ आदमियों को गिरफ्तार किया गया और अब मैं फिर दूसरी घटना रखना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

मान लीजिये कभी किसी भी सदन में कुछ ऐसी घटना हो जाय जिसमें कि शान्ति भंग हो तो क्या जितनी बाहर की अथारिटीज हैं जो कि ला ऐंड आर्डर को डील विद करती हैं उन सबका कार्य क्षेत्र समाप्त हो गया । तो इसमें मैं मान्यवर अपने मित्र का और श्रीमान का ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के सोलहवें एडीशसन के पृष्ठ ६५ पर आकर्षित करूंगा। उसका हेडिंग है

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

"क्रिमिनल ऐक्ट्स इन पार्लियामेंट" और इस "क्रिमिनल ऐक्ट्स इन पार्लियामेंट" के संबंध में बहुत पुरानी एक बात आई—

"There is more doubt as to whether criminal acts committed in parliament remain within the exclusive cognizance of the House in which they are committed."

अब श्रीमन् इसके आगे दूसरे पैराग्राफ में ये दो केसेज "In Bradlaugh V. Gosset and Eleot" १८८४ वाले को रेफर किया गया और उसमें उन्होंने कहा है:—

"That any thing said in Parliament by a Membor, as such can be treated as an offence by the ordinary courts, it must be supposed that the Learned judge had in mind was a criminal act as defined from a criminal speech."

क्रिमिनल स्पीच और क्रिमिनल ऐक्ट में बड़ा भारी अन्तर है। मेरा माननीय मित्र श्री उदित नारायण जी ने हवाला दिया और कहा कि सेक्यौरिटी आफ्स्टेट्स के अन्तर्गत आता था। तो उसमें वहां ऐसा मुकदमा चल सकता था या हुआ। अब अन्त में श्रीमन्, मैं जो अन्तिम पैराग्राफ है उसको आपके सम्मुख रखना चाहता हूं :—

"On the other hand, it would be hard to show that a criminal act eommitted in the House by an individual member was a part of the proceedings of the House. As pointed out earlier but for few family acts of the customary kind, a Member's contribution to the proceedings of the House is limited to the pesech."

और श्रीमन्, फिर इसके बाद में, मैं श्रीमान् का ध्यान आकर्षित करूंगा पृष्ठ ६८ पर उसमें यह लिखा है कि—

"The privilege as has been defined negatively in the claim of the Commons of 1429, which specifically excepted treason, felony and surety of the peace."

श्रीमन्, यहां पृष्ठ ६८ पर यह जो फैलोनी ऐन्ड स्योरिटी आफ्दि पीस के संबंध में पार्लियामेंट का एक आर्डर निकला और उसके द्वारा भी मैं श्रीमान् का ध्यान आकर्षित करूंगा। श्रीमन्, पृष्ठ ७८ पर इस प्रकार है—

"PRIVILEGE OF FREEDOM FROM ARREST NOT CLAIMED IN RESPECT OF CRIMINAL OFFENCES OR STATUTORY DETENTION

The privilege of freedom from arrest is limited to civil causes and has not been allowed to interfere with the administration of criminal justice or emergency legislation."

फिर ७९ पृष्ठ पर पार्लियामेंट ने उन सब केसेज को मिलाकर अन्त में एक निर्णय दिया है वह इस प्रकार है:—

"That no Member of this House has any privilege of Parliament belongs to every Member of the House of Commons, in all cases except treason, felony and breach of the peace. On 14th April, 1897, it was resolved, "That no Member of this house has any privilege in case of breach of the peace, or forcible entries, or forcible detainers."

यह सभी केसेज बताते हैं कि ऐसे केसेज में किसी को किसी प्रकार का कोई प्रिविलेज नहीं है। मान्यवर, उसके बाद ७९ सफे पर फिर कहा गया है:—

"RESTRICTION OF THE PRIVILEGE IN RESPECT OF OTHER CRIMINAL OFFENCES :—

Lord Cochrane's case.—In 1815 Lord Coachrane, a Member, having been indicted and convicted of a conspiracy, was committed by the Court of King's Bench to the King's Bench Prison. Lord Cochrane escpaed, and was arrested by the marshal whilst he was sitting on the privy councillor's bench in the House of Comsnons, on the right hand of the chair, at which time there was no Member present, prayers not having been read. The case was referred to the Committee of Privileges, who reported that it was entirely of a novel nature, and that the privileges of Parliament did not appear to have been violated, so as to call for the interposition of the House, by any proceedings against the marshal of the King's Bench."

श्रीमन्, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में सीधा सा सिद्धान्त है कि सिविल कोर्ट की किसी डिग्री में कोई मेम्बर अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन क्रिमिनल केसेज में १७८५ से लेकर उसके बाद तक यह बताया गया है कि माननीय सदस्यों को उसका उत्तरदायित्व लेना होगा, उसके लिये क्रिमिनल आथोरिटीज को रोका नहीं जा सकता। मैं नहीं कहता कि बोरा जी के संबंध में यह चीज लागू होगी या नहीं, लेकिन श्रीमन्, आप देखेंगे कि उन्होंने किसी व्यक्ति को रोकने की कोशिश की, जिसके लिये बहुत विनम्रता और साग्रह निवेदन करना चाहूंगा कि उसके लिये पुलिस अथारिटीज को रोका नहीं जा सकता। इस सदन के अन्दर भी अगर ऐसी कोई घटना हो जाय तो वह प्रासीडिंग्स आफ दि हाउस नहीं है, वह उसकी परिधि के बाहर है। उसके लिये संबंधित व्यक्ति निश्चय रूप से उत्तरदायी होंगे।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत सी रूलिंग को पढ़ कर सुनाया, लेकिन मैं बिना रूलिंग का हवाला दिये हुये ही अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। रूलिंग की आवश्यकता तो तब होती है जब किसी बात से स्वयं संतोष नहीं होता, जिस से उस बात की पुष्टि की जाती है। माननीय आचार्य जी ने अपनी बात की पुष्टि में रूलिंग दीं, लेकिन मैं सदन के सामने अपनी एक साधारण सी बात रखना चाहता हूं। इसमें दो सिद्धान्त इन्वालव्ड हैं। पहला तो यह कि क्या यह सदन न्यायालय नहीं है? और क्या एक ही मामला इस न्यायालय में विचार के अन्तर्गत हो और वह मामला दूसरे क्रिमिनल कोर्ट में विचाराधीन हो? अब उसका सामंजस्य कैसे होगा? माननीय आचार्य जी ने यह कहा कि क्रिमिनल ऐक्ट और सिविल ऐक्ट में अन्तर है। अवश्य अन्तर है। परन्तु आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उनका भी तो कोई विवेक है। किसी भी ऐक्ट के बारे में यह डेफिनिटली नहीं कहा जा सकता है कि अमुक ऐक्ट क्रिमिनल है और अमुक क्रिमिनल नहीं है। अगर हम माननीय मुख्य मंत्री को मुक्का दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं खबर लगा तो वे कहेंगे कि मुक्का दिखाना इन्टिमिडेशन क्रिमिनल है इसलिये सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिये उनका कहना इस आधार पर गलत हो जाता है।

दूसरी बात मैं यह आपके सामने कहना चाहता हूं कि यदि इनको विश्वास था कि इस सदन में हमारे इस रोग की रेमेडी नहीं थी, तो फिर अध्यक्ष महोदय, आपके पास उन्होंने शिकायत क्यों की। अगर वे मानते थे कि राहत मिल सकती है और आपने कहा भी था कि मैं जांच करूंगा जब कि यह विवादास्पद बात थी कि वहां पर माननीय बोरा थे या नहीं। तो इनको कोर्ट आफ ला में जाने की क्या जरूरत थी? क्या इनको सदन में, और श्रीमन्, आपमें, विश्वास नहीं था? क्या वे समझते थे कि अगर माननीय अध्यक्ष जांच करेंगे तो इनको राहत नहीं मिलेगी। मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

कहता हूं श्रीमन्, आपके पद की महिमा और गौरव सर्वोच्च है। यह सदन जुडिशियरी को भी, एक्जीक्यटिव को भी और पुलिस को भी पावर देता है। यह सबको मान्य है। जिस प्रकार से सूर्य से ज्योति निकलती है और प्रस्फुटित होती है वैसे ही इस सदन की स्थिति है। यह आपको निर्णय देना होगा कि कैसे इन्होंने क्रिमिनल कोर्ट का सहारा लिया। यदि इस बात पर सोचा जाय तो जो माननीय शर्मा जी ने कहा है वह बिलकुल सही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय जाहिर करने का मुझे मौका दिया। मान्यवर, यहां पर यह सवाल उपस्थित हुआ कि माननीय सूबेदारसिंह जो बी० के० डी० के टिकट पर जीत कर आये थे और अब कांग्रेस में चले गये, उनकी यह शिकायत थी कि जब वे इस सदन की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेने के लिये आ रहे थे तो श्री बोरा जी ने और उनके कुछ साथियों ने उनको रास्ते में रोका, धमकाया और "चरणसिंह जिन्दाबाद और गुप्ता जी मुर्दाबाद" के नारे लगाये। उसी समय मान्यवर, दूसरी ओर से माननीय बोरा जी ने कहा कि वह शिकायत निराधार है, झूठ है और कहा कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। इस पर श्रीमान् जी का निर्णय, जो हम समझ सके हैं, यह था कि चूंकि दोनों बयानात मुतजाद हैं इसलिये आप जांच करेंगे। यह आपने फरमाया था। आपने उसकी कोगनिजेन्स ले ली थी और यह मामला सदन के विचाराधीन हो गया था। आचार्य जी ने जो उद्धरण प्रस्तुत किये मेज की किताब से मैं बहुत ही विनम्र निवेदन करूंगा कि वे अच्छे ढंग से उन्होंने कहे हैं। और जो डिस्टिंक्शन किया गया है क्रिमिनल ऐक्ट और स्पीच में उसमें "मे" की गलती नहीं है। अगर कोई समझ ही न पाए तो गलती उसकी है कि पढ़ कर नहीं समझ पाया। क्रिमिनल ऐक्ट का जहां तक संबंध है वह ऐक्ट आगे तक जाता है कि सदन में कोई क्रिमिनल ऐक्ट हो तो जो नेचुरल कोर्स है क्रिमिनल जस्टिस का वह उससे बचता नहीं है। यह जनरल रूल "मे" की किताब में प्रोपाउन्ड किया गया है।

इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद १९४ को भी आप देखें। उसमें सदन और सदस्यों के जो प्रिविलेज हैं, वे कोडिफाई कर दिये गये हैं। यहां पर अब सीधा सादा सवाल है कि यह मामला आपके विचाराधीन है, इस सदन के विचाराधीन है। आचार्य जी इस पर गौर करें कि यह भी सेटिल्ड ला है और अनेक रूलिंग्स इस पर मिल जायेंगी कि जिस प्रकार अदालत के विचाराधीन कोई मामला हो तो उसकी यहां पर चर्चा नहीं की जा सकती उसी प्रकार से उससे मिलता जुलता एक दूसरा नियम यह भी है कि अगर इस सदन में कोई मामला विचाराधीन है तो फिर कोई बाहर की एजेंसी न उसमें मदाखलत कर सकती है, न उस पर विचार कर सकती है। अब आप क्रिमिनल ऐक्ट तथा साधारण स्पीच का जो प्रिविलेज है, उसके संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो जिस कानून का आचार्य जी ने हवाला दिया है वह मौजूदा केस में अप्लाई नहीं करता, इसलिये कि यह मामला श्रीमान जी के विचाराधीन है। लिहाजा न बाहर की पुलिस, न अदालत उसकी कागनिजेंस ले सकती है। मान्यवर, यह मामला बहुत ही अहमियत का है। मेरा निवेदन है कि वजीर कानून और इंसाफ को भी आप इस पर सुन लें और उनसे भी सदन को रोशनी मिल जाय ताकि हाउस उनकी राय से अवगत हो जाय।

*श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि विशेषाधिकार की अपनी नियमावली में जो मान्य परम्पराएं हैं, उनमें कुछ सिद्धांत निहित हैं। नियम ६६ में आप देखें उसमें स्पष्ट है कि शिकायत विशेषाधिकार समिति को जब तक सुपुर्द न कर दी जाय या कोई विशेषाधिकार की अवहेलना सदन के सामने ही न हुई हो तब तक उसे विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं माना जा सकता। सदन के सामने अगर विशेषाधिकार की अवहेलना हुई हो तब तो सदन स्वयं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही सक्षम है अगर वह चाहे तो तुरन्त उस पर विचार कर सकता है बिना किसी शिकायत के, बिना किसी प्रतिवेदन के। श्रीमन्, आपके पास कोई शिकायत सदन के अवमान की या विशेषाधिकार की अवहेलना की आए और श्रीमन् ने कोई आदेश न दिया हो और वह आपके विचाराधीन इस बात के लिये रहे कि क्या यह शिकायत प्राग्दर्शन में सही पाई जा रही है या नहीं और जब शिकायत इस हद पर हो तो प्राग्दर्शन में वह शिकायत गलत पाई जाय तब तो अपने नियमों के अनुकूल गलत शिकायत होने के आधार पर ५०० रुपये तक जुर्माना पाने का जो हक है किसी सदस्य को वह तो तब लागू होगा जब आप विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दें और वह निराधार पायी जाय। अगर प्राग्दर्शन में सही पायें तो विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दें और दूसरे यह कि सही न पायें तो खारिज कर दें। लेकिन आपने इस मामले को न तो सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया विचार करने के लिये क्योंकि माननीय शर्मा जी ने और माननीय जायसवाल जी ने कहा कि यह सदन के सम्मुख विचारणीय विषय था। मेरा यह कहना है कि यह सदन के सम्मुख विचारणीय विषय तो था ही नहीं। हो तो आपकी जानकारी में आने के लिये या कि क्या यह विषय विशेषाधिकार समिति को जाना चाहिये या नहीं।

विशेषाधिकार का प्रश्न सभी माननीय सदस्यों का होता है, उसमें दल का प्रश्न नहीं होता अगर किसी आदमी को किसी क्रिमिनल से इस तरह की आशंका हो कि उसके जान व माल का खतरा हो तो क्या वह बाहर पुलिस की मदद ले सकता है या नहीं? यह किसी माननीय सदस्य का सवाल नहीं है। जैसा मैंने अखबारों में देखा और जो मुझे मालूम हुआ शायद उनके अतिरिक्त भी दो आदमी थे जिनके बारे में पुलिस ने कार्यवाही की है। किसी भी सदस्य को सेशन के पीरिएड में क्रिमिनल ऐक्ट से बचने के लिये पुलिस का संरक्षण लेने का अधिकार है या नहीं यह भी एक सवाल अन्तर्निहित है इस मामले में। जैसा कि माननीय शर्मा जी ने कहा कि किसी माननीय सदस्य से ब्रिटिश पार्लियामेंट में सीक्रेसी लीक आउट हो गई थी तो यहां कौन सी सीक्रेसी लीक आउट हुई? माननीय जायसवाल जी ने कहा कि जो मामला सदन के विचाराधीन लम्बित है अथवा कोर्ट के सामने लम्बित है, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य ने अपने प्रोटेक्शन के लिये, क्रिमिनल ऐक्ट से बचने के लिये या उनके विरुद्ध जो क्रिमिनल ऐक्ट किये गये हों उसकी सजा दिलाने के लिये अदालत में जाने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—

(कुछ सदस्यों द्वारा और बोलने का आग्रह करने पर) मुझे फैसला देना है इस बात का कि प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं। मैंने खास-खास सदस्य जिन्होंने पेश किया उनको सुन लिया। अब यह जो नियम प्रस्तुत किये गये हैं और मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस की जो बातें आप लोगों ने बतायीं उनको अध्ययन करना है। अगर आपको कोई और बात कहनी हो तो आप भी मेरे कमरे में मुझे बता सकते हैं। आप कल तक इस सिलसिले में मुझसे मिल सकते हैं। लेकिन अब आगे का काम चलना चाहिये। बजट भी है। आज दिन भर इसके ऊपर बहस नहीं हो सकती। अगर रूल की पाबन्दी की जाय तो आपके पूछे बगैर मैं रूलिंग दे सकता हूं। लेकिन मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की। लेकिन इस पर दिन भर बहस नहीं होनी चाहिये। मैं आपको अपने कमरे में समय दूंगा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो चीज सदन में आ जाय और माननीय सदन निर्णय करे उसके बाद बाहर किसी कोर्ट को चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, किसी को अधिकार नहीं है। इस पर गर्मागर्मी में फैसला नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको स्टडी करें और आज आगे की कार्यवाही शुरू करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था।

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष—

जी, अब नहीं ।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

अध्यक्ष महोदय, जो मसला यहां पर उठा है, उसका सीधा संबंध मुझसे है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मुझे बोलने का मौका दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

जी हां आप कहिए । मुझे मामूल नहीं था कि आप मौजूद हैं ।

श्री डी० पी० बोरा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान, पहली अगस्त की शाम के करीब ६ बजे, जब मैं उनके चेम्बर में गया था, दिलाना चाहूंगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं चला जाऊंगा । सवाल यह है कि मुझे यहां व्यवस्था रखनी है ।

श्री डी० पी० बोरा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय १५।२० कांग्रेसी विधायक मुख्य मंत्री जी के चेम्बर में थे । माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे से सवाल उठाया तो कुछ विधायक जो यहां पर भी उपस्थित हैं और इतने बहादुर हैं कि जब सदन का स्थगन हो गया उस समय कुछ लोगों ने बीच में आकर कहा भी और मुख्य मंत्री जी के सामने भी कहा कि मैं उस जुलूस में नहीं था और न नेतृत्व कर रहा था । मुझे दुख है कि मुख्य मंत्री जी कविस थे कि तुम जुलूस में न हो लेकिन तुम्हारे द्वारा नेतृत्व हो सकता है । इसके बावजूद मेरी गिरफ्तारी की उनकी जिम्मेदारी थी । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात सदन को बतलाना चाहता हूं कि एक बार हमारे साथी जैटली साहब ने सवाल उठाया था । यदि मुझे इजाजत दें तो मैं यह कहने में हिचकूंगा नहीं कि माननीय जैतली साहब गंगा जल लेकर कह दें कि मैं जुलूस का नेतृत्व कर रहा था तो मैं अपने ऊपर सारा दोष लेने के लिये तैयार हूं ।

श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोपय, मेरा व्यस्था का प्रश्न है । मेरा नाम लिया गया है, इसलिये मैं बोलने के लिये आपकी इजाजत चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

इसके बाद बोल लीजिएगा ।

श्री डी० पी० बोरा—

मैं जानता हूं कि जो कुछ भी पुलिस की रिपोर्ट है, सी० आई० डी० की रिपोर्ट है या पुलिस अफसरों की रिपोर्ट है वह इस बात की है कि मैं प्रदर्शन में नहीं था । लेकिन इसके बावजूद कहा जाता है कि यहां के बड़े सरकार के जिम्मेदार लोगों ने, उनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूं कि यहां के पुलिस के बड़े अफसरों पर दबाव डाला है कि मुकदमा कायम किया जाय । पुलिस के अफ़सरों ने उस वक्त उनसे मिल कर कहा है कि मैं अच्छी तरह

वाकिफ़ हूं कि बोरा उस जुलूस में नहीं था। मैं इस बात को अच्छी तरह से महसूस कर रहा हूं कि आप भी जानकारी पिछले दिनों में करने में लगे थे। शायद आप भी इस नतीजे पर पहुंचे कि मैं उस जुलूस में कदापि नहीं था। इसके बावजूद, माननीय मुख्य मंत्री जी से चार जुमले और कहना चाहूंगा। यह एक दल छोड़ कर दूसरे दल में जाने का जो पृष्ठ खुल रहा है वह पद लोलुपता की वजह से है। (शोर) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दुधारी तलवार है, यह डबल एजेंड वीपन है। यदि माननीय मुख्य मंत्री जी पद लोलुपता से, रुपयों को देकर माननीय सदस्यों को तोड़ सकते हैं, तो दूसरे दिन उस ओर ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हुए कितने ही ईमानदार नौजवान इधर आ सकते ह।

जनता के बीच उन लोगों के खिलाफ़ गुस्सा था। उस गुस्से का प्रदर्शन करने के लिये चन्द नौजवानों ने जरूर प्रदर्शन किया, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। अगर इस मुल्क में प्रजातंत्र को कायम रखना है तो यकीन मानिये अभी तो समाज के एक छोटे हिस्से ने प्रदर्शन किया है, लेकिन पद लोलुपता के कारण, एक पार्टी से चुने जाने के बावजूद दूसरी पार्टी में जो चले गये हैं, इस जम्हूरियत को कायम रखने के लिये सूबे के नौजवान, ईमानदार, इंसाफ़पसन्द लोग, इससे आगे बढ़ कर कोई कदम उठाएं तो कदापि आश्चर्य नहीं होगा। मैं बड़े अदब के साथ, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से इतना अर्ज करना चाहता हूं कि उनकी आत्मा जानती है अच्छी तरह से कि मैं निर्दोष हूं। जब वह इस बात को जानते हैं कि मैं निर्दोष हूं तो खुल कर आयें और इस बात का ऐलान करें कि मेरे ऊपर झूठा इल्जाम माननीय सदस्य ने लगाया है। धन्यवाद।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय बोरा जी ने अपने भाषण में कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी को जानकारी है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी को जो जानकारी है, वह सदन के अन्दर दें।

श्री प्रियदर्शी जेटली---

बोरा साहब ने अपनी तकरीर में मेरा नाम लिया है। इसलिये आपसे इजाजत चाहता हूं कि बोलने का मौका दें ताकि मैं उनका जवाब दे सकूं।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने कहा कि जेटली साहब गंगाजली लेकर .... (शोर)

श्री प्रियदर्शी जेटली---

आप पहले बोलने दें मुझे। माननीय सदस्य निःसंदेह मेरे मित्र हैं। बोरा साहब मेरे कमरे के पास रहते भी हैं। मैं कमरा नंबर ३७ में हूं। वह कमरा नंबर ३५ में हैं। इससे पहले वह उसी ब्लाक में कमरा नंबर १० में रहते थे। वह कमरा जिसमें वह मौजूद हैं, माननीय उपाध्यक्ष जी के लिये खाली हुआ था और आप रात को जबरदस्ती उसमें घुस गये।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस समय यह घटना हुई, मैं उस वक्त अपने कमरे में था। मैंने २०-२५ लड़कों को चुपचाप बोरा साहब के कमरे में आते हुए देखा। इसके बाद बोरा साहब उन लड़कों को लेकर नीचे उतरे। उतरने के बाद, वहीं से, लिफ्ट के पास उतरे तो लड़कों ने नारा लगाना शुरू किया। मेरे कमरे में मेरे क्षेत्र के ६०-७० आदमी मौजूद थे। और उस समय मेरे कमरे में इस कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य श्री राजबली यादव, भूतपूर्व एम० एल० ए० के परिवार के लोग वहां पर ठहरे हुए थे, उन्होंने भी इस बात को देखा। जब बोरा जी लौट कर आये तो मैंने उनसे कहा कि यह जो कुछ आपने किया है, एक विधायक के नाते

[श्री प्रियदर्शी जेटली]

आपका यह व्यवहार अनुचित है। तो उन्होंने उसका मुझे जवाब दिया कि आपकी और हमारी सियासी मामलों में बात नहीं होनी चाहिये क्योंकि आपसी दोस्ती का रिश्ता है, इस मामले में आप कुछ न कहें। लेकिन मैंने उनसे कहा कि हम और आप पड़ोसी हैं, हम और आप दोनों नौजवान हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि बोरा जी आप राजनीतिक ईमानदारी दिखायें। (व्यवधान) वे कहते हैं कि गुप्ता जी रूपया देकर विधायक तोड़ते हैं तो मुझे भी यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि चरण सिंह जी ने भी रुपया देकर उन्हें अपनी ओर मिला लिया है। उनकी कोई पार्टी नहीं रही है, वह सब जगह पदलिप्सा में घूमते रहे हैं। इन्हीं चरण सिंह के खिलाफ़ इन्होंने न जाने क्या क्या कहा और किया है। हमारे पास यह कांग्रेस टिकट प्राप्त करने के प्रयास में में आते रहे हैं। ये भी कभी कभी कहते रहे हैं कि मैं तो कम्युनिस्ट हूं, मुझे कहीं न कहीं से टिकट अवश्य प्राप्त करना है। बी० के० डी० के बारे में पहले उनका रूख क्या है, लखनऊ की गली गली में उनको देखा गया है। कांग्रेस के टिकट मांगते घूमते थे, जब टिकट नहीं मिला तो बी० के० डी० में चले गये। हमारे नेता लोग बड़ी बात करते हैं, उन्होंने केवल पद के लिये कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है और आज वह राजनीतिक ईमानदारी की दुहाई देते हैं। (व्यवधान) वह अपने अपने गिरेबान में मुंह डाल कर देखें।

श्री डी० पी० बोरा—

हमारे बहादुर साथी प्रियदर्शी जेटली ने कहा मेरी चर्चा लखनऊ में जगह जगह है। मैं उनसे खुलकर कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी केबिनेट के किसी वरिष्ठ सदस्य को इस्तीफ़ा दिलाकर उसे लखनऊ की किसी सीट पर चुनाव लड़ाकर देख लें। जनता जवाब देगी कि जनता किसके साथ है। मैं सही हूं या वह सही हैं। यदि जेटली जी को अपनी बात का गुमान है, तो वह स्वयं इस्तीफ़ा देकर देख लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब यह विषय समाप्त हुआ, इस पर मैं अपना फ़ैसला दूंगा। (मुख्य मंत्री के खड़े होने पर) क्या आप फ़ैक्ट्स के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो कह दीजिये, इस पर कोई कानूनी बहस नहीं होगी।

*मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

बोरा जी ने अपने भाषण नें कहा कि मुझे इस विषय की जानकारी हो गई है। मैं अन्तः करण से जानता हूं कि वह निर्दोष हैं। तो मैं विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे इस वाकये की वाकया जानकारी नहीं है और न मैं इस विषय में कोई जानकारी रखता हूं। कल जो यह मसला सामने आया तो पहली बार मेरी जानकारी हुई और जब मेरे पास जिलाधीश के पास से कागज आए तो जानकारी हुई। तो बोरा जी के मुकदमों के सिलसिले में कोई नई जानकारी मेरी नहीं है। जिलाधीश ने जो मेरे पास जानकारी भेजी है, उसके अनुसार उनके खिलाफ़ ४ मुकदमें चल रहे हैं। एक मुकदमा चरण सिंह की एफ़ेजी जलाने का चल रहा है, एक मुकदमा चल रहा है राम प्रकाश जी, जो एजूकेशन मिनिस्टर थे उनकी एफ़ेजी जलाने का, एक मुकदमा चल रहा है श्री झारखण्डे राय की एफ़ेजी जलाने का और एक मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है—यहां हजरतगंज में कुछ तोड़ फ़ोड़ करने का। और अब यदि एक मुकदमा और हो गया तो उसमें कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय बोरा जी ने वक्तव्य दिया उसके बाद माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये। आप माननीय मुख्य मंत्री जी से इतनी बात जानना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहते थे कि आया वह इस विषय में कुछ जानते हैं या नहीं । (व्यवधान) । अगर, अध्यक्ष महोदय, सचेतक भी शोर मचाने लगेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी । सचेतक तो शोर न मचावें । मुख्य मंत्री जी इर्रेलिवेंट बातों में चले गये और चार ऐसे मुकदमों का हवाला दिया जिससे उन्होंने केस को प्रेजुडिस करने की कोशिश की । इस सदन ने इस केस का कागनीजेंस ले लिया है । माननीय वित्त मंत्री जी ने मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से कुछ बातें रखी हैं । मैं यह इसलिये कहना चाहता हूं कि वह आपके सामने किताबें लाकर रख देते हैं और यहां उसको थोड़ा पढ़ देते हैं । उन्होंने यहां अभी पीसमील पढ़ दिया और पूरा रेफ़रेंस नहीं पढ़ा है । जो रेलिवेंट भाग था उसको छोड़ दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

आप यह समझें कि मुझे कोई ठग नहीं सकता । मैं १० सालों तक उसको पढ़ चुका हूं और गलत बात मेरी निगाह से छन जाती हैं ।

श्री डी० पी० बोरा—

मैं व्यक्तिगत एक्सप्लेनेशन पर कुछ कहना चाहता हूं । गलत मुकदमों के बारे में यहां कहकर उन्होंने एक गलतबयानी की है । (व्यवधान) उसके लिये मैं विशेषाधिकार का प्रस्ताव इनके खिलाफ़ लाना चाहता हूं । अभी इन्होंने एक वक्तव्य में कहा कि एक मुकदमा मेरे खिलाफ़ ऐसा चल रहा है जिसमें माननीय चौधरी चरण सिंह तत्कालीन मुख्य मंत्री की मैंने अर्थी जलायी थी । मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा (व्यवधान) कि उस जमाने में जितने भी आन्दोलन हुए नवयुवकों के, उसे मुख्य मंत्री जी अपने घर पर बैठकर चलवाया करते थे । (व्यवधान) यदि आप चाहें तो मैं उसकी गवाही में पूरे सूबे से १०, २०, ५० स्टूडेंट्स लीडर्स को लाकर पेश कर सकता हूं । (व्यवधान) । मैं यह अर्ज करता हूं कि जिस अर्थी के जलाने के मुकदमे का जिक्र किया गया है उनके द्वारा हाउस में वह मुकदमा अभी १८ जुलाई, को बाइज्जत छूट गया है । उन्होंने गलत बयानी की है और इसलिये मैं उनके खिलाफ़ विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देता हूं ।

श्री चन्द्र भानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, सूचना के लिये ....(व्यवधान)

श्री गोविंद सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

व्यवस्था का प्रश्न है । अध्यक्ष महोदय, जो यहां पर बहस हो रही थी हम लोग और खासकर मैं बड़ी शान्ति से सुन रहा था । जब आपकी तरफ़ से यह आदेश हो गया था कि आप इस मामले को अपने चेंबर में सुनेंगे और बहस करेंगे उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी को उस आज्ञा का पालन करना चाहिये था, लेकिन उन्होंने नए-नए मुकदमों का जिक्र करके बहस को दूसरी तरफ मोड़ना चाहा । इसलिये मैं आपसे नवेदन करता हूं कि आप ऐसी आज्ञा मत दिया करिये....

(व्यवधान)

और जब आप ऐसी आज्ञा दे देते हैं तो उनको ऐसा कहने की आज्ञा मत दिया करिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने उनसे यह पूछा था कि उन की जानकारी में अगर उस बारे में कुछ हो तो बता दें। उन्होंने बता दिया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

और जो गलतबयानी उन्होंने की है, उसके बारे में क्या होगा?

श्री अध्यक्ष--

बोरा जी अगर कोई लिखित देंगे तो उसके बाद उस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान होने पर)

क्या आप चाहते हैं कि बजट पर आज बहस न हो और सदन को मैं खत्म कर दूं?

१९६९-७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १२--गांव सभायें और पंचायतें तथा अनुदान संख्या २६--नियोजन और समन्वय

श्री अध्यक्ष--

अब वित्तीय वर्ष १९६९-७० के आय-व्ययक पर मतदान--अनुदान संख्या १२, और २६ को नियोजन तथा श्रम मंत्री उपस्थित करेंगे।

*नियोजन मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १२-गांव सभायें और पंचायतें, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,१८,७०,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २६--नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १२,९१,१८,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं समझता हूं कि विवाद के लिये उपलब्ध केवल २-२॥ घंटा शेष रह गया है। यह मेरे लिये उचित नहीं है कि इन सब आयोजनाओं के सम्बन्ध में, तथा जो मैंने राज्यपाल महोदय की सिफारिश से परिव्ययों के लिये आवश्यक धनराशि की मांग की है इनके विस्तार के सम्बन्ध में सदन का इस समय समय लूं। जो विभागीय प्रस्ताव है वह बजट की पुस्तिकाओं में और विभिन्न प्राक्कलनों में भलीभांति प्रदर्शित है। विवाद के अन्त में जो माननीय सदस्य सुझाव देंगे, उनके आधार पर मैं कुछ निवेदन करूंगा। मैं सदन से अनुज्ञा चाहता हूं कि वह इन दोनों अनुदानों का हृदय से समर्थन करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

१९६९–७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ९४७ १२—गांव सभायें और पंचायतें तथा अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२—गांव सभायें और पंचायतों के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना है।

दूसरा यह कि अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

(इस समय २ बज कर २८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये।)

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मन्त्री महोदय ने इस पर कोई अपना विचार प्रकट नहीं किया है, फिर अनुदान के हिसाब से गांव सभा और पंचायतों के ऊपर जो सुझाव देना चाहता हूं उस पर म अपने विचार रखूंगा। सर्व प्रथम जो जनता में असन्तोष और इस प्रजातंत्र में आस्था घटी है, वह चुनाव न कराने से घटी है। १९६६ से चुनाव की मियाद बराबर बढ़ाते चले जा रहे हैं। अभी भी आपको यह निश्चय नहीं है कि चुनाव कब तक बढ़ाते रहेंगे। अभी जब प्रश्नोत्तर काल में पूछा तो बताया कि कोई निश्चित समय नहीं है। उसके बाद एक और बिल ६९–७० के लिये आने वाला है। आपने बताया कि जो चुनाव होने वाला है उनके लिये एलेक्ट्रो रोल जो तैयार १९६९ में हुये उनमें बहुत कमियां हैं। इस कारण आप समय चाहते हैं। मैं यह मानने को कदापि तैयार नहीं हूं कि अब जो समय बढ़ाया था तो तब भी १९६९ की सूची में कमी रह गई है। वह समय इसीलिए बढ़ाया था कि वह जो कमियां रह गई हैं उन को दूर किया जाय। इसी तरह से आगे भी समय बढ़ाने की सोचते हैं तो यह मामला केवल राजनीतिक है। आप जानते हैं कि जितने भी अध्यक्ष जिला परिषदों के हैं वह लगभग सभी कांग्रेस के हैं। उन सबको बराबर यह मौका देने की कोशिश की जाती है कि जो भ्रष्टाचार और अनियमिततायें हैं जिला परिषदों में अध्यक्षों के द्वारा होती हैं उनको वह ठीक-ठाक कर दें। आप उनको इसके लिये बढ़ावा देते हैं। इसी प्रकार ग्राम सभाओं में भी अब यह जो पंचायत, ग्रामसभाओं में प्रधान बने हुए हैं उन्होंने भी यह समझ लिया है कि सरकार ने अब हमको हमेशा के लिये छूट दे रखी है और एक दफा चुन गये हैं तो अब हमारी सरकार बदलने वाली नहीं है। इस वजह से और भी लूट मचा रखी है।

माननीय सदस्यों के पास इसकी सूचना है कि जितने भी प्रधान हैं वे ग्राम सभाओं की भूमि को किस प्रकार अनियमित रूप से अपने परिवार वालों में या अपने रिश्तेदारों या संबंधियों में या व्यवहार के लोगों को देना पसन्द कर रहे हैं और न मालूम कितने ही अनियमित पट्टे कर दिये हैं जिनकी वजह से यह लुटाई हमारे माननीय मंत्री जी समाप्त नहीं करवाने वाले ह। जो पट्टे अब किये जा रहे हैं वे नायब-तहसीलदार या तहसीलदार या कानूनगो द्वारा किये जा रहे हैं। इसमें प्रधानों से भी ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। वे गांव में जाते हैं और बोली बोलते हैं कि फलां जमीन पट्टे पर देनी है और कौन ज्यादा घूंस दे सकता है। इस प्रकार उन्होंने अपना डेरा डाल रखा है। और वे ज्यादा से ज्यादा रुपया वसूल कर रहे हैं। अब क्या उनके लिए यह नियम नहीं रखा गया है कि ८ प्रतिशत से ज्यादा है तो दे सकते हैं? लेकिन वे नियमों का पालन न कर के सारी भूमि ग्राम सभा की देते चले जा रहे हैं। यह आदेश पहले हो चुका था कि जो चार साल या पहली अक्तूबर, सन् १९६६ के पहले पट्टे हुए हैं उसके इधर जितने भी पट्टे हुए हैं वे मंसूख समझे जायं। उसके लिये माननीय मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की है। जो अनियमित पट्टे हुए थे उनके विषय में कोई कार्यवाही मंत्री जी करने जा रहे हैं। पट्टे तो अनियमित कर दिये गये लेकिन पट्टे पर कब्जा उन्हीं का चल रहा है। जब जमीन उनसे नहीं निकाली जा सकती तो मंत्री जी सोचें कि अनियमित पट्टे की जमीन निकालने की कार्यवाही की जाय।

[श्री हरिनाथ तिवारी]

अब यह कि चुनाव ग्रामसभाओं का कैसे किया जाय तो मैं सुझाव दूंगा कि जिला के अधिकारियों से चुनाव न करवायें। लेकिन जैसा आपने बतलाया कि चुनाव अधिकारियों द्वारा करवाये जायंगे तो अच्छा होगा। हर ब्लाक में बी डी० ओ०, ए० डी० ओ० का असर होता है तो जो चुनाव निष्पक्षता से हो सकते हैं नहीं हो पाते हैं। इस कारण चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव कराये जायेंगे तो निष्पक्षता वाली बात रह सकेगी। ग्राम सभा में जो पंचों का चुनाव होता है वह डिप्टी कमिश्नर द्वारा होता है। नामजदगी तो हो जाती है लेकिन चयन जिलाधीश द्वारा होता है इसके लिए भी माननीय मंत्री महोदय को सुझाव दूंगा कि वह भी जिस तरह से और चुनाव करते हैं पंचों का चुनाव करें।

दूसरा यह है कि जो चुनाव पैटीशन दायर होते हैं एस० डी० ओ० के यहां उनके लिए कोई अपील का प्राविजन नहीं है। सीधे हाईकोर्ट जाना होता है और बहुत से पंच या प्रधान ऐसे होते हैं जिन्हें कठिनाई होती है और रिवीजन में नहीं जाते। इसलिये यह सुझाव है कि अपील का प्रावीजन किया जाय।

पंचायतों और ग्रामसभाओं में धन का अपव्यय होता है। एक ही ब्लाक पर इतनी फौज खड़ी करते हैं---ग्राम सेवक रहता है, सेक्रेटरी होता है, लेखपाल होता है, अमीन होता है, चौकीदार होता है। एक ही स्थान पर पांच-पांच, छः-छः आदमियों की फौज खड़ी करते हैं तो अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो इस फौज को कम कर सकते हैं। ग्राम सेवक से ही सेक्रेटरी जो ग्राम सभा का होता है उसके जो दायित्व हैं सम्हालने के लिए कहा जा सकता है क्योंकि ग्रामसेवक को इतना कम काम होता है और फुर्सत होती है कि और काम भी वह साथ साथ कर सकता है। प्रान्त का बहुत सा पैसा जो इस प्रकार व्यर्थ में फंका जाता है बचाया जा सकता है।

पंचायत के सिलसिले में बहुत सी रिपोर्टें हैं। बलवन्त राय की रिपोर्ट है, संथानम की रिपोर्ट है। पंचायतों को जो योगदान या अंशदान भारत सरकार से मिलना चाहिये वह नहीं दिया जाता है। पंचायतों को जो योगदान प्रान्त से मिलना चाहिये वह नहीं दिया जाता है। हमारा प्रान्त कन्द्र से अंश मांगता है ग्राम सभाओं को स्वालम्बित करने के लिये। कोई अंश नहीं देता है। बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में यह है कि उनको कुछ मालगुजारी-भू-राजस्व का कुछ अंश सभाओं को देना चाहिये। अगर उनका विकास करना चाहते हैं तो उनको फुल पावर्स देनी चाहिये। यह नहीं कि जितने भी लोग हैं या अधिकारी हैं वे हर विषय पर उनकी मुखालफत करते रहें। यह जो किताब है जैकोब की इसमें उन्होंने कहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज दि जैन्युन ट्रांसफर आफ पावर्स टू दि पीपुल। यह पंचायती राज पर किताब है इसमें दया हुआ है कि ट्रांसफर आफ पावर्स नहीं हुआ है। जो विशेष चीज है वह यह पंचायतों को तो पूरी पावर्स दे देनी चाहिये। इसी प्रकार से एक दूसरा सजेशन था। यह एक किताब है इसको मैं पढ़े देता हूं। इस में लिखा हुआ है कि श्री वी० टी० कृष्णामचारी, ऐक्स डिप्टी चेयरमैन, प्लानिंग कमीशन ऐट दि सैकंड डेलवपमेंट कमिश्नर्स कान्फ्रेंस ऐम्फोसइज्ड दि फोलोइंग प्वाइन्ट्स। इसमें उन्होंने दिया है लीडिंग रूरल पौपूलेशन फ्राम क्रोनिक अण्डर ऐंप्लायमेंट टू फुल ऐंप्लायमेंट। इस पर कोई कदम नहीं उठाया जाता है कि वहां की बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाय। इसमें दूसरा सजेशन था कि लीडिंग रूरल पौपुल फ्राम क्रोनिक अण्डर ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टू फुल ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारी पंचायतों की ओर से या हमारे नियोजन में की जाती हो। जो किया जा रहा है वह बहुत कम किया जा रहा है।

दूसरी चीज इसमें यह दी हुई है कि ऐक्सटेंशन की संस्थाओं और कोआपरिटब्स द्वारा सामुदायिक विकास क कार्य किये जायें जिससे समुदाय का बेनीफिट हो जैसे विलेज रोड्स, टक, वैल्स, स्कूल और कम्यूनिटी सैंटर्स या चिल्ड्रन पार्क्स। तो मैं यह बतला रहा था कि जैसे बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में रिकमेंडेशन थी भू-राजस्व का कुछ अंश पंचायतों को मिलना

चाहिये किन्तु उस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया और अगर उनको नहीं कहते हैं तो जो चन्दा ग्राम प्रधान लगाते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि ग्राम पंचायतों के प्रधान इलेक्टेड होते हैं। कितना किस पर लगायें इसमें उनको दिक्कत होती है और दुनियां भर को उन पर अविश्वास हो जाता है। इसलिये राज्य द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे उनको भू-राजस्व का कुछ अंश मिले ताकि वह कुछ कामों को खुद कर सकें। रोड ठीक करना है या एक गांव से दूसरे गांव को सड़क से कनेक्ट करना है। अगर भू-राजस्व का कुछ अंश उनको मिल जाये तो वे सैनीटेशन का प्रापर व्यवस्था कर सकती हैं और वहां की पढ़ाई को ठीक कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में यह सुझाव है। मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि भू-राजस्व का कितना अंश ग्राम सभाओं को दिया जाय। इसके बाद सामुदायिक विकास उसके लिये इस तरह का सिस्टम बना हुआ है कि उसमें भी क्षेत्र समिति और जिला परिषदों को सभी जगह प्रापर अंश नहीं मिलेगा तो उसमें कुछ नहीं हो सकता है।

आज जो पैसा ब्लाकों पर खर्च किया जा रहा है मेरी समझ में वह पैसा वेस्ट हो रहा है। कोई भी इस तथ्य को मानने के लिये तैयार नहीं है चाहे वह अधिकारी हों या मिनिस्टर हों, कि जो पैसा उन को मिलता है उसका वह प्रापर यूज कर सकते हैं। जितने भी अफसर ब्लाकों में लगे होते हैं उनकी यही कोशिश रहती है कि अनुदान में से कितना पैसा अपने लिए निकाल लिया जाय और जब उन को चेक देते हैं तो एक अफसर को लगा देते हैं कि इतना तय है, इनसे ले लेना। इस तरह से जो पैसा जिस विषय के लिए जो लेता है उस काम में उसको न लगाकर दूसरे और काम में वह उसको लगा देता है। और चूंकि पैसा बी० डी० ओ० वगैरह लिए रहते हैं इसलिए वह उस पर कोई एतराज नहीं करते और नो आबजेक्शन सर्टीफिकेट लगा देते हैं। तो मंत्री महोदय से मेरा सुझाव होगा कि जो रुपया दिया जाता है जिस काम के लिये उसका आकलन होना चाहिए कि उसी काम में रुपया लगाया गया या व्यर्थ गया। हम यह जानते हैं कि जितना पैसा कुओं के लिए दिया गया उसमें से आधे भी नहीं बने और जो बने उसमें पानी नहीं है। आप की आज्ञा से लेखा परीक्षा १९६८ के दो उदाहरण पढ़ूंगा जिससे यह ज्ञात होता है कि जिस तरह से ह्यूज वेस्ट पैसे का ब्लाक में जो अनुदान दिया जाता है उसका होता है। पेज ४७ पर लिखा है—

"४२ पाइपों की खरीद—"

(क) जिला आयोजना अधिकारी, अल्मोड़ा ने उद्योग निदेशक द्वारा स्वीकृत टेंडरों पर १९६२ और १९६३ के दौरान दो फर्मों से एक बम्बई की २,७२,१०० रुपये की लागत से ६२,५४३ मीटर और दूसरी कलकत्ते की ८७,६०० रुपये की लागत से २१,४३४ मीटर, विभिन्न आकारों की ८३,९७७ मीटर पाइपें खरीदी। इन फर्मों की दरें महानिदेशक, पूर्ति और व्ययन, भारत सरकार, द्वारा निष्पादित ठेकों की दरों से जिस पर कि पहले सन् १९६२ में कुछ सामान लिया गया था, ४५ से १२४ प्रतिशत अधिक थीं। इसके फलस्वरूप १,५८,१०० रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(ख) बम्बई और कलकत्ता की फर्मों द्वारा सप्लाई की शर्तों के अनुसार, ८० प्रतिशत अदायगी रेलवे रसीदों पर, १० प्रतिशत अदायगी माल के प्राप्त होने पर, और १० प्रतिशत स्थल पर माल की जांच और निरीक्षण के बाद अदायगी की जानी थी। (८० प्रतिशत अदायगी से पहले निरीक्षण करने की कोई शर्त नहीं थी)। जनवरी–फरवरी, १९६३ में बम्बई से प्राप्त हुए इन २१,४३४ मीटर पाइपों के संबंध में पूर्ति आर्डर की शर्तों के अनुसार ८० प्रतिशत रकम की अदायगी रेलवे रसीदों पर कर दी गई। माल प्राप्त कर के समय, खंड विकास अधिकारी, हवलबाग ने यह देखा कि पाइप अच्छी किस्म के और निर्धारित विशिष्टियों के नहीं थे। फिर भी तकनीकी निरीक्षण किये बिना पाइपों को स्वीकार कर लिया गया और अल्मोड़ा तथा ताड़ीखेत भेज दिया गया एवं वहां से विभिन्न ब्लाकों और ग्राम सभाओं को भेज दिया गया ताकि पीने के पानी की योजनाओं में उनका उपयोग किया जा सके।

[श्री हरिनाथ तिवारी]

मई, १९६३ में जिला आयोजना अधिकारी, अल्मोड़ा ने विकास आयुक्त को यह बताया कि ३,००० मीटर आधा इंची मोटे पाइपों और ३,००० मीटर पौन इंची मोटे पाइपों में जंग लगा हुआ है कि वे खराब हैं और उससे (विकास आयुक्त से) यह अनुरोध किया कि वह फर्म की ताड़ीखेत से पाइप वापस मंगाने का निदेश दे दें। फर्म को देय बकाया रकम की अदायगी रोक दी गई। उद्योग निदेशक के हस्तक्षेप पर फर्म ने, आंशिक प्रतिस्थापित के रूप में दिसम्बर, १९६३ में २००० मीटर पौन इंची मोटे पाइपों की पूर्ति की और वह फर्म इस बात से भी सहमत हो गयी कि लेखाओं के अंतिम निपटारे के बाद वह यदि कोई होगी बकाया अस्वीकृत पाइपों, को वापस ले लेगी।"

माननीय मंत्री जी देखेंगे कि इतना अधिक फर्मों ने प्राइस ली। तो क्या जो विकास खंड के अधिकारी है वह दो जगह नहीं दे सकते कि एक जगह क्या दाम लिया जा रहा है और दूसरी जगह कितना लिया जा रहा है। बाजार भाव से खरीदा जाना चाहिए था। ४५ परसेन्ट और १२४ प्रतिशत हाई दाम पर लिया गया।

श्रीमन्, फिर आगे उसी में लिखा है, "दिसम्बर, १९६३ में . . ."

श्री उपाध्यक्ष—

पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल संकेत कर दें।

श्री हरिनाथ तिवारी—

यह एक प्रकार का आई ओपेनर है इसलिये मैं इसे पढ़ रहा था कि यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि २,७२,७०० रुपये की हानि होती, जब कि वे ५५ हजार रुपये की हानि की बात कहते हैं। मैं कहता हूं कि सारी की सारी हानि है क्योंकि पाइपें सब की सब खराब हैं। २ लाख से ऊपर का सामान ४५ प्रतिशत और १२४ प्रतिशत अधिकदाम देकर खरीदा गया। लेकिन अधिकारियों की तरफ से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, यह एक उदाहरण है जो आपके सामने है। लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में यह दिया हुआ है।

हमारे कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से जितना रुपया ब्लाक्स में दिया गया, या तो आफिसरों की जेब में गया या ठेकेदारों की जेब में गया और जहां लगाना चाहिये था वहां नहीं लगा।

एक दूसरा इंस्टेंस और है कि एक भवन बना, लेकिन बाद में पता चला कि वह भवन इतने नीचे बना जहां कि पानी भर जाता है और भवन गिर गया। गिरने के बाद होता क्या है? कोई कार्यवाही नहीं की जाती है? उस इंजीनियर के खिलाफ जिसने ४५,५०० रुपये की इमारत बनायी और वह गिर गयी। उनको केवल यह कह कर छोड़ दिया जाता है कि आयन्दा ऐसी गल्ती न होगी। जब कि चाहिये यह कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिये और उनको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिये। थोड़ी सी वार्निंग देकर उनको छोड़ दिया गया। पैसे के लालच में यहां के अधिकारी इस तरह का उल्टा पल्टा काम करते हैं जिससे हमारे प्रदेश लाखों रुपये का लास होता है। अभी हाल ही में एक चीज सामने आयी थी कि इस सरकार की ठीक नाक के नीचे हजारों रुपये का फर्नीचर विधायक निवास के लिये लिया गया था जो सबका सब यूजलेस हो गया है। माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह क्या है? ओवरसियर होता है, तमाम चीजों की जांच करने वाले अधिकारी होते हैं, फिर ऐसा सामान क्यों ले लिया गया? वित्त मंत्री महोदय को चाहिये कि उनके खिलाफ कार्यवाही करें और उनको निकाल दें। लेकिन वे इंजीनियर निकाले न जाकर रिट्रेंचमेंट में आ गये। उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये थी क्योंकि उनकी जानकारी में हजारों रुपये के फर्नीचर विधायक निवास के बिलकुल खराब हो गये। यह हजारों रुपये का मामला है लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि इसमें जो ओवरसियर इनवाल्व्ड है वह विधान सभा के एक उच्च अधिकारी का रिश्तेदार है, इसकी वजह

से उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी । मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि यह ऐसा मामला है जिसमें कोई रियायत नहीं करनी चाहिये । रियायत से यह होता है कि उनके मन में ऐसे काम को करने के लिये एक प्रोत्साहन मिलता है । इसलिये आवश्यक है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें । यह नहीं कि थोड़ी वार्निंग दे दी और छोड़ दिया, उससे काम नहीं चलेगा । आप जो पैसा अनुदान के रूप में सदन से मांगा करते हैं, मांगने को तो आप बहुमत से अनुदान के लिये मांग लेते हैं मगर उसका यूटिलाइजेशन ठीक से होता है या नहीं यह भी आपको देखना होगा ।

ग्राम सभा और पंचायतों के संबंध में बतला चुका हूं । अब हमारा नियोजन और समन्वय है । नियोजन अर्से से चल रहा है । तीन पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो गयीं । उसके बाद भी हम कितना आगे बढ़ सके हैं, आपकी एक पुस्तक है, आपकी पुस्तिका है "चौथी पंचवर्षीय योजना", इसमें सब आंकड़े हैं । इसमें प्रति व्यक्ति आय के लिये यह बताया गया है कि २४७ रु० सन् १९६७–६८ का अनुमान है । जब कि १९४८–४९ में प्रति व्यक्ति आय थी २६० रु० । बहुत ढोल पीटते हैं योजना का, लेकिन फायदा क्या हुआ ? जब आय नहीं बढ़ती तो क्या फायदा ? तीन पंचवर्षीय योजनाओं में एक हजार करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं । उसके बाद भी आय नहीं बढ़ती है । तो इस योजना का क्या अर्थ है ?

इसी प्रकार कृषि को देखें । अपने देश और प्रदेश में ८० फीसदी किसान हैं । बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शहरों में जहां २० प्रतिशत आबादी बसती है वहां चौगुना खर्च किया जाता है और देहातों में जहां ८० प्रतिशत आबादी है वहां उसका चौथाई खर्च किया जाता है । तो इन दर्स रेशियो में यह खर्च किया जाता है इस प्रकार से कृषि को एक बटे सोलह हिस्सा ही मिलता है ।

कृषि प्रधान होने के कारण हमारी मुख्य आवश्यकता पानी और बिजली की है । देहात के भीतर जहां पानी का साधन नहीं है वहां बिजली की लाइन अगर दौड़ा दें तो प्राईवेट ट्यूबवेल लगा सकते हैं, परन्तु यह भी नहीं किया गया ।

मिल्कीपुर का दक्षिणी क्षेत्र बिलकुल असिंचित है । मैं वहां से आता हूं । हजारों बीघे का खेत असिंचित है । आज २२ वर्ष हो गये, वहां ट्यूबवेल नहीं है ।

सड़कों का भी यही हाल है । एक सड़क फैजाबाद–रायबरेली उस क्षेत्र के बीच से जाती है । माननीय मदन मोहन वर्मा जी, जो हमारे यहां अध्यक्ष थे उनका भी १० मील तक का हिस्सा है । केवल ३ मील की सड़क बनी है, बाकी सब खराब पड़ी है । हर साल कहा जाता है वह सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है नैपाल, गोरखपुर, से फैजाबाद होती हुई रायबरेली, उन्नाव, कानपुर जाती है । लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया । इस वर्ष बजट में ४ मील से १३ मील बनाने की योजना है । ३ मील तक बनी है । एक मील क्यों छोड़ दिया है, कुछ पता नहीं ।

तो न कृषि में कुछ किया, न सिंचाई में कुछ किया । इसी प्रकार से उद्योग का हाल है । हमारा सुझाव है कि लघु उद्योग के लिये जितना पैसा हो सके—

(लाल बत्ती जलने पर ।)

श्रीमन्, थोड़ा समय और दे दें क्योंकि काफी बातें कहने को हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

बहुत धीमें आप चल रहे हैं ।

श्री हरिनाथ तिवारी—

रफ्तार तो वही है स्पेशल वाली । माननीय मंत्री जी इसको नोट करेंगे—

कि क्या तमाशा बदायूं में मचा रखा है । कोई सगीर अहमद को अपने यहां से नामिनेट किया और वहां से कोई दूसरे सगीर अहमद आ गये । श्री नारायण दत्त तिवारी जी की जगह अगर कोई दूसरा नारायणदत्त आकर बैठा दिया जाय और इनको मौका न दिया जाय तो कैसा महसूस होगा ? तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे कि यह कैसे हुआ क्यों किया गया । वह सहसवान के रहने वाले हैं, यह सब आपने देख लिया होगा नामजदगी के वक्त, लेकिन उन लोगों ने यह तमाशा किया । यह है परिचय यहां की व्यवस्था का कि वहां पर दूसरा सगीर अहमद कंडक्टर आ गया जिसको कभी न सोचा होगा कि वह जिला परिषद् में जाय । तो इसलिये जल्द से जल्द आर्डर निकालें कि वह वहां से हटा दिया जाय और जो असली सगीर अहमद है वह वहां पर नियुक्त किया जाय ।

मैं यातायात के ऊपर कह रहा था कि वह सड़क ऐसी है जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी बनायी जाय । फैजाबाद से रायबरेली २३ मील पड़ता है और उस पार सब बनी हुई है । इसी प्रकार उद्योग में आपको ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिये छोटे उद्योगों में । उससे ज्यादा हाथ काम में लगेंगे । आप बड़े बड़े उद्योग बढाते हैं उनमें कितने कम लोग काम करते हैं । .....

एक सदस्य—

आप तो उद्योग की चर्चा कर रहे हैं ?

श्री हरिनाथ तिवारी—

उद्योग भी नियोजन से संबंधित है । नियोजन में सारी समस्यायें हैं । तो शिक्षा है । शिक्षा बहुत बढ़ती चली जा रही है, लेकिन यह नहीं सोचा जाता कि जो शिक्षित युवक निकलेगा वह कहां लगेगा । तो युवकों को रोजगार का भी प्रबन्ध करना चाहिये । हमारा प्रदेश ८० फीसदी कृषि में बसता है और काफी मदद देते रहेंगे, तो जो युवक बेरोजगार रहेगा वह कृषि से उत्पादन की ओर बढेगा और कृषि से लाभ पहुंचेगा । सहकारिता में हम देखते हैं कि विकास खंड के लोगों को खाद समय पर नहीं मिलती है। ऐसे समय देंगे जब कि विवश हो कर उनको पैसा देना होगा । वक्त पर देते नहीं हैं और यह भी कहते हैं कि साथ में इतनी मक्का लेनी होगी और यह लेना होगा तभी खाद मिलेगी । उससे हमारी उपज नहीं बढ़ पाती । सहकारिता में जो लगे हुये हैं, उनको ऐसी जानकारी होनी चाहिये कि कौनसी खाद कहां लगती है और कितनी लगेगी । सार्वजनिक निर्माण विभाग तो "प्लंडर विदआउट डेंजर" वाला विभाग है जैसा कि विकास में है एक एक लाख का एक एक आइटम पर नुकसान होता है, जितना पैसा विकास के लिये दिया जाता है, उसमें से आधा पैसा इंजीनियर के पास और आधा ठेकेदार के पास जाता है। जो पैसा लेना चाहिये उसका कोई निरीक्षण नहीं किया जाता और रिपोर्ट भी उन्हीं से मांगी जायगी जो उस काम को कर रहे हैं । तो जांच उससे करायी जाय जो उससे संबंधित न हो । हरिजन कल्याण को पैसा उचित रूप से नहीं मिलता है । जहां पर हरिजन कल्याण है वहां पर हरिजन ही रखा जाय, यह नीति आपको अपनानी चाहिये ।

दूसरे वर्ग के व्यक्ति को रख देने से उनका भला नहीं हो सकता । इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने अपने सुझाव देने की कृपा करें ।

श्रीमती हमीदा हबीब उल्ला (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार के सामने एक बहुत ही अहम मसला रखना चाहती हूं । मुझे कहना यह है कि हमारी आबादी की ५० प्रतिशत संख्या महिलाओं की है उनकी तरक्की की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये । जब हम उनकी तरक्की की तरफ

ध्यान देंगे तभी हमारी जो तमाम स्कीमें हैं, योजनायें हैं, वे पूरी होंगी। आप लोगों को याद होगा कि सन् १९६७ में एक बहुत बड़ा वाक्या समाजवाद और प्रजातंत्र के खिलाफ यह हुआ था कि महिला मंगल योजना में जो साढ़े तीन हजार के लगभग महिलायें काम कर रही थीं उनके मुंह से रोटी छीन ली गई और उन लोगों ने यह काम किया जो यहां पर हर वक्त समाजवाद और प्रजातंत्र की बात किया करते हैं। यह उस सरकार ने किया जिसमें सोशलिस्ट पार्टी भी थी, तथा और मुखतलिफ पार्टियां भी शरीक थीं। यह उस प्रदेश में किया गया जहां पर कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी हुयी है। उस प्रदेश में अपनी बहनों और अपने बच्चों के मुंह से रोटी छीनी गयी। मैं नहीं समझती कि उनका यह काम किस प्रकार हुमेनिज्म, ह्यूमेनिटी, समाजवाद और प्रजातंत्र का हामी है और वे लोग किस मुंह से डेमोक्रेसी की बात करते हैं। उस समय जब मुझे मालूम हुआ कि औरतें बहुत परेशानी में हैं, मैं उनमें से एक के घर गई,। वहां जाकर मैंने देखा कि एक औरत १५–१५, १६–१६ आदमियों का पालन कर रही थी। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी वाकया है कि उन औरतों को जब जेल भेज दिया गया तो एक तरफ तो उनकी रोटी छीनी गयी थी, दूसर दूसरी तरफ उनके साथ जिल्लत के साथ पेश आया जा रहा था। उस वक्त एक घर में तो इसका इतना असर हुआ कि एक बुढ़ी मां मर गयी, उसको हार्ट अटैक हुआ। डाइरेक्टली हो सकता है इसका असर न हुआ हो, मगर इंडायरेक्टली इसका असर जरूर था। जिस वक्त यह सब हो रहा था, उस वक्त मैंने इन लोगों से पूछा भी था कि यह क्या कर रहे हैं आप मुझे बताया गया, उन्होंने कहा कि हम यह सब इसलिये कर रहे हैं कि हम ज्यादा गल्ला पैदा चाहते हैं। हमने पूछा कि जब आप जनता को भूखों रक्खेंगे, तो गल्ला कैसे ज्यादा पैदाकर सकेंगे, जब आप आटा नहीं देंगे तो क्या लोग मिट्टी की रोटी पकायेंगे? मैंने उनसे यह भी कहा कि इन बेचारी औरतों को जो भूखों मर रही हैं कोई जगह दीजिये।

सरकार ने बहुत सोच समझ कर अपनी बात को पलटा, मगर उससे एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत धक्का लगा। महिला मंगल योजना तो खत्म कर दी गयी, मगर उन औरतों को दूसरी स्कीमों में लिया गया। सरकार से उनका यह समझौता हुआ कि उनको उतने ही वेतन पर दूसरी जगह लिया जायेगा। इस पर औरतों ने अपना आन्दोलन वापस लिया था। किसी को उसके बाद फेमली प्लानिंग में लिया गया, किसी को नर्सिंग में लिया गया। वे नर्सिंग आदि के उस कार्य में ट्रेन्ड नहीं थीं, लेकिन जब उनको वह जाब दिया गया तो उनको वेतन ट्रेन्ड नर्सों के मुकाबले में भी ज्यादा देना पड़ा। इसका एडमिनिस्ट्रेशन पर बड़ा खराब असर पड़ा। सरकार को खर्च भी ज्यादा करना पड़ा और एडमिनिस्ट्रेशन को भी धक्का लगा। अस्पतालों में आपस में बड़ी बैचेनी फैल गयी कि ट्रेन्ड नर्सों को कम वेतन मिल रहा है, और अन ट्रेन्डों को ज्यादा मिल रहा है, तो मैं इस बात को बराबर इसलिये कह रही हूं कि यह लोग जो समाजवाद और प्रजातंत्र का बार बार नाम लेते हैं और उसी के नाम पर लोगों में जाकर जब वोट मांगते तो बराबरी की बात करत ह। प्रजातंत्र की बात करत हैं, समाजवाद की बात करते हैं और उसी बात पर हमारी जनता, मर्द और महिलायें, वोट देती हैं। उस वक्त वोट ले कर हम आ जाते हैं। फिर हम यहां बैठते हैं जो भूल जाते हैं कि वे इस इन्तजार में हैं। प्रजातंत्र और समाजवादी स्कीमों का क्या हो रहा है। उन्होंने उस दिन जब सुना, जब हमारे विरोधी दल के नेता ने अपने भाषण में दिया और उन्होंने सुना कि ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ये विरोधी दल के नेता तो कहते थे कि प्रजातंत्र की बात करेंगे। पर ये तो अफसर शाही की बात कर रहे थे। तो हमारी कोई फायदे की बात नहीं है।

अगर समाजवाद लाना है तो पचास फीसदी आबादी को भी आगे बढ़ाना होगा। मैं अब अपनी सरकार के सामने दो-तीन प्रोपोजीशन्स लाना चाहती हूं। वे यह हैं कि जो कुछ सामान अभी बेकार पड़ा हुआ है, जो लाखों का सामान महिला मंडल योजना के लिये लिया गया था वह मेहरबानी करके आप किसी ऐसे काम में तो लगाइये जो महिला मंगल के जरिये बना हुआ है, उसमें इस्तेमाल हो, उसमें बहुत से काम निकल आयेंगे। काटेज इंडस्ट्रीज शुरु

[श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला]

हो सकती हैं उससे इन लोगों के खाने पीने का इन्तजाम हो सकता है और उसके जरिये औरतें ट्रेन्ड हो सकती हैं। मुझे अफसोस हुआ जब मैंने सुना कि आपने एक जो न्युट्रिशन स्कीम बनाई उसमें यह इन्तजाम किया कि वह पांच साल के बाद बदल दी जाय। क्या पांच साल के बाद हमारी यह हजारों वर्ष की जहालत और हमारे तरह तरह के गलत खयालात और हमारे जो तरीके हो रहे हैं और उसके बाद ५० फीशदी जो कुछ नहीं समझती तो क्या पांच साल के अन्दर आप इनको बदल सकते हैं। यह हमारे लिये एक पर्मानेन्ट डिपार्टमेंट होना चाहिये और इस डिपार्टमेंट में जिन औरतों या महिलाओं ने ट्रेनिंग ली है जिन्हें हमें हीरोइन बनाना चाहिये और हमारी एस० बी० डी० की तरह गवर्नमेंट की से उनको जलील नहीं करना चाहिये। उनकी इज्जत करनी चाहिये। वे अपने घरों से निकल कर सौ-सौ, डेढ़ सौ रुपये की नौकरी करती हैं और आप उन्हें पढ़ कर सुनाते हैं कि कितने दिन की न्यूट्रिशन स्कीम है। आप हमारी बहुत कुछ मदद कर सकते हैं। महिलाओं को आप यह न समझिये कि वे चांद से उतर कर गैर कौम से आ गई हैं। महिलायें आपकी ही बहनें, आपकी ही मां और आपकी ही बच्चियां हैं। इन लोगों की देखभाल और रक्षा इसलिये जरूरी है कि वह मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, जिनकी महिलायें तरक्की नहीं कर सकतीं। महिलायें जो फिजां बनाती हैं वे महिलायें ही बनायेंगी बच्चों को बनाने का उसी का काम है।

"New evidence suggesting a relationship between mal-nutrition and mental retardition should be cause for major policy concern in a number of word capitals. The recognition that is lacking the ability to reach their full genetic intellectual potential introduces a new and perhaps frightening note into theories of national development."

यह मैं इसलिये पढ़ कर सुना रही हूं कि आप लोग जो आगे चलकर दवाओं और इलाज और दूसरी चीजों पर रुपया खर्च कर रहे हैं उस रुपये को आप बचा सकते हैं। अगर न्यूट्रीशन, खाने के तरीके वगैरह को मां के जरिये बता दिया जाय। मैं आपके सामने एक स्कीम पेश कर रही हूं। वह यह है कि आप इसी डिपार्टमेंट को लेकर और इन औरतों को न्यूट्रीशन स्कीम में परमानेन्ट कीजिये और उसके जरिये मुख्तलिफ तरीके के महिला मंडल के जरिये, ग्राम सेविकाज के जरिये और सब चीजें जो हमारे पास सामान पड़ा हुआ है यह सब इस्तेमाल किया जाय और चूंकि यह सब डिपार्टमेंट के हाथ आता है जिनकी जरूरत है।

मैं आपको एक मिसाल देती हूं यह जो चाइल्ड वेलफेयर में मदद की है वह मदद १९६७ में पांच हजार रुपया उनको मिली थी। अब इस न्यूट्रीशन स्कीम के बाद कुछ कम हुई। इस साल उनको सौ रुपया मिला है। मैं पूछना चाहती हूं कि यह सब जो ट्रेनिंग आप लोगों ने दी है, यह सब इन्तजाम किया है, और यह सब इक्वीपमेंट और सामान दिया है और वह बेकार पड़ा रहेगा क्योंकि सौ रुपये में क्या हो सकता है। मेरा सजेशन यह है कि जो ट्रेन्ड औरतें हैं इनके जरिये हमारे गांवों में महिलायें लक्ष्मी बनवाय यानी वे लड़कियां, औरतें व महिलायें ट्रेन्ड की जायं ताकि वे वालन्टरी तरीके से अपने-अपने घरों की तरक्की कर सकें और आगे बढ़ सकें। चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, को बढ़ाने की जरूरत है। अगर उनके लिये एक विभाग में रुपया न हो तो पोल्ट्री फार्मिंग है, सोशल वेलफेयर है, ट्रायबल वेलफेयर है। उन विभागों में उनको जगह दी जानी चाहिये। हरिजनों की बात आप देख लीजिये। आपने एक वाकए के बारे में पढ़ा होगा। एक चार बरस के बच्चे को मार दिया गया। इसलिये कि किसी घर में बच्चा नहीं होता था, उसको किसी ने बताया कि इस तरह से बच्चा हो जायगा। इस किस्म के गलत खयालात को ग्राम सेविकायें, गृह लक्ष्मी और ये महिलायें दूर कर सकती थीं। उनको समझा सकती थीं कि तुम्हारी ये बातें सुसाइटी के खिलाफ हैं और तुम्हारे लिये नुकसानदेह है। जो गलत तरीके उनके समाज में हैं उनके बारे में उनको बता सकती थीं कि वे तरीके उनके लिये नुकसानदेह हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि जब कोई औरत यह समझ

जायगी कि उसमें उसका फायदा है, उसके बच्चों का इसमें फायदा है, हमारे बच्चे इस तरहसे मजबूत होकर काम कर सकेंगे तो वे उन तरीकों को अपना लेंगी ।

जहां तक रूल्स का ताल्लुक है आपने बहुत अच्छे रूल्स बनाये हैं और महिलाओं को पूरे हकूक देने की कोशिश की गयी है लेकिन फिर भी औरतों को जितने चान्सेज दिये जाने चाहिये वे नहीं दिये जा रहे हैं । १९६७-६८ में शिडयूल आफ न्यू डिमान्ड्स में डिप्टी डायरेक्टर आफ हैल्थ (वीमन) को अपग्रेड करके ज्वाइंट डायरेक्टर मेडिकल एन्ड हैल्थ सर्विसेज बनाने की बात थी लेकिन उसको अभी तक नहीं किया गया है । तीन साल हो गये लेकिन उस पर अभी तक कोई ऐक्शन नहीं लिया गया । मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री जैराम (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, १९४७ में जब पंचायतराज्य की स्थापना की गयी थी तो उस समय यह विश्वास था कि इस योजना के अन्तर्गत गांवों की धीरे धीरे तरक्की होगी । और वे अपने पैरों पर खड़े होने के लायक हो जायेंगे । देहातों में गांव सभायें बनायी गयीं और गांव पंचायतों का निर्माण हुआ । इन दोनों का उद्देश्य यही थी कि गांव स्वबलम्बी बनें और अपने यहां के छोटे मोटे झगड़ों को अपने आप फैसला कर लें । जिले के केन्द्र दूर होते थे, तहसील दूर होती थी, इसलिये अगर वे अपने यहां ही न्याय पंचायतों में उनका निर्णय करेंगे तो उनको बहुत आसानी हो जायेगी । लेकिन अगर पिछले कामों की हम विवेचना करें तो हम इस नतीजे पहुंचेंगे कि प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अन्दर गांवों में कुछ श्रमदान हुआ, कुछ सड़कें, गलियारे आदि बनाये गये । यह सिलसिला दूसरी पंचवर्षीय योजना तक चला और गवर्नमेंट ने भी उनको थोड़ी बहुत सहायता दी । लकिन इस वक्त हम देखते हैं कि लोगों को गांव सभाओं की गतिविधियों के प्रति के प्रति गांव पंचायतों की गतिविधियों क प्रति उदासीनता आ गयी है । श्रीमन, गांव सभाओं में १५ से लेकर ३० तक सदस्य होते हैं । लेकिन जब गांव सभा की बैठ क होती है तो उनका कभी कोरम ही पूरा नहीं होता । जो मुकदमे न्याय पंचायत में दायर होते हैं उनके लिये यह आशा की जाती है कि वे ज्यादा से ज्यादा ६ महीने में फ़ैसल हो जायेंगे । लेकिन हम जितने मुकदमों के बारे में निगरानी दायर करते हैं या जिले में कलेक्टर के यहां अपील करते हैं तो वहां पता चलता है कि न्याय पंचायत मुकदमों का फ़ैसला करने में २-३ साल लगा देती है । और उसका कारण देखने पर यही मालूम पड़ता है कि न्याय पंचायतों का कोरम ही पूरा नहीं होता है । गांव पंचायतों के प्रधान लेखपाल की सहायता से, अगर वे कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर लेते हैं और लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होती है । प्रधान लेखपाल की मदद से कोई कार्यवाही कर लेते हैं अथवा पंचायत मंत्री की सहायता से और सदस्यों के घर पर भेज कर हस्ताक्षर करा लेते हैं ।

हमारे प्रदेश में जो पंचायत राज की स्थापना की गयी थी, ऐसा मालूम होता है कि इसमें कोई मूलभूत खामियां हैं, जिनके कारण इसके प्रति लोगों को उदासीनता होती जा रही है । हमारी गांव सभाओं के पास कोई फ़ण्ड नहीं है, वे बिना पैसे और अधिकार के काम करती हैं । मेरा सुझाव है कि उनसे काम लिया जाय और उनको काम और पैसा दिया जाय । अगर गांव सभा के प्रधान को मालगुजारी वसूल करने और उसे तहसील में जमा करने का काम दे दिया जाय और मालगुजारी का १ / ४ गांव सभा को दे दिया जाय तो उसकी आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती है । आजकल मालगुजारी के ऊपर ५ पैसे या ६ पैसे का गांव सभाओं में टैक्स लगता लेकिन उसे गांव सभाएं वसूल नहीं कर पाती है क्योंकि अनेकों प्रकार के टैक्स लग जाने के कारण गांव के किसान इस गांव सभा के टैक्स का विरोध करते हैं और गांव सभा के पास टैक्स वसूल करने की कोई मशीन या साधन नहीं है । अगर हमें गांव सभा की आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो आवश्यक है कि मालगुजारी वसूल करने का काम गांभ सभा के प्रधान को दिया जाय और उसे मालगुजारी का १ / ४ गांव सभा के लिये रखने की इजाजत हो ।

[श्री जैराम]

गांव सभा के क्षेत्र में गांव का आदमी सामान ढोने के लिये बैल गाड़ी रखता है या कोई उंट रखता है, या मकान बनाने के लिये भट्टा लगाता है तो उस पर जिला परिषद् टैक्स लगाती है। इससे दोनों के अधिकार क्षेत्र में बराबर संघर्ष रहता है। इससे गांव सभा को कोई आमदनी नहीं होती है। जब तक इस दिशा में भी गांव सभाओं के पास अधिक आमदनी नहीं होगी वे ज्यादा सक्षम नहीं होंगी और वे अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी और वे गांव की उन्नति के लिये कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठा पायेंगे। आज लोगों को गांव सभाओं के ऊपर निराशा सी होती जा रही है, इस पर भी हमारे माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। गांव सभाओं को सही दिशा देने तथा सरकारी जितनी नीतियां हैं उन पर सुझाव देने की इजाजत होनी चाहिये। साथ ही हमारे जो पंचायत मंत्री हैं, ग्राम सेवक है, या लेखपाल हैं इन सबको एक ही श्रेणी का वेतन देना चाहिये और उनके वेतनक्रम में जो भारी विषमता है, उसको दूर कर देना चाहिये। पंचायत मंत्री का वेतन किसी भी रूप में ग्राम सेवक या लेखपाल से कम नहीं होना चाहिये। इस ओर हमेशा से मांग की जा रही है लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। पंचायत मंत्री और ग्राम सेवक एक तरह का काम करते ह और अगर पंचायत मंत्री को उससे कम वेतन मिलता है तो उसे काम करने में कोई रुचि नहीं होती है। जबकि उनकी शैक्षिक योग्यता में कोई अन्तर नहीं होता है और काम भी एक सा है, यदि उसका वेतन उसके समकक्ष नहीं होता तो वह गांव सभा के काम में रुचि नहीं लेगा।

जहां तक मुकदमों का प्रश्न है हम जो अनुभव कर पाये हैं हम देखते हैं कि पंचायतों में बहुत फ़र्जी मुकदमें दायर होने की प्रवृत्ति चली है। विपक्षी को सूचित भी नहीं किया जाता है और उस पर एक तरफ़ा जुर्माना हो जाता है और अगर वह रुपये का दावा है तो उसके खिलाफ़ डिग्री के एक तरफ़ा आदेश हो जाते हैं और पंचायत सरपंच उन्हें अपने पास रखे रहते हैं। जब साल दो साल के बाद मियाद समाप्त हो जाती है तो उसका इजराय करते हैं तथा विपक्षी जब उसकी प्रतिलिपि लेने जाता तो नकल देने में आनाकानी करते हैं। पंचायत राज ऐक्ट में दफा ८९ में निगरानी के लिये यह प्रतिबन्ध लगा दिया है कि पंचायत के आदेश की प्रतिलिपि लगाना जरूरी है। इसमें छूट ही जानी चाहिये। दफ़ा ८९ में फाइल तलब होकर इजलास में चली जाती है तो फ़िर पंचायत के फ़ैसले की प्रतिलिपि की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसके अलावा सरपंच के कामों के लिये कोई रोक अथवा प्रतिबन्ध नहीं है। बहुत से गलत काम किया करते हैं। अधिकांश में अपने कार्यों में वे कोई रुचि नहीं लेते। अगर सरपंच की कुछ तनख्वाह मुकर्रर कर दी जाय तो वे ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। बहुत से हाई कोर्ट के फ़ैसले हुए। प्रोनोट के बारे में झगड़े चले कि इसका अधिकार सिविल कोर्ट को है अथवा न्याय पंचायत को इसी बीच में बहुत से मुकदमों की मियाद बीत ग यी। यह कानून में दोष है, इसके बारे में संशोधन होना चाहिये।

इस विभाग के संबंध में जो योजना बनाई गयी है लगभग १३ करोड़ रुपये की इस मद में मांग की गई है। पिछली तीन वर्षीय योजनाओं में यह देखा गया है कि कुछ विशेष क्षेत्रों में योजनान्तर्गत रुपया काफ़ी ज्यादा खर्च किया जाता है और किसी-किसी जिले में योजना का बहुत अंश खर्च होता है। पिछली तीन योजनाओं में प्रतापगढ़ में कोई काम ऐसा नहीं किया गया और आजादी के बाद न कोई प्रमुख कार्य हमारे क्षेत्र में ही किया गया है। जो बहुत से पिछड़े क्षेत्र ह उनमें तीनों योजनानों के अन्तर्गत कोई भी पैसा नहीं दिया गया है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में उनमें ज्यादा से ज्यदा पैसा खर्च किया जायेगा।

प्रतापगढ़ जिले में कुसुवापुर बाजार में ऊन का बहुत बड़ा भण्डार है, कच्चा माल ऊन का बहुत मिलता है लेकिन कोई भी व्यवसाय ऐसा नहीं खोला गया जिससे उसकी प्रगति हो सकती। इसी तरह से मलिहाबाद का आम बहुत बाहर जाता है लेकिन कुंडा तहसील के परगना मानिकपुर व बिहार में जहां फ़लों की बहुत तरक्की हो रही है उस तरफ़ कोई ध्यान नहीं जाता है। वहां फ़लों के संबंध में छोटा मोटा व्यवसाय खोलने की व्यवस्था होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस ओर भी आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि गांव सभाओं के जो फ़ैसले होते हैं उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कुंडा ब्लाक की गांव सभा बाबूगंज व कुंडा ने यह प्रस्ताव पास किया कि उनके बाजार का बहुत बड़ा क्षेत्र है। वहां बिजली के खम्भे लगाये जायं लोग पैसा देने के लिये तैयार हैं। दो वर्ष हो गये प्रस्ताव पास किये। एक्जक्यूटिव इंजीनियर के पास लोग गये, बहुत सी दरख्वास्तें भेजी गयीं लेकिन कोई ध्यान आज तक नहीं दिया गया। गांव पंचायतों के पास किये हुए प्रस्तावों को नजरअन्दाज कर दिया जाता है।

कुंडा तहसील ने १९६६ में प्रस्ताव पास किया गांव सभा के अन्तर्गत जितनी सड़कें हैं वहां खम्भे बिछाए जायं, बिजली लगाई जाय, लोग पैसा देने को तैयार हुए लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। सड़कों के बारे में भी सरकार का ध्यान चौथी पंचवर्षीय योजना की ओर विशेषतौर से जाना चाहिये। यह कहा गया था कि हर गांव पक्की सड़क से ४ मील दूरी से अधिक नहीं होगा। लेकिन आज तक वहां कोई भी सड़क का नामोनिशान नहीं है। किसी योजना के अन्तर्गत अथवा श्रमदान के जरिये जो छोटे मोटे कलियारे बनाये गये वे भी सबके सब समाप्त हो गये। उनके बारे में प्रधान प्रस्ताव पास कर के परगना अधिकारी या तहसीलदार को दरख्वास्त देता है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। ऐसा लगता है कि ऊंचे के अधिकारी गांव सभा की योजना को नजर अन्दाज करते हैं। इसलिये गांव सभाओं के अधिकार के प्रति जागरूक रहना चाहिये और उनको सहायता देनी चाहिये। योजना के संबंध में कहीं-कहीं ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। माननीय उप-मुख्यमंत्री केवल एक क्षेत्र में २० सरकारी नलकूप लगे हैं जबकि प्रतापगढ़ जिले में एक भी सरकारी नलकूप नहीं लगाया गया। मंत्री लोग अपने क्षेत्रों में योजना का ज्यादा पैसा खर्च करते हैं बाकी क्षेत्रों की कीमत पर। मैं चाहता हूं कि तरक्की चाहे धीरे-धीरे हो लेकिन योजना का पैसा अनुपात से खर्च किया जाय। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो गांव सभाओं के प्रस्ताव होते हैं उनका परगना अधिकारी न तो कोई निरीक्षण करते आते हैं, न कोई सहायता देते हैं, न प्रधानों की कोई बात सुनते हैं। कानून में कुछ इस तरह का प्राविधान किया जाय ताकि सभी गांव सभायें तरक्की कर सकें।

डाक्टर हरिप्रसाद शाही (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे १९६९–७० के बजट पर चर्चा के संबंध में भाग लेने का अवसर दिया। हम श्रम और नियोजन मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या १२ जिसमें पंचायतों के संबंध में कुछ चर्चा की गयी है और अनुदान संख्या २६ जिसमें नियोजन संबंधी बातें हैं के संबंध में प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हैं। समर्थन इसलिये करते हैं कि उसमें न केवल एक स्वस्थ और सुदृढ़ उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था बनाने की बात है बल्कि एक नया दृष्टिकोण भी है और वह दृष्टिकोण इस बात का द्योतक है कि संभवतः इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को न केवल स्वावलम्बी बना सकेंगे अपितु हो सकता है वह स्वचालित भी हो सके। अगर हमें अपने इस उद्देश्य में सफलता मिली, जिसकी हमें आशा है, तो संभवतः अगली पंचवर्षीय योजना में हमारी आर्थिक व्यवस्था स्वचालित हो कर हम आगे बढ़ सकेंगे और जो पिछड़ेपन की बात है उसको हम दूर कर सकेंगे। यात्रा बड़ी लम्बी है और उसमें कठिनाइयां भी हैं। मैं श्रम मंत्री का ध्यान उन कठिनाइयों की तरफ आकर्षित करता हूं विशेषकर अनुदान संख्या १२ के संबंध में जहां पर ग्राम सभाओं की चर्चा की गयी है। पिछली पंचवर्षीय योजना में २५ लाख रुपया हमने इसलिये दिया था कि हमारी उत्पादन परिसंपत्ति में गांव किस प्रकार से बढ़ाया जायं। यह बात सर्वस्वीकृत है कि संभवतः हमारी गांव सभाओं ने किस आशा से कार्य करना आरंभ किया था वह नहीं कर पायीं केवल इसलिये कि उनके पास उत्पादन परिसंपत्ति नहीं रही, अर्थात् उनके पास साधन नहीं रहे हैं।

[डाक्टर हरिप्रसाद शाही]

तृतीय पंचवर्षीय योजना में १७ तरह के कार्य लिये गये उनमें से केवल ८ तरह के कार्यों का मूल्यांकन हुआ है ।

हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन १७ तरह के कार्यों में से जिन ८ तरह के कार्यों का मूल्यांकन किया गया था, उनमें से एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो सफल हुआ हो । यहां तक की आंकड़े प्रस्तुत हैं कि २५ लाख रुपये का जो अनुदान ग्राम सभाओं को साधन इकट्ठा करने के लिये दिया गया था उसमें से २१ लाख रुपया वसूल नहीं हो सका । जहां तक मारकेट बनाने की योजना की गई थी, उसमें कुछ सफलता जरूर मिली है । जब गांव सभाओं को रुपया देते हैं और इस साल भी १४ लाख रुपया देने जा रहे हैं, ऋण के रूप में । जिन योजनाओं के लिये गांव सभाओं को ऋण के रूप में देना है । उनके लिये सोचना होगा और योजनाओं की तीन स्थितियों पर ध्यान देना होगा । वह योजना कैसी है, क्या सफलता प्राप्त कर सकती है, जो गांवों की आवश्यकतायें उनके अनुसार वह प्रोजेक्ट बनाया गया है या नहीं और उसके सफल होने की पृष्ठभूमि है या नहीं । इसके साथ ही साथ उनके पूरा करने के उत्तरदायित्व को भी देखना होगा । अगर इनके पूरे करने का उत्तरदायित्व गांव सभाओं पर छोड़ दिया जाय और सरकारी अधिकारी केवल ऋण देने के लिये रहें तो ठीक नहीं होगा । अधिकारियों का कर्त्तव्य यह भी होगा कि जिन विशेष उद्देश्यों को लेकर यह योजना बनाई गई है वह सफल हो रही है या नहीं । इसका भी उत्तरदात्वि अधिकारियों पर छोड़ना होगा ।

इस साल २८ लाख में से १४ लाख रुपये देने के लिये सोच रहे हैं इतना रुपया देने जा रहे हैं । मैं अर्ज करूंगा कि पुरानी योजनाओं का मूल्यांकन किया जाय । यह भी देखने की जरूरत है कि ऐसी कौन योजना है जिनको नया कहा जा सकता है । इस बात की आवश्यकता है कि इन नई योजनाओं का मूल्यांकन किया जाय और ऐसा न हो कि योजनाओं के अन्त होने पर उनका मूल्यांकन किया जाय बल्कि योजनाओं के चालू करने से पहले उनका मूल्यांकन किया जाय । यह भी देखा जाय कि जो ये हमारी योजनायें चल रही हैं वे क्या ऐसी संपत्ति गांवों में पैदा कर सकती हैं जिससे गांव सभायें अपना काम आगे बढ़ा सकें । इतनी ही बातें इस अनुदान के संबंध में हमें कहनी है ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और आपके द्वारा कहना चाहता हूं और वह विनियोजन से संबंधित है । वह क्षेत्र के असंतुलन से संबंध रखती है । हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है और इसमें क्षेत्रीय असंतुलन है । क्षेत्रीय असंतुलन को हम कभी-कभी संज्ञा देते हैं कि यह पिछड़ा हुआ है और जब एक भूभाग को हम पिछड़ा हुआ कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि यह पिछड़े हुआ नहीं है । लेकिन किसी बिलगाव की भावना से हम इस बात को नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि हमारा उद्देश्य यह है कि संभवतः हम इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं स्वचालित नहीं बना सकते जब तक जो पिछड़े हुए भूभाग हैं उनको उठाकर उसी स्तर पर नहीं ला देते जिस स्तर पर दूसरे भूभाग हैं । अगर हम उन आकड़ों को मानते हैं तो जनसंख्या का घनत्व एक लक्षण माना जा सकता है । प्रति व्यक्ति कृषि का कितना उत्पादन है यह भी एक लक्षण माना जा सकता है । कृषि पर कितना बोझ है यह भी एक लक्षण माना जा सकता है । किस अंचल में कितनी चिकित्सा की शैय्यायें उपलब्ध है, यह भी एक लक्षण माना जा सकता है । इस प्रकार अगर आर्थिक दृष्टि से निवेदन करें तो जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जहां पर आगे उठने की बात कहते हैं, उसको जाने के लिये ११ इन्डिकेटर्स हैं जिनकी हमने चर्चा की है । ये लक्षण जिस भूभाग में अधिक से अधिक पाये जाते हैं मानना पड़ेगा कि वह भूभाग पिछड़ा हुआ है । इस प्रदेश को पांच भागों में बांटते हैं । और हमारा बांटा हुआ नहीं है । जब कि योजनायें तैयार कर रहे थे तब बांटा था । पूर्वी जिले १५, बुन्देलखण्ड में ४ जिले, पहाड़ में ९ और १८ जिले पश्चिम में है, और बाकी मध्य में हैं । पूर्वी जिलों में ११ लक्षणों में दस लक्षण पिछड़ेपन के हैं । हम आंकड़े देने के लिये तैयार हैं कि जिन आंकड़ों के आधार पर पूर्वी जिले पिछड़े हुए हैं । सबसे पिछड़े पूर्वी जिले हैं । उसके बाद बुन्देलखण्ड, तीसरे नम्बर पर पर्वतीय, चौथे नंबर पर मध्य के जिले और पांचवें नम्बर पर पश्चिमी जिले आते हैं । जो ११ आर्थिक

और सामाजिक लक्षण हैं उन्हीं के आधार पर हम इस बात को रख रहे हैं। उन आंकड़ों को अगर आप आधार बनाते हैं तो पूर्वी जिलों में जो सब से बड़ी कठिनाई है वह जनसंख्या बाहुल्य की है। १९६९ में जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार वहां साढ़े तीन करोड़ आबादी हो गयी है। मानना पड़ेगा कि पूर्वी जिले में जनसंख्या का बाहुल्य है और बुन्देलखण्ड में भूमि बाहुल्य है, परन्तु फिर भी वह पिछड़ा हुआ है। जो हम नियोजन करेंगे उसमें देखना होगा कि पूर्वी जिले बहु संख्यक हैं, तो किस प्रकार की योजना वहां के लिये बनाई जाय। बुन्देलखण्ड में जमीन उपलब्ध है, आदमी कम हैं तो किस प्रकार की योजना बनाई जाय।

पहाड़ी जिलों में दोनों बातें हैं, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मनुष्य भी कम हैं और कृषि कर्मकार के पास जमीन भी बहुत कम है यद्यपि जमीन का वहां पर बाहुल्य है और ज्यादा पैसा खर्च करें तो अच्छा बना सकते हैं। इस वर्ष ४४ करोड़ रुपया चाहे राजस्व लेखा से हो, चाहे पूंजी लेखा की लागत से हो या ऋण के रूप में हो, खर्च करने जा रहे हैं। उसमें नई मदें भी हैं। नयी मदों को घिसीपिटी योजनाओं के आधार पर नहीं रखना चाहिये बल्कि इस दृष्टि से सोचना चाहिये कि पूर्वी जिलों में क्या आवश्यकता है। बुन्देलखण्ड में सिंचाई का अधिक से अधिक हमको प्रबन्ध करना होगा, पर्वतीय क्षेत्र में कैपिटल इंटेंसिव काम हमें शुरू करना होगा। नई मदें जो हमारे सामने आई हैं, वह ४४ करोड़ रुपय की नई मदें हैं, लकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वे इन समस्याओं का हल नहीं निकाल सकती, क्योंकि उस दृष्टि से यह बनाई नहीं गई हैं जिनका मैंने यहां पर जिक्र किया है। इस योजना में करीब २०० करोड़ रुपया पूर्वी जिलों में खर्च किया जा रहा है, क्या वह इस दृष्टि से किया जा रहा है कि उससे वहां की जनसंख्या की समस्या हल हो जायगी? जो बुन्देलखण्ड के लिये योजना बनाई गई है, क्या उससे वहां की सिंचाई की समस्या दूर हो जायगी? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये यदि जनसंख्या बाहुल्य को ध्यान में रख कर योजनायें बनाई जायं तो हम समझ सकते हैं कि यह पिछड़ा हुआ भाग उठ सकता है और जब उठेगा और साथ आ जायगा तभी उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ बन सकेगी।

श्री मुहम्मद नबी (जिला बस्ती)—

सदरे मोहतरम, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। मेरा कटौती का प्रस्ताव यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रस्ताव तो उपस्थित हो चका है, आप विषय पर बोलिये।

श्री मुहम्मद नबी—

मैं अपने इस प्रस्ताव के समर्थन में थोड़े से सुझाव देना चाहता हूं। लगभग २०–२२ वर्षों से नियोजन विभाग का निर्माण किया गया है। इस विभाग के कायम करने का मकसद सरकार का यह था कि इस विभाग द्वारा प्रदेश की गरीबी दूर की जाय और हमारा प्रदेश तरक्की के रास्ते पर चल कर तरक्की के जीने पर पहुंचे। इस विभाग द्वारा सरकार ने गांव-गांव में पंचायतों का निर्माण किया। पंचायतों को मजबूत करने के लिए सदस्यों और प्रधानों का चुनाव कराया गया। ब्लाक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख आदि का भी चुनाव हुआ। जिले स्तर पर ब्लाकों द्वारा जिले का बटवारा किया गया। ब्लाकों में खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, ए० डी० ओ० पशुपालन/ए० डी० ओ० डब्लू०/ग्राम सेवक/ग्राम सेविकायें/लिपिक आदि की नियुक्तियां की गयीं। उनके हाथ में क्षेत्र को तरक्की पर ले जाने के लिए अख्तियार सौंपे गये। कार्य प्रगति के लिए उन्हें हर प्रकार का साधन कार्यालय, क्वार्टर, जीप, पेट्रोल आदि दिये गये। कार्य प्रगति के लिए उनके द्वारा सरकार ने ऋण देने की व्यवस्था की। गांव सभाओं को गांव की तरक्की के लिए अनुदान का रुपया दिया गया ताकि इन सब

[श्री मुहम्मद नबी]

साधनों द्वारा देहातों की तरक्की हो। लेकिन अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि जिस प्रकार से गांव की तरक्की होनी चाहिये थी, नहीं हो सकी। मैं भी ५ साल तक ब्लाक प्रमुख के पद पर रह चुका हूं। मैंने विकास कार्यों में जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं उसे स्वयं देखा है सब से बड़ी कठिनाई तो यह सामने आई कि आफीशियल और नानआफीशियल का संघर्ष, इस संघर्ष से विकास कार्यों में काफी बाधायें उत्पन्न हुईं और इससे प्रदेश की तरक्की में एक घास रुकावट हुई। सरकार को इस पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिये। गांव सभाओं को जो अनुदान दिये गये, उसे उन्हें सही मानों में खर्च करने का अवसर नहीं मिला, अधिकारियों ने सिर्फ लक्ष्य की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए अपने नाजायज दबाव व सुझाव से पैसे का दुरुपयोग किया। इस संबंध में बहुत से मामलात को मैंने स्वयं जांच की है और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध रिमार्क भी दिये गये।

खेती की तरक्की करने के लिये खास तौर से यह विभाग कायम किया गया है। इस विभाग द्वारा अच्छी खाद, अच्छे बीज, कृषि यंत्र आदि साधन किसानों के पास पहुंचाने के लिए सरकार ने व्यवस्था की। उपरोक्त संबंध में ब्लाक अधिकारियों को हर प्रकार से अख्तियारात सौंपे गये ताकि इन साधनों द्वारा देहातों को तरक्की के रास्ते पर ले जाया जाये। मैं अपने जिला बस्ती का एक वाकिया आप के सामने रखना चाहता हूं, वाकिया यह है कि अभी-अभी हाल में लगभग १५-२० आदमी बहादुरपुर ब्लाक के मेरे सामने आये और उन सबों ने बतलाया कि हम लोगों से खाद और बीज का फर्जी रुपया वसूला जा रहा है। हम लोगों में से किसी ने एक बोरी, किसी ने तीन बोरियां या किसी ने पांच बोरी, किसी ने १० बोरी खाद ली है। परन्तु उसके विपरीत दस के बजाय १५, ३ के बजाये ५, १ के बजाये १० बोरियों की कीमत फर्जी तौर से वसूली जा रही है। एक आदमी ने बताया कि मैंने केवल १० बोरी खाद ली थी। परन्तु मुझ से फर्जी तौर से बान्ड पर दस्तखत कराये गये और ११ सौ ४५ रुपया मुझ से कर्जा वसूला गया। ब्लाक अधिकारी तथा जिला नियोजन अधिकारी, बस्ती को मैंने दरख्वास्तें दीं परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। चुनान्चे मैंने उपरोक्त शिकायतो के आधार पर स्वयं एक रिपोर्ट जिला नियोजन अधिकारी, जिला बस्ती को दिया और जिला नियोजन अधिकारी, बस्ती उसकी जांच कर रहे हैं। मैंने उनसे कल पूछा भी था कि इस जांच का परिणाम क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि अभी जांच हो रही है। उपरोक्त व्यक्तियों के गलत तौर से कर्जे के वसूली के संबंध में बैल तथा ट्यूबवेल तक भी कुर्क करा लिये गये हैं। इस विषय में संबंधित व्यक्तियों ने ब्लाक कर्मचारियों से शिकायतें भी कीं ब्लाक कर्मचारियों ने स्वीकार किया और यह कहा कि गल्ती हो गयी है पैसा वापस कर दिया जायेगा। लेकिन अभी तक कोई खास फैसला न हो पाया इस तौर तरीके पर सरकार का मकसद तथा लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। देश और प्रदेश की उन्नति में इस प्रकार की बाधायें उत्पन्न हो कर रुकावटें डालती हैं। इस विभाग के अधिकारियों का दुर्व्यवहार जनता के साथ अन्तिम दर्जे तक पहुंच चुका है।

ब्लाक अधिकारी ए० डी० ओ० पंचायत की ड्यूटी है कि वह अपना प्रोग्राम निश्चित करे और अपने दौरे प्रोग्राम के अनुसार गांव में जायें और लोगों को एकत्रित करके नयी नयी बातों से किसानों को अवगत करायें। लेकिन उन अधिकारियों के लिए इलाके का देखना ही दूर की बात है। यह लोग अपने हेड क्वार्टर्स को छोड़ना और गांव सभाओं में जाना गवारा नहीं करते। हर पन्द्रहवें दिन मीटिंग होती है। बैठे बैठाये कागजी घोड़े दौड़ा दिये जाते हैं। वास्तव में कोई काम धाम नहीं होता। मैं अपने ब्लाक का एक वाकिया और बताना चाहता हूं। मेरे ब्लाक में एक स्टोर कीपर लगभग ४,००० कुछ रुपयों की खाद लेकर बस्ती से आ रहे थे और रास्ते में ही उन्होंने ज्यादा दाम लेकर बेंच डाला। जिसके ऊपर पुलिस में मुकदमा कायम कराया गया। वह सस्पेंड किये गये। इन्क्वायरी हुई। मुकदमा चलता रहा, मुकदमे का क्या फैसला हुआ उसके प्रति मुझे सही जानकारी नहीं है। इन सभी बातों के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि नियोजन विभाग संबंधित अधिकारियों में जो इस प्रकार की कमियां हैं उन को दूर करने की व्यवस्था करे की जाय और उन पर कड़ी नजर रखी जाये

अन्यथा प्रदेश सही तौर से तरक्की नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त मेरा एक सुझाव और है कि पंचायतों के चुनाव के समय पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाती है, चुनाव के शुरू होने से और चुनाव के खत्म होने तक इस बीच मुदद्दिद अंचलों से जो खबरें मिलती रहती हैं, वह इस प्रकार की होती है कि चुनाव के कारण आपस में मारपीट, झगड़ा फसाद, फौजदारी, कत्ल तक की नौबत आ जाती है। इससे गांव में आपसी मेल-मिलाप और इत्तफाक में फर्क पड़ जाता है। इससे भी गांव की तरक्की पर एक बहुत बड़ा बुरा असर पड़ता है। इसके लिये सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जिससे आपस के नापाक झगड़े न हो सकें और सही तरीके से चुनाव की कार्यवाही हो सके।

मैं इन शब्दों के साथ अपने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा कृतज्ञ हूं कि आप की कृपा से मुझे कुछ कहने का मौका मिला है। सब से पहले मैं अपने प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आज जो मांग प्रस्तुत है नियोजन विभाग की, उस विभाग को एक ऐसे कुशल हाथों में सौंपा है जिस पर प्रदेश की निगाह लगी हुई है। इस आशा और विश्वास के साथ नियोजन मन्त्री द्वारा प्रस्तुत मांग का समर्थन करता हूं कि इससे प्रदेश की आवश्यकता पूरी होगी। इसक साथ-साथ म कुछ सुझाव प्रस्तुत करना अपना पुनीत कर्तव्य मानता हूं।

इस सरकार से पहले प्रदेश के अवधखंड के विधायकों ने आपस में मिल कर एक सभा की थी और उस सभा में उन्होंने प्रदेश के शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि हमारे प्रदेश में आये दिन खंडों की बात की जाती है और उनके संबंध में समय समय पर विचार किया जाता है। हमारे प्रदेश में उत्तराखंड से लेकर बुन्देलखंड, रूहेलखंड, पूर्वी जिले तथा पच्छिमी जिलों की मांग की हमेशा आवाज उठाई गई और उनके ऊपर ध्यान दिया गया लेकिन लखनऊ और फैजाबाद कमिश्नरी के वे १२ जिले जिनको अवध के नाम से पुकारते हैं उनकी समस्याओं का प्रश्न ज्यों का त्यों बना हुआ है, और उन समस्याओं पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। यह बड़ी शोचनीय स्थिति है।

इन्हीं जिलों में एक जिला उन्नाव है जिसकी करुण कहानी मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। तीन पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो गयीं। चौथी योजना का प्रारूप इस समय इस सदन के विचाराधीन है। यदि आप पिछली पंचवर्षीय योजना के आंकड़ों को देखने की कृपा करें और प्रत्येक मद पर विचार करें तो आप पायेंगे कि किसी भी एक मद में उन्नाव जिले में कोई कार्य नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह अनुभव करता हूं कि यह उन्नाव ही सम्भवतः ऐसा बदकिस्मत जिला है जिसके एक तरफ देश का बहुत बड़ा औद्योगिक नगर कानपुर बसा है और दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ स्थित है। बड़े बरगद के दो पेड़ों के नीचे जो छोटे पेड़ की स्थिति हुआ करती है सम्भवतः यही उन्नाव के भाग्य के साथ हो रहा है।

आप विचार कर के देखें तो आश्चर्य को भी आश्चर्य होगा कि हमारे जिले में एक भी सरकारी ट्यूबवेल नहीं है। हमारे प्रदेश के लायक इंजीनियरों ने यह घोषणा कर दी कि उन्नाव जिले में ट्यूबवेल बनाने की स्थिति नहीं है जबकि हमारे जिले में प्राइवेट ट्यूबवेलों की सैकड़ों की संख्या है और वे बराबर पानी दे रहे हैं। मुझे पता नहीं कि उन्नाव की उपेक्षा के लिए यह राय थी या इसमें कुछ सत्यता भी थी। तो अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में विचार किया जाय और जो कुछ हो चुका वह हो चुका। नमूने के तौर पर, परीक्षण के तौर पर चार सरकारी ट्यूबवेल्स तत्काल बनाये जायं जिस से यह सिद्ध हो जाय कि उन्नाव में सरकारी ट्यूबवेल्स बन सकते हैं।

[श्री गोपीनाथ दीक्षित]

हमारे प्रदेश में कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई और बिजली की ओर कुछ ध्यान दिया गया है। लेकिन यह कितनी विडम्बना की बात है कि शासन द्वारा जो योजना बनी उसमें उन्नाव जिले में बिजली की कोई योजना ही नहीं है। यदि आप समाचार और आंकड़े देखें तो लगभग एक हजार प्राइवेट टयूबेवल इस तरह के बने हुए पड़े हैं जो बिजली के अभाव में, कनेक्शन न मिलने के कारण बेकार हैं और उनसे काम नहीं हो रहा है, बराबर बिजली विभाग के अधिकारी कनेक्शन देने के लिये किसानों को परेशान कर रहे हैं। यह मान्यवर बिजली की स्थिति है।

यदि आप स्वास्थ्य और चिकित्सा की मद को देखें तो उन्नाव शहर में जो एक अस्पताल है उसकी हालत यह है कि उसमें जानवरों की चिकित्सा होने की भी स्थिति नहीं है। रेलवे के किनारे छोटे-छोटे बैरकों में मरीजों को रखने का प्रबन्ध किया जा रहा है। अभी वहां समस्या यह है कि अगर भवन बनवाया जाय तो कहां बनवाया जाय। केवल इसलिये वहां का सदर अस्पताल बन नहीं पा रहा है। दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी अस्पतालों की बड़ी न्यूनता है। पिछले दिनों में केवल एक आयुर्वेदिक अस्पताल अ ग ग्राम में खोला गया था। लेकिन उसके लिये भी न कोई भवन है और न दवाइयों की व्यवस्था है। कभी-कभी डाक्टर पहुंच जाते हैं और इस तरह से मनमाने ढंग से वहां की व्यवस्था चल रही है।

श्रीमन्, शिक्षा की ओर विचार करें तो प्रदेशीय स्तर पर जो कुछ भी शिक्षा के लिये कार्य हो रहे हैं उसमें माध्यमिक विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जो चिन्ता का विषय है। शिक्षा विभाग में बड़े-बड़े पदों में वेतन बढ़ोतरी होती रही लेकिन चौथी श्रेणी के विद्यालय के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिये कोई विचार नहीं किया गया। अब जो प्रश्न रखा गया है उसमें शिक्षा मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि उनकी मांगें विचाराधीन हैं लेकिन आजादी के बाद यदि एक बार भी उनकी मांगें कार्यान्वित की गयी होतीं, उनकी वेतन वृद्धि हुई होती, तो उन्हें संतोष होता कि अब जो मांगें विचाराधीन हैं उनका कोई आशाप्रद हल निकलेगा।

उन्नाव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में एक भी कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल नहीं है। केवल सदर उन्नाव में एक राजकीय कन्या इन्टर कालेज है। लेकिन उसकी जो दुर्गति है वह सदन में बयान करने लायक नहीं है। उसमें कन्याओं को पढ़ाया जा सकता है या नहीं, उस विद्यालय में उन को भेजना चाहिये या नहीं, यह सोचने की बात है। वहां केवल टीन शेड है। लड़कियां पढ़ती हैं लेकिन वहां भवन नहीं है और न आने-जाने के साधन हैं। अत्यन्त ही हीन व्यवस्था उस विद्यालय की है।

श्रीमन्, उन्नाव जिले में सड़कों की समस्या पर यदि आप विचार करें तो प्रदेश में चाहे नागपुर योजना लागू की गई हो या बम्बई योजना लागू की गई हो और सड़कें बनाई गई हों लेकिन हम तो यह समझते हैं कि हमारे जिले में पी० डब्लू० डी० के इंजीनियर ही अपनी योजना चला रहे हैं जिसके अनुसार वहां पर सड़कें बनाई गई हैं, वहां पर एक भी सड़क नहीं बनी है केवल एक पी० डब्लू० डी० की सड़क है जिसे आप चाहे आजादी के पहले की बनी मान लें। चन्द्र शेखर आजाद मार्ग केवल तीन मील की सड़क है वह नहीं बनी है और बांगरमऊ से सण्डीला जाने वाली सड़क पर विचार नहीं किया गया है।

श्रीमन्, उद्योग की दृष्टि से अगर आप सोचें तो इस विषय में भी आप देखेंगे कि उन्नाव जिला अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। मेरा आप से अनुरोध है कि केवल दो मिनट का समय आप और दें ताकि काफी अर्से के बाद जो मौका मिला है मैं अपनी बात आपके सामने उपस्थित कर सकूं। मेरी श्रीमन्, आप से प्रार्थना है कि उन्नाव के भविष्य को सुन्दर बनाने के लिये वहां पर तत्काल ही एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाय और उसकी स्थापना की जाय जो उन्नाव से लेकर गंगा घाट तक पड़े हुये भूखण्ड को विकसित कर सके और वहां जिस तरह से दिल्ली से गाजियाबाद तक एक इंडस्ट्रियल बेल्ट डेवलप किया गया है उसी तरह उन्नाव में किया जाय। इससे उन्नाव के

विकास में और वहां जरायम कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। इस वक्त तो उन्नाव जरायम के लिये बहुत ही बदनाम है। अगर इसको जरायम के गढ़े से निकालना है तो वहां आप को कॉटेज इंडस्ट्रीज का विस्तार करना होगा और गांवों में खादी व ग्राम उद्योग कमीशन द्वारा संचालित उद्योगों को बढ़ाना होगा। यदि हमारी प्रदेश सरकार इस बात का संकल्प करे कि नये लायसेंस उद्योगों को दिये जाने पर अवध के पिछड़े हुए जिलों को दिये जायें तो यह समस्या हल हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से उद्योग मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस दिशा में विचार करें और हमारे प्रदेश में जो सब से अधिक मूंगफली का उपजाऊ क्षेत्र बांगरमऊ है उसका उपयोग करने के लिये वहां पर बिस्कुट और डाल्डा फैक्टरी लगाने के सम्बन्ध में विचार करें।

श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे सुअवसर प्रदान किया है कि कटौती के समर्थन में जो प्रस्ताव पेश हुये हैं उसके सम्बन्ध में मैं भी अपने विचार रख सकूं। कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो विचार रखे गये हैं मैं उनसे सहमत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्व प्रथम मंत्री महोदय का ध्यान प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं की ओर ले जाना चाहूंगा जिससे कि वह मेरे जिले की स्थिति को देख सकें और मैं स्वयं भी इस सदन के माध्यम से उन योजनाओं के परिणामों को रख सकता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बजट के अन्दर और योजनाओं द्वारा जो मैं अपने जिले की स्थिति देखता हूं तो उससे मुझे बहुत निराशा होती है, मैं उसका बयान शब्दों में नहीं कर सकता। मैं इस बात को आंकड़ों द्वारा आप के सामने रख सकता हूं। इन योजनाओं में हमारे जिले की स्थिति का कोई ध्यान नहीं रखा गया और लगातार पिछली तीन योजनाओं में हमारे जिले की अवहेलना हो रही है और चौथी योजना में भी मेरे जिले की अवहेलना की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्व प्रथम रामपुर जिले में कृषि और सिंचाई की व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे जिले में पिछले पन्द्रह वर्षों में तीन योजनाओं के अन्दर केवल २० प्रतिशत भूमि पर सिंचाई का प्रबन्ध हो सका है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था की गई है वह भी व्यक्तिगत रूप से अधिक की गई है और सरकार की ओर से इस बारे में कोई विशेष प्रबन्ध नहीं है। मैं यह देख रहा हूं कि भूमि को सिंचाई के साधनों द्वारा उपजाऊ करने की व्यवस्था न कर के कितना बड़ा अत्याचार मेरे जिले के साथ किया जा रहा है। कोसी नदी पर नैनीताल जिले में १९६१–६२ में बांध बनाया गया है। पहले गर्मियों में कोसी नदी में पानी आता था लेकिन अब वह पानी आना बन्द हो गया है। क्योंकि बांध द्वारा पानी रोक कर नैनीताल एवं मुरादाबाद जिलों को सींचा जा रहा है। जो कोसी की सहायक नदियां हैं उससे सिंचाई की जा सकती थी लेकिन वह सब का सब इलाका गर्मियों में अब एक एक बूंद पानी के लिये तरस गया है।

यह हमारी सरकार की नीति है कि एक ओर बांध बनाते हैं और उसका दूसरी ओर क्या असर पड़ता है यह हमारी समझ में नहीं आता है। इस प्रकार मैं आप से यह निवेदन कर रहा हूं कि मेरे माध्यम से मंत्री महोदय यह देखें कि इस प्रकार अवहेलना करते हुए लगातार १५ वर्ष गुजर चुके हैं और अगली पंचवर्षीय योजना में भी इसी प्रकार अवहेलना की गई है। सिंचाई के पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान शिक्षा की ओर दिलाना चाहूंगा। रामपुर जिला पहले स्टेट थी और यह उसके बाद गवर्नमेंट आफ इंडिया में मर्ज होने के पश्चात् जिले के रूप में आया। यहां पर शिक्षा पहले भी बहुत कम थी। वहां पर १९५०–५१ में केवल १० प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित थे और १८ वर्ष के पश्चात् अब वहां केवल १७.५० प्रतिशत लोग शिक्षित हो पाये हैं यानी केवल साढ़े सात प्रतिशत शिक्षित वर्ग बढ़ पाया है। इससे स्पष्ट होता है कि इस जिले की लगातार अवहेलना हुई है। वहां मेरे क्षेत्र में (स्वार) और टांडा गांव पन्द्रह और बीस हजार की आबादी के हैं लेकिन वहां एक भी हाई स्कूल नहीं है। केवल

[श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा]

जूनियर हाई स्कूल हैं। वहां पर तहसील हेडक्वार्टर है, सिविल हास्पिटल है, वेटरनिरी हास्पिटल है, ब्लाकि है और बहुत से आफिसर्स हैं जिनके बच्चे लगातार परेशान होते हैं और हमारे पास एप्रोच करते हैं कि आप सरकार का ध्यान इस ओर दिलाइये लेकिन सरकार का ध्यान किंचित् इस ओर नहीं जा रहा है। उद्योगीकरण के बारे में यह है कि शुरू में इस जिले में कई उद्योग थे। शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, रामपुर इंडस्ट्री, मेज फैक्ट्री और मैच फैक्ट्री थी लेकिन उनका भी अब विनाश हो रहा है, जबकि हमारे पड़ोस के जिले बरेली और मुरादाबाद में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में उद्योगीकरण बढ़ रहा है। अब वहां सिर्फ एक शुगर की और एक टैक्सटाइल की इंडस्ट्री रह गई है। इसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की दोनों की नीति एक सी चल रही है और अगर लगातार यही नीति रही तो शायद इसके खिलाफ कोई आन्दोलन आदि का कदम न उठाना पड़े जिसमें रामपुर के सभी विधायक एवं जनता एक साथ हैं। कुछ दिन पूर्व कांग्रेस के सदस्य, सरदार चंचल सिंह ने भी इस ओर ध्यान दिलाया था। मैं केवल अपोजीशन के सदस्य के नाते ही नहीं कह रहा हूं, शासन वर्ग के सदस्यों ने भी इस ओर ध्यान दिलाया था सरकार का।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से, प्लानिंग विभाग की ओर से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है वह केवल १३ किलोमीटर है जो बहुत ही दयनीय है। एक वर्ष में दो किलोमीटर का एवरेज आता है। रामपुर डिस्ट्रिक्ट इस वक्त फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में जो (यू० पी०) के टाप के जिले हैं उनमें से एक है लेकिन सरकार की ओर से कोई फेसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। जब कि उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिये, लगातार उसकी अवहेलना ही की जा रही है। सड़कों की स्थिति यह है कि छोटे किसान और फारमर्स मेन सड़क पर नहीं पहुंच सकते हैं। कुछ क्षेत्र तो इस प्रकार के हैं कि जहां इन दिनों आइलैन्ड (टापू) बन जाता है और शहर आने के लिये लोगों को पानी से हो कर आना पड़ता है। बैलगाड़ी और मोटर नहीं चल सकतीं। मैं इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, आप का ध्यान प्रशासनिक अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। पिछले दिनों डेढ़ महीने पूर्व हमारे यहां के डी० पी० ओ०, श्री आर० के० श्रीवास्तव का ट्रांसफर हुआ और उनकी जगह नये डी० पी० ओ० आ गये और वह अर्थात् पुराने डी० पी० ओ० रामपुर में ही बैठे हैं और अभी-अभी पता चला है कि उनका भी ट्रांसफर तीन-चार दिन पूर्व हो गया है। इस प्रकार से प्रशासन चल रहा है। एक ही स्थान पर दो-दो अधिकारियो को बिना किसी कार्य के रोक कर वेतन दिया जा रहा है। इस समय मंत्री महोदय, श्री तिवारी जी नहीं हैं, मैं उनका आदर करता हूं, योग्य एवं कर्मशील व्यक्ति हैं लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे भी इवेल्यूएशन कमेटी के चेयरमैन थे १९६७ तक। उन्होंने उस कमेटी से त्याग-पत्र दे दिया। त्याग पत्र का कारण, धन का इस कमेटी पर अपव्यय है इसलिये इस कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं। एस० वी० डी० ने इस कमेटी को माननीय तिवारी जी के कहने पर भंग कर दिया। फिर उस कमेटी का माननीय तिवारी जी के हाथों में दोबारा निर्माण हुआ। जिसके श्री नवलकिशोर जी चेयरमैन बनाये गये। इस प्रकार की प्रशासनिक अनियमिततायें लगातार बढ़ रही हैं और इसी कारण हमारी प्लानिंग फेल हो रही है। मैं आपका ध्यान चौथी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों की तरफ ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, प्रथम उद्देश्य हमारी सरकार का इस योजना के प्रति यह है कि ८—१० प्रतिशत की वृद्धि उद्योगों के द्वारा हो। दूसरी और तीसरी योजना में मुख्य रूप से औद्योगीकरण की वृद्धि ही सरकार द्वारा निर्धारित थी और उसी पर अधिक व्यय किया गया था। लेकिन वास्तव में ४.७ प्रतिशत से अधिक वृद्धि देखने में नहीं आयी। इस प्रकार से मैं कहूंगा कि यह सारी जनता को मूर्ख बनाने की बात है और इसमें कुछ नहीं है। प्रत्येक वर्ष ६.९ प्रतिशत खाद्यान्नों में उत्पादन की वृद्धि की संभावना दिखलायी गई है लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि कोई अलादीन का चिराग नहीं है जिसके द्वारा एकदम से इतनी वृद्धि हो जायेगी। रामगंगा नदी परियोजना पर ४५ करोड़ रुपये व्यय हो चुका लेकिन अभी हम इसकी बीच धारा में ही चल रहे हैं और इस पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भी हम शायद पूर्ण

अवस्था में न पहुंचे। मैं आपसे बतलाना चाहता हूं कि कि वहां पर जो आपका रामगंगा पावर स्टेशन बन रहा है, हमारी सरकार की कमजोरी के कारण हैवी इलेक्ट्रिकल्स, में यहां पर भोपाल में भारी भारी मशीनें (रामगंगा परियोजना) के लिये बन रही हैं। प्लानिंग कमीशन द्वारा गुजरात और दूसरी स्टेटों में चल रही है यहां पर इसी प्रकार की स्कीमें वह प्रदेश हैवी इलेक्ट्रिकल्स भोपाल द्वारा जल्दी मशीन बनवाने में समर्थ हैं। जिस पर हमारी सरकार का बिलकुल ही ध्यान नहीं। इसी तरह से इर्रीगेशन की बहुत सी मशीनें पड़ी हैं जो स्पेयर पार्ट्स न होने के कारण सही कार्य नहीं कर सकतीं। उसका कारण यह है कि सही वे में फारेन एक्सचेंज नहीं मिलता है और लगातार डिले हो रही है। और रामगंगा पावर स्टेशन चले तो इससे ४ करोड़ रुपये की वार्षिक आमदनी हो सकती है। लेकिन सरकार की इस ओर कोई उत्सुकता नहीं दीख पड़ती।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

श्रीमन्, दो मिनट और समय दे दें। रोजगार के सिलसिले में हमारी सरकार ने विशेष रूप से यह कहा है कि हम अधिक से अधिक आदमियों को रोजगार देंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि जब औद्योगीकरण पहले से घटा है तो रोजगार हम कैसे अधिक से अधिक आदमियों को दिलवाने में सफल हो सकेंगे। इसका एक स्पष्ट एक्जाम्पिल मैं आपको दे दूं कि राजकीय काशकीय सूक्ष्म यंत्र निर्माण शाला का निर्माण ५० लाख रुपये से कराया गया और आज यह फैक्ट्री २ वर्ष से बन्द पड़ी है। लेकिन इसके द्वारा जो विद्यार्थी शिक्षित किये गये हैं वे भी जगह-जगह धक्के खाते हैं। इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार से न जाने कितनी ही योजनायें पूरे प्रदेश के अन्दर ऐसी ही चल रही हैं, जिन पर लाखों रुपये अधूरी योजनाओं पर व्यय किये जा रहे हैं जिससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। जिसके फलस्वरूप जनता को करों द्वारा लूटा जाता है। हमारी योजनाओं के सफल न होने का कारण सरकार द्वारा प्रशासनिक अनियमिततायें हैं। इसके अलावा एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

मान्यवर, योजना के अन्तर्गत प्राइस कंट्रोल और क्वालिटी कंट्रोल की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है लेकिन सरकार ने उसकी तरफ बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया है। सन् ६०-६१ में प्रति व्यक्ति आय जहां २४६ रु० थी वहां सन् १९६७-६८ में २४७ रु० है जो कि नगण्य है, इससे स्पष्ट होता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में हम प्रवेश कर रहे हैं लेकिन योजना की सारी बातें ढकोसलेबाजी की हैं। यह बात भी पिछली तीन योजनाओं के आधार पर कह सकता हूं। क्योंकि रामपुर की स्थिति से स्पष्ट है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मदन मोहन मिश्र (जिला रायबरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया है। मैं नियोजन के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, एक नौजवान बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति को नियोजन विभाग का मंत्री बनाया गया है। मैं महसूस करता हूं कि हमारे इन नियोजन मंत्री में आभा है, विद्वता है और भावना है जन-जन के और गरीबों के उत्थान की, प्रदेश के उत्थान की। कुछ बातें हैं जिनके संबंध में मैं अपने सुझाव देना चाहता हूं। पिछले दिनों जो अनुभव हुए हैं उनके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि बावजूद

[श्री मदन मोहन मिश्र]

इसके कि सरकार की ओर से प्रयास किया गया कि हमारे गांवों का विकास हो, गरीब और खा किसान उन्नति कर सके, सर्वांगीण उन्नति हो, लेकिन आकांक्षाओं के अनुरूप उन्नति नहीं हो सकी, इसके बहुत से कारण हैं। मैं सब बातें नहीं कहूंगा, लकिन दो-एक बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

प्लान बनाया जाता है, लेकिन वहां उन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता जिन चीजों का जन-जीवन के सर्वांगीण विकास से संबंध होता है और जिससे सीमित साधनों में अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। इसके कारण हमारा प्लान जिन आकांक्षाओं और आशाओं को लेकर चलता है, उसमें हम सफल नहीं हो पाते हैं। प्लान तो बने लेकिन अपेक्षित लाभ तो हमको अब तक हुआ ही नहीं। योजना में थ्योरी अधिक रहती है, लेकिन प्रेक्टिकल चीज उतनी नहीं होती है। अगर मैं यह कहूं तो गलत न होगा कि प्रेक्टिकल बहुत कम होता है। अधिकारियों का ज्ञान किताबी तो बहुत अधिक है। दूसरे देशों के नक्शे बहुत उनके सामने हैं। लेकिन जो भारतवर्ष की और हमारे प्रदेश की स्थिति है उसके हिसाब से, काल, समय और स्थान के हिसाब से, उनका ज्ञान सीमित है और उसके कारण जो आकांक्षाएं उनसे की जाती हैं उनके अनुरूप वह कार्य नहीं कर पाते हैं। जो पैसा योजना के लिये निर्धारित किया जाता है उसका दुरुपयोग होता है। अगर मैं यह कहूं कि अधिकारियों की भी इसमें जिम्मेदारी है तो शायद गलत न होगा। जिम्मेदारी से वह बच नहीं सकते हैं। चाहे उनके मातहत करें यानी किसी भी लेवल का आदमी कोई काम करे, लेकिन जो घर का पुरखा होता है, यानी जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है नियोजन का, वह उसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। आंख मूंदकर उसको नहीं बैठना चाहिये। सारी चीजों पर उसको नजर रखनी चाहिये। योजना को कार्यान्वित करने में जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, यदि कोई पैसे का दुरुपयोग होता है तो वह पैसा उनसे ही वसूल किया जाना चाहिये। अगर कोई योजना सफल नहीं होती और पैसे का दुरुपयोग होता है तो उसकी वसूली की जिम्मेदारी अधिकारियों की होनी चाहिये, बल्कि उन अधिकारियों से वसूल किया जाना चाहिये। तब जाकर शायद वह अधिक जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ जो अच्छे काम करने वाले कर्मचारी हों उनका प्रमोशन, उनके अच्छे कार्य के आधार पर कर दिया जाय तो उनको एक इन्सेंटिव मिलेगा, उनमें एक उल्लास आयेगा और अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। आज हालत यह है कि चाहे जितना अच्छा काम करने वाला कोई हो, लेकिन उसको कोई प्रोत्साहन नहीं है उसकी (कर्मचारी की) तनज्जुली, उसकी तरक्की, उसकी अवनति सब कुछ उसके हेड आफ दि डिपार्टमेंट की नाराजगी और मूड के ऊपर निर्भर रहती है। इसलिये मेरा आपको सुझाव है कि अगर वास्तव में नियोजन को आप सही दिशा देना चाहते हैं, जैसाकि मेरा विश्वास है, तो आपको चाहिये कि जो अच्छा काम करने वाले कार्यकर्त्ता हैं, चाहे छोटी लेविल के हों या बड़ी लेविल के, उनका प्रोमोशन होना चाहिये और उसी आधार पर उनको कोई न कोई उत्साहित करने वाले सार्टिफिकेट्स होने चाहिये, उनका किसी न किसी रूप में अप्रीशिएशन होना ही चाहिये।

युवकों के बारे में बहुत सी बातें कही गयीं। मैं तो जानता हूं कि युवकों को सरदार भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला से ज्यादा कोई प्रेरणा नहीं दे सकता है, लेकिन दुख है कि आजादी के बाद जिनकी याद सबसे ज्यादा होनी चाहिये थी पता नहीं आज उसका मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन इतना ज्याद यह जरूर कहूंगा कि उनको भुला दिया गया और रस्मी तौर पर भले ही कोई नाम ले लिये जायं, लेकिन आज शर्म लगती है उन आजादी के परवानों का नाम लेते हुए जिन्होंने अपना खून, अपना सर्वस्व, अपनी गर्दन तक इस देश के लिये दे दी। आज तो उनके नाम चल गये हैं जो सन् ४७ से खद्दर पहन कर देश भक्त बन गये हैं। मैं चाहता हूं कि हर गांव में अखाड़े खोले जायं। अगर आप चाहते हैं कि ये कामुक रंगीनियां और कामुकता भरी आदतें रुकें तो आप युवकों को दूसरी दिशा दीजिये और वह यह कि वे अपनी तन्दुरुस्ती बनायें, स्वास्थ्य बनायें। मैं मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से

आकर्षित करना चाहता हूं कि हर गांव में एक अखाड़ा होना चाहिये। आप नौजवान हैं और आप युवकों की भी बात करते हैं और आपकी भावना भी है कि उनका भला हो, वे उन्नति करें। तो उन्नति ये लैला-मजनू टाइप वाले नहीं कर सकते हैं और न देश का उनसे भला हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में प्रदेश में स्वस्थ युवक निकलें जो देश और समाज के लिये उपयोगी हों तो उनको एक नयी दिशा देनी होगी और वह यह कि गांव गांव में अखाड़े खुदवाइये और उसका खर्चा जो कुछ भी हो वह सरकार वहन करे, अपनी जेब से करे, जिस तरह से कि आप चिल्ड्रेन पार्क खोलते हैं। मैं कहता हूं कि पार्क होने चाहिए लेकिन उसके साथ-साथ अगर अखाड़े होते हैं तो आज जो अन्य खुराफातों में युवकों का ध्यान जाता है वह बाडी बिल्डिंग और स्वास्थ्यनिर्माण की ओर जायेगा और अगर वे दण्ड बैठक लगायेंगे या कसरत करेंगे तो उससे, मन, दिमाग और शरीर भी स्वस्थ्य होगा। जब सभी चीजें स्वस्थ होंगी तो विचार भी स्वस्थ होंगे। (लाल बत्ती होने पर) भगवन् मुझे तो अभी कुछ टाइम नहीं मिला। १३ दिन के बाद आपने मौका दिया है, कुछ तो बोल लेने दीजिये।

भ्रष्टाचार की बहुत-सी बातें कही गई हैं, लेकिन क्रियात्मक रूप से उसे रोकने के लिये क्या किया गया है? आज भ्रष्टाचार से बचा कौन है? पहले लोग कहते थे कि भ्रष्टाचार पुलिस में है। कुछ कहते हैं कि प्लानिंग में है। और मैं कहता हूं कि जहां-जहां भी मैं गया हूं, देखा है कि जो भ्रष्टाचार से बचे हैं उनको आप उंगलियों में गिन सकते हैं। बचा कौन है? तो इसको आपको निकालना होगा। यह ताली पीटने से या प्रसन्नता जाहिर करने से नहीं होगा। हमको अपने चरित्र में, आचरण में संकल्प लेना होगा कि हमें अपनी मातृभूमि के लिये कार्य करना है। अगर कोई भ्रटाचार करता है तो इसके मानी हैं कि वह अपनी मां के साथ दगा करता है। क्योंकि हमारी यह भारत माता है, उसको ऊपर उठाना है। अगर भारत माता ऊपर नहीं उठ सकती है तो हम किसी काबिल नहीं हो सकते और हमारा कोई उत्थान नहीं हो सकता। अतएव मैं चाहता हूं कि इसकी तरफ सरकार ध्यान दे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपका कुछ ध्यान हरिजनों की तरफ ले जाना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र राय बरेली है, उस क्षेत्र के लोहानी-पुर गांव में जगन्नाथ चमार नाम का एक हरिजन है। उसको १० वर्ष पूर्व कुआं बनवाने के लिये एक अनुदान मिला था। काफी समय बाद उसकी रिकवरी की जाती है। तहसील में उसको पकड़ कर बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम इतना रुपया दो। उसको अनुदान दिया गया था, और फिर भी उससे कहा गया कि तुम रुपया वापस करो। उसको डी० पी० ओ० के यहां से एक पत्र मिला था कि तुमने कुआं बनवाने के लिये जो अनुदान लिया था, चूंकि तुमने कुआं बनवा लिया है, इसलिये वह राइट आफ किया जाता है। बी० डी० ओ० ने उस पत्र को पढ़ कर कहा कि तुमसे रुपया नहीं मांगा जायेगा। मगर १५–२० दिन हुए तहसील वालों ने उसको पकड़ कर हवालत में बन्द कर दिया। उसके जिम्मे उन्होंने ७–८ सौ रुपया निकाला। उसको तभी छोड़ा गया जब कि दूसरे लोगों ने उस रुपये का प्रबन्ध करके जमा कर दिया। तो इस तरह से हरिजनों को सताया जा रहा है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये। स्कालरशिप्स के बारे में भी आज यही हो रही है। हरिजनों को जो स्कालरशिप्स दिये जाते हैं जब तक रिश्वत न दे दी जाये, वह प्राप्त नहीं होता और अगर दिया भी जाता है तो वह ८–८ महीने बाद दिया जाता है। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान अपने जिले की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं सेन्ट्रल यू०पी० का रहने वाला हूं। रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव आदि अवध के १२ जिले ऐसे जिले हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिये सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है, सबसे ज्यादा खून दिया है, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन १२ जिलों की तरफ, उनके विकास की ओर, बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया है। उनके विकास की ओर कभी किसी ने नहीं सोचा है। जहां तक संविद सरकार का प्रश्न है, वह तो तमाशबीनों की सरकार थी, बहुत थोड़ी समय के लिय आयी थी, मगर यह जो हमारी २० वर्ष की सरकार है उसने भी इन

[श्री मदन मोहन मिश्र]

जिलों की ओर और कोई ध्यान नहीं दिया, रुटोन वे में जो हो सका वही हुआ। आज हमारे यहां की कई सड़कें हैं, जिनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। हमारे यहा रायबरेली–फैजाबाद रोड, रायबरेली हस्तमपुर रोड, रायबरेली–परदेशपुर रोड, कुदरिया–उपरपारा–बेलागुसीसी रोड, जगतपुर–डलमऊ सलोन रोड ये ऐसी सड़कें है, जिन की तरफ सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिये। आज सभी सड़कें बड़ी दयनीय दशा में पड़ी तिलमिला रही हैं, मगर उनकी ओर किसीका ध्यान नहीं जा रहा है। मुझे आशा है, हमारे जिले की ओर जिसमें कि राना बेनी माधो सिंह अनाचार्य महाबीर प्रसाद द्विवेदी जैसे मेधावी पुरुषों ने जन्म लिया है, और जो सदा उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है, सरकार अवश्य ध्यान देगी और वह का शीघ्र विकास करेगी। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रपाल आजाद (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के संबंध में जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी जो उस पक्ष के माननीय सदस्य इस अनुदान का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने जो शब्द अपने जिले के संबंध में कहे, जिन शब्दों में जनता का दिग्दर्शन किया मैं समझता हूं सही मानी में सही तरीके से उन्होंने उसको रखा। मुझे उससे बड़ी खुशी हुई आप देखें कि नियोजन की दिशा में जो कार्य जिलों में होने चाहिये थे, किसानों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिये थीं, वह नहीं मिली। आज एक तरफ तो आप चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो, और उसके लिये आपकी तरफ से गलत आकड़े दिये जाते हैं।

(इस समय ४ बज कर ३० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जो रिपोर्ट आपकी तरफ से पेश की जाती है वह भी सही नहीं होती है। जितनी भी समितियां ग्राम स्तर पर बनती हैं और उनसे जितने कार्य की आशा की जाती है, वे उतना नहीं करती हैं। उनकी सही रिपोर्ट भी यहां नहीं रखी जाती है। अगर उनके सही आंकड़े बता दिये जायं तो भी सही स्थिति का पता चल सकता है और उसे देख कर ही हम यह कह सकते हैं कि वास्तव में प्रदेश को धोखा दिया जा रहा है। पंचायतों की जो आज दुर्दशा है वह किसी से छिपी नहीं है। आज उनकी हालत क्या है? अभी आपने देखा कि ८–८ सालों से उनका चुनाव नहीं हुआ है। उनका चुनाव और आगे बढ़ा दिया गया है। आज वहां जितनी भी पंचायतों की धांधलेगर्दी हो रही है, आज वहां जिस तरह से पट्टी भूमि बितरित हुई है। वह नियमित नहीं है। यहीं तक नहीं, न जाने कितनी तादाद में, लाखों की तादाद में जो वहां तालाबों में मछली आदि का व्यापार बन गया है उसमें घोर तरीके का भ्रष्टाचार मचा हुआ है। उस पर कोई अंकुश नहीं है और यहीं तक नहीं है। उनके द्वारा जितने भी पट्टे आदि के काम हो रहे हैं और उनके ऊपर जो अंकुश चल रहा है तहसील के स्तर पर उनमें बहुत खामियां आ गई हैं और उसमें जो भ्रष्टाचार पनप रहा है वह कहने में नहीं आ रहा है। यह हालत जिला स्तर पर पंचायतों की हो रही है। मेरा निवेदन है कि वहां शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराया जाय जो बार बार टाला जा रहा है। उस तरफ तवज्जह नहीं दी जा रही है। एक तरफ तो चुनाव को टाला जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि अभी उसमें निदेशक पंचायत राज यह कभी बताते हैं कि वोटर संख्या कम है या बढ़ेगी दूसरी तरफ जो बाई-इलेक्शन या उप चुनाव हैं वे भी रोक दिये गये हैं। ब्लाक के चुनाव खास तौर से इसलिये रोके गये कि छः महीने में चुनाव हो जायेंगे। तो जब छः महीनों में पंचायतों के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं तो ब्लाकों के चुनाव कैसे हो जायेंगे। ये उप चुनाव क्यों रोक लिये गये हैं, इसमें क्या मतलब है यह बात समझ में नहीं आती है। यहीं तक नहीं नियोजन के द्वारा जिला स्तर पर जितनी भी चीजें सिचाई आदि के साधन या पम्पिंग सेट की तरक्की के लिये किया जा रहा है उसमें ज्यादा ध्यान दिया गया है ऋण के रूप में और ऋण के रूप में ध्यान देने के साथ साथ छूट बांधने की प्रथा बन गई है। उसमें सिवाय इसके कि किसानों का अहित हुआ है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उसमें छूट शब्द लग जाने से समय पर जो साधन बनने चाहिये वे नहीं बन पाये। क्योंकि किसी को धन मिलना चाहिये ऋण के रूप में, वह नहीं मिला। न जाने कितनी कितनी दिक्कतें और परेशानियां आई। उसके बाद चैक मिल भी गया तो छूट

के लिये कागज पूर्त्ति करने में जो तरीका अपनाया उस तरीके से किसान बेचारे न जाने कहां कहां ठोकरें खाई। मिला क्या शून्य बटा शून्य। और बाद में बीच के लोगों ने सब धन ले लिया। छूट का कुछ हिस्सा दे दिया लेकिन सब का सब बीच में समाप्त हो गया। छूट की प्रथा न होती तो अब तक यह होता कि पम्पिंग सेट की कीमत जो पहले ले ली जाती वह न दी जाती।

जो कम्पनियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार से अपना लाइसेन्स ले लिया है, वे टाईटिल होल्डर हो गई हैं, किसानों को उन्हीं दूकानदारों के लिये मजबूर किया जाता है कर्ज देने के वक्त कि अमुक-अमुक कम्पनियों का प्रमाणपत्र होगा तो कर्जा मिल जायेगा। छूट का ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि दो हजार की कीमत के तीन हजार लगाये गये। अन्त में तीन हजार देने पड़े। रुपया उसके भी हाथ नहीं लगा। इस तरह से उसको दोहरी चोट पहुंचती है। दूसरी चीज यह है कि देहात के आदमियों को बाजार की चीज लेने—खरीदने में सेल्स टैक्स आदि की जितनी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं वह सेल्स टैक्स सारा का सारा उन देहातों पर न खर्च कर शहरों की ही सुख-समृद्धि में खर्च होता है। उसी तरह से देहातों का सामान शहरों की मंण्डियों में जाता है उसमें चुंगी आदि का कर लगता है। शहरी सुविधायें वैसी ही होती हैं परन्तु देहातों के लिये उसमें से न पशु अस्पताल के लिये पैसा दिया जाता है और न मानव अस्पताल के लिये। उस तरफ को तवज्जह नहीं दी जाती है..

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त...

श्री चन्द्रपाल आजाद—

श्रीमन्, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं कह रहा था कि देहातों की ओर भी ध्यान दिया जाय। उन लोगों की मांग यह है कि जिस तरीके से बिक्री कर आदि के रूप में लिया जाता है उनका कुछ अंश पंचायतों के जरिये देहातो के निर्माण लगाया जाय। पंचायतों की यह हालत है कि जो वहां का टैक्स है और उनको ऊपर से कुछ सुविधा मिले तो ठीक तरीके से वे गांवों में कार्य कर सके। उनको धन नहीं मिलता तो वहीं का वहीं विकास रुका हुआ है जिससे वे अपना निर्माण नहीं कर पा रही हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किये।

श्री हुकुमसिंह (जिला आगरा)—

श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि नियोजन का बजट बहुत महत्वपूर्ण बजट है। इस पर बहुत से माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते थे जो नहीं कर पाये हैं। इसको बिना बहस के ही पास कर देना, प्रदेश की योजनाओं के साथ बड़ी गलत बात होगी। इस पर और समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

सदन अपना समय अगर दूसरे कामों में लगा देता है, तो उसमें किसी का क्या दोष है, उतना ही समय बजट में कम हो जाता है।

श्री हुकुमसिंह—

इसका मतलब तो यह हुआ कि दूसरी बातों में समय चला जाय और बिना विचार किये ही महत्वपूर्ण बजट को पास कर दिया जाय। मेरी प्रार्थना है कि इस महत्वपूर्ण बजट पर सदस्यों को विचार प्रकट करने के लिये आप समय दें।

श्री अध्यक्ष---

समय तो बंधा हुआ है ।

श्री हुकुमसिंह---

एक बात मैं पिछले हाउस के बारे में कहना चाहता था । सन १९६७ में जब इस प्रकार बजट पर विचार किया जाता था और जब कभी ठीक प्रकार से विचार किसी बात पर नहीं हो पाता तो आप यह व्यवस्था देते थे कि समय और बढ़ा दिया जाय । यह महत्वपूर्ण अनुदान है । इसलिये इस पर विचार करने के लिये दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाय । यह मेरा प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष---

यह तो सदन को सबेरे ही सोचना चाहिये था ।

श्री हरिनाथ तिवारी---

माननीय अध्यक्ष महो य, भ्रष्टाचार के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी अवश्य ही कोई ऐसे कदम उठायेंगे ताकि भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो । इसके अतिरिक्त कृषि के बारे में भी माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिये हैं, कृषि विकास से अवश्य ही हमारे प्रदेश का स्तर ऊंचा उठेगा, सभी लोगों ने यह सुझाव दिये हैं कि कृषि पर अधिक पैसा खर्च किया जाय । कृषि में बिजली और सिंचाई भी शामिल हैं । इस ओर माननीय मंत्री जी विशेष ध्यान देने की कृपा करें । इसके अतिरिक्त नियोजन, और सहकारिता आदि के बारे में जो जो सुझाव दिये गये हैं, उन पर भी माननीय मंत्री जी ध्यान देकर ऐसे ऐसे कदम उठायेंगे ताकि प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति हो सके ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---

श्रीमन्, मैं सदन के सब माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इन अनुदानों के संबंध में अपने बहुमूल्य सुझाव देकर विकास प्रणालियों को सुनिश्चित व सुविदित करने के सुझाव दिये । श्रीमन्, जो अनुदान स्वीकृतार्थ सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है वह मुख्यतया सामुदायिक विकास संगठन, ग्रामीण सड़कों के निर्माण के संबंध में, गांवों की जो मेन पावर स्कीम आदि संगठनों से संबंधित कार्यक्रमों, एवं गांव सभायें, और ग्राम पंचायतों से संबंधित कार्यक्रमों के संबंध में हैं । माननीय सदस्यों ने इस बात का संकेत किया कि ग्राम सभाओं के साधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है । यह बात सही है, हम सभी को मिल कर इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि किस प्रकार से हम अपनी ग्राम पंचायतों को स्वावलम्बी बनायें। आज ७२ हजार से अधिक ग्राम सभाय और ग्राम पंचायतें हमारे प्रदेश में हैं और लगभग ६५७ ब्लाक और क्षेत्र समितियां हमारे प्रदेश में काम कर रही हैं । हमें यह देखना है कि किस प्रकार से हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और आधारभूत इकाइयों के रूप में अपने कर्तव्य को संपन्न कर सकते हैं । इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी शक्ति हमें विधान में इन पंचायत राज संस्थाओं को देनी चाहिये, वह शक्ति उपलब्ध हैं । विधान सभा में जितने अधिकार और जितनी शक्ति इन पंचायतराज संस्थाओं को हमने प्रदेश में दी हैं, मैं समझता हूं कि किसी भी दूसरे प्रदेश की तुलना में उनकी शक्ति और अधिकारों की मर्यादा में कम नहीं हैं। ग्रामीण पंचायतें जो हैं, उन अधिकारों का प्रयोग करके वे अपने साधनों को बढा भी सकते हैं लेकिन वही विषम चक्र आज हर स्तर पर हमारे विकास के लिये बाधा बना हुआ है । क्या हम प्रति व्यक्ति पूंजी विकास के लिये अधिक-अनुपात में लगाने में तत्पर हैं । ग्राम सभा हो, चाहे जिला परिषद् हो, चाहे क्षेत्र समिति हो, चाहे विधान सभा हो, या विधान मंडल हो, हर जगह हमें यह जरूर करना है कि क्या हम इस गरीबी के विषम चक्र को दूर करने के लिये अधिक साधन जुटाने में तत्पर हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हम देखते हैं कि हमारी ७२ हजार ग्राम सभाओं की आमदनी ९८ लाख ७१ हजार रुपय है। अगर ग्राम सभाओं में इतनी धनराशि हो तो किस प्रकार से कार्य चल सकता है। तो आज हम सबको सोचना है कि हम सब अपनी अपनी ग्राम पंचायतों को साधन जुटाकर अनुप्रेणित कर सकते हैं, किस प्रकार से जीवन और साधन दे सकते हैं। यह सही है कि हमें भी प्रयत्न करना चाहिए कि पंचायती राज संस्थाओं की आर्थिक स्थिति सुधरे। इस वर्ष के बजट में हमने १४ लाख रुपये का प्राविधान किया है ग्रामीण पंचायतों को ऋण दिये जाने के संबंध में। संथानम समिति की सिफारिश के अनुसार हमारी सरकार पंचायती राज फाइनेन्स कारपोरेशन बनाने प बिचार कर रही है। उसमें भारत सरकार के भी शेयर होंगे। दूसरे जो हमारी पंचायत राज सस्थाय हैं, या जिला परिषद आदि हैं, ग्राम सभायें हैं, क्षेत्र समितियां हैं, उनको स्वावलम्बी बनाने में यह फाइनेन्स कारपोरेशन योगदान दे सकेगा और साथ ही साथ यह हमारे पंचायती उद्योगों जो कई ग्राम सभाओं में बहुत कामयाबी हुई हैं, उनको बढ़ाने में सहायक होगा। इसके साथ साथ जो हमारी क्षेत्र समितियां हैं, उनकी जो क्षेत्र निधि है, उसमें कौन कौन साधन हैं, यह प्रश्न भी शासन के विचाराधीन है। जहां तक लैंड रेवेन्यू का अंशदान दिये जाने का संबंध है, ग्राम सभाओं को, इस प्रश्न पर भी कि किस प्रकार भू-राजस्व का वितरण हो और कुछ अंशदान ग्रामपंचातों को भी दिया जाय, सोचा जा रहा है और किस प्रकार भागीदार ग्राम सभाओं और अन्य संस्थाओं में अपना शेयर करें और हिस्सा बटावें।

न्याय पंचायतों के संबंध में यह आलोचना की गयी कि भ्रष्टाचार हैं। वहां की बहुत शिकायतें की गयी लेकिन हमारी अदालती पंचायतों में जितने मुकदमें उनके विचाराधीन थे उनके ९१ फीसदी तय कर लिये हैं। कुल मिलाकर ५०,७८२ मुकदमें थे, जिनमें से २८,१२८ समझौते द्वारा अदालती पंचायतों ने तय कर लिये। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार हमारी अदालती पंचायतें कार्य करती रही हैं, वे बधाई की पात्र हैं। यह हो सकता है कि बहुत सी पंचायती अदालतों में, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं, वे सही हों।

तिवारी जी ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये कहा कि सभापतियों में भ्रष्टाचार है और उन्होंने कहा कि ब्लाक के कर्मचारी हैं उनमें भ्रष्टाचार है। अनुदान का हिस्सा लेते हैं। यह हो सकता है कि कुछ कर्मचारी भ्रष्टाचार में लगे हुये हों, लेकिन यह नहीं हो सकता कि प्रत्येक सभापति या प्रत्येक कर्मचारी लूट मचाये हो और प्रत्येक का यही दृष्टिकोण रहता हो कि वह अनुदान से हिस्सा ले। इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से आरोप लगाना निहायत अनुचित है। यह शायद उनकी मंशा भी नहीं होगी।

म यह निवेदन करूंगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने आन्दोलन के रूप में बड़ी सफलता प्राप्त की है। कृषि प्रसार आन्दोलन जो सारे प्रदेश में ब्लाक्स के जरिये से हुआ है, इसको यह सदन स्वीकार करेगा। इस कार्यक्रम में विशाल वाहिनी है कर्मचारियों की। हर ब्लाक तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से कृषि प्रसार आन्दोलन में वह कर्मचारी लगा हुआ है। आगे भी हमें इन प्रणालियों को शक्तिवान करना है। उनमें गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास इतनी विशाल वाहिनी मौजूद है ब्लाक के कर्मचारियों के माध्यम से कि हम जिस कार्यक्रम को लेकर गांव-गांव तक पहुंचाना चाहें तो इन ब्लाक्स के माध्यम से हम उसे पहुंच सकते हैं।

इस अनुदान में लघु सिंचाई कार्यक्रम का एक विशेष स्थान है। एक सदस्य ने कहा कि इसके लिये बहुत कम रुपया रखा गया है। आप देखेंगे कि पहले लघु सिंचाई का कार्यक्रम विभागीय प्रणालियों के जरिये सम्पन्न हुआ करता था, लेकिन पटेल कमीशन की सिफारिश के बाद और इस बात की आवश्यकता को देखते हुये कि दूसरे जो वित्तीय संगठन हैं उनका भी इसमें योगदान होना चाहिये, उसको दृष्टि में रखते हुये लघु सिंचाई योजनाओं को ऋण देने की व्यवस्था उत्तराखंड लैंड डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से हो रहा है और चौथी योजना में जहां ५६ करोड़

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

रुपया सीड विभाग के जरिये से वितरित किया जायगा। इसके अतिरिक्त १०० करोड़ रुपये जिसका प्राविधान बजट में नहीं है की व्यवस्था और की गयी है। भूमि विकास बैंक के जरिये ९५ करोड़ रुपये, कृषि पुनर्वित्त निगम के जरिये ४० करोड़ रुपये, ३० करोड़ रुपये कृषि औद्योगिक निगम के जरिये, २५ करोड़ रुपये केन्द्रीय सहकारी बैंक के जरिये, और १५ करोड़ रुपये वाणिज्य बैंक के जरिये लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिये वितरित किये जायेंगे यानी २०५ करोड़ रुपये जिनमें १५ करोड़ रुपये की धनराशि पम्प सेट व निजी नल कुपों के विद्युतीकरण के लिये भी सम्मिलित है। यह हमारा लक्ष्य है कि ७५ लाख एकड़ भूमि की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत सम्पन्न की जायगी और अगर इस कार्यक्रम को हम सम्पन्न कर सकें तो खाद्यान्न के संबंध में आत्म निर्भर बनाने की जो हमारी नीति है वह सफल हो सकेगी। इतने बड़े कार्यक्रम को पूरा करने के लिये हमारा निम्न लक्ष्य है—

सिंचाई	..	३,२८,०००
बोरिंग कुएं	..	५,००,०००
रहट	..	२,००,०००
पंपिंग सेट	..	१,५५,०००
निजी नलकूप	..	२,००,०००
निजी तथा गांव सभा बन्धी	..	२,३०,०००
पहाड़ी क्षेत्रों में गैल तथा हौज का निर्माण	..	२३,८५०
पठारी क्षेत्रों में कुओं का गहरा करना	..	४,५००

खाद्यान्नों के संबंध में इसके साथ ही साथ हमारे जो अन्य लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिये जिन दूसरी योजनाओं के प्राथमिकता दी गयी है, उनके संबंध में पूरा विवरण चौथी योजना के संबंध में जो पुस्तिका छपी है उसमें दिया गया है। हमारे मंत्री ने योजना की आलोचना करते हुये कहा कि प्रति व्यक्ति आमदनी हमारे प्रदेश की घट रही है। यह बात सही है कि हमारी प्रति व्यक्ति आय ०.२ प्रतिशत घटी है, पिछले वर्षों में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ या हमारे प्रदेश में योजनायें सफल नहीं हुई। इसका मुख्य कारण बढ़ती हुई आबादी है। पिछले वर्षों में हमारे प्रदेश में २.३ प्रतिशत विकास का अनुपात रहा है और यही करीब-करीब जनसंख्या की वृद्धि का भी अनुपात रहा है। अगर यही अनुपात भविष्य में भी रहा तो मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक माननीय सदन को सविधान करना चाहता हूं कि इस बात का खतरा है कि भविष्य में भी यही वास्तविकता बने रहेगी। अगर हम इस विशाल चक्र को बढ़ाना चाहते हैं, अगर नियोजन के कार्यक्रम को पूरा करना चाहते हैं तो उसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है। और अगर यह कार्यक्रम पूरा न हुआ और प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी तो हमने हिसाब लगाया है कि सन् २००० में भी, यानी ३० साल बाद भी हमारी प्रति व्यक्ति आमदनी यही रहने वाली है। यह योजना कोई अकेले कांग्रेस पार्टी की योजना नहीं है। यह सारे प्रदेश की योजना है, यहां के रहने वाले प्रत्येक नागरिक की योजना है। तो योजना का लक्ष्य साधनों के अनुरूप है। अगर साधन कम होंगे तो योजना ज्यादा कहां से आयेगी? योजना केवल खर्च की ही नहीं होती, वह आमदनी की भी होती है। यह जो हमने ९५१ करोड़ रुपये की योजना रखी है और जिसको १,०७७ करोड़ की बनाना चाहते हैं इसको अगर हमें सफल बनाना है, चौथी योजना में हमने यह परिकल्पना की है कि २८३ रुपये से बढ़ कर ३१५ रुपये प्रति व्यक्ति आमदनी हो जाय तो यह तभी हो सकता है जबकि यह सम्मानित सदन जो यह अनुदान है, जिसके द्वारा हम कुछ आगे कदम बढ़ाने जा रहे हैं कि इसको बिना कटौती के स्वीकार करे और भविष्य में भी इस बात का संकल्प करे कि इस योजना के अन्तर्गत जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। इसका लक्ष्य सिंचाई योजनाओं को सफल करना है, खेतों तक अधिक से अधिक खाद पहुंचाना है। इसमें विरोध कहां? यह हर पार्टी का लक्ष्य है।

माननीय सदस्य ने, लेखाकार महोदय ने भ्रष्टाचार के जो कुछ उदाहरण दिये हैं, उनको प्रस्तुत किया। यह सही है कि आडिटर जनरल ने अपने दायित्वों के अन्तर्गत कुछ उदाहरण दिये हैं। उन पर लोक लेखा समिति में विचार होगा। लोक लेखा समिति इस सदन की चुनी हुई एक सम्मानित समिति है। वह एक मत से सिफारिश करती है। वहां कोई पार्टी का विचार नहीं होता और उसका चेयरमैन विरोधी दल का प्रतिनिधि हुआ करता है। तो जो लोक लेखा समिति रिपोर्ट देगी–सरकार ने उसकी सभी संस्तुतियों को, एक आध को छोड़ कर माना है–सरकार उसे अवश्य स्वीकार करेगी मुझे इसका भरोसा है। लेकिन इन उदाहरणों के रहते हुये, इन भ्रष्टाचार के उदाहरणों के रहते हुये, यह नहीं हो सकता है कि हम चुपचाप हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें, निष्क्रिय होकर बैठ जायं और प्रगति के रास्ते की ओर आगे न बढ़ें। एक माननीय सदस्य ने उदासीनता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं में उदासीनता है। पहले में कुछ काम हुआ, दूसरी में कुछ काम हुआ, इसके बाद फिर हम उदासीन हो गये। मैं निवेदन करूं कि उदासीनता आज हर स्थल पर हमारे यहां घर कर गई है। प्रदेश के जीवन में, परस्पर विरोध में और परस्पर विरोध के मूल्य में सम्पन्न कर यह जो आज उदासीनता और एक विरोध का अविछिन्न रूप हमारे सामने आ रहा है, हमें उसका मुकबाला करना है। हम इस विकृत विरोधाबाद का मुकाबला करें ताकि जिन उद्देश्यों में हम एक हैं उनको पूरा करने के लिये बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पार्टी की भावना के हम आगे बढ़ सकें। इस भावना के साथ मैं अपने सम्मानित मित्र से आग्रह करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लें। जहां इतने करोड़ रुपये का बजट है वहां एक रुपया क्या माने रखता है।

श्री अध्यक्ष––

एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि एक रुपया रह जाय बाकी सब कटौती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी––

श्रीमन्, एक कटौती के प्रस्ताव में एक रुपया कटौती करने का है और दूसरे में सारी धनराशि की कटौती करके केवल एक रुपया रह जाय, यह प्रस्ताव है। एक रुपये में यदि वे विकास का खर्च चला सकते हैं तो यह उनको एक रुपया मुबारक हो। इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि वे अपनी कटौती का प्रस्ताव वापस लें और एक मत से इन अनुदानों को स्वीकृत हो जाने दें।

श्री अध्यक्ष––

'प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२–गांव सभायें और पंचायतें, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १२–गांव सभायें और पंचायतें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवयश्क धनराशि की पूति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,१८,७०,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६ --नियोजन और समन्वय, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २६ --नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १२,९१,१८,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५६ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष ---

अब यह नियम ५६ के अन्तर्गत दो सूचनायें प्राप्त हुई थीं। वह काम रोको प्रस्ताव . . . एक श्री हरिनाथ तिवारी का था, स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु की न्यायिक आयोग द्वारा जांच कराना, इसके ऊपर सुबह चर्चा हो चुकी है। दूसरा श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी का था, सूबेदारसिंह को आतंकित करने पर श्री डी० पी० बोरा एवं दो छात्रों की गिरफ्तारी। इसके ऊपर विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित हो चुका। उस पर बहस हो चुकी। यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता।

श्री श्यामसूरत (जिला इलाहाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, एक हमारा था कामरोको। इलाहाबाद में जो डी जी सी का चुनाव था, उसके संबंध में सचिवालय से कागजात गायब हुए हैं और बहुत बड़ा जाल हुआ है। उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष---

मैंने ५१ लिया नहीं। मैं ५६ की बात कर रहा हूं।

ग्राम सिसौटी, जिला मुरादाबाद में हरिजनों पर हमले के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

नियम ५१ के ये हैं। श्री रियासतहुसैन जी का है। २ अगस्त, १९६९ को ग्राम सिसौटी, थाना असमौली, जिला मुरादाबाद के हरिजनों पर हमला करके तीन व्यक्तियों का कत्ल हो गया है। इसको मैंने स्वीकार किया है। इस पर ६ तारीख को माननीय मंत्री अपना वक्तव्य देंगे चूंकि मैं एक ही स्वीकृत कर सकता हूं, इसलिये बाकी अस्वीकृत हुए हैं। उसमें आप प्रश्न कर सकते हैं। श्री जगदीश गांधी का था---हीवेट पालीटेक्निक महानगर, लखनऊ में पार्ट टाइम कोर्स का बन्द किया जाना। श्री मोहन लाल कपूर का था---कानपुर नगर में पत्रकारों पर आक्रमण की घटनाओं में बढ़ोत्तरी। श्री कृष्णस्वरूप वैश्य का था---काशी विश्वविद्यालय के भीतर पुलिस की तैनाती। श्री ओम प्रकाश सिंह व श्री बलबीर सिंह का था---जिलाधीश बरेली द्वारा शराब के नशे में रात को एक कर्मचारी के घर में घुस कर उसकी पत्नी के शील भंग करने के प्रयास का आरोप। इस पर अल्पसूचित तारांकित

प्रश्न दे दिया गया है। मैंने कह दिया है कि तीन दिन के अन्दर उत्तर मिल जाना चाहिये। श्री श्याम सूरत उपाध्याय का था---जिला इलाहाबाद में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कौंसेल के स्थान के लिये श्री एस० पी० मालवीय के प्रार्थना-पत्र से संलग्न प्रमाण पत्रों का सचिवालय की सम्बन्धित पत्रावली से गायब किया जाना, श्री रियासत हुसैन का स्वीकार किया है। एक ही स्वीकार हो सकता है। इस लिये बाकी पर अल्प सूचित तारांकित प्रश्न दे दीजिये।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)---

होवेट पालीटेकनिक महानगर में जो कोर्स चलता था, वह केन्द्रीय सरकार की सहायता से चलता था। पांच वर्ष से केन्द्रीय सरकार द्वारा उसका पूरा व्यय वहन किया जा रहा है। अचानक उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्स बन्द कर दिया। इसके कारण २३० छात्रों का भविष्य अंधकार में लटक रहा है।

श्री अध्यक्ष---

आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दे दीजिये। वह उसका जवाब देंगे।

श्री जगदीश गांधी---

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न द्वारा हल होने वाला वह मसला नहीं है। २३० छात्रों के भविष्य का सवाल है। उस पर माननीय मंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिये और वह मसला हल हो सके।

श्री अध्यक्ष---

समय तो सीमित रहता है। नियम यह है कि बजट की चर्चा के बाद इस पर आधा घंटा ले लिया जाये, आज एक ले लिया जा चुका है।

श्री जगदीश गांधी---

ऐसा नहीं हो सकता कि परसों मैं दुबारा पेश कर दूं।

श्री अध्यक्ष---

ऐसा नहीं हो सकता।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

पत्रकार और पत्रकारिता का घनिष्ठ सम्बन्ध है और स्वस्थ प्रजातन्त्र के लिये सच्ची, निष्पक्ष पत्रकारिता अनिवार्य है। पत्रकार का विशेष काम है। उन्हें अनेक समाचार एकत्र करने पड़ते हैं। यदि इस तरह से आये दिन उन पर आक्रमण होगा तो जनतन्त्र की जड़ें खत्म हो जायंगी। तो कानपुर में जो इस तरह की घटनायें हो रही हैं.....

श्री अध्यक्ष---

देखिये, आपका सवाल इतना गोल है कि आप ने उसमें किसी का नाम नहीं दिया है।

श्री मोहनलाल कपूर---

उस पत्रकार का नाम श्री रामआश्राय द्विवेदी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप से जो परामर्श हुआ कार्य मंत्रणा समिति में कि लोक महत्व के प्रश्न जो हैं वह ऐसे नहीं होते कि उन्हें एक दिन में एक ही लें। यदि आप दूसरे तीसरे दिन के लिये भी कर देंगे तो उस पर चर्चा

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

हो सकेगी । श्रीमन, नगरमहापालिका के कर्मचारियों के बारे में सरकार की ओर से एक अध्यादेश हुआ, उत्तर प्रदेश के तमाम हलवाइयों ने एक तारीख को हड़ताल रक्खी यह विषय इतने आवश्यक थे कि इन पर अवश्य यहां पर विचार किया जाना चाहिये था किन्तु आप द्वारा स्वीकार न किये जाने पर उन पर विचार नहीं हो सका है ।

श्री अध्यक्ष—

यह बात सही है कि १-१ करके लें, यह बात हुई थी । लेकिन इनके आने की जो संख्या है वह ३ दिन में जितने आयेंगें वह ३० रोज के लिये हो जायगें । तो वहां यह भी बात तय हुई थी कि कम से कम लोग भेजे, लेकिन कम हुए, नहीं तो वह व्यवस्था कैसे कार्यान्वित हो सकती है । विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न आते हैं और काम रोको प्रस्ताव भी आते हैं, तो इतनी चीजें आती हैं ये एक दिन में कैसे हो जायं । इसलिये मैंने सोचा कि आप शार्ट नोटिस क्वेश्चन्स दे दें और मैं मंत्री जी को जिससे कम्पेल कर सकूं कि वह ३ दिन के अन्दर आपको जबाव मंगा कर उसका दें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि आप जो पूरे प्रदेश की समस्या हो, उसको महत्व दीजिये । दो या तीन व्यक्तियों की समस्या को गौण ।

श्री अध्यक्ष—

कल फिर आप मेरे कमरे में जमा हो जायं, उसपर हम विचार कर लें कि दो तीन दिन की कार्यवाही से हमें क्या अनुभव हुआ । आप सभी को मेरे कमरे में आने का निमन्त्रण दे दें । मैं चाय का भी प्रबन्ध कर दूंगा, जिससे अच्छा विचार विमर्श हो जाये, लेकिन सुझाव सम्भव होना चाहिये, जिससे कि उस पर विचार हो जाए ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, मैंने एक नियम २०० में दिया था, उस.....

श्री अध्यक्ष—

वह तो अभी हमें दोपहर में ही मिला है, उसे अभी मैंने देखा नहीं है ।

ग्राम तीनपानी, जिला नैनीताल में श्रीमती लक्ष्मीदेवी के घर पर गुण्डों द्वारा हमले के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब नैनीताल के ग्राम तीनपानी में एक विधवा श्रीमती लक्ष्मी देवी के घर पर गुन्डों द्वारा पुलिस की मौजूदगी में हमला किये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द सिंह नेगी द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य होगा ।

उद्योग मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

जिला मैजिस्ट्रेट, नैनीताल से प्राप्त सूचना के आधार पर घटना का ब्योरा निम्नलिखित है :—

श्रीमती लक्ष्मी देवी के पति श्री नारायण सिंह, श्री जीवनलाल, मैनेजिंग डायरेक्टर, केसर शुगर वर्क्स, बहेड़ी, के फार्म पर नौकरी करते थे । लगभग एक वर्ष पूर्व श्री नारायण सिंह की मृत्यु हो गई । श्रीमती लक्ष्मी देवी ने श्री जीवन लाल से पति की मृत्यु के पश्चात जीविका उपार्जन के लिये सहायता मांगी । श्री जीवन लाल ने उसे पांच खेत (नं० ३, ४, ५, ७/१ तथा १२) दे दिये । १३७५ तथा १३७६ फसली के राजस्व अभिलेखों में इन खेतों पर श्रीमती लक्ष्मी देवी की काश्त व कब्जा दर्ज हैं ।

२७—७—६९ को सुबह ९ बज कर २० मिनट पर एक व्यक्ति श्री दूधनाथ ने थाना हलद्वानी पर सूचना दी कि जब कम्पनी के नौकर कम्पनी के फार्म की जमीन ट्रैक्टर से जोतने के लिये गये तो श्रीमती लक्ष्मीदेवी तथा उसके सहयोगी झगड़ा करने पर आमादा हुये। चूंकि शान्ति भंग होने की आशंका प्रतीत हुई इसलिये थानाध्यक्ष अन्य कर्मचारियों के साथ घटना स्थल पर गये। वहां पहुंच कर उन्होंने दोनों पक्षों से शान्ति बनाये रखने का अनुरोध किया तथा यह सलाह दी कि भूमि का यदि कोई विवाद है तो उसे सक्षम अदालत से निर्णय करायें। थानाध्यक्ष व अन्य कर्मचारी लगभग साढ़े बारह बजे दिन घटनास्थल से वापस चल दिये तथा दो सिपाहियों को घटना स्थल पर छोड़ आये जो वहां शाम तक रहे।

३—श्रीमती लक्ष्मी देवी ने जिला मजिस्ट्रेट को एक व्यक्ति श्री ओम प्रकाश के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उसने यह बताया कि वह खेत नं० ४, ५, ७ तथा १२ पर १८ वर्षों से काबिज है तथा खेती करती है परन्तु कुछ गुन्डे समय समय पर उससे यह खेत खाली करने को कहते हैं तथा न करने पर जान माल की धौंस देते हैं जिससे उसका और उसके परिवार का जीवन संकट में है। जान माल की रक्षा की व पुलिस का संरक्षण प्रदान करने की प्रार्थना की। जिला मैजिस्ट्रेट ने यह प्रार्थना पत्र थाना हलद्वानी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया। श्रीमती लक्ष्मी देवी का एक तार दिनांक २८ जुलाई १९६९ को उप पुलिस महानिरीक्षक (पर्वतीय क्षेत्र) नैनीताल को प्राप्त हुआ, जिसमें शिकायत की गई कि अमुक हथियार बन्द गुन्डे उसके बेटे कुन्दन सिंह को पुलिस की मौजूदगी में बलपूर्वक उठा ले गये हैं। इस तार के आधार पर ३१—७—६९ को अपराध संख्या २०० पर धारा १४७/१४८/३६४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत थाना हल्द्वानी में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा लड़के की तलाश की जा रही है।

४—श्रीमती लक्ष्मी देवी की शिकायतों की जांच घटना स्थल पर जाकर उप-पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई। अभी तक की गई जांच से उप पुलिस अधीक्षक ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले हैं:—

(१) यह कि श्री नारायण सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके मालिक श्री जीवन लाल ने श्रीमती लक्ष्मी देवी की गरीबी का ध्यान करके उसे कुछ दिनों के लिये ५ खेतों को जोतने बोने की आज्ञा दे दी थी।

(२) यह कि २७—७—६९ को जब फार्म के नौकर ट्रैक्टर लेकर फार्म की भूमि जोतने गये तो श्रीमती लक्ष्मी देवी सर्वश्री प्रताप सिंह तथा बांके लाल जो श्रीमती लक्ष्मी देवी के खेतों में उसकी सहायता करते हैं, ने फार्म के नौकरों को जमीन जोतने से रोका और झगड़ा फसाद करने पर उतारू हुए।

(३) जांच अधिकारी ने यह आरोप निराधार पाया कि फार्म के नौकर श्रीमती लक्ष्मी देवी के खेतों की फसल को नष्ट कर रहे थे। यह लोग अन्य जमीन जोत रहे थे जो निरीक्षण के समय बंजर मालूम हुई। जांच के समय श्रीमती लक्ष्मी देवी के खेतों में फसल जैसी की तैसी खड़ी पाई गई।

(४) यह कि जांच में सर्वश्री प्रताप सिंह व बांके लाल के शरीर पर किसी चोट के निशान नहीं पाये गये और न ही इन लोगों ने अपना डाक्टरी मुआयना कराना बताया।

(५) यह कि जहां तक श्रीमती लक्ष्मी देवी के पुत्र कुन्दन सिंह को बलपूर्वक उठा ले जाने का आरोप का संबंध है जांच से अभी कोई सही अनुमान नहीं लगाया जा सका है क्योंकि इन आरोपों की पुष्टि में श्रीमती लक्ष्मी देवी की ६ वर्षीय लड़की कुमारी जीवन्ती के अतिरिक्त और कोई साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। लड़के की तलाश हो रही है।

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

५—चूंकि थाना हलद्वानी के थानाध्यक्ष व कर्मचारियों के विरुद्ध भी श्रीमती लक्ष्मी देवी ने आरोप लगाये हैं इसलिये जिला मैजिस्ट्रेट ने इस मामले की जांच एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा कराने का आदेश दिया है।

श्री गोविन्दसिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एक गरीब विधवा से मिल मालिक को जानमाल का खतरा पैदा हो गया था या गरीब बिधवा को मिलमालिक से जान माल का खतरा पैदा हो गया था, यदि था तो ११७, १५१ की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जैसी उसने रिपोर्ट लिखाई थी वह मैंने बतला दी।

श्री गोविन्दसिंह—

क्या कोई कार्यवाही ११७, १५१ की की गई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने बतला दिया कि १५१ की जरूरत नहीं थी। जिस समय यह रिपोर्ट आई कि ये लोग खेती करने के लिये ट्रैक्टर लेकर आये तो उन्होंने जबरदस्ती खेती करने की रिपोर्ट दी। तुरन्त पुलिस वाले वहां चले गये और जाकर देखा कि खेती को उजाड़ा नहीं था।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यह जो कहा गया कि पुलिस की मौजूदगी में लड़के को उठा ले गये तो उस समय कितने कांस्टेबिलों की रवानगी थी और उसमें कौन कौन थे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने यह बतला दिया कि उसने अपने बयान में यह कहा है कि वे मुझे घेरे रहे हैं और जाने नहीं देते। उसके बाद उसने भोजन किया और वह कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में गई और वहां रिपोर्ट लिखाई। उसके बाद रात में वह वापस आई तो उसकी लड़की ने बताया कि उसका भाई गायब है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इस रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं है कि यह बात असत्य है कि पुलिस की मौजूदगी में गुन्डे उस लड़के को उठा ले गये। इसकी जांच की गई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने बतला दिया। बात यह हुई कि यह तार २७ को आया तो उसमें कोई इस बात का जिक्र नहीं है लड़का ले जाने का। दूसरा तार जो दिनांक २८ को दिया उसमें यह लिखा हुआ है कि जब मैं वापस घर आई तो मुझे लड़की ने बतलाया कि उसका लड़का वहां नहीं है। पुलिस वाले २७ तारीख को वहां गये थे। उस दिन वह प्रश्न नहीं था। २८ तारीख को तार दिया तो उसमें उसका जिक्र है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि थानेदार जब वहां मौके पर गये और उन्होंने यह देखा कि वहां कुछ लुकसे अमन का अन्देशा है तो दो सिपाहियों को पीछे वहां छोड़ आये। तो जब यह चीज मौजूद थी तो १०७, ११७, १५१ की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

उन्होंने वहां जाकर देखा कि झगड़े का कोई अन्देशा नहीं है, लेकिन फिर भी खेती के बारे में कोई बात हो सकती थी तो वह दो आदमियों को वहां छोड़ आये कि तुम देख लेना ।

श्री रियासत हुसैन---

जब आप यह खुद बतला रहे हैं कि दो कांस्टेबुलों को थानेदार छोड़ आये तो इसके मायने यह हुये कि वहां ब्रीच आफ एप्रीहेन्सन था । यदि ऐसा था तो निश्चित जवाब यह दीजिये कि दरखास्तें डी० आई० जी० और डी० एम० को बिधवा की तरफ से थीं तो फिर १०७, ११७ १५१ के न होने के क्या कारण हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

उन्होंने यह समझा कि ब्रीच आफ पीस नहीं है । साधारण बात है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन खेतों की चर्चा की है और लक्ष्मी देवी का कब्जा है उन पर मिल मालिक कब्जा करने के लिये क्यों गये ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

मैंने तो पहले ही पढ़ कर सुना दिया कि यह जो मरे मिल में काम करते थे यह एक वर्ष पहले मर गये तो जीवनलाल जी ने कहा कि तुम्हारी दशा खराब है तो खेती कर लो और उन्होंने फार्म में से कुछ टुकड़ा दे दिया । वह नहीं कहते कि हम गये । वह दूसरी जमीन पर खेती करने के लिये गये । उसमें ऐसा नहीं है कि उनकी खेती पर कब्जा करने के लिये गये । फिर भी उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई चीज है तो कोर्ट से तय करा लें कि यह चीज है या दूसरी चीज है ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि श्रीमती लक्ष्मी देवी ने जिलाधीश को जो दरखास्त दी ओंम प्रकाश जी के साथ यह किस तारीख में दी थी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

चिट्ठी हमारे पास नहीं है । यह चिट्ठी १७ तारीख को दी थी जो बाद में घूम कर आयी है। चिट्ठी में तारीख नहीं है। मेरे पास जो चिट्ठी है यहां उसमें कोई तारीख नहीं है ।

श्री उदितनारायण (जिला फतेहपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह खेत इस महिला को कितने अर्से के लिये दिये गये थे ? इस में कुछ समय के लिये लिखा हुआ है । वह अवधि उनके मुताबिक पूरी हुई है या नहीं ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

इसमें यह है कि एक वर्ष पहले उनकी मृत्यु हुई थी । जो फैक्टरी का फार्म हैं, उसमें से चार खेत जीवन लाल जी ने दिये थे । इसमें समय नहीं है ऐक्चुअल कि कितने दिन के लिये दी गयी थी । फिर भी हमारे आदमियों ने कहा कि इसमें झगड़े की क्या बात है । पटवारी ने तुम्हारा नाम लिख दिया तो कोर्ट से तय करा लें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

इस जमीन से सम्बन्धित जिन तथ्यों को प्रकट किया है, यद्यपि यह कह रहे हैं कि यह नहीं थे, जो तथ्य हैं तो उनके अनुसार १४५ की कार्यवाही करके कुर्क क्यों नहीं किया गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जो जांच करने के लिये मौके पर गये, वहां पर कोई पता चला नहीं कि कोई झगड़े की बात है। जो उनका बयान है या लड़की का जिस तरह का बयान है उससे भी झगड़े की बात नहीं है। यहां जो दरख्वास्त आयी है उसमें यह है कि झगड़े का अंदेशा है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वहां गये उनकी भी रिपोर्ट यह नहीं है कि यहां झगड़े का कोई अंदेशा नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह—

माननीय मंत्री जी बतलाने की कोशिश करेंगे कि इस बिधवा ने जिले के अधिकारियों को तीन दरख्वास्तें दीं कि जीवनलाल के गुन्डे परेशान कर रहे हैं और उसकी जान खतरे में है। तो क्या सरकार ने १०७-११७ की कार्यवाही इसलिये नहीं की क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग सम्बन्धित थे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

एक दरख्वास्त है यहां जिसमें लिखा था कि झगड़े का अंदेशा है। उसमें डेट नहीं है। मेरे पास यह सूचना है कि उन्होंने २७ तारीख को एक तार दिया कि यहां झगड़ा हुआ। जब उन्होंने २७ तारीख को तार दिया कि वहां झगड़ा हुआ तो तुरन्त उसके बाद पुलिस वाले वहां गये और देखा कि वहां कुछ नहीं हुआ। २८ तारीख को उन्होंने तार दिया कि जब वापस आई तो मुझे मेरी लड़की ने बतलाया कि लड़का यहां नहीं है। पहले उसका जो बयान हुआ है उसमें उसने कहा है कि जब घटना घट गई तो मैंने सोचा कि खाना बनाने के बाद भोजन करके ओम प्रकाश जी के पास जाकर उनसे रिपोर्ट कराऊं और रिपोर्ट कराने के बाद जब वापस आई तो मेरी लड़की ने यह कहा कि हमारा भाई नहीं है। लड़की का जो बयान हुआ उसमें उसने कहा कि वह लोग आये और लड़के को पकड़ा और पकड़ कर ले गये। दोनों बयानों में उसके दस्तखत हैं। वहां झगड़ा नहीं है और न वहां झगड़ा का अन्देशा था। जो और लोग वहां रहते थे और जो लोगों की चिट्ठी आई है, उसमें कहा है कि वहां झगड़े की कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अभी बहुत प्रश्न बाकी हैं। अब इलाहाबाद नगर महापालिका के कर्मचारियों द्वारा मल्लाहों पर गोली चलाने से संबंधित प्रश्न को ले लें।

एक सदस्य—

श्रीमन, जबाव से सम्बन्धित एक प्रश्न है। अभी मंत्री जी ने कहा कि जो दरख्वास्त है वह खो गई है। इसकी किस पर जिम्मेदारी है ?

(व्यवधान)

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछूंगा।

श्री उदितनारायण—

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि समय बहुत कम है। अगर अध्यक्ष महोदय चाहें तो किसी दूसरे दिन के लिये इसे कर दें लेकिन मेरा यह निवेदन है कि पुलिस अधीक्षक ने जो तफतीश लिखी इससे साबित है कि कुछ दिनों के लिये उन्होंने इसलिये रखा है कि अब वह चाहते हैं कि नम्बरों पर जबरदस्ती कब्जा कर लें। उसी तरह से यह कहना कि लड़का उठा ले गये और फिर यह लिख दिया कि लड़का मौजूद है या नहीं, इस बात को लेकर कि लड़के की तलाश हो रही है। तो श्रीमन् यह बड़े खेद की बात है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसमें मैंने यह कहा कि लड़के की तलाश जारी है। यह बात सही है कि लड़का अभी नहीं है। लेकिन लड़के का खोया जाना या उसको कोई उठा कर ले गया यह किसी ने नहीं कहा। उसने जो दरख्वास्त लिखी है या उसमें उसने कहा है या उसकी लड़की ने कहा है और किसी दूसरे ने नहीं कहा है। उसकी तफतीश जारी है।

श्री अध्यक्ष—

एक एक मिनट में आप पहले सवाल कर लें।

इलाहाबाद नगर महापालिका कर्मचारियों द्वारा मल्लाहों पर गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

इलाहाबाद नगर महापालिका के कर्मचारियों द्वारा मल्लाहों पर गोली चलाई जाने के सम्बन्ध में सर्वश्री कृष्णस्वरूप वैश्य, सर्व सुख सिंह, श्याम सूरत उपाध्याय, अनन्त राम जायसवाल, रूपनाथ सिंह यादव, राजित राम पांडेय, रामपूजन पटेल, मनोहरलाल, रामगोपाल सण्ड तथा कन्हैयालाल सोनकर द्वारा दी गई सूचनाओं पर नियम ५१ के अन्तर्गत स्वायत्त शासन मंत्री जी कृपया अपना वक्तव्य दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

इसको कल ले लें।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

यह प्रश्न पूरे प्रदेश का है। सरकार की पुलिस जालिमों के साथ मिल कर गरीबों की जमीन छिनवा रही है। यह नीति का प्रश्न है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इलाहाबाद नगर महापालिका के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां महमूद बट तानाशाही कर रहा है और उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी इस चीज को देखें कि उनके जमाने में बहुत-सी ऐसी चीजें और अत्याचार हो रहे हैं जो कि बर्तानियां के जमाने में भी नहीं होते थे। इलाहाबाद में औरतों के साथ और गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है और छोटे-छोटे दूकानदारों के साथ अत्याचार हो रहा है। यह बात किसी से छिपी नहीं है लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। इन अत्याचारों के सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी से बहुत से लोगों ने, बहुत से कांग्रेस के लोगों ने और खुद बहिन राजेन्द्र कुमारी जी ने शिकायत की है लेकिन मुख्य मंत्री जी के ऊपर जूआं नहीं रेंगता है और जो रिपोर्ट आई है उन पर मैं विश्वास नहीं करता। मैंने भी मुख्य मंत्री से शिकायत की लेकिन उनके जूं नहीं रेंगी। महमूद बट ने खुले आम लोगों पर गोली चलवाई और पुलिसवालों से मल्लाहों पर झूठे मुकदमे चलवा रहे हैं। मुख्य मंत्री जी से कहा गया कि अगर आप इलाहाबाद को सजाना चाहते हैं और साफ कराना चाहते हैं तो यह कांग्रेस के लोगों ने कहा था और यह कहा था कि आप वहां के शौचालयों को साफ करावें। लोग महमूद बट की नादिरशाही से परेशान हैं। लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। वहां से महमूद बट को हटाया जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, हमारे दल के लोगों को समय नहीं मिलता है ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, सड़कों के चौड़ी बनाने के नाम पर वहां ठेकेदारों को मनमाना लूटने का मौका दिया जा रहा है । गोली जो चलाई गई नाविकों के ऊपर उसमें से एक कर्मचारी के ऊपर महमूद बट की ही गोली लगी और अगर जांच कराई जाय तो पता चलेगा कि यह उनकी ही गोली थी जिससे कर्मचारी मरा । वह गोली महमूद बट की थी । महमूद बट ने एक दस्ता बनाया है जिसमें लोग भाले लेकर चलते हैं, दुकानें लूट लेते हैं । स्टेशन से लोग बिस्तरा रेक्शा, इक्का, तांगा पर लेकर नहीं चल सकते । बिस्तर के लिये कहा जाता है कि ठेला करो । उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर पालिका मे रिक्से के ऊपर सामान लेकर चलने में मनाही नहीं है लेकिन इलाहाबाद में यात्री और एम० एल० ए० जो ट्रेन से उतरते हैं वे अपना सामान लेकर नहीं जा सकते । आज इलाहाबाद में जन जीवन खतरे में है और मल्लाहों के ऊपर जो गोली चलाई गई यह इस बात का प्रतीक है कि वहां पर मुख्य मंत्री महोदय ने बड़ी तानाशाही कायम कर रखी है ।

श्री राम विलास (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी अपना भाषण पढ़ा नहीं और आपने...!

(व्यवधान)

श्री राजित राम पांडेय—

यह चरणसिंह जी के लिये चुनौती है कि महमूद बट की नादिरशही आप सुन रहे हैं कि बी०के०डी० का एक कार्यकर्त्ता इलाहाबाद में मार डाला गया और आप तथा बी०के०डी० के लोग कुछ न कर सके ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, कृपा कर बैठ जांय । आपका गला बैठ जायगा ।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए आपसे मेरा सुझाव है कि इस पर दो घंटे का समय बहस के लिये दें । आज केलिये तो आपने दूसरा रखा है, उसे कल के लिये रख दें । यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । इसके लिये दो घंटे से कम समय नहीं चाहिये ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मेरा सुझाव है कि महमूद बट के तबादले की घोषणा तत्काल की जाय ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो मांग रखी है वह उचित है । आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न को लेकर सदन में कितनी उत्तेजना है । इसलिये आपसे मेरा निवेदन है और उनके अनुरोध को मैं फिर दोहराता हूं कि सदन की भावनाओं को देखते हुए इस पर दो घंटे चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं कहता हूं कि उनके वक्तव्य को पहले सुन लीजिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

सरकारी अधिकारियों द्वारा भेजा हुआ ही यह वक्तव्य है। हमारी श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी के यहां की ही यह बात है, उनके यहां की ही यह घटना है। उनको इस विषय पर सुन लीजिये और समझने के बाद दो घंटे का समय इसके लिये दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं कहता हूं, पहले माननीय मंत्री जी का वक्तव्य तो हो जाय।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

श्रीमती राजेन्द्र कुमारी जी वहां जनता में तो महमूद बट के खिलाफ बोलती हैं और यहां आने पर गुप्ता जी से कहती हैं कि उनको वहीं बनाये रखा जाय।

(व्यवधान)

यहां घोषणा करने में क्या दिक्कत है कि महमूद बट का तबादला शीघ्र से शीघ्र होगा। महमूद बट इलाहाबाद के अन्दर तानाशाही हुकूमत कायम किये हुए हैं। इलाहाबाद को सुन्दर बनाने के नाम पर वहां लाखों रुपये का गबन हो रहा है और लाखों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आज मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

मऊनाथ भंजन में साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष—

अब मऊनाथ भंजन में हुए साम्प्रदायिक दंगे के विषय में नियम ५२ के अन्तर्गत दो घंटे की चर्चा होगी। माननीय श्री गोविन्द सिंह बोलेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यों तो आपको पूरा अधिकार है, जो चाहे आप यहां निर्णय लें परन्तु हमारा भी यह अधिकार है कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। इस प्रश्न पर काफी लोगों में असन्तोष है। अगर आप इतनी घोषणा कर दें कि कितना समय देंगे—आधा घंटा, दो घंटा या कितना समय देंगे?

श्री अध्यक्ष—

आज मैंने इसको स्थगित कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री राम बचन यादव (जिला आजमगढ़)—

मेरे नाम से और श्री हबीबुर्रहमान के नाम से प्रश्न था लेकिन वह छपा नहीं है।

एक सदस्य—

इलाहाबाद के लिये आप ज्यादा समय निश्चित करें। कम से कम दो घंटे का समय उसके लिये दें।

श्री अध्यक्ष --

श्री गोविन्द सिंह जी, अगर आप बोलना चाहते हैं तो शुरू कीजिये ।

श्री गोविन्दसिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

अध्यक्ष महोदय, पिछली २९ मार्च को मऊनाथ भंजन में कुछ दुर्घटना घटी । शहर मऊनाथ भंजन का अपना इतिहास है । हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर मऊनाथ भंजन एक ऐसी जगह है जहां छोटे हथकरघे का उद्योग है और उसकी पैदावार की खपत अपने प्रदेश में ही नहीं बल्कि बाहर भी होती है । इस नगर के अधिकतर उद्योग मुसलमानों के हाथ में हैं और उसकी विशेषता यह है कि करीब चार, पांच हजार हिन्दू इन कारखानों में आकर देहातों से काम करते हैं । और यहां का अब तक का इतिहास यह रहा है कि मऊनाथ भंजन में हालांकि अंग्रेजों के समय में जगह-जगह कम्यूनल राइट हुए हैं लेकिन यहां कभी नहीं हुआ । इस दंगे के अन्दर एक राजनैतिक पृष्ठभूमि है । मऊनाथ आजमगढ़ जिले के अन्दर है और वहां के लोगों ने गैर कांग्रेसी तबके का समर्थन किया है । पिछले पार्लियामेन्ट का चुनाव हुआ । उसमें कम्युनिस्ट पार्टी जीती । अबकी बार असेम्बली के चुनाव में बी० के० डी० जीती । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले एलेक्शन में कांग्रेस के नेताओं ने और वहां के म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन ने १५ अगस्त को खुले आम धमकी दी कि मऊ के मुसलमानों को इस बात का मजा चखायेंगे जो उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध वोट दिया है और २९ मार्च, १९६९ को मऊ के मुसलमानों को हमारी कांग्रेस सरकार ने मजा चखा दिया । जिस बात पर दंगा हुआ वह कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं थी ।

दो लड़कों में आपस में झगड़ा हुआ । पुलिस वाले देखते रहे और कोई दखलन्दाजी नहीं की, कोई गुरेज नहीं किया । गिरफ्तार दंगा करने वालों को नहीं किया गया । गिरफ्तार किसको किया जाता है, सबसे बड़े कम्युनिस्ट कार्यकर्ता को और उसके बाद क्या होता है? वहां मुसलमानों का अखाड़ा निकलने वाला था । वहां के मुसलमान नेताओं ने वहां के अफसरों से कहा कि अखाड़ा न निकालें लेकिन वहां के पुलिस के अफसरों ने वहां के नेताओं की बात नहीं मानी और अखाड़ा निकलने दिया और एक साइकिल वाले के पैडिल से किसी आदमी को चोट लग गई इस पर गड़बड़ी हुई और पुलिस की तरफ से अन्धाधुन्ध लाठी चार्ज किया गया और गोलियां चलीं और उसके फलस्वरूप एक आदमी की मौके पर मृत्यु हो गई । उसके बाद क्या होता है ? सारे शहर के अन्दर ४८ घंटे का करफ्यू लगा दिया गया और चार पांच हजार हिन्दू जो देहात से शहर आये थे वह घर नहीं जा सके और गांव के अन्दर यह अफवाह फैली कि तमाम हिन्दू मारे गये और वहां के अधिकारियों ने इस अफवाह का खंडन नहीं किया और न उसके खंडन करने के लिये कोई कदम उठाया । श्रीमन्, एक अखबार आजमगढ़ से निकलता है उसको आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े होंगे । कितना भयानक प्रचार किया गया । "ऐ आजमगढ़ के हिन्दुओं आज राणाप्रताप की सन्तानों का खून बह रहा है। राणाप्रताप की सन्तानों का खून मऊ में बह रहा है ।" इस प्रकार के धुआंधार प्रचार के खिलाफ भी वहां के सरकारी अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया । अन्धाधुन्ध गिरफ्तारी की गई । सत्तर-सत्तर वर्ष के बूढ़ों को मसजिदों से दाढ़ी पकड़कर घसीटते हुए थाना लाया गया ।

कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं का बयान है कि थानों के अन्दर एक-एक आदमी से पूछा जाता था कि बताओ तुम हिन्दुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो और जब वह कहते थे कि हिन्दुस्तान में हैं तो उन पर डन्डे चलाए जाते थे । बी० के० डी० और कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं के ऊपर डन्डे चलाए जाते थे जिनके राजनीतिक चरित्र के बारे में उंगली नहीं उठाई जा सकती । उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर जिन्होंने सन् ४७ में अपना बलिदान दिया देश के अन्दर साम्प्रदायिक एकता कायम करने के लिये, उनको इस ढंग से अपमानित किया गया, जेलों के अन्दर और फिर क्या होता है ? शहर में नहीं, गांव में खलिहान के खलिहान फूंक दिये गये । कहा गया अधिकारियों से गांवों में आग लगने वाली है, क्या उपाय कर रहे हो तो कहा कि

कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन खलिहान के खलिहान फूंक दिये गये। बेचारे किसान जिन्होंने अपना खून-पसीना एक करके अनाज पैदा किया था, गुंडों की फौज ने उसे फूंक दिया, वह उसे जला गये। छोटे-मोटे करधे वालों के करधे तोड़ दिये गये, सूत जला दिया गया, घर तबाह कर दिये गये। यह सब पुलिस के संरक्षण में हुआ। पहली तारीख को मैं और माननीय झारखंडे राय मऊनाथ भंजन में मौजूद थे...।

श्री अध्यक्ष—

कई लोग बोलने वाले हैं, आप संक्षेप में बोलें।

श्री गोविन्दसिंह—

बहुत अच्छा। हम थाने में हवालातियों से मिले, उनकी हालत देख कर रोंगटे खड़े हो जाते थे। ७५–७५ साल के बूढ़े जिनके बदन पर लाठियों की मार से जख्म लगे हुए थे, जिनके कपड़े फूंके हुए थे, वहां मौजूद थे। हम एक मुहल्ले में गये, वहां पी० ए० सी० मौजूद थी, पुलिस वाले मौजूद थे और हमको वहां से हटा दिया गया। १५ मिनट बाद थाने में गये तो देखा कि पी० ए० सी० ने सारे मुहल्ले के लोगों को थाने में लहूलुहान हालत में पहुंचा दिया है। आपने इंक्वायरी कमीशन बैठाया। मैं कहता हूं कि यह कमीशन निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। इसलिये कि वहां के जिम्मेदार अधिकारी—डी० एम० और एस० पी० का जबतक तबादला नहीं किया जाय तबतक कोई इंक्वायरी निष्पक्ष नहीं हो सकती। लोगों से पकड़ पकड़ कर बयान लिखाये गये। मुख्य मंत्री जी को बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने कहा कि एक लाख रुपया मुआवजे का बांटेंगे। लेकिन उस रुपये को कैसे इस्तेमाल किया गया? लोगों से कहा गया कि तुम को मुआवजा मिलेगा, लेकिन जो हम कहते हैं उस ढंग से करो और उनसे कागज पर दस्तखत लिये गये। एक मैजिस्ट्रेट जो उस दिन आजमगढ़ में तैनात थे जिनकी मौजूदगी में ये घर लूटे गये हैं वे उस कमीशन के सहयोगी थे।

तो यह बहुत अफसोसनाक घटना है, हमारे जनतंत्र पर कलंक है। अगर हमारी अल्पसंख्यक जाति अपने को सुरक्षित नहीं समझती तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले की न्यायिक जांच करें ताकि अपराधी लोगों को सजा दी जा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री..... (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य के खड़े होने पर) खैर, माननीय वित्त मंत्री बोलेंगे।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

हमको मौका मिलना चाहिये, हम आजमगढ़ के हैं...

श्री अध्यक्ष—

पहले मंत्री जी बोल लें, फिर आपको भी....

श्री त्रिवेणी—

हमारे जिले का सवाल है, हमारे क्षेत्र से संबंध रखता है, पहले हमें बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

तो आप मंत्री बन जाइये, उनको हटा दीजिये। पहले आप रूल समझ लीजिये। उसमें दिया हुआ है जो कि नियम ५२ है कि जो सदस्य प्रश्न उपस्थित करेगा—वह एक ही सदस्य करेगा जिसका कि स्वीकार हुआ है। उसके बाद जो संबंधित मंत्री हैं वह एक वक्तव्य

[श्री अध्यक्ष]

देंगे उसके ऊपर जो उन्होंने कहा है। उसके बाद और सदस्य बोलेंगे जो संबंधित होंगे। तो मैंने मुख्य मंत्री जी को बुलाया। अब वे या उनके एवज में कोई दूसरे मंत्री जी कहना चाहते हैं, वे बोलें।

*वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

मान्यवर, हमारे साथी श्री नेगी साहब ने जिन चीजों की चर्चा की उनके विषय में सरकार की ओर से कुछ तथ्य सदन के सामने रखता हूं।

सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि मऊनाथ भंजन की घटना एक दुखद घटना है और इस संबंध में सरकार का जो रुख रहा है वह तो इससे भी स्पष्ट हो जायेगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं घटना-स्थल पर गये और उन्होंने जाकर एक लाख रुपया वहां के दुखी परिवारों को देने की घोषणा की जिससे कि वहां के दुखद परिवार वालों को जो नुकसान हुआ है उसकी कुछ क्षति पूर्ति हो सके। माननीय नेगी जी ने जो यहां पर कहा है, जिन बातों की उन्होंने चर्चा यहां पर की है, उनके बारे में भी मैं बहुत संक्षेप में यहां कुछ कहना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि सदन उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे। उन घटनाओं की चर्चा करते हुये माननीय नेगी जी ने एक और चीज का जिक्र कर दिया जिसको कि मैं नहीं चाहता था कि उसका जिक्र यहां पर सदन में किया जाय। उन्होंने कहा कि मऊनाथ भंजन में यह साम्प्रदायिक दंगा पहली बार हुआ है। मुझे दुख है कि सन् १८९३ से १९३९ तक, फिर १९५६ में, १९५७ में, १९५८ में, १९६४ में निरन्तर वहां किसी न किसी प्रकार के साम्प्रदायिक तनाव चलते रहे हैं और कुछ न कुछ साम्प्रदायिक तत्व समय-समय पर वहां सर उठाते रहे हैं जिनके कारण यह घटनायें हुई हैं।

मैं माननीय सदन को यह भी बतला देना चाहता हूं कि मऊ में लगभग ६७ फीसदी हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं, यानी मसलमान भाई हैं और इस ६७ फीसदी में, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इन ६७ फीसदी में ६० फीसदी बीवर्स लोग हैं। वहां पर हमारे माननीय सदस्य श्री अब्दुल रहमान साहब और नोमानी साहब का वहां पर काफी प्रभाव है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना सरकार को जो सूचना है, २९ मार्च से प्रारम्भ हुई। इस घटना की शुरुआत हुई कृष्णा टाकीज से जहां पर कि दो लड़कों में जिनमें एक हिन्दू था और एक मुसलमान था, टिकट खरीदने पर कुछ झगड़ा हुआ, जैसा कि कई अवसरों पर अकसर हो जाया करता है, वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हो गये, दो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता—एक माननीय तारकेश्वर सिंह तथा एक राजेन्द्र सिंह भी वहां पर पहुंच गये। उन लोगों ने बजाय इसके कि वहां शान्ति स्थापित कराते, कुछ इस प्रकार की बात कीं जिससे कुछ लोगों में जोश बढ़ा, उसका परिणाम यह हुआ कि उन दोनों व्यक्तियों को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के समय वहां पर एक डी० वाई० एस० पी०, एक स्टेशन आफिसर और एक थानाध्यक्ष और एक कान्सटेबिल, इन लोगों को पत्थरों की चोटें आयीं। उसी स्थान पर हमारे जो हबीबुर्रहमान साहब हैं, इसी सदन के सदस्य हैं, वे भी थे। उनके गाल पर भी पत्थरों से कुछ चोट आयी। खैर बात आयी गयी हुई, वहीं वह किस्सा समाप्त हो गया। लेकिन उसी दिन मोहर्रम का जुलूस निकलने वाला था साढ़े ४ बजे के लगभग यह जुलूस चौक में पहुंचा। चौक में जब पहुंचा तो वहां पर ७ बजे के लगभग या साढ़े ६ के लगभग माननीय हबीबुर्रहमान साहब पहुंच गये। दुर्भाग्य से उनके गाल पर चोट थी, कपड़ों पर खून भी लगा था, इसको देख कर वहां पर लोगों में जोश पैदा हो गया। जो हमारे पास रिपोर्ट आयी है उसके अनुसार लगभग ७ पौने ७ बजे के करीब माननीय हबीबुर्रहमान साहब वहां पर पहुंचे थे और इनको देख कर ही लोगों में जोश आया। वहां पर अखाड़े थे, और इसी समय वहां से कुछ पत्थर फेंकना शुरू

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ और पुलिस और पी० ए० सी० और होम गार्ड्स के अधिकारियों पर एकदम हमला कर दिया गया और उसका परिणाम यह हुआ कि पुलिस, पी० ए० सी० तथा होम गार्ड के कर्मचारियों को वहां चोटें आईं और वहां पर श्रीमन्, एडीशनल मैजिस्ट्रेट, डी० वाई० एस० पी० ये दोनों उस जुलूस के पीछे थे। ये लोग जिस वक्त वहां मौके पर, घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने इसको काबू करने की कोशिश की। इन लोगों पर भी पथराव हुआ। एक मैजिस्ट्रेट साहब के जो लोहे का टोप पहने हुए थे जिनको चोट तो नहीं आई लेकिन लोहे के टोप में काफी गहरा गड्ढा हो गया। (व्यवधान)

यही नहीं, श्रीमन्, उसी मुकाम पर यह हुआ कि फैजे-आम मस्जिद है उस तरफ से कुछ गोलियां चलाई गईं जहां पर यह चौक में सारा झगड़ा हुआ था और फैजे-आम मस्जिद की तरफ से गोलियां चलीं और गोलियां चलने के बाद पुलिस के तथा कुछ और लोगों के चोटें आईं और उसी मुकाम पर बारह व्यक्ति गिरफ्तार किये गये जो बारह व्यक्ति अल्पसंख्यक थे। क्योंकि उस मुकाम पर जितना दंगा हुआ उसमें अखाड़े वाले लोग थे। साढ़े सात बजे के लगभग यह मुहर्रम का जो जुलूस था हरकेशपुरा में एक संस्कृत पाठशाला है उसकी ओर तेजी से बढ़ा और वहां पर बहुत-सी जो बहुसंख्यक लोगों की गुमटी, झोपड़ी और दूकानें थीं इन सब में आग लगा दी गई। एक सिन्धी सज्जन की दूकान लूट ली गई और उसमें आग लगा दी गई। मैजिस्ट्रेट ने भीड़ को अनियमित घोषित किया और तितर-बितर होने का आदेश दिया और उसके बाद पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया, हरकेशपुरा मुहल्ले में २९ और ३० की रात को। ३० को मामूली तौर पर कोई घटना नहीं हुयी। ३० तारीख को ८ बजे जहांगीरपुर कर के गांव था वहां आग की लपटें दिखाई दीं। मैजिस्ट्रेट और पुलिस पार्टी गई वहां पर देखा गया कि पांच खलिहानों में आग लगी हुई थी और इसके बाद ३१ मार्च को मऊ से दो मील दूर एक कालोनी में झगड़ा हुआ और इसके बाद श्रीमन्, १ अप्रैल को ११ बजे बादिमपुर गोलवा मुकाम पर अल्पसंख्यक सम्प्रदाय की भीड़ ने हमला किया बन्दूकों से और इसमें बन्दूक, बल्लम और दूसरे प्रकार के शस्त्रास्त्र थे और इसमें छः बहुसंख्यक सम्प्रदाय के लोगों को गोलियों की चोटें आईं उसी मुकाम पर। मान्यवर, इसके बाद फिर १४४ लगाई गई। इसके अलावा करफ्यू इम्पोज किया गया। मैं इतना और कहना चाहता हूं कि कोई मामूली तौर पर यह दंगा शांत हुआ है। यह दस अप्रैल तक चलता रहा और दस अप्रैल को बहुसंख्यक व्यक्तियों के चोटें आईं। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि बाद में इस दंगे ने रूप लिया और छुटपुट हमले हुए। जो लोग देहातों से आते थे मऊ के उसमें अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के लोगों की जानें ज्यादा गईं और इसका विवरण जो हमारे पास है उसमें मोटे तौर पर यह है कि १७ व्यक्ति बहुसंख्यक और एक व्यक्ति अल्प संख्यक, इस प्रकार लोगों को चोट लगी और तेरह व्यक्तियों की मृत्यु हुई जिसमें हमारे आंकड़ों के मुताबिक लगभग दस व्यक्ति अल्पसंख्यक थे और इसके बाद में जैसा बतलाया गया माननीय मुख्य मंत्री भी मौके पर गये थे और उन्होंने एक लाख रुपये का वहां मुआवजा भी दिया।

श्रीमन्, एक बात इसमें और कहना चाहता था। इस के संबंध में इस सदन में भी कुछ कहा गया और बराबर उसकी चर्चा हुई। यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी की आज्ञा से १७ अप्रैल को मुन्नूलाल साहब, आई० सी० एस० जो बोर्ड आफ रेवेन्यू के सदस्य हैं, का वनमैन कमीशन मुकर्रर किया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट १६-६ को दी। इस रिपोर्ट के एक अंग के बारे में मैं सदन से कहना चाहता हूं। उसको सुन कर यह सदन कृपा करके यह विचार करे कि सरकार का रुख क्या था।

उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह बतलाया है कि पुलिस ने गोली चलाई लेकिन चोट किसी को नहीं आयी। २ मुकाम पर पुलिस की गोली चली लेकिन किसी को चोट नहीं आयी

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य

क्योंकि कोशिश यह की गयी कि जहां तक संभव हो किसी को चोट न लगे यही नहीं बल्कि यह भी कोशिश की गयी कि यह जो सांप्रदायिक भावना उभर गयी है वह किसी प्रकार से शांत हो जाय। केन्द्र के एक उपमंत्री महोदय भी वहां आये, उन्होंने भी इस बात की कोशिश की। यह हमारा दुर्भाग्य है कि मऊनाथ भंजन एक ऐसा स्थान है जहां पर साम्प्रदायिक झगड़ा बड़ी तेजी से जोर पकड़ जाता है। ऐसी दुखद घटना का सरकार को बहुत दुख है। इसमें बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। मैं पुलिस के बारे में और भी चर्चा करता लेकिन क्योंकि यह रिपोर्ट अब हमारे सामने है और इस रिपोर्ट को पढ़ कर माननीय सदन के सदस्यों को ज्ञात हो जायगा कि अब और किसी भी प्रकार की इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है। पुलिस के बारे में उन्होंने स्वतः ही यह लिख दिया है कि उन्होंने गोलियां भी चलाईं तो इस इरादे से चलाईं कि किसी को चोट न लग जाय।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

क्या मेरे माननीय मित्र को यह मालूम है कि पुलिस का हुक्म तो ऐसा है कि या तो गोली चलाई नहीं जायगी और अगर चलायी जायगी तो लोगों को मारने के लिये ही चलायी जायगी। क्योंकि पुलिस का इस इरादे से गोली चलाना कि किसी को चोट न लगे, भीड़ को और उत्तेजित कर देता है और पुलिस को उससे नुकसान पहुंचता है। फिर यह कैसे मुमकिन है कि ऐसे हुक्म के होते हुए भी कि गोली या तो चलाई ही न जाय और अगर चलाई जाय तो मारने के लिए चलाई जाय, क्या मऊनाथ भंजन में जो गोली चलाई गयी वह इस हुक्म के खिलाफ चलाई गयी? क्या आपने इसका यहां बैठ कर ही तो अनुमान नहीं लगाया?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मैंने यह अनुमान नहीं लगाया बल्कि रिपोर्ट के आधार पर ही ऐसा कहा है। माननीय नेता विरोधी दल की इस बात को मैं स्वीकार करता हूं और मुझे इस बात का ज्ञान है और मैं उस पुलिस रेग्यूलेशन को जानता हूं जिसमें यह है कि गोली चलाई जाय तो ऐसी चलाई जाय जिससे लोग मरें। लेकिन पुलिस ने मऊनाथ भंजन में इस बात का मौका भी नहीं दिया।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी इस बात की है और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं मऊनाथ भंजन कांड के सिलसिले में अपनी बात कहूं। मैं उसको किसी भी तरह से साम्प्रदायिक दंगा नहीं कह सकता जैसा कि उसको कहा गया है। कब्ल इसके कि मैं इसके ऊपर कुछ कहूं मुझे ताज्जुब हुआ माननीय वित्त मंत्री के भाषण को सुनकर जब उन्होंने यह कहा कि मऊ एक ऐसी जगह है जहां सांप्रदायिक तनाव बहुत जल्दी हो जाया करता है। मैं आपके जरिये से माननीय वित्त मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि सन् ४७ के बाद जब मुल्क को आजादी मिली थी और जब सारे देश में दंगे फसाद हुए थे, मऊनाथ भंजन जैसे कस्बे में कोई फिरकेवाराना सवाल नहीं उठा। मऊ कस्बे के लोगों ने और देश के लोगों के साथ ही साथ आजादी की लड़ाई भी लड़ी। १९५५ और १९५६ के अन्दर एक दो वाकयात ऐसे हुए जिनके जरिये से वहां अमन को बरहम बरहम करने की कुछ लोगों ने कोशिश की। लेकिन वहां पर हिन्दू और मुसलमानों के मेलजोल और उनके भाई चारे के संबंध ने ऐसी गलत घटना को घटने नहीं दिया। मऊनाथ भंजन के कस्बे के ऊपर बहुत ज्यादती की बात है कि उसके बारे में यह कहा जाये कि वहां साम्प्रदायिक दंगा भड़क उठता है। यह ठीक है कि वहां पर ८० फीसदी बुनकरों की आबादी है या बुनकरों से संबंधित कामों में लगे हुए लोगों की है। चाहे वह आढ़त का काम करते हों, चाहे और कोई काम करते हों। २९ मार्च को यह घटना घटी। इसमें २-३ चीजों की जरूर ही सफाई हो जानी चाहिये। एक तो यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा कि चौक के ऊपर श्री हबीबुर्रहमान आए और उनके कपड़े पर खून के धब्बे

पड़े हुए थे तो झगड़ा बढ़ा । यह चाहे मुसद्दीलाल कमीशन की रिपोर्ट हो या किसी और की रिपोर्ट हो, मैं तो यह कहूंगा कि दुनिया का यह सबसे बड़ा झूठ है और इससे बढ़कर कोई झूठ हो नहीं सकता । यहां पर यह कहा जाता है कि वहां पर जो घटनायें घटीं, उनको इस तरह से तोड़ मरोड़ कर कहा गया कि वहां पर पुलिस ने कोई ज्यादती नहीं की । वहां पर १४५ आदमियों को चोटें आयीं जिनको जेल में जाकर माननीय मंगला प्रसाद, श्री नवल किशोर और श्री मुजफ्फर हुसैन ने देखा । उन्होंने देखा कि बुड्ढों को पीटा गया तो उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गये । मैं चाहता हूं कि इस घटना को तफसील से बताऊं ।

ढाई बजे सिनेमा पर दो सम्प्रदायों के लड़कों में झगड़ा हुआ । कहा गया है कि तारकेश्वर सिंह, कम्युनिस्ट के वहां पर पहुंचने से उत्तेजना पैदा हुयी लेकिन मैं तो कहता हूं कि उन्होंने झगड़े को दबाने की कोशिश की । जब यह इत्तिला थाने में पहुंची तो पुलिस की एक टुकड़ी वहां से चली और चूंकि वहां पर अशांति का वातावरण नहीं था तो वह पुलिस की टुकड़ी आगे बढ़ी और पौन फरलांग पर रोजा के मैदान में पहुंचती है । करीब साढ़े तीन बजे जब कि वहां पर आदमी ताजिया देखने के लिए इकट्ठे हुए थे पुलिस की टुकड़ी ने बिना किसी नोटिस दिए या वार्निंग दिये, जो लोग होटलों में चाय भी पी रहे थे, उनको भी मारना पीटना आरम्भ कर दिया । जब पुलिस की ज्यादती बढ़ गयी तो पुलिस पर ढेले बाजी हुयी । बहरहाल उस वक्त म अपने बी० के० डी० के आफिस में मौजूद था । जो लोग पुलिस द्वारा पीटे गये उनमें १८ वर्ष का एक लड़का भी था जिसके जिस्म पर १०—२० लाठियों की चोटों के निशान थे । वह मेरे आफिस पर आया और उसने कहा कि मुझको भी पीटा गया और बहुत से लोग जो वहां पर ताजिया देखने आये थे, उनको भी मारा गया है । मैंने उस लड़के से पूछा कि क्या पुलिस ने मारने पीटने का कोई कारण बताया तो उस लड़के ने जवाब दिया कि बिना किसी वार्निंग या बिना किसी नोटिस के ही मारना पीटना शुरू कर दिया । मैंने उस लड़के से कहा कि तुम यहां पर बैठो । उस वक्त मेरे दिमाग में एक बात आयी । जब मैं एलेक्शन लड़ रहा था तो उस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जो पार्टी अपने को सेक्युलर पार्टी कहती है और जो अपने को गांधी जी का अनुयायी बताते हैं, कहा था कि अगर हबीबुर्रहमान कामयाब बना दिये गये तो मऊ में हिन्दू नहीं रह जायेंगे । मेरे साथ श्री महात्तम चतुर्वेदी, श्री प्रभुनाथ सिंह और हाजी शमशुल हक थे । म आफिस से उतरकर चौक पर पहुंचा और वहां से आगे बढ़ा तो पी०ए०सी० की ट्रक जिस पर वहां क डी० वाई० एस० पी० और एस० डी० एम० ये दोनों आदमी मौजूद थे ट्रक रोका और मुझे उन्होंने बतलाया कि कोई खास बात नहीं है । थोड़ी-सी घटना हुयी है । आइये मिल-जुल कर समझा बुझा दें ताकि मामला शांत हो जाय ।

मैं उनके ट्रक पर बैठ कर चौक तक आया और चौक पर उतर गया । मैं चौक से आगे बढ़ा और श्री बृज बिहारी लाल टंडन, जो भूतपूर्व चेयरमैन, नगर पालिका थे, जो एक कांग्रेसी हैं की दुकान के सामने गया और उन्होंने मुझे बताया कि हम भी चलते हैं । उन्होंने यह भी कहा कि हम सब लोग इस कस्बे के अन्दर चाहे हिन्दू हों या मुसलमान मिल जुल कर रहते ह और कहीं ऐसा नहीं होना चाहिये कि कोई अप्रिय घटना घटे । मेरे साथ श्री महात्तम चतुर्वेदी, श्री प्रभुनाथ सिंह, हाजी शमशुल हक और मुहम्मद इब्राहीम, सदस्य नगर पालिका थे । मैं उन लोगों के साथ आगे बढ़ा और जगह-जगह सब लोगों से यह कहता गया कि मुहर्रम का दिन है अपने अपने काम में लग जावो और मैं रोजे के मैदान के पास पहुंचा । तब मैंने देखा कि कृष्णा टाकीज मंदिर सिनेमा और रोजे के मैदान, इन दोनों के बीच श्री नाथ के मकान के पूर्व में सिंधी का होटल पड़ता है । पुलिस सामने सड़क पर से होटल के पीछे ढेले फेंक रही थी और होटल के पीछे से भी ढेला आ रहा था। जिस जगह हम खड़े थे वहां से दिखाई नहीं पड़ता था कि पीछे से कौन ढेला फेंक रहा है। मुसलमानों की आबादी उस जगह थी इसलिये मुझे यह खयाल हुआ कि मुसलमान ढेला फेंक रहे हैं।

[श्री हबीबुर्रहमान]

मैंने मुहम्मद इब्राहीम जो नगरपालिका के मेम्बर हैं उनसे कहा कि देखो कहीं मुसलमान तो ढेला नहीं फेंक रहे हैं। यह क्या बदतमीजी है ? वह हिम्मत करके गये और वापस आकर बताया कि वे नहीं मान रहे ह। आप जा कर मना करें तो शायद मान जायं । मेरी इस बात की जिम्मेदारी थी कि मेरे कस्बे में हिन्दू-मुसलमान दंगा न हो । मैंने फिर महातम चतुर्वेदी को साथ लिया और जब मैं वहां गया तो देखा कि १५,१६ लड़के १७,१८ तथा २२ वर्ष तक की उम्र के ढेले फेंक रहे हैं। मैंने ५,७ के झापड़ मारे और वे भाग गये। जब मैं वहां से ५०,६० गज वापस आ गया था तो श्रीनाथ के मकान की ओर से पी०ए०सी० वाले निकल आये और बगैर इस बात को देखे हुए कि मैं निहत्था हूं और आगे मेरे एक हिन्दू भी जा रहा है, उन्होंने अचानक मेरे ऊपर हमला कर दिया । एक ईंट मेरे गर्दन पर तथा एक ईंट मेरे गाल पर लगी और मैं फिर लुढ़क गया । फिर मैं तेजी से उठा और सड़क पर पहुंच गया। तब तक काफी मजमा वहां हो गया था। उस वक्त कोई चार बजे का टाइम था । लोगों के अन्दर उत्तेजना पैदा हुई । मैंने हाथ जोड़ कर कहा अगर आपको मुझ से मोहब्बत है तो आप लोग अपने घरों को जाइये, शांति को बनाये रखिये और जो लोग शांति को भंग करना चाहते हैं उनके मंसूबे को पूरा न होने दीजिये । लोग अपने घर चले गय । मैं मऊ मेडिकल हाल पर गया वहां मामूली तौर से मरहम पट्टी कराने के बाद मैं बृजबिहारी टंडन की कार में अस्पताल गया, वहां पट्टी बांधी गयी । मैं फिर अपने आफिस आ गया । मैंने अपने कपड़े बदले । फिर प्रेस रिपोर्टर्स मेरे पास पहुंच गये ।

इस समय ६ बजे का टाइम था । मैंने अपने साथियों से कहा कि पुलिस ने अपने दिमागी संतुलन को खो दिया है। वह इंतकाम की भावना में मदहोश हो रही है । वह किसी को पहचानने को तैयार नहीं है और झगड़ा करने पर तुली हुई है । तुम लोग कह दो कि आज ताजिये का जुलूस नहीं उठेगा लेकिन पुलिस के सिपाही अखाड़े वालों के पास गये और कहा कि तुम लोग अखाड़ा ले कर चलो । साढ़े ५ बजे वह अखाड़ा उठा और रोजे तक गया । मैं अपने आफिस में मौजूद था और प्रेस रिपोटर्स वहां मौजूद थे, कौमी आवाज सियासत के रिपोर्टर वहां थे । "आज" अखबार के सम्वाददाता श्री रमाशंकर मिश्र वहां मौजूद थे । "आज" अखबार के सम्पादक वहां से चले गये और वह सीढ़ी के नीचे पहुंचे ही होंगे कि झगड़ा हो गया । यह कहना कि जब यह झगड़ा हुआ तो मैं चौक पर आ गया था, गलत है। एक आदमी साइकिल ले कर निकला जिसमें एक आदमी को धक्का लग गया । उस पर तू तू मैं मैं हुई और पुलिस वालों ने अचानक लाठी चार्ज कर दिया । नतीजा यह हुआ कि वहां पर पुलिस का पाला पड़ गया अखाड़ा वालों से जिसमें १७,१८ वर्ष के नौजवान थे और उन्होंने डट कर मुकाबला किया पुलिस से। उन्होंने पुलिस को मारा । वह हरगिज हिन्दू मुसलमान झगड़ा नहीं था, बल्कि पुलिस वालों तथा अखाड़े वालो का झगड़ा था । यह गलत है कि मैं वहां पहुंच गया और मुझको देखकर चौराहे पर झगड़ा हुआ ।

एक बात और थी कि जब पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया तो १५ मिनट के लिए बत्ती गुल हो गयी और सारी सड़कों पर अन्धेरा छा गया । उस वक्त जो आदमी लाठी चला रहा था, संगीन चला रहा था, छुरा चला रहा था, तलवार चला रहा था वह यह नहीं देख रहा था कि हम किसको मार रहे हैं। वहां एक खटिक है जो घायल हो गया था उससे आजमगढ़ अस्पताल में जाकर मैंने बात की । उसने कहा कि उसे छुरा या संगीन का घाव लगा है । मने पूछा कि तुमको किसने मारा । उसने कहा कि अन्धेरे में मैंने पहचाना नहीं कि किसने मारा । उस वक्त सड़कों पर अंधेरा था । मैं यह कहना चाहता था कि यह जो झगड़ा हुआ बावजूद इसके कि मऊ की ६० हजार की आबादी है जिसमें कहीं ५०–६० घर मुसलमानों के हैं तो तीन चार घर हिन्दुओं के ह और कहीं ५०–६० घर हिन्दुओं के हैं तो तीन-चार घर मुसलमानों के हैं, किसी हिन्दू पर किसी मुसलमान ने हमला नहीं किया और न

किसी मुसलमान पर किसी हिन्दू ने हमला किया । और जब यह बात हो गयी तो मैंने अपने आफिस में यह ऐलान सुना कि करफ्यू लगा दिया गया है । मैंने कलेक्टर को टेलीफोन किया और कहा कि मैं फलां जगह पर हूं, मुझे कस्बे के अमन के बारे में बहुत चिन्ता है, मैं नहीं चाहता था कि ताजिया और अखाड़े का जुलूस उठे लेकिन पुलिस वाले ने उनको उठाने के लिए मजबूर कर दिया, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। कलेक्टर ने कहा कि मैं गाड़ी भेजता हूं। मैं इन्तजार करता रहा लेकिन गाड़ी नहीं आयी । उसके बाद रात गुजरी । सुबह को जब मैं आफिस में आता हूं कि तो मैंने अपनी आंखों से जिन नजारों को देखा अगर उसे खुद न देखा हो । और आप भी वह बात कहते तो मैं उसको मानने के लिए तैयार न होता । मैंने देखा कि उस चौराहे पर ५–५ और ७–७ की टोली में मुसलमान जीपों पर लाये जाते थे और लाकर जैसे शिकार पर भूखा भेड़िया पड़ जाता है वैसे ही पुलिस वाले उन पर टूट पड़ते थे और बन्दूकों के कुंदों से मार मार कर जब वह बेहोश हो जाते तो उनको जीपों पर लाद कर के थाने में ले जाते थे और अगर बदकिस्मती से कोई आदमी कम घायल हुआ होता तो फिर थाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाती थी ।

मैं आपके जरिये कहना चाहता हूं कि मुझे यह दुख होता है कि जो राजेन्द्र हैं और जो तारकेश्वर सिंह को पकड़ लिया गया था सुबह को कलेक्टर साहब पहुंचते हैं और पूछते हैं कि इन लोगों का नाश्ता हुआ या नहीं । उन्होंने कहा नहीं । कलेक्टर ने कहा कि इनको नाश्ता कराओ । उनको बेड़ियां पहनाई जाती हैं और नाश्ता कराने के बहाने हवालात से निकाल कर कंट्रोल रूम के बगल वाले कमरे में ले जाया जाता है और वहां पर पुलिस के नौजवान अपने मुंह पर अंगौछा बांध कर के उनको इतना मारते हैं कि वह बेहोश हो जाते हैं । उनको इतनी मार लगायी जाती है कि उनकी पीठ पर लाठियों के निशान गिने नहीं जाते थे । तो मैं यह कहना चाहता था कि मऊ के अन्दर बड़ा जुल्म हुआ है । जिनके ऊपर मुकदमा चलाया गया है ८० आदमी ऐसे हैं जिनके मकान जलाये और लूटे गये, १३१ आदमी गिरफ्तार किये गये और उनके घरों को लूटा गया । १२४ आदमी ऐसे हैं जिनका नुकसान हुआ, उन्होंने कमिश्नर को दरखास्त दी, ३१० आदमियों पर मुकदमा चल रहा है और १४३ आदमी ऐसे हैं जो लाठी डंडे से, संगीनों से या पुलिस की बन्दूक के कुंदों से घायल हुए हैं। इनमें से एक दर्जन ऐसे हैं जिनको संगीनों से चोट आयी और जिनका डाक्टरी मुआयना हुआ । उनकी रिपोर्ट मंगा कर आप देख सकते हैं। डेढ़ दर्जन ऐसे आदमी हैं और इनमें ८० वर्ष के बुड्ढे भी थे जिनके हाथ या पैर की हड्डी तोड़ दी गयी, बहुतों की खोपड़ी तोड़ दी गयी । यही नहीं जो लोग मस्जिदों के अन्दर पाये गये उनको वहीं मारा गया और उनका खून मस्जिदों की फर्श पर गिरा । लिहाजा यह कहना कि वहां का दंगा साम्प्रदायिक दंगा था ऐसा हरगिज नहीं था। मऊ की ६० हजार की आबादी है ।

वहां तीन आदमी मरे । दो आदमी पुलिस की गोली से मरे और एक आदमी रेकार्ड के अन्दर तो नहीं आया है। एक लड़का था जिसकी लाश पुलिस के कहने पर छिपा दी गयी है । वह गोली से मरा । मऊ की ६० हजार की आबादी में जहां ४० हजार मुसलमान हैं एक हिन्दू भी ऐसा नहीं है जिसको ऐसी चोट पहुंचायी गयी हो जो मर गया हो । यही नहीं मऊ से ८ मील दूर पिपरीडीह स्टेशन है वहां पर ८ आदमी कत्ल कर दिये गये। लेकिन सरकारी रिपोर्ट है कि चार आदमी मारे गये हैं । इसी तरह से मऊ से ८ मील दूर खैरिहट रेलवे स्टेशन है वहां पर २ आदमी मारे गये । इन्दारा और मऊ के बीच में ३ आदमी कत्ल कर दिये गये । सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक ११ आदमी मरे हैं लेकिन वास्तव में १५/१६ आदमी मरे हैं । एक तेलगू चमार है उसके बारे में कहा जाता है कि वह गोली से मरा है । सिर्फ यही एक हिन्दू मरा है बाकी सब मुसलमान मारे गये हैं । इन सारी चीजों के बावजूद सवाल यह है कि पूरी कोशिश की गई हिन्दू मुसलमान दंगा कराने को । यह सारी इतिजायें आम हो रही थीं । लेकिन मैंने, चतुर्वेदी और एक और साहब यानी तीन आदमी इस चैलेंज का जवाब देने के लिये तैयार थे ।

[श्री हबीबुर्रहमान]

दो रात मुसलसिल में हिन्दू मुसलमानों के मुहल्लों में घर-घर घूम-घूम कर अमन की भीख मांगता रहा ।

एक बात मैं आपके जरिये अर्ज करना चाहता हूं कि मुहर्रम के दिन ८ बजे से करफ्यू का एलान किया गया जिससे हजारों हिन्दू जो करघों पर काम करते हैं उनमें से करीब डेढ़ हजार आदमी मुसलमानों के घरों पर ही रह गये थे । मुसलमानों ने उनकी जान माल की हिफाजत की और उनके खाने पीने तथा सोने की व्यवस्था की । ३० तारीख को मैंने कलक्टर से कहा कि आपने जो यह करफ्यू लगा दिया है, यह अच्छा नहीं किया । आप इसको फौरन हटा दीजिये ताकि कस्बे में करफ्यू की वजह से जो हिन्दू रुके हुये हैं वे देहात में चले जायं ।

दूसरी बात यह है कि वहां पर 'देवल' अखबार जो निकलता है वह मोटी-मोटी सुरखी में यह छाप रहा था कि हिन्दुओं के खून से सड़क रंगीन हो गई है । इसका उद्देश्य यह था कि इससे देहात में आग फैल जायेगी । लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ यहां कहना पड़ता है कि कलक्टर साहब ने मेरी बात नहीं मानी । यह लड़ाई ३० को हुई और ३१ को हुई । इसका नतीजा यह हुआ कि ३० तारीख को देहात में यह अफवाह फैल गई और लाखों मन गल्ला जला दिया गया ।

श्रीमन, मैं यह कह रहा था कि यही नहीं वहां पर सारी बातें हुई हैं और उसके बाद वहां पर जो कुछ हुआ है अब उसको हिन्दू मुसलिम साम्प्रदायिक दंगे का नाम देना गलत बात है । जितने लोग वहां मरे हैं वह सब मुसलमान हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मुख्य मंत्री जी में सच्चाई है और सरकार के जो वकील वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने जो बातें कहीं हैं अगर वह सही है तो फिर माननीय नवलकिशोर जी, मंगला प्रसाद जी, मुजफ्फर हसन जी और यूनुस सलीम साहब की रिपोर्ट ऐवान में पेश की जाय तो सच्चाई मालूम हो जायेगी और सारी बातें सही शक्ल में इस एवान के सामने नुमाया होकर आ जायेंगी । हमने बराबर मुख्य मंत्री जी से मांग की है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये, लेकिन नहीं हुई । मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि यह जो मऊ में झगड़ा हुआ है हबीबुर्रहमान की वजह से हुआ है । जब उन्होंने यह बात कह दी तो इसका कोई जवाब नहीं था कि ऐसा कमीशन बनाया जाता जो आजाद होता । लेकिन जब हर तरफ से लानत मलामत होने लगी तो कहीं जाकर हमारे मुख्य मंत्री जी मऊ में तशरीफ ले गये । उन्होंने वहां लोगों को जो मुआवजा देने की बात कही उसकी धनराशि एक लाख है । मुसद्दीलाल कमीशन ने भी यही कहा है । ८ लाख का नुकसान नहीं हुआ । एक लाख का नुकसान हुआ है । जो मुख्य मंत्री जी ने कहा है उसी की ताईद मुसद्दीलाल कमीशन ने भी की है । मैं यह कहना चाहता हूं कि ये सारी बातें ऐसी हैं जिनको तय हो जाना चाहिये । हमें इसका फैसला करना है । जो हकीकत है उसको छिपाया नहीं जा सकता है । जरूरत इस बात की है कि प्रदेश में जो अक्लियत में मुसलमान हैं उनकी सही हालत मालूम होनी चाहिये । मैं कहता हूं कि मुसद्दीलाल कमीशन की रिपोर्ट मुसलमानों के जख्म पर नमक छिड़कने के बराबर है । मुसद्दीलाल रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिये । अगर ऐसा नहीं किया गया तो मुसलमानों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो सकता है । (शोर) जो आदमी मार खाता है वह कल मारने के लिये भी तैयार हो सकता है ।

श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, कम से कम टाइम बोलने के लिये निश्चित कर दें ।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, आज मऊनाथ भंजन कांड पर चर्चा हो रही है । हम लोग उसी क्षेत्र के निकट रहते हैं । २९ मार्च, १९६९ को दो लड़कों को ले कर यह घटना शुरू हुई । इसमें दो राय नहीं कि मऊ हमारा ऐतिहासिक कस्बा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का । वहां का हिन्दू मुसलमान हमेशा मिल कर रहना चाहता है, रहता भी है, लेकिन कुछ तत्व वहां ऐसे हैं जो रहने नहीं देते । पिछला

भी इतिहास है। यह माननीय मंत्री ने बताया तथा मुसद्दीलाल कमीशन ने भी बताया है। २९ मार्च को जो घटना हुई मैं आजमगढ़ में था तुरन्त मऊ चला गया। वहां के प्रत्येक हिन्दू मुसलमान के घर जा कर हाथ जोड़े। हमने कहा कि यह औद्योगिक कस्बा है इसको बरबाद न करो। लेकिन मैं आज दावे के साथ कहने के लिए तैयार हूं कि जो घटना लड़कों को ले कर हुई, मोहर्रम की भीड़ को किसने उत्तेजित किया, यह माननीय सदस्य ने नहीं कहा। जब करफ्यू लग गया तो हमारे कुछ कम्युनिस्ट भाई, जो एम० पी० या ए० एल० ए० हैं वह गये, कांग्रेस के एक सदस्य गये। सबने मिल कर अपील किया कि करफ्यू ढ[illegible] क[illegible] [illegible] लो[illegible] सकें और आपस में मिलजुल कर व्यवहार हो सके। हमारे माननीय सदस्य ने नहीं बताया कि किसके कहने पर, उभारने पर, जो कि हमारे माननीय सदस्य के सबसे बड़े मित्र हैं, चकिया में जा कर एक हरिजन और यादव पर गोली चलाई और एक आदमी मर गया घटनास्थल पर। एक हरिजन का लड़का मर गया। १५–१६ साल का, इकलौता लड़का था। वहां के मुसलमानों का कसूर नहीं है, हिन्दुओं का कुसूर नहीं है। कुछ लोग अपनी राजनीतिक सत्ता कायम करने के लिए, चाहे हबीबुर्रमान साहब हों, चाहे कम्युनिस्ट हों, मऊ में साम्प्रदायिक दंगा करवाने के लिये ९० फीसदी जिम्मेदार ये लोग हैं। मऊ के आसपास बहुत बड़े बड़े गांव हैं जो हिन्दुओं के हैं, जैसे सहरौज, परदहा, उन गांवों में दंगे नहीं हुए। वहां हुआ जहां ऐसे तत्वों का प्रभाव था जैसे कम्युनिस्ट पार्टी और हबीबुर्रहमान भाई, वहां जरूर साम्प्रदायिक दंगे हुए।

कमीशन बैठा। मुख्य मंत्री जी गये। वहां प्रत्येक मुसलमान के घर गये। हिन्दू के घर नहीं गये, हम लोगों ने कहा कि चूंकि यहां ज्यादातर मुसलमान भाई रहते हैं, जो हम लोगों के काम में सहयोग देते हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला कर चलते हैं। हमने बताया कि उनका कुछ नुकसान हुआ है। धर-पकड़ में लोगों को चोटें भी आई थीं। यह नहीं था कोई नादिरशाही थी वहां, बांस में बांध कर के मारते और हम लोग बरदाश्त करते, धर पकड़ में चोटें आयीं, पुलिस को भी चोटें आयीं। मुसलमानों को भी चोटें आयीं, हिन्दुओं को भी चोटें आयी। एकतरफा चोटें नहीं आयीं। माननीय सदस्य ने एक तरफा बयान दिया है और मान्यवर, रिपोर्ट की बात छोड़ते हुये मैं आंखों देखी बात कहता हूं। मैं वहां पर एक हाजी साहब के घर गया, जो मऊ के काफी पाक और ईमानदार आदमी हैं, जो वहां के बड़े रोजगार वाले आदमी हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा—"तुम तो ठीक कहते हो, यही लीडरी सब करा रही है, आज यह हालत है कि हम घर से निकल नहीं पा रहे हैं।" हम सब लोगों ने इस बात का प्रयास किया और दिन रात वहां टिके रहे, मऊ से निकले नहीं कि यह हमारे ऊपर कलंक का टीका होगा। इसमें दो राय श्रीमन जी नहीं है कि वहां के मुसलमान बहुत शरीफ हैं, लेकिन कुछ हबीबुर्रहमान की तरह के लोगों और राजेन्द्र सिंह जैसे लोगों पर दंगा कराने की सारी जिम्मेदारी है, जो भी जानें गई हैं वह सब उनकी वजह से गई हैं। मुसद्दीलाल कमीशन की बात आप छोड़ दीजिए, माननीय नेता विरोधी दल, जिन पर मैं बहुत विश्वास रखता हूं, वह स्वयं जाकर वहां जांच कर लें कि किस की वजह से यह दंगा और मारकाट हुई है। वह देखेंगे कि इसके लिए हबीबुर्रहमान जिम्मेदार हैं, वहां की जनता जिम्मेदार नहीं है। गोविन्द सिंह ने कहा और उन्होंने बड़ा भारी नारा दिया, मालूम पड़ता है कि यह वहीं पैदा हुये, वहीं काम किया और वहां का सारा इतिहास जानते हैं। माननीय झारखंडे राय जी भी वहीं के रहने वाले हैं, उनका यह कार्य क्षेत्र है, उनसे मेरी मुलाकात हुई उन्होंने मुझे स्टेशन पर बतलाया है और कहा है वहां की हालत बहुत खराब हो गयी है, यह लीडरी मऊ को खा जाएगी। उन्होंने कहा मैं तो पार्लियामेंट में भाग लेने जा रहा हूं, लेकिन यह स्थिति बड़ी ही भयानक है। मैंने उन से कहा कि यह आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो हिन्दू मुसलमानों की लड़ाई हो रही है, खूरेजी हो रही है और हमारा मऊ का पवित्र इतिहास खराब हो रहा है। वहां पर एक गुलब्बा गांव है, वहां पर लोगों ने बयान दिया कि हमको १०० हिन्दुओं ने और २–४ पुलिस के सिपाहियों ने आकर मारा पीटा और जब माननीय मुख्य मंत्री जी वहां गये तो यह कहा कि १ हजार पी० ए० सी० के आदमियों ने आ कर हमारे घरों को लूटा और मारा पीटा।

[श्री त्रिवेणी]

जब यह बयान हुआ तो उस समय जिला परिषद् के अध्यक्ष भी वहां थे। तो इन दोनों बयानों में इतना फर्क कैसे है? उसकी वजह साफ है, यह मऊ का फसाद बनाया गया है। इसलिए बढाया गया है कि वहां पर जो हिन्दू मुसलमान आपस में मिल कर एकता से रहते आए हैं और जो बहुत से मुसलमान कांग्रेस पार्टी में हैं वह कैसे हमारी ओर आकर्षित होंगे। मुसलमानों को अपने भाई हिन्दुओं के बीच से खींचने और कांग्रेस के प्रति उनके मन में घृणा भरने के लिये यह सब षणयन्त्र रचा गया है। जनरल एलेक्शन में कुछ मुसलमानों ने भी हमारे साथ तहे दिल से काम किया था।

मऊ के दंगे को शान्त हुए दो दिन भी नहीं हुए थे कि मऊ म्युनिसिपल बोर्ड के हमारे चेयरमैन मिस्टर राम गोपाल खण्डेलवाल जो कि हिन्दू हैं और हिन्दू मुस्लिम एकता के कट्टर हामी हैं, उनके ऊपर यह इल्जाम लगा कर नो-कान्फीडेंस मोशन लाया गया कि इसको निकाला जाए, मऊ में चूंकि ६७ परसेन्ट मुसलमान रहते हैं इसलिए मऊ म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन हिन्दू नहीं हो सकता। मान्यवर यह क्या है? यह हबीबुर्रहमान जी के साम्प्रदायिक कारनामें हैं। हालांकि वहां के मुसलमानों ने उनका बड़ा साथ दिया, दो तीन मुसलमान सदस्य उनके साथ थे और परिणाम यह हुआ कि उनका प्रस्ताव उनकी वजह से गिर गया और साम्प्रदायिकता का काला इतिहास लगते लगते रुक गया। उन्होंने इतिहास को गन्दा किया है। कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता तारकेश्वर सिंह और राम अधार सिंह हैं, उनका जब जुलुस आ रहा था। (व्यवधान)

(लाल बत्ती होने पर)

थोड़ा समय और दीजिए। मुझे ५ मिनट और दिये जायं।
जब जुलूस आ रहा था तो तारकेश्वर और राजेन्द्र जी ने....

(व्यवधान)

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे माननीय सदस्य ने यहां पर इस बात का इलजाम लगाया है कि बी०के०डी० के हबीबुर्रहमान साहब के होने के कारण बी०के०डी० के लोगों ने मऊनाथ भंजन में दंगा कराया था। मैं पूछता हूं कि लखनऊ में शिया सुन्नियों में दंगा कराने के जिम्मेदार कौन हैं? (व्यवधान)

श्री त्रिवेणी—

मैं कह रहा था कि जब मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था तब हिन्दू मुसलमान जो मिलकर ताजिये दफ़नाते थे उसमें मुसलमानों, भले भाले मुसलमानों को इन्होंने भड़काया और फ़साद करवाया और इसकी सारी जिम्मेदारी हबीबुर्रहमान साहब की है। जाने उनको कहां चोट लगी। हम लोगों ने इनको समझाया कि खून मत दिखाओ, इससे आग भड़केगी लेकिन आप लोगों को सरे चौराहे खून दिखाते फ़िरें और ऐसी साम्प्रदायिकताओं की जिसके कारण (व्यवधान)... अगर इस तरह से हल्ला होगा। हल्ला करना हमको भी आता है, उसमें हम भी कम नहीं हैं। मैं माननीय चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि इन लोगों को शान्त करें। मान्यवर, पिछला एक इसी तरह का इतिहास १९६५ का है, उसकी रिपोर्ट सरकार के पास होगी उसको पढ़ लेने के बाद कोई भ्रम नहीं रह जायगा कि उस जिले का दुर्भाग्य है कि वहां हिन्दू मुसलमान एक रहते हैं लेकिन वहां की लीडरशिप जब जब मऊ में हिन्दू मुसलिम दंगे हुये हैं इन लीडरों ने ही करवाये हैं। मैं साफ़ कहता हूं कि अगर अधिकारियों ने कंट्रोल न किया होता तो मान्यवर मऊ में इतनी जबरदस्त आग भड़कती जिसको सोचा नहीं जा सकता। अगर ६७ फ़ीसदी मुसलमान वहां हैं तो आसपास के क्षेत्रों में ९९ फीसदी हिन्दू भी हैं। अगर कंट्रोल न किया होता अधिकारियों ने

तो आज मऊ का इतिहास दूसरा होता। अधिकारियों ने ला ऐंड आर्डर कायम रखा और यही मुसद्दीलाल की रिपोर्ट है। बस मुझे इतना ही कहना है। (व्यवधान)

श्री जंगबहादुर सिंह (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या जो बिना आपकी आज्ञा के बोलने लगते हैं उनके भाषण लिखे जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, बिलकुल नहीं लिखे जायेंगे। (व्यवधान)

श्री रामबचन (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर कुल मुसलमान वोटर २३, २४ फ़ीसदी हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। वहां पर हिन्दू मुसलिम दंगा क्यों कराया गया ? वहां पर कांग्रेस की हार हुई। वहां पर कांग्रेस की हार इस कारण हुई कि वहां पर गरीब हिन्दू और गरीब मुसलमान हैं जिन लोगों ने बी०के०डी० को वोट दिया या कम्युनिस्ट को अपना वोट दिया। कांग्रेस को वोट नहीं मिला। इसलिये कांग्रेस की हार का बदला इस सरकार ने और इसके अधिकारियों ने लिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांव के भी गरीब लोगों ने हबीबुर्रहमान को ही वोट दिया है। कांग्रेस को वहां पर बहुत कम वोट मिला है। देहात के अन्दर भी यही हाल रहा है। वहां के चेयरमैन साहब खंडेलवाल ने २० हजार रुपया टिकट के लिये गुप्ता जी को थैली दिया था किन्तु उनको टिकट कांग्रेस का नहीं मिला बल्कि श्री पद्म नाथ सिंह को मिला। बहुत जोर लगाने पर भी वहां के हिन्दुओं और मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। वहां पर झगड़े का कारण सिनेमा से शुरू होता है। उसका कारण भी श्रीनाथ भूतपूर्व कांग्रेसी एम०एल०ए० का भानजा था। उस लड़के से वहां पर झगड़ा शुरु कराया गया, फिर पुलिस को एक जरिया मिल गया और पुलिस ने वहां पर लाठी चार्ज किया। यही नहीं वहां के अधिकारियों ने और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर झगड़े को और भी देहातों में फैलाने की कोशिश की। देवल में अखबार में छपवा कर यह बटवाया गया कि हिन्दू औरतों के स्तन काट लिये गये हैं। ऐसी वहां पर हवा फ़ैलाने का प्रयत्न किया गया जिससे आग देहातों के अन्दर भी भड़क जाय और गांव में भी यह साम्प्रदायिक झगड़े का रूप ले ले लेकिन मैं वहां के हिन्दू और मुसलमानों को धन्यवाद देन चाहता हूं कि उन लोगों पर इन लोगों के झूठे प्रचार का कोई भी असर नहीं हुआ। हम लोगों ने वहां पर लोगों को बताया कि यह सब गलत और झूठ है। इस तरह से वहां के कांग्रेस के लोगों ने और अधिकारियों की तरफ से जो यह अखबारों के द्वारा झूठा प्रचा हुआ था उनकी कोशिश नाकामयाब रही। जो हिन्दू वहां पर मुसलमानों के घर चले गये थे उनको मुसलमानों ने अपने घरों में रखा और उनके खाने पीने का इन्तजाम किया। नये बरतन खरीदवाकर उनके खाने का इन्तजाम किया। ४५ घंटे का जो वहां पर करफ्यू लगा था उतने समय तक वह सब मुसलमानों के घरों में ही बन्द रहे और मुसलमान भाइयों ने उनकी रक्षा की।

हमारे साथ रामकुंवर, एम०एल०ए० और जिला परिषद् के अध्यक्ष थे उनसे भी हमारी बात हुई। वे सब लोग यह चाहते थे कि इनकी पिटाई हो। उन लोगों ने कहा भी था कि इनकी पिटाई होनी चाहिये। पुलिस ने उनके इशारे पर काम किया और वहां पर हिन्दू भी गिरफ्तार किये गये। उन्होंने कहा कि बी०के०डी० के आदमियों ने ही यह झगड़ा कराया है तो उनको जेल भेजना चाहिये। मैं आपके सामने आंकड़े उपस्थित करता हूं। वहां पर २८८ आदमी गिरफ्तार किये गये थे जिनमें २३५ मुसलमान गिरफ्तार किये गये। ४ तारीख तक २४२ आदमी गिरफ्तार किये गये जिनमें २२८ मुसलमान थे। जब हम लोगों ने अपनी आवाज उठाई कि एक तरफ ही कार्यवाही कर रहे हो तो कुछ हिन्दू पकड़े गये, जो बी० के० डी० के या कम्युनिस्ट थे। लेकिन असली मजे की बात यह है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ और जिनके घरों और दुकानों को लूटा

[श्री रामवचन]

गया उनको ही गिरफ्तार किया गया और उन पर ही मुकदमा चलाया जा रहा है। २५० आदमी जो पकड़े गये थे उनमें २३५ मसलमान और १५ हिन्दू थे।

इस तरह से हमारे जिले में यह दमन किया गया। उनको इस वजह से डराया गया क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया था। मेहनत करने वाले हरिजन कांग्रेस को वोट नहीं दे सके तो पुलिस के द्वारा सताये गये। कहा गया कि इसकी जांच करेंगे तो न जांच हुई और न किसी का तबादला हुआ। बहुत से आदमियों के दस्तखती बयान दिलाये गये। मैं गया था मुसद्दीलाल के यहां बयान देने। वे कहते थे कि दस्तखती बयान है। सबसे दस्तखती बयान कराये गये। उनके नियुक्त करने के पहले हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक बयान दे दिया कि हबीबुर्रहमान और बी० के० डी० की तरफ से झगड़ा हुआ था। इसके बाद वे वैसी ही रिपोर्ट तो लिखते और वैसी ही रिपोर्ट लिखी गई। तो यह जो मामला है वह हिन्दू मुसलिम दंगा बिल्कुल नहीं था। बल्कि कांग्रेस की हार का बदला वहां पुलिस के दमन से लिया गया है और वहां यह दिखलाया गया है कि वहां शहर का माहौल भड़क जाय और देहात के जो अनपढ़ लोग हैं उनके अन्दर यह भावना आवे कि हबीबुर्रहमान जैसे आदमी को भविष्य में वोट दिया जायगा तो इसी तरह से दंगा होगा और इसलिए अब वोट देना चाहिए कांग्रेस वाले को। मगर गलत बात है। ऐसा नहीं होगा। मैं घूम कर देख रहा हूं कांग्रेस के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं जगी है। श्री हबीबुल्लाह जो मऊ मम्युनिसिपैलिटी के मेम्बर हैं उनको मारा गया, पीटा गया, कम से कम उनके ऊपर पचास साठ लाठी पड़ी और यह कह गया कि यह बी० के० डी० का रावण है, मारा जाय। उनको पीट कर घायल कर दिया गया। अगर मान्यवर इस तरह से किया जायगा जनता के ऊपर, खासकर अल्पसंख्यकों के ऊपर, तो जनतंत्र और सेकुलर स्टेट पर किसका विश्वास रह जायगा। इसलिए मान्यवर इसकी जांच करें और पानी का पानी और दूध का दूध किया जाय।

श्री राम बिलास (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, मऊ की जो घटना हुई है मैं समझता हूं कि उधर के लोगों और इधर के लोगों बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश के लोगों को तकलीफ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी नेगी साहब ने मऊ पर चर्चा की और कहा कि गत चुनावों में वहां कम्युनिस्ट जीते और संसद सदस्य के नीचे पांचों सीट में ३ सीट कम्युनिस्ट की रही जिसमें मऊ भी था। जब वे जीते थे तो कांग्रेस वालों को गुस्सा नहीं आया था। मैं झारखंडे जी की कांस्टीटुएन्सी से जीत कर आया हूं जिसको केरल कहा जाता है। मुझे वहां २६ हजार वोट मुसलमानों के मिले हैं। मौलाना हबीबुर्रहमान ने यह कहा है कि मऊ में बुनकर फसाद नहीं चाहते सही है। वह अपनी रोजी रोटी में लिपटा हुआ है। मऊ एक बिजिनेस प्लेस है। वहां हिन्दू मुसलमान शांति से रहना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं। मान्यवर पिछले तीन चुनाव में दो बार मौलाना हबीबुर्रहमान के पिता मौलवी लतीफ़ साहब जो कांग्रेस में थे कांग्रेस के उम्मीदवार होकर जीत कर आये थे और मौलाना हबीबुर्रहमान जब कांग्रेस छोड़कर बी० के० डी० में गये तो जीत कर आये। बुनकर मौलाना हबीबुर्रहमान को प्यार करते हैं। इसमें शक नहीं है, मान्यवर।

ये चाहे बी० के० डी० में रहें या कांग्रेस में। किसी भी पार्टी का सिम्बल लेकर जायें, इनका और इनके पिता मौलवी लतीफ का जीतना वहां स्वाभाविक है। उन्होंने वहां पर अनजाने साम्प्रदायिकता की आग सुलगाई। सिनेमा पर जो झगड़ा हुआ था वह साम्प्रदायिक लोगों का नहीं बल्कि दो सम्प्रदाय के लड़कों का झगड़ा हुआ था। लड़कों द्वारा जिस समय वहां झगड़ा किया गया था उस समय वहां पर श्री तारकेश्वर सिंह और कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे साथी मौजूद थे, उन्होंने लड़कों को उकसाया जिससे वहां झगड़ा हुआ।

यह सही है कि वहां पर डी० एस० पी० मौजूद थे और वहां पर सब इंसपेक्टर था जिसके ऊपर ढेले फेंके गये और उनको गालियां दी गईं। यह भी बात सही है कि मुन्नू बाबू कांग्रेस के वहां पर मौजूद थे जब हबीबुर्रहमान को चोट लगी। उसी समय मुन्नू बाबू उनको

अस्पताल ले गये। यह बात भी सही है श्रीमन् मौलाना हबीबुर्रहमान जो वहां मौजूद थे उन्हीं के कारण मोहर्रम के जुलूस में उत्तेजना फैली क्योंकि इनको चोट लगी हुई थी और इनके कपड़े खून से तर थे। मुन्नू बाबू और हमने इनको बुला कर समझाया कि तुम कपड़े उतार दो नहीं तो जुलूस आ रहा है और इससे उत्तेजना का फैलना स्वाभाविक है। उस वक्त वहां पर शान्ति थी लेकिन चूंकि इनके कपड़े खून से लथपथ थे उधर से जुलूस आया और चूंकि मुसलमान उनको प्यार करते थे इनको खून से लथपथ देख कर उनके खून में भी उबाल आ गया और हिन्दुओं पर मुसलमानों के हमले शुरू हो गये और सिपाहियों पर पत्थर फेंके गये उनको पीटा गया। परिणामस्वरूप हिन्दू मुसलमान दोनों ईंट पत्थर चलाने लगे और यहीं से साम्प्रदायिकता का रूप धारण कर लिया और इसलिये जैसा वित्त मंत्री जी ने बताया पुलिस को मजबूर हो कर अपनी हिफाजत करनी पड़ी और उनको लाठी और गोली चलानी पड़ी। श्रीमन्, जब वहां अशान्ति पैदा हुई तो वहां पर संस्कृत पाठशाला के आस पास के हिन्दुओं के मकान साम्प्रदायिक लोगों द्वारा ही जलाये गये। और हिन्दुओं ने मुसलमानों के खलिहान फूंके, ट्यूबवेल तोड़े तो क्या साम्प्रदायिक रूप नहीं था? और क्या यह साम्प्रदायिक दंगा नहीं था? यदि नहीं तो संस्कृत पाठशाला ही के पास क्यों ढूंढ़ा गया और उसके आसपास मकान जला दिये गये। यदि यह साम्प्रदायिक दंगा नहीं था तो क्यों हिन्दुओं की दूकानें जलाई गईं और मुसलमानों के खलिहान हरिजनों की बस्ती में जा कर मासूम बच्चे को मारा गया और बेगुनाह हरिजनों को और उसके बाद भी यह कहना कि यह साम्प्रदायिक दंगा नहीं है।

श्रीमन्, यह भी सही है कि पी० ए० सी० के जवान वहां कोई गुलदस्ता लेकर नहीं खड़े थे। वह वहां ऐसे ही खड़े नहीं रह सकते थे, जब कि वहां पर हिन्दू और मुसलमान दोनो ईंट पत्थर फेंक रहे थे और घायल हो रहे थे दोनों सम्प्रदाय के लोग। पी० ए० सी० वाले भी घायल हो रहे थे, उन पर डन्डे चलाये जा रहे थे। उनका वहां इस तरह शान्ति और अमन के ख्याल से खड़े रहना उचित नहीं था। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं श्रीमन् कि कम्युनिस्ट पार्टी ने केवल घोसी में हारी है, बल्कि वह पार्लियामेन्ट के नीचे की सभी सीटें वहां पर हार गई है और उसने अब वहां पर पुनः धाक जमाने के लिये और एक सम्प्रदाय के लोगों से विशेषकर सहानुभूति पाने के लिये इस दंगे को भड़काने का प्रयास किया है, बी० के० डी० के लोगों से मिलकर। अतः मऊ के दंगे की जिम्मेदारी कम्युनिस्ट एवं बी० के० डी० की है और यह दंगा साम्प्रदायिक दंगा रहा है।

श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मऊ काण्ड पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आभारी हूं। मान्यवर, २९ तारीख की फायरिंग और करफ्यू लगने की सूचना पाकर मैं ३० तारीख को मऊनाथ भंजन कस्बे में पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद जिलाधीश श्री दुर्गा प्रसाद आर्य, एस० ओ० सी० श्री चतुर्वेदी से सम्पर्क स्थापित किया और मऊ कस्बे में घूमने के लिये करफ्यू पास मांगा। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं किसी भी विधायक को पास देना पसन्द नहीं करता। मैं मजबूर होकर रेलवे स्टेशन पर लौट आया और रात भर प्लेटफार्म पर रहा। तीसरे दिन पहली तारीख को मऊनाथ भंजन कस्बे के थाने पर साढ़े ११ बजे से साढ़े चार बजे तक उसके गेट पर खड़ा रहा। बार-बार पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट, श्री जमुना प्रसाद वर्मा से निवेदन किया, जिलाधीश से निवेदन किया, एस०ओ० सी०, श्री चतुर्वेदी से निवेदन किया कि करफ्यू पास दे दें और मऊ कस्बे में घूमने की इजाजत दे दें, लेकिन अधिकारियों ने इजाजत नहीं दी। साढ़े ११ से साढ़े ४ बजे तक थाने के गेट पर रहा। पी० ए० सी० की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी, चार गाड़ियों पर गिरफ्तार लोगों को लाया गया और पीटते हुए लाया गया। थाने के अन्दर ढकेल-ढकेल कर, लाठी, डन्डों और बन्दूक के कुन्दों से पीटा गया बेरहमी और बेदर्दी के साथ। वह ऐसा अमानुषिक दृश्य था कि कोई भी इन्सान देखता तो बिना रोये नहीं रह सकता था। कांग्रेस के लोग बार-बार अल्पसंख्यकों को जिन्दा रखने की बात करते

[श्री श्यामलाल]

हैं, इस बात की दुहाई देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वह अल्पसंख्यकों को वोट के नाम पर गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के लोग चुनाव के पहले दंगे कराते हैं ताकि अल्पसंख्यक डरकर उनको वोट दें और चुनाव के बाद इसलिये दंगे कराते हैं कि उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि थाने के अन्दर जिस तरह से पिटाई हुई और जो कराह और चीख पुकार की आवाज वहां हो रही थी उतनी ही जोर से आवाज थाने के बाहर भी पिटाई की आ रही थी। तो मऊ में जो कुछ हुआ वहां के तथा-कथित कांग्रेसी, जनसंघियों ने सांठ गांठ करके किया।

(शोर)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वहां जिस तरीके से----

(शोर)

आजमगढ़ के दैनिक अखबार 'देवल' और साप्ताहिक अखबार 'अवधत' ने, 'आज' और 'गांडीव' अखबार ने साम्प्रदायिकता का विष फैलाया देहात के अन्दर और इसी के फल-स्वरूप आजमगढ़ जिले में पीपरी कांड हुआ जिसमें ४ आदमियों की मृत्यु हुई इसी की पृष्ठ-भूमि में खोरहट में दो आदमियों का कत्ल हुआ और ये सब के सब अल्पसंख्यक थे। यह कहना कि यह साम्प्रदायिक दंगा था खासकर कुछ बिगड़े हुए दिमाग के कांग्रेसी लोगों का मन गढ़न्त किस्सा है। एक विधायक के नाते मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि आजमगढ़ के कांग्रेसी विधायक बाबू राम कुंवर सिंह और आजमगढ़ जिला बोर्ड के अध्यक्ष श्री शिवराम राय ने ६ अप्रैल के 'अवधूत' अखबार में एक बयान दिया है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मऊ में वहां के मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, वह अति निन्दनीय है। वहां के जिलाधिकारियों की वकालत करते हुए उन्होंने कहा है " आजमगढ़ के जिलाधिकारी बहुत ही मुस्तैद हैं और वहां की जनता की हर तरह से मदद कर रहे हैं। उपद्रवकारियों को दबा रहे हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि इस उपद्रव को शान्त करने के लिये हर सम्भव दमनचक्र चलाया जाय। मैं चाहता हूं कि सदन इस पर विचार करे। मऊनाथ भंजन के सम्बन्ध में जो बातें उन्होंने कहीं हैं उनका मतलब क्या है? मेरी राय में उनका साफ मतलब है कि वहां के मुसलमान हिन्दुओं के साथ ज्यादती कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं उनका दूसरा मतलब निकालता हूं कि वे वहां के जिलाधिकारियों के भेदू हैं और खासतौर से जिलाधिकरियों की बातों को जनता में फैलाने की कोशिश करते हैं और जनता के बीच में जिला-धिकारियों की बातों को तोड़-मरोड़ कर रखने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं कि सदन इन सारी बातों पर विचार करे। सरकार पर भी आज कैसे भरोसा किया जाय।

श्री मुसद्दीलाल को मऊ कांड की जांच के लिये भेजा गया। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इलाहाबाद के दंगे की जांच के लिये इन्हीं श्री मुसद्दीलाल को सरकार की ओर से तैनात किया गया था और उन्होंने इलाहाबाद के पुलिस और जिलाधिकारियों की भरपूर वकालत की थी और उन्होंने अल्पसंख्यकों के ऊपर ही सारा दोष मढ़ा था। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि यह सरकार के नौकरशाह हैं और उनके इशारे पर चलने वाले हैं। मैं कभी भी उम्मीद नहीं कर सकता कि इनके द्वारा न्याय होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस मामले पर अच्छी तरह से विचार करें। यह सरकार का असली चेहरा है। इसके मुंह में इंसान का खून लगा हुआ है। कहने के लिये यह सरकार भावात्मक राष्ट्रीय एकता की बात करती है लेकिन दूसरी ओर उतने ही जोर से उस भावना पर आघात करती है। इसलिये मैं सदन को, आपके माध्यम से देश की जनता को सचेत करना चाहता हूं कि आप लोग इनके शब्दों और बोली पर भविष्य में कभी भी यकीन न किया करें।

श्री जंगबहादुर सिंह—

श्रीमन्, आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिये मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं कुछ बातें माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं.....

एक सदस्य—

माननीय सदस्य का जिला कौन सा है ?

*श्री जंगबहादुर सिंह—

आजमगढ़ का रहने वाला हूं। तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम ऐसी घटना पर विचार करने के लिये बैठे हैं जिसके सम्बन्ध में नेता विरोधी दल माननीय चरण सिंह जी भी सहमत होंगे कि गांधी जी भी इसी धर्म निरपेक्षता के लिये जान गंवाए और कांग्रेस संगठन की भी धर्म निरपेक्षता मुख्य नीति है। आज ऐसी ही गम्भीर घटना पर हम विचार रह रहे हैं। इसमें आवेश की आवश्यकता नहीं है ठंडे दिल से हमें विचार करना चाहिये। मऊ की घटना के सम्बन्ध में लोगों के विभिन्न मत हैं। कुछ लोगों का मत है कि पुलिस वालों का कराया हुआ है, पुलिस वालों और कुछ लोगों के बीच का झगड़ा है। कुछ लोगों की धारणा है कि हिन्दू मुसलमान के बीच का साम्प्रदायिक झगड़ा है। इस पर हमें शान्ति के साथ विचार करना होगा।

मऊ का इतिहास अगर आप देखें तो १८९३ में आजमगढ़ के डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में—यों मैं इसका कायल नहीं हूं लेकिन इसका एक उद्धरण देना चाहता हूं—लिखा है विशेष तौर से मऊ के बारे में : —

"The Muslims are obstinate and fanatic natured and there is always a considerable amount of friction between them and Hindus."

तो १८९३ में यह एक अंग्रेज का लिखा हुआ है—

(शोर)

मैंने कहा कि मैं उसका कायल नहीं हूं। लेकिन इसमें यह लिखा है। श्रीमन्, १८९३ में बलिया में गौहत्या के नाम पर दंगा शुरू हुआ। वहां एक आन्दोलन हुआ। तो सबसे पहला स्थान मऊ कस्बा था जहां दंगा शुरू हुआ। मैं इस बात को काटना चाहता हूं कि जो कहा गया कि वहां कभी दंगा नहीं हुआ।

(शोर)

इसमें नाराज होने की बात नहीं है। मैं पहले कह चुका हूं कि मैं उसका कायल नहीं हूं। लेकिन जो मेरे दोस्त कम्युनिस्ट पार्टी.....

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप कुछ पढ़िए मत। अपनी बात कहिए। इतिहास की कोई बात नहीं है, आप अपनी बात बताइए।

श्री जंगबहादुर सिंह—

अच्छा श्रीमन्, २९ मार्च, १९६९ को क्यों घटना घटी ? आप इतिहास की घटनाओं को देखेंगे तो कहीं कोई सांप्रदायिक दंगा बहुत प्री-प्लान्ड नहीं हुआ करता है। छोटी-मोटी घटनाओं से अमूमन इसकी शुरुआत होती है। ऐसा ही मऊ में भी हुआ। सिनेमा हाल में दो लड़कों में झगड़ा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जंग बहादुर सिंह]

हुआ टिकट लेने पर। सिनेमा देखकर वह वापस आते हैं, फिर कुछ लोग शामिल हो जाते हैं। इसके बाद हबीबुर्रहमान साहब बड़ी नेकनियती से मौके पर पहुंच गये और इसलिये पहुंच गये कि दंगे-फिसाद का कोई और रूप न बढ़े? उस समय तक उनकी नियत कुछ ऐसी ही थी, ऐसा मुझको लगता है, और लोग चाहे जो कहते हों। अलग-अलग नजरिया है लोगों का लेकिन मैं समझता हूं कि चूंकि वह वहां के विधायक हैं इसलिये कोशिश किये हों कि झगड़ा आगे न बढ़े--- उस झगड़े के बीच-बचाव में हमारे माननीय सदस्य को कहीं चोट आ गयी। किसी हिन्दू की कार से वह अस्पताल तक गये, वहां पट्टी बंधवा कर आये। लोगों ने मना किया कि जो अखाड़े का जलूस आ रहा है उसमें ये कपड़े पहिन कर न जायं, इनमें खून के दाग लगे हुए हैं, आप घर जाकर आराम करें। मैं नहीं कहता कि हमारे माननीय सदस्य इस इरादे से वहां गये कि लोगों को इस तरह से प्रोत्साहन दें कि जिससे साम्प्रदायिक दंगा हो। लेकिन यह वास्तविकता है कि इनके कपड़ों पर खून के दाग लगे हुए थे और मुहर्रम का अखाड़ा सारा रास्ता तय करता हुआ चला आ रहा था। कहीं कोई छेड़-छाड़ मऊ में नहीं हुई और जब वो कब्र पर वह खेल रहे थे उस समय हबीबुर्रहमान साहब वहां पहुंच गये। लोग वहां तलवार, गंडासों, बल्लमों से सज्जित थे, उत्तेजना इनको देखकर जरूर फैल गयी और उसका यह फल हुआ कि जो छोटी मोटी दुकानें थी, खोमचे वाले जो सड़क पर बैठे हुए थे उन पर वार किया गया, इसमें दो राय नहीं हो सकती, उसमें लोगों ने नुकसान उठाया। उसके बाद पुलिस आयी और मस्जिद से गोलियां डंडे चले, सारी घटनाएं घटीं।

कभी कभी आपके सामने यह कहा गया है कि हिन्दुओं की बस्ती में हिन्दुओं ने मुसलमानों की रक्षा की और मुस्लिम बस्तियों में उन्होंने हिन्दुओं की रक्षा की, तो विनम्र शब्दों में बताना चाहता हूं कि हमेशा यही हुआ करता है---चाहे वह सन् ५२ का कलकत्ता कांड रहा हो, चाहे इसके पहले संविद की हुकूमत में बनारस और मेरठ में झगड़े हुए, जबलपुर में हुए। समाज का हर व्यक्ति अपना संतुलन नहीं खो बैठता। कुछ विवेक हीन होते हैं, उनमें इनसानियत नहीं रह जाती है और वे अपना विवेक खो बैठते हैं। तो यह कहना कि चूंकि हिन्दुओं ने कुछ मुसलमानों की रक्षा की और मुसलमानों ने कुछ हिन्दुओं की रक्षा की इसलिये यह साम्प्रदायिक दंगा नहीं था, मैं यह नहीं मानता और आपके जरिये से सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि कभी भी हर इनसान पागल नहीं हुआ करता है। हमेशा गलत लोग दंगों में हिस्सा लेते हैं और भड़काते हैं। श्रीमन्, दो मिनट का मौका दे दीजिये.....

श्री अध्यक्ष---

एक मिनट में समाप्त करें।

श्री जंगबहादुरसिंह---

मऊ में ६७ फीसदी मुसलमान हैं। हमारे अल्पसंख्यक भाई वहां बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक नहीं हैं। हबीबुर्रहमान साहब वहां केवल बुनकरों के वोट पाते हैं, पूरे वोट इनके नहीं हैं और बाकी साहब दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो उनको कुछ ऐसा लगा, ऐसा लोग कहते हैं, कि हम कुछ कमजोर होते जा रहे हैं, इसलिये अगर हिन्दू मुसलमानों का दंगा करा दें तो ऐसी स्थिति पैदा हो जायगी कि हमेशा कुछ न कुछ वोटे हम पाते रहेंगे। इसलिये मऊ का दंगा, साम्प्रदायिक दंगा था और उसमें जाने अनजाने में, सम्मानित सदस्य का इरादा न रहा हो, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार उसके हबीबुर्रहमान साहब हैं।

श्री हबीबुर्रहमान---

बार-बार यह कहा जा रहा है कि मैं खून लगे हुए कपड़ों से जलूस में चला गया, यह बिलकुल गलत है,...

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मेरा भी नाम है, मुझे भी समय दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप पहले खड़े ही नहीं हुये ।

*श्री जगन्नाथ खन्ना—

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय त्रिवेणी सिंह जी को बतलाना चाहता हूं (व्यवधान) कि उन्होंने यह कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी वहां गये और लोगों से मिले । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे वहां जाकर केवल मुसलमानों से ही क्यों मिले, जब कि हकीकत के अन्दर यह चीज स्पष्ट हो चुकी है कि चोटें दोनों जाति के लोगों को आई हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या हिन्दुओं का खून-खून नहीं था पानी था, क्या हिन्दुओं के माल का जो नुकसान हुआ था वह नुकसान नहीं था मिट्टी था । इसके साथ ही अभी जो माननीय सदस्य ने जनसंघ पर आरोप लगाया, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि माननीय हबीबुर्रहमान साहब ने किसी घटना के अन्दर जनसंघ का नाम नहीं लिया । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने मुसलमानों की तरफदारी की है क्योंकि वह समझती है कि इससे उनको उनका वोट मिलेगा। वह समझती है कि हिन्दुओं का उसे वोट नहीं मिलता है, इसलिये यह मुसलमानों पर अपना असर रखना चाहती है, जनसंघ को बदनाम करना चाहती है । मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से कांग्रेस को न तो हिन्दुओं का वोट ही मिल पायेगा और न मुसलमनों का ही वोट मिल पायेगा । जिनके साथ अन्याय हुआ है, पुलिस ने जिनके साथ जुर्म किया है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चहिये । जनसंघ यह नहीं चाहता कि किसी के साथ अन्याय हो ।

(व्यवधान)

श्री दीननारायण मणि (जिला देवरिया)—

मैं दो मिनट का समय चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस विषय पर गम्भीरता के साथ विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं समय थोड़ा बढ़ा दूंगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत ही गम्भीर है और मैं चाहता हूं कि यह सदन गम्भीरता से विचार करे। और आप इजाजत दें तो मैं संक्षेप में इसके तथ्य सदन के सामने रख सकूं ताकि उसका निष्कर्ष निकाला जा सके वरना इस बहस से कोई फायदा नहीं होगा। संक्षेप में तथ्य यह है कि ता० २९ मार्च को करीब १२ बजे कृष्णा टाकीज में जीवन राम इन्टर कालेज...

(कांग्रेस पक्ष के सदस्यों की ओर से व्यवधान पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]—

आप बदतमीजी मत करें। (व्यवधान) आप बगैर जानकारी के बोल रहे हैं। मैं ७ अप्रैल को मऊ गया और ९ अप्रैल तक वहां रहा। रत्ती-रत्ती छान-बीन के तब बोल रहा हूं। मान्यवर, २९ मार्च को १२ बजे दिन में...

श्री रामविलास—

यह बदतमीजी का जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसे वापिस लिया जाय....

(व्यवधान)

अनेक सदस्य—

ये शब्द वापिस लिये जायं। मान्यवर, इन्होंने "बदतमीजी" शब्द का प्रयोग किया है यह बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इसको वापिस लें नहीं तो बोलने नहीं दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपने जो एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उन्होंने आपको बदतमीज नहीं कहा।

(व्यवधान)

अनेक सदस्य—

उन्होंने यह कहा कि आप बदतमीजी न कीजिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मैं कहना नहीं चाहता था परन्तु कोई माननीय सदस्य यह कहें कि बदतमीजी न कीजिये। मैं केवल इसलिये कि सदन में डेकोरम रहे उसके लिए भी क्या जरूरत नहीं होगी। बदतमीजी कहना, बदतमीजी की जा रही है, या बदतमीज हैं ये लोग.....

श्री अध्यक्ष—

मैंने इनको बोलने के लिये कहा। आपने टोकना शुरू कर दिया। उस पर उन्होंने कहा। बदतमीज का जो अर्थ होता है वह साइश्तापन है। साइश्ता न रखिये, तमीज रखिये यह उनका अर्थ था।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, आपकी रूलिंग यह है कि बदतमीज शब्द का प्रयोग किया जा सकता है?

श्री उदितनारायण (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि दो मर्तबा अध्यक्ष महोदय खड़े होकर यह फैसला दे दें कि उस से कोई मान-हानि का प्रश्न नहीं उठता। तो भी इस तरह के शब्द प्रयोग किये जा सकते हैं उसके बाद माननीय मंत्री को कोई अधिकार नहीं था कि वे प्रश्न को उठायें और दोहरायें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि २९ मार्च ६९ को इन्टर कालेज, मऊ के चार बच्चे विजय कुमार, रामजीत सिंह, महेन्द्र सिंह व ओम प्रकाश १२ बजे दिन को कृष्णा टाकीज में शो देखने के लिये गये। वह टिकट खरीद ही रहे थे उसी समय अब्दुल अली और निसार अहमद अलीहसन बच्चे भी टिकट खरीदने गये थे। टिकट खरीदने में आपस में तकरार हो गयी। एक सम्प्रदाय के बच्चे ने दूसरे के लप्पड़ भी मार दिये। टिकट खरीदने वाले बच्चे सिनेमा देखने के लिये चले गये। पौने तीन बजे सिनेमा छूटा। बाहर निकले। वहां निसार

आदि ने पिटाई कर दी। जब पिटाई हुई तो झगड़ा शुरू हो गया। उसी बीच में दोनों सम्प्रदायों के लोग इधर और उधर आ गये और आपस में लड़ाई शुरू कर दी। ढेलेबाजी शुरू हो गयी। यह पौने तीन बजे की घटना है। पहली घटना कृष्णा टाकीज की है। मामला धीरे-धीरे विजय कुमार जो भूतपूर्व कांग्रेसी विधायक श्री नाथ बाबू का भांजा है उसके मकान के नजदीक तक आ गया। उसी वक्त पी० ए० सी० के लोग भी आ चुके थे। वे पी० ए० सी० के लोग और हिन्दू लोग मऊ की मुख्य सड़क पर इकट्ठे हो गये। दौलत सिंधी की दुकान के पीछे वाले मैदान में मुसलमानों के बच्चे जमा हो गये थे। दोनों में ढेलेबाजी शुरू हो गयी। पुलिस को भी ढेले लगे और आधा घंटे तक यह ढेलेबाजी होती रही। जो कुछ हुआ वह यह था कि पुलिस वाले और हिन्दू एक तरफ से और मुसलमान दूसरी तरफ से ढेलेबाजी कर रहे थे। उसी बीच में हबीबुर्रहमान साहब को, जो उस वक्त बी०के०डी० के दफ्तर में मौजूद थे, इत्तला मिली और वे वहां पहुंच गये। वे उन मुसलमान बच्चों के पास पहुंच गये जो ढेला चला रहे थे उनको डांटा। दो ढेले उनको भी लग गये एक उनके चेहरे पर लगा, उससे खून भी बहा। लेकिन डांटने डपटने से उस वक्त वह झगड़ा खत्म हो गया। उसके बाद नेशनल मेडिकल हाल में उनकी मरहम पट्टी हुई। वे वहीं अस्पताल से बी०के० डी० के दफ्तर चले गये। यह पहली घटना है।

बड़ी घटना तो हुई मऊ की मुख्य सड़क पर जिसके एक तरफ उत्तर और पूर्व में कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर है। एक ही इमारत में राइट और लेफ्ट दोनों कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर है। सड़क के दूसरी ओर मुंशी होटल है। इस होटल के पास पुलिस वाले मोहम्मद याहिया नाम के एक लड़के को पकड़े हुये लाये और उससे कहा कि तेजी से चलो। लड़का कह रहा था कि चल तो रहे हैं, तब एक हवलदार ने उसको थप्पड़ और एक बेंत मारा। वह मामला इतना बढ़ा कि पुलिस वालों ने सड़क पर फैल कर और मुंशी होटल में घुस कर लाठी चार्ज किया। यह बात तारकेश्वर सिनहा और राजेन्द्र सिंह जी जो कम्युनिस्ट नेता हैं ....

एक सदस्य—

श्रीमन, ये सब बनाई हुई बात कह रहे हैं। अब समाप्त कर दिया जाय। हाउस का समय समाप्त हो गया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं समय बढ़ा रहा हूं।

श्री रविनारायण—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १५ मिनट और बढ़ा दिया जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, समय बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। २ घंटे का समय इस चर्चा के लिये दिया गया और चर्चा पौने छः बजे शुरू हुई है।

श्री अध्यक्ष—

समय देने का काम मेरा है। मैं ढाई घंटा तक दे सकता हूं। दो घंटा हो चुके हैं। क्यों कि अभी थोड़ा गोविन्द सिंह जी को बोलना है और मंत्री जी को इसका उत्तर देना है। ५ मिनट वे लेंगे बाकी मंत्री जी बोल लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, दूसरी घटना जो होती है वह यह है कि इस मौके पर श्री तारकेश्वर सिनहा कम्युनिस्ट और....

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन् बी० के०डी० के २–३ आदमी इस विषय पर बोल चुके हैं, संसोपा और कांग्रेस के कई लोग बोल चुके हैं। हमारे जनसंघ के केवल एक विधायक ही बोले हैं। मैं जब खड़ा हुआ तो आप मुझको मौका नहीं दे रहे हैं। हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप मुझको भी थोड़ा सा समय दे दीजिये ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें अभी माननीय जायसवाल जी बोल रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हां तो यह लगभग ४ बजे की घटना है इस वक्त डी० वाई० एस० पी० वगैरह सब आ जाते हैं। उस दिन मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। मऊ की सड़क पर चौक में करीब करीब रोजाना बड़ी भीड़ रहती है लेकिन मुहर्रम के मौके पर कितनी भीड़ होगी, इसका थोड़ा आप अन्दाजा करें। इस मौके पर पुलिस ने वहां पर लाठी चार्ज किया और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। ताजिये के जुलूस में अखाड़े वाले भी थे जो रिवाज के मुताबिक पहले मलिक तहिर बाबा के रोजे पर सलामी करते हैं और उसके बाद अपने कमालात दिखाते चलते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं और शायद इस सरकार के पक्ष में बैठने वाले तो कोई जानते ही नहीं कि आखिर यह झगड़ा हुआ क्यों, शाम वाला। यह रोज मऊ में मैं जब तक रहा तक तब नहीं खुल पाया। आजमगढ़ अस्पताल में ९ तारीख को बाल गोविन्द नाम के आदमी ने बताया कि वहां पर एक ताबूत था, वह जमीन पर गिर गया। उससे लोगों में भगदड़ मची और मारो भागो का शोर मच गया। लोग बिना सोचे समझे भीड़ में भागने लगे। उसमें बाल गोविन्द, निल्लू और उसके भाई को चोटें आयीं, किसी को डंडा पड़ा और किसी को छूरा लगा और पुलिस बराबर लाठी चला रही है। यह सफेद झूठ है कि पुलिस की गोली किसी को नहीं लगी। अनीस और शौकत दोनों पुलिस की गोली से घायल होते हैं। अनीस दूसरे दिन मर जाता है और शौकत अच्छा हो गया है। उसके बाद गिरफ्तारी होती है। साथ ही साथ बिजली की बत्तियां गुल हो जाती हैं और फ़िर उसी दिन मऊ के कस्बे में श्री मोहम्मद जमीर के मकान में आग लगती है। थोड़ी-सी जगह में जितनी दूर यहां से आपकी कुर्सी है, ४–५ आदमियों की गुमटी हैं, वे जलने लगती हैं। आसानी से नहीं कहा जा सकता है कि आग पहले हिन्दुओं ने लगायी या मुसलमानों ने लगायी लेकिन मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि वह मैटीरियल एक्जीबिट (दिखाते हुए) जिनसे आग लगाने की कोशिश की गयी। इसे आप देखेंगे, मैं आपके पास भेज दूंगा। ईंटा है और कपड़ा लिपटा हुआ है और मिट्टी के तेल की इसमें बदबू है और इसी को फेंक कर आग लगाई गई है। जहां तक मुहम्मद जमीर के मकान का सवाल है, वह जूते का रोजगार करता है। वहां क्या किया गया कोई भी देख सकता था। उनके मकान पर तशद्दुद के निशान थे। दरवाजा फूंक दिया गया। इसी से मुनिया खटिकिन की गुमटी जली होगी। आप अन्दाज लगा सकते हैं कि ३० तारीख की रात है। मऊ के सबब में दसई पुखरा और नन्दऊ पुखरा में इसी तरह की वारदातें हुईं।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। आप सुन लें। मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो आपने रूलिंग दी है "बदतमीजी" शब्द पर, एक रूलिंग ८ मार्च, १९५६ की भी है इसी शब्द पर जो इस प्रकार है। "८ मार्च, १९५६ को श्री जोरावर वर्मा सदन त्याग करके चले गये। श्री सीताराम शुक्ल ने कहा 'अध्यक्ष महोदय, माननीय जोरावर वर्मा जी ने बदतमीजी की है, उनके खिलाफ़ एक्शन लिया जाय।' इस पर श्री जगन्नाथ मल्ल द्वारा बदतमीजी शब्द के प्रयोग पर जब आपत्ति उठाई गयी तो श्री अध्यक्ष ने श्री शुक्ल से कहा कि आपको यह शब्द वापस लेना चाहिये।"

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष—

अध्यक्ष की रूलिंग पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

३० मार्च को ८ बजे वहां पर हाजी अब्दुल सत्तार, मुहम्मद फ़ारूक, मुख्तार अहमद, मती उल्लाह तथा मुहम्मद याकूब के खलियान फ़ूंक दिये गये, पावर लूम तोड़ दिये गये, ट्यूबवेल तोड़ दिये गये व उठा कर ले गये, आटा चक्की तोड़ दी, गल्ला फ़ूंक दिया । उसके बाद ३१ तारीख को थोड़ा उत्तर की ओर मदनपुरा गांव है । उसमें भी १०, १५ मुसलमानों के घर ह । वे सब के सब फूंक दिये गये । फूंकने के पहले उनके दरवाजे निकाल दिये गये । उनका सामान लूट लिया गया और फिर आग लगा दी गयी ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठे, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

५ मिनट में समाप्त किये देता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप जल्दी समाप्त कीजिये । आप धीरे-धीरे बोल रहे हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

फिर क्या हुआ ? इस बीच में करफ्यू लगा ही दिया गया था ।

श्री रामविलास—

आप अध्यक्ष महोदय, बराबर रोक रहे हैं जायसवाल जी को लेकिन वे बोले जा रहे हैं । यह क्या बदतमीजी है ? आप व्यवस्था दें कि वे क्यों रुक नहीं रहे हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

वहां पर अखबार जिनका उल्लेख अभी इसी सदन में किया गया बराबर बांटा गया और २९ तारीख को रात से पहली तारीख के १० बजे तक बराबर कर्फ्यू लागू रहा । उसका नतीजा यह होता है कि इस इलाके में ३० मार्च, ६९ में मामला हो जाता है उसके बाद पहली तारीख को जब कर्फ्यू हटाया जाता है तो फिर पास पड़ोस के देहात की भीड़ और गोलवा व डोमनपुरा के लोगों में मुठभेड़ हो जाती है और तिलक चमार की मृत्यु हो जाती है. . . .

श्री त्रिवेणी—

यह सदन का अपमान है कि आपके बार-बार लाल बत्ती देने पर भी माननीय सदस्य बैठते नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं । २९ मार्च ६९ को जब १२ बज दिन में दंगा शुरु हो गया (व्यवधान) जब ४ बजे दोबारा लाठी चार्ज हो जाता है. . . .

(व्यवधान) (बहुत शोर)

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इनके मुंह में तो इन्सान का खून लग गया है । इसलिये ये किसी की बात को सुनना नहीं चाहते और उन पाजी अधिकारियों को बचाना चाहते हैं ।

(व्यवधान) (बहुत शोर)

श्री राम कुंवर (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं .....

(बहुत शोर)

(शोर बन्द न होने पर)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ७ बज कर ४३ मिनट पर अगले दिन के १०—१/२ तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
४ अगस्त, १९६९।

विधान पुस्तकालय

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—५२ एल० ए०—१९६९—८७०।